भा बी वि वि प्रा
irdai

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2020-21

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

भा बी वि वि प्रा

irdai

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रधान कार्यालय
सर्वे नं.-115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट
नानकरामगुडा, गच्चीबाउली,
हैदराबाद - 500032, (भारत)
फोन: (040) 20204000

यह रिपोर्ट बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट - विवरणी, विवरण और अन्य ब्योरा प्रस्तुत करना) नियम, 2000 के अनुसार निर्धारित फार्मेट के अनुरूप है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/8/ आर&डी/एसडीडी/एआर 2020-21/01/ नवम्बर-21 18 नवम्बर, 2021

सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110 001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये, बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टयों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं।

भवदीय,
पूर्णकालिक सदस्य

LETTER OF TRANSMITTAL

Ref. No. 101/8/R&D/SDD/AR 2020-21/01/Nov-21 18th November, 2021

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2021 in the Form as prescribed in the Appendix of IRDA (Annual Report – Furnishing of return, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,

Whole Time Member

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत
: +91-40-2020 4000 वेबसाइट : www.irdai.gov.in
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
: +91-40-2020 4000 Website : www.irdai.gov.in

विषय-सूची

मिशन विवरण xiii

प्राधिकरण के सदस्य xv

आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी xvii

भाग - I

नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश की समीक्षा 1

I.2 बीमा बाजार का मूल्यांकन 4

I.3 प्राधिकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या और विवरण 30

I.4 बीमा बाजार को विकसित करने के लिए नीतियाँ और उपाय 32

I.5 बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप 37

I.6 समीक्षा 42

I.6.1 पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण 42

I.6.2 बीमाकर्ताओं के शोधक्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण 50

I.6.3 पुनर्बीमा की निगरानी 51

I.6.4 बीमाकर्ताओं के निवेशों की निगरानी 57

I.6.5 स्वास्थ्य बीमा 60

I.6.6 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में किये जानेवाले व्यवसाय का विनिर्दिष्ट प्रतिशत 69

I.6.7 लेखा और बीमांकिक मानक 70

I.6.8 प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेश, आदेश और विनियम 70

I.6.9 प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ और कार्य 71

I.6.10 बीमा बाजार की कार्यप्रणाली से संबंध रखनेवाली अन्य नीतियाँ और कार्यक्रम 71

भाग - II

कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन 81

II.2 बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध बीमा एजेंट और मध्यवर्ती 83

II.3 बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान 103

II.4 वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय 106

II.5 बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग 107

II.6 सार्वजनिक शिकायतें 110

II.7 सलाहकार समिति की कार्यपद्धति 113

II.8 बीमा लोकपाल की कार्यपद्धति 114

II.9 बीमा संघ और बीमा परिषदें 115

II.10 बीमा बाजार से संबंधित अन्य गतिविधियाँ 119

भाग - III

प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

III.1	आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन	121
III.2	पालिसी के समनुदेशन, पालिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे का निपटान, पालिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण	121
III.3	मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण-संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना	125
III.4	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण-संहिता विनिर्दिष्ट करना	125
III.5	बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना	127
III.6	बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना	130
III.7	अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही	132
III.8	बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना	132
III.9	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन प्रशुल्क परामर्शदात्री समिति के द्वारा इतना नियंत्रित और विनियमित नहीं किये जानेवाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन	134
III.10	उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे।	134
III.11	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन	135
III.12	शोधक्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमन	135
III.13	बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन	136
III.14	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना	136

भाग - IV

संगठनात्मक विषय

IV.1	संगठन	137
IV.2	मानव संसाधन	138
IV.3	राजभाषा का संवर्धन	140
IV.4	सूचना प्रौद्योगिकी	142
IV.5	लेखा	144
IV.6	आईआरडीएआई जर्नल	144
IV.7	आभार-प्रदर्शन	144

बाक्स मदें

I.1	जीवन बीमा में महिलाओं की सहभागिता	15
I.2	मोटर बीमा उत्पादों में हाल की प्रगति	31
I.3	बीमा क्षेत्र की विहंगम दृष्टि	79

सारणियाँ

I.1	राष्ट्रीय आय और व्यय के अनंतिम अनुमान	1
I.2	आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) के अनंतिम अनुमान	2
I.3	भारत में सकल बचत	3
I.4	घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत	3
I.5	2020 में विश्व में क्षेत्र-वार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि	4
I.6	2020 में विश्व में क्षेत्र-वार प्रीमियम की मात्रा	6
I.7	भारत में बीमा व्यापन और सघनता	7
I.8	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम	8
I.9	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित खंड-वार प्रीमियम	10
I.10	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नई वैयक्तिक पालिसियाँ	11
I.11	जीवन बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी	11
I.12	जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय (और प्रतिफल)	12
I.13	जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय	13
I.14	जीवन बीमाकर्ताओं के दावे	13
I.15	जीवन बीमाकर्ताओं के मृत्यु दावे	14
I.16	जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय	16
I.17	जीवन बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ	16
I.18	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किया गया लाभांश	16
I.19	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय	17
I.20	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर)	18
I.21	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित खंड-वार प्रीमियम (भारत के अंदर)	19
I.22	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम	21
I.23	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नई पालिसियाँ	21
I.24	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओ की प्रदत्त पूँजी	21
I.25	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय	23
I.26	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय	23
I.27	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे	24
I.28	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात	24
I.29	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का जोखिम-अंकन अनुभव	25
I.30	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय	26
I.31	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ	26
I.32	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभांश	27
I.33	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय	28
I.34	पंजीकृत बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता	30
I.35	जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों संबंधी शिकायतें	46
I.36	सकल पुनर्बीमा प्रीमियम	53
I.37	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिधारण और पुनर्बीमा स्थानन	54
I.38	भारत में साधारण बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण	55

I.39	भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह (पूल) में सदस्यों का अंश	56
I.40	भारतीय नाभिकीय बीमा समूह (पूल) में सदस्यों का अंश	57
I.41	बीमा क्षेत्र के कुल निवेश	57
I.42	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशः श्रेणी-वार	58
I.43	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशः निधि-वार	59
I.44	साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेशः श्रेणी-वार	59
I.45	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	60
I.46	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण	61
I.47	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत निवल उपगत दावे	62
I.48	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात	63
I.49	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत अदा किये गये दावे	63
I.50	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	64
I.51	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित खंड-वार स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	65
I.52	जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण	65
I.53	जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति	66
I.54	वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	67
I.55	विदेश यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	67
I.56	देशी यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	68
I.57	भारत के बाहर जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	68
I.58	केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) की सूची	76
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट	84
II.2	जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों का लिंग-वार वितरण	84
II.3	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट	85
II.4	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों का लिंग-वार वितरण	85
II.5	बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध कारपोरेट एजेंट	86
II.6	बीमा दलालों के राज्य-वार पंजीकृत कार्यालय	87
II.7	जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का कार्यनिष्पादन	88
II.8	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट	88
II.9	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस	96
II.10	टीपीए द्वारा नामांकित नेटवर्क अस्पताल	97
II.11	जीवन बीमा में वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन	99
II.12	साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन	100
II.13	स्वास्थ्य बीमा में वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन	101
II.14	2020-21 के दौरान दायर किये गये विधिक मामलों का विवरण	106
II.15	2020-21 के दौरान निपटाये गये / खारिज किये गये विधिक मामलों का विवरण	106
II.16	आईजीएमएस के अनुसार शिकायतों की स्थिति	111
II.17	डीएआरपीजी पोर्टल में पंजीकृत और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें	112
III.1	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण दावों की स्थिति	123

III.2	2020-21 के दौरान प्राकृतिक विपत्तियों के कारण दावों की स्थिति	124
IV.1	31 मार्च 2021 को प्राधिकरण की संरचना	137
IV.2	2020-21 के दौरान आयोजित आईआरडीएआई बोर्ड की बैठकों का विवरण	138
IV.3	आईआरडीएआई में स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या	138
IV.4	आईआरडीएआई में श्रेणी-वार स्टाफ संख्या	138
IV.5	आईआरडीएआई में स्टाफ का आयु-वार वितरण	139
IV.6	आईआरडीएआई में क्षेत्र-वार स्टाफ संख्या	139
IV.7	आईआरडीएआई में ग्रेड-वार स्टाफ संख्या	139

चार्ट

I.1	2020-21 में वर्तमान कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) में क्षेत्रों का अंश	2
I.2	भारत में बीमा व्यापन	7
I.3	भारत में बीमा सघनता	7
I.4	2020 में चयनित देशों में बीमा व्यापन	7
I.5	2020 में चयनित देशों में बीमा सघनता	8
I.6	जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम	9
I.7	जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम	9
I.8	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम की प्रवृत्ति	10
I.9	जीवन बीमाकर्ताओं के दावे	14
I.10	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय	17
I.11	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर)	19
I.12	साधारण बीमा में विभिन्न खंडों का अंश (%)	20
I.13	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय	28
I.14	अपविक्रय संबंधी शिकायतों की स्थिति	47
I.15	अपविक्रय संबंधी शिकायतों का निपटान प्रकार	47
I.16	माध्यम-वार अपविक्रय की शिकायतें	47
I.17	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति	60
I.18	कुल प्रीमियम में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के विभिन्न वर्गों का अंश	61
I.19	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित जीवनों में विभिन्न वर्गों का अंश	61
I.20	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का अंश	62
I.21	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के उपगत दावा अनुपात की प्रवृत्ति	63
II.1	जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन	98
II.2	जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन	98
II.3	साधारण बीमाकर्ताओं का माध्यम-वार व्यवसाय कार्यनिष्पादन	99
II.4	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का माध्यम-वार कार्यनिष्पादन	100
II.5	जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	111
II.6	साधारण बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	112
IV.1	आईआरडीएआई में स्टाफ का ग्रेड-वार वितरण	139

विवरण

1	बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना	147
2	बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना	148
3	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम	149
4	जीवन बीमाकर्ताओं का खंड-वार कुल प्रीमियम	150
5	जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम	151
6	जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	152
7	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावों की स्थिति	153
8	जीवन बीमाकर्ताओं की सामूहिक मृत्यु दावों की स्थिति	155
9	बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र वार वितरण	157
10	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)	158
11	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर)	159
12	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	161
13	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात	162
14	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के दावों की स्थिति	164
15	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की समनुदेशित पूँजी	166
16	जीवन बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात	167
17	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात	168
18	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं का शोधक्षमता मार्जिन	169
19	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)	170
20	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)	173
21	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	175
22	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति	176
23	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत भुगतान किये गये दावों का अवधि-विश्लेषण	177

अनुबंध

1	भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियाँ	181
2	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मोटर टीपी दायित्वों का परिकलन करने के लिए डेटा	183
3	01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश	184
4	31 मार्च 2021 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम	192
5	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची	197
6	2020-21 के दौरान अनुमोदित उत्पादों की संख्या	198
7	बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वसूल किया गया शुल्क	200
8	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अर्थदंड	201
9	(i) भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (आईएएलएम) - 2012-14 मानक दरें	202
	(iii) भारतीय वैयक्तिक वार्षिकीग्राही मृत्यु-दर सारणी (2012-15) समग्र / संयुक्त मृत्यु-दरें	203

संक्षिप्ताक्षर

एएफआईआर	:	एशियाई बीमा विनियमनकर्ता मंच
एजीएम	:	सहायक महाप्रबंधक
एआईसी	:	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
एआईसीटीई	:	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईएफटी	:	अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क
एएम	:	सहायक प्रबंधक
एएमएल	:	धन-शोधन निवारण
एआरसी	:	लेखा-परीक्षा और जोखिम समिति
एएसईएएन	:	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ
आशा	:	प्रमाणिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एएसपी	:	वैकल्पिक बिक्री प्रक्रिया
एएसएसटी	:	सहायक
बीएपी	:	व्यवसाय विश्लेषण-विज्ञान परियोजना
बीसीएस	:	व्यवसाय प्रतिनिधि
बीएसबी	:	बांग्ला शस्य बीमा
बीएसई	:	बंबई स्टॉक एक्सचेंज
सीएडी	:	उपभोक्ता कार्य विभाग
सीएजी	:	भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक
सीबीडीटी	:	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआर	:	सीमापार पुनर्बीमाकर्ता
सीबीएसइ	:	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीसीएमपी	:	साइबर संकट प्रबंधन योजना
सीईआर	:	कमीशन व्यय अनुपात
सीएफटी	:	आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना
सीजीएम	:	मुख्य महाप्रबंधक
सीकेवाईसी	:	केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री
सीओआर	:	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीए	:	अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना
सीपीआईओ	:	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीआईएस	:	नारियल वृक्ष बीमा योजना
सीपीएससी	:	सामान्य लोक सेवा केन्द्र
सीएससी	:	सामान्य सेवा केन्द्र
सीएससी-एसपीवी	:	सामान्य सेवा केन्द्र विशेष प्रयोजन माध्यम
सीएसआई	:	पूंजीगत बीमा राशि

सीएसओ	:	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीडब्ल्यूजी	:	मुख्य कार्य दल
डीएआरपी	:	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
डीसीएफ	:	जिला उपभोक्ता मंच
डीएफएस	:	वित्तीय सेवाएँ विभाग
डीजीएम	:	उप महाप्रबंधक
डीपीजी	:	लोक शिकायत निदेशालय
ईडी	:	कार्यकारी निदेशक
ईएमईए	:	यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका
ईआरपी	:	उद्यम संसाधन आयोजना
ईएसऔपीएस	:	कर्मचारी स्टॉक विकल्प
एफएटीएफ	:	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
एफडीआई	:	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफएफई	:	अग्निशमन उपस्कर
एफआईओ	:	संघीय बीमा कार्यालय
एफआईआरएसट औएनइ	:	एफएसआई-आईएआईएस नियामक और पर्यवेक्षी प्रशिक्षण ऑनलाइन
एफआईयू-आईएनडी	:	वित्तीय आसूचना इकाई - भारत
एफआरबी	:	विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा
एफआरएन	:	फाइलिंग संदर्भ संख्या
एफएसए	:	वित्तीय क्षेत्र का आकलन
एफएसएपी	:	वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम
एफएसबी	:	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसएसए	:	वित्तीय क्षेत्र स्थिरता निर्धारण
जीडीपी	:	सकल देशी उत्पाद
जीआईसी	:	भारतीय साधारण बीमा निगम
जीएम	:	महाप्रबंधक
जीएनडीआई	:	सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
जीएनआई	:	सकल राष्ट्रीय आय
जीऔआई	:	भारत सरकार
जीआरसी	:	शिकायत निवारण समिति
जीआरओ	:	शिकायत निवारण अधिकारी
जीएसटी	:	माल और सेवा कर
जीवीए	:	योजित सकल मूल्य
एचऔडी	:	विभाग प्रमुख
एचआर	:	मानव संसाधन

एचआरएमएस	:	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
आईट्रेक्स	:	बीमा लेनदेन एक्सचेंज
आईएसी	:	बीमा सलाहकार समिति
आईएआई	:	भारतीय बीमांकक संस्थान
आईएआईएस	:	अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ
आईबीएआई	:	भारतीय बीमा दलाल संघ
आईसी	:	आंतरिक समिति
आईसीपी	:	मुख्य बीमा सिद्धांत
आईसीआर	:	उपगत दावा अनुपात
आईएफआरएस	:	अंतर्राष्ट्रीय बीमा पर्वेक्षक संघ
आईजीसीसी	:	आईआरडीएआई शिकायत काल सेंटर
आईजीआईई	:	वैश्विक बीमा शिक्षा संस्थान
आईजीएमएस	:	समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली
आईआईबी	:	भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो
आईआईआई	:	भारतीय बीमा संस्थान
आईआईआईएसएलए	:	भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान
आईआईआरएम	:	बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान
आईआईएस	:	अंतरराष्ट्रीय बीमा सोसाइटी
आईएमसीसी	:	अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति
आईएमएफ	:	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमएफएस	:	बीमा विपणन फर्म
आईएनएफई	:	वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क
आईएनआईपी	:	भारतीय नाभिकीय (न्यूक्लियर) बीमा समूह (पूल)
आईपीपीबी	:	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
आईआरसीटीसी	:	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम
आईआरडीएआई	:	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईएसएनपी	:	बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म
आईएसपी	:	बीमा विक्रेता
आईएसटीएम	:	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान
आईडब्ल्यूडी	:	अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
जेडब्ल्यूडी	:	संयुक्त कार्य समूह
केएमपी	:	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
केवाईसी	:	अपने ग्राहक को जानिए
एलआईसी	:	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलपीए	:	लेटर पेटेंट अपीलें
एमएसीटी	:	मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण

एमएफआई	:	सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ
एमएफएस	:	म्यूचुअल फंड्स
एमजीनरेगा	:	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमजीआर	:	प्रबंधक
एमआई	:	सूक्ष्म बीमा
एमआईएसपी	:	सूक्ष्म बीमा सेवा प्रदाता
एमएमआईसी	:	मृत्यु और रुग्णता जांच केंद्र
एमएमओयू	:	बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन
एमओएफ	:	वित्त मंत्रालय
एमओयू	:	सहमति ज्ञापन
एमपीसी	:	समष्टि-विवेकपूर्ण समिति
एमआरओ	:	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
एमएसएमई	:	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमटीपी	:	मोटर तृतीय पक्ष
एमवीए	:	मोटर वाहन अधिनियम
एनएआईसी	:	राष्ट्रीय बीमा आयुक्त संघ
एनबीएफसी	:	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीडीआर	:	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
एनसीएफई	:	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र
एनडीपी	:	निवल देशी उत्पाद
एनडीआरओ	:	नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
एनजीओएस	:	गैर-सरकारी संगठन
एनएचपीएस	:	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
एनआईए	:	राष्ट्रीय बीमा अकादमी
एनआईएसएम	:	प्रतिभूति बाजार के राष्ट्रीय संस्थान
एनएनडीआई	:	निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
एनएनआई	:	निवल राष्ट्रीय आय
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनपीएस	:	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरए	:	राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण
एनएसई	:	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एनएसएफई	:	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति
एनएसओ	:	राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन
ओडी	:	निजी क्षति
ओईसीडी	:	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएलआई	:	राजभाषा कार्यान्वयन

ओटीसी	:	काउंटर पर
पीए	:	वैयक्तिक दुर्घटना
पीएसीएस	:	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां
पीएएन	:	स्थायी खाता संख्या
पीएटी	:	कर के बाद लाभ
पीडीसी	:	नीति विकास समिति
पीएफसीई	:	निजी अंतिम खपत व्यय
पीजीडीएम	:	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
पीआईवीवी	:	पूर्व-जारी वीडियो सत्यापन
पीएम-जेएवाई	:	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पीएमएफबीवाई	:	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना
पीएमजेडीवाई	:	प्रधान मंत्री जन धन योजना
पीएमजेजेबीवाई	:	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमएल	:	धन-शोधन निवारण
पीएमएलए	:	धन-शोधन निवारण अधिनियम
पीएमओ	:	प्रधान मंत्री कार्यालय
पीएमएसबीवाई	:	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमवीवीवाई	:	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
पीओ	:	अंशतः अनुपालित, अंशतः अवलोकित
पीओएस	:	बिक्री केन्द्र विक्रेता
पीओएसपी	:	बिक्री केन्द्र विक्रेता व्यक्ति
पीआरआईएसएम	:	भविष्यसूचकजीवन जोखिम समकनआदर्श
पीएसयू	:	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरएसी	:	पुनर्बीमा सलाहकार समिति
आरएपी	:	ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति
आरबीआई	:	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसी	:	अभिलेख लिपिक
आरएफक्यू	:	बोली के लिए अनुरोध
आरपीएएस	:	दूर से संचालित विमान प्रणाली
आरएसबीवाई	:	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आरएसएम	:	अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन
आरटीआई	:	सूचना का अधिकार
आरडब्ल्यूबीसीआईएस	:	पुनःसंरचित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना
एसए	:	वरिष्ठ सहायक
एसएएआरसी (सार्क)	:	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
एसएएचआई	:	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता

एसएऔडी	:	स्टैंड-अलोन ओन डैमेज
एसएआरटीटीएसी	:	दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र
एसएटी	:	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण
एससीडीआरसी	:	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
एससीडब्ल्यूएफ	:	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि
एसईबीआई (सेबी)	:	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसएफएसपी	:	मानक आग और विशेष खतरे
एसएचजीएस	:	स्वयं सहायता समूह
एसएलए	:	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक
एसओपी	:	मानक परिचालन प्रक्रिया
एसपीवी	:	विशेष प्रयोजन माध्यम
एसटीआरएस	:	संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टें
टीएटी	:	प्रतिवर्तन काल, परिवर्तन काल, बदलाव का समय
टीओएलआईसी	:	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीपी	:	अन्य पक्षकार
टीपी	:	अंतरण कीमत-निर्धारण
टीपीए	:	अन्य पक्ष प्रबंधक
यूएई	:	संयुक्त अरब अमीरात
यूएवी	:	मानवरहित हवाई वाहन (अनमैन्ड एरियल व्हीकल)
यूएफबीपी	:	अनुचित व्यवसाय पद्धतियाँ/ प्रथाएँ
यूआईडीएआई	:	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआईएन	:	विशिष्ट पहचान संख्या
यूएलआईपी (यूलिप)	:	यूनिट-सहबद्ध उत्पाद
यूएसए	:	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसडी	:	अमेरिकी डालर
यूटी	:	संघ राज्य क्षेत्र
वीबीआईपी	:	वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया
वीसीएचवीएस	:	वाहन दावा इतिहास सत्यापन सेवा
वीएलई	:	ग्राम स्तरीय उद्यमी
डब्ल्यूबी	:	विश्व बैंक
डब्ल्यूबीएस	:	स्वास्थ्य स्कोर
एक्सएमएल	:	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

मिशन विवरण

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना तथा उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना;
- ✓ आम आदमी के हित के लिए बीमा उद्योग (वार्षिकी और अधिवर्षिता संबंधी भुगतानों सहित) की त्वरित और व्यवस्थित संवृद्धि करना, तथा अर्थ व्यवस्था की संवृद्धि की गति बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक निधियाँ उपलब्ध कराना;
- ✓ प्राधिकरण जिनका विनियमन करता है, उनकी सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता, उचित व्यवहार और सक्षमता के उच्चमानकों का निर्धारण, संवर्धन, निगरानी और प्रवर्तन करना;
- ✓ वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा संबंधी धोखा धड़ियों और अन्य अनाचारों की रोकथाम करना तथा प्रभावीशिकायत निवारण तंत्रकी व्यवस्था करना;
- ✓ बीमे के साथ संबंध रखनेवाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्य संचालन को बढ़ावा देना तथा बाजार के खिलाड़ियों में वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानक लागू करने के लिए एक विश्वसनीय प्रबंध सूचना प्रणालीका निर्माण करना;
- ✓ जहाँ ऐसे मानक अपर्याप्त हैं अथवा अप्रभावी ढंगसे लागू किये गये हैं वहाँ कार्रवाई करना;
- ✓ विवेकपूर्ण विनियमन की अपेक्षा ओं के अनुरूप उद्योग के दैनंदिन कार्यचालन में इष्टतम परिमाण में स्व-विनियमन उत्पन्न करना।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण के सदस्य

डॉ. सुभाष चंद्र खुंटिया
अध्यक्ष
(6 मई 2021 तक)

पूर्णकालिक सदस्य

प्रवीण कुतुम्बे
(11 मार्च 2021 तक)

टी एल अलामेलू

के. गणेश

प्रमोद कुमार अरोरा
(4 जनवरी 2021 से)

एस. एन. राजेश्वरी
(4 मार्च 2021 से)

अंशकालिक सदस्य

सुषमा नाथ
(23 अगस्त 2021 तक)

देबाशीष पांडा
(24 जून 2021 तक)

अतुल कुमार गुप्ता
(11 फरवरी 2021 तक)

निहार एन जम्बुसारिया
(12 फरवरी 2021 से)

अमित अग्रवाल
(25 जून, 2021 से)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) में वरिष्ठ अधिकारी

(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)

नाम और पदनाम	विभाग
कार्यकारी निदेशक	
श्री सुरेश माथुर	स्वास्थ्य, आंतरिक लेखा, सर्वेक्षक, कारपोरेट सेवाएँ, आईएमएफ, पुनर्बीमा, राजभाषा कार्यान्वयन और पदनामित अधिकारी
मुख्य महाप्रबंधक	
श्री रणदीप सिंह जगपाल	मध्यवर्ती
श्री ए.आर. नित्यानंदम	सूचना प्रौद्योगिकी
सुश्री ममता सूरी	वित्त और लेखा, और आंतरिक लेखा-परीक्षा
श्रीमती जे. मीना कुमारी	निरीक्षण, मानव संसाधन, प्रशासन और संपदा
श्रीमती यज्ञप्रिया भरत	गैर-जीवन, संचार
श्री एच. अनंतकृष्णन	विधि
श्री वी. जयंत कुमार	जीवन
महाप्रबंधक	
श्री एस. एन. जयसिंहन	निवेश
श्री रमणा राव अद्दंकि	वित्त और लेखा (जीवन)
श्री संजीव कुमार जैन	निरीक्षण
श्री टी. एस. नाईक	उपभोक्ता कार्य, एजेंसी वितरण और मानव संसाधन
श्री एस. पी. चक्रवर्ती	बीमांकिक
श्री ए. वेंकटेश्वर राव	सेक्टोरल विकास और मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्री पी. के. मैती	प्रवर्तन
श्री राजकुमार शर्मा	वित्त और लेखा (गैर-जीवन)
श्रीमती जे. अनिता	गैर-जीवन
श्रीमती के. जी. पी. एल. रमादेवी	सर्वेक्षक, संचार और आईएमएफ
श्री डी.वी.एस. रमेश	स्वास्थ्य
श्री सुदीप्त भट्टाचार्य	बीमांकिक
श्री जी. आर. सूर्यकुमार	अध्यक्ष का कार्यकारी सहायक
श्री पी. एस. जगन्नाथम	जीवन
श्री एम.एस. जयकुमार	मुख्य लेखा अधिकारी
श्री के. महीपाल रेड्डी	गैर-जीवन
श्री टी. वेंकटेश्वर राव	जीवन
श्री एन. एम. बेहेरा	बीमा लोकपाल, भुवनेश्वर के पास प्रतिनियुक्ति पर
श्री पंकज कुमार तिवारी	बीमांकिक

वार्षिक रिपोर्ट टीम

श्री ए. वेंकटेश्वर राव	महाप्रबंधक
श्री गौतम कुमार	उप महाप्रबंधक
डा. एच. जयंती	विशेष कार्य अधिकारी
श्री विवेक नायक	सहायक

भाग - I
नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश की समीक्षा

I.1.1 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2020-21 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी के रु. 203.51 लाख करोड़ के प्रथम संशोधित अनुमानों के मुकाबले वर्ष 2020-21 के लिए वर्तमान कीमतों पर जीडीपी रु. 197.46 लाख करोड़ पर अनुमानित है जो 2019-20 में दर्ज 7.8 प्रतिशत की तुलना में -3.0 प्रतिशत का परिवर्तन दर्शा रहा है।

I.1.2 2020-21 के दौरान वर्तमान कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) रु. 195.61 लाख करोड़ पर अनुमानित है जबकि इसकी तुलना में 2019-20 के दौरान यह रु. 201.58 लाख करोड़ थी और यह 3.0 प्रतिशत की कमी दर्शा रही है। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) के विषय में वर्ष 2019-20 के लिए रु. 1,34,186 के अनुमानों की तुलना में 2020-21 के दौरान -4.0 प्रतिशत का परिवर्तन दर्शाते हुए रु. 1,28,829 का स्तर प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है। प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय 2019-20 के रु. 91,790 से 7.0 प्रतिशत कमी दर्ज करते हुए 2020-21 में रु. 85,348 तक घट गया है (स्रोतः सीएसओ प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2021)।

सारणी I.1
राष्ट्रीय आय और व्यय के अनंतिम अनुमान

(वर्तमान कीमतों पर)

मद	2019-20 (प्रथम संअ)	2020-21 (अअ)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	
			2019-20	2020-21
देशी उत्पाद (₹लाख करोड़)				
1. मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए)	184.61	179.15	7.6	-3.0
2. उत्पादों पर शुद्ध कर	18.90	18.31	9.5	-3.1
3. सकल देशी उत्पाद (जीडीपी)	203.51	197.46	7.8	-3.0
4. निवल देशी उत्पाद (एनडीपी)	181.87	176.46	7.6	-3.0
राष्ट्रीय उत्पाद (₹लाख करोड़)				
5. सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई)	201.58	195.61	7.9	-3.0
6. निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई)	179.94	174.62	7.7	-3.0
7. सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई)	206.98	201.28	7.9	-2.8
8. निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (एनएनडीआई)	185.35	180.29	7.8	-2.7
प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद और अंतिम उपभोग (₹)				
9. प्रति व्यक्ति जीडीपी	1,51,760	1,45,680	6.6	-4.0
10. प्रति व्यक्ति जीएनआई	1,50,320	1,44,320	6.8	-4.0
11. प्रति व्यक्ति एनएनआई	1,34,186	1,28,829	6.6	-4.0
12. प्रति व्यक्ति जीएनडीआई	1,54,349	1,48,504	6.8	-3.8
13. प्रति व्यक्ति पीएफसीई	91,790	85,348	8.5	-7.0

संअ- संशोधित अनुमान; अअ- अनंतिम अनुमान; पीएफसीई- निजी अंतिम उपभोग व्यय
स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2021

I.1.3 वर्ष 2020-21 में, `कृषि, वानिकी और मत्स्य-ग्रहण' क्षेत्र ने 6.6 प्रतिशत संवृद्धि दर्ज करते हुए सभी अन्य क्षेत्रों से बेहतर कार्यनिष्पादन किया। कुछ क्षेत्र अर्थात् `बिजली, गैस, जल-आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएँ', `वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ' तथा `लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ' ने सकारात्मक संवृद्धि दर्ज की जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में 2020-21 में संकुचन हुआ। (सारणी I.2)।

सारणी I.2
आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) के अनंतिम अनुमान
(वर्तमान कीमतों पर) (₹ लाख करोड़)

	उद्योग	2019-20 (प्रथम संअ)	2020-21 (अअ)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	
				2019-20	2020-21
1.	कृषि, वानिकी और मत्स्य-ग्रहण	33.94	36.17	12.5	6.6
2.	खनन और उत्खनन	3.56	2.92	-5.7	-17.9
3.	विनिर्माण	27.12	25.86	-3.3	-4.7
4.	बिजली, गैस, जल-आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएँ	4.84	4.84	7.3	0.2
5.	विनिर्माण	13.69	12.82	1.4	-6.3
6.	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएँ	34.80	29.41	8.7	-15.5
7.	वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	39.16	39.51	10.5	0.9
8.	लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	27.51	27.62	13.7	0.4
	मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए)	**184.61**	**179.15**	**7.6**	**-3.0**

संअ: संशोधित अनुमान; अअ: अनंतिम अनुमान
स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2021

चार्ट I.1 : 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) में क्षेत्रों का अंश

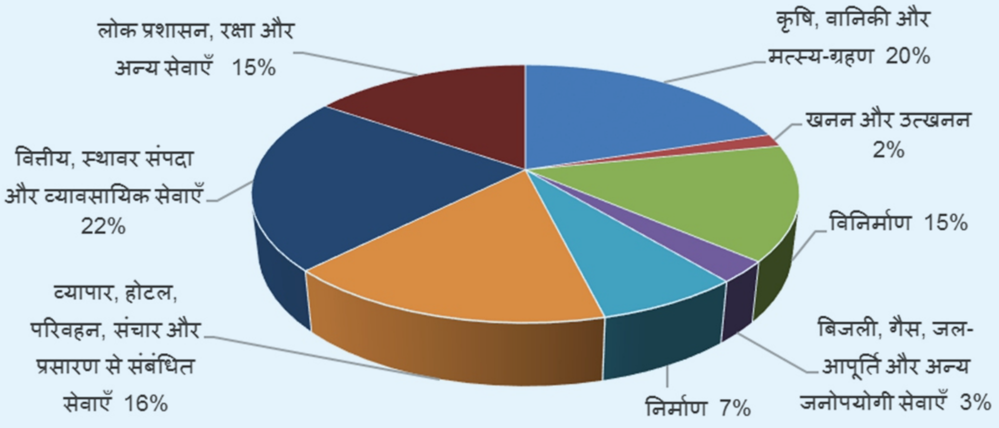

I.1.4 सकल देशी बचत की दर में एक वर्ष पूर्व के 30.1 प्रतिशत से 2019-20 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के 30.9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। यह वृद्धि सरकारी क्षेत्र में अधिक सुदृढ़ वित्तीय निगमों के द्वारा प्रेरित थी जो निधियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत में बढ़ोतरी के साथ संयोजित थी, और यह 2019-20 मंध जीएनडीएआई के 7.8 प्रतिशत तक 0.7 प्रतिशत अंक वृद्धि थी (सारणी I.3 और सारणी I.4)।

I.1.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रारंभिक अनुमान तिमाही 1 2019-20 में दर्ज 4.0 प्रतिशत की तुलना में तिमाही1: 2020-21 में जीडीपी के 21.0 प्रतिशत तक घरेलू वित्तीय बचत में उछाल दर्शाते हैं, जो अवरुद्ध/ घटी आय के बावजूद विवेकाधीन व्यय में कोविड-19 से प्रेरित कमी और एहतियाती बचत में संबद्ध उछाल के कारण थी। तथापि, घरेलू वित्तीय बचत में आधिक्य में भारी कमी आई और उसकी दर तिमाही 2: 2020-21 में जीडीपी के 10.4 प्रतिशत तक घट गई क्योंकि अर्थव्यवस्था के क्रमिक पुनःप्रारंभ/पुनः खोले जाने के चलते घर-परिवारों ने `केवल अत्यावश्यक' व्यय से विवेकाधीन व्यय में परिवर्तन किया।

सारणी I.3
भारत में सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2018-19	2019-20
सकल बचत	**30.1**	**30.9**
1.1 गैर-वित्तीय निगम	**10.7**	**10.6**
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.3	1.4
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	9.4	9.2
1.2 वित्तीय निगम	**1.9**	**2.8**
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	0.9	1.5
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.0	1.3
1.3 सामान्य सरकारी	**-1.5**	**-1.8**
1.4 घरेलू क्षेत्र	**19.0**	**19.3**
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.1	7.8
ज्ञापन: सकल वित्तीय बचत	11.1	11.0
1.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	11.7	11.2
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.2	0.2

जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
टिप्पणी: घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत और वित्तीय देयताओं के बीच अंतर के रूप में प्राप्त की गई है।.
स्रोतः एनएसओ जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में प्रकाशित है।

सारणी I.4
घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2018-19	2019-20
क. सकल वित्तीय बचत जिसमें सेः :	11.0	11.0
1. मुद्रा	1.4	1.4
2. जमाराशियाँ	4.2	4.2
3. शेयर और डिबेंचर	0.4	0.4
4. सरकार पर दावे	1.1	1.3
5. बीमा निधियाँ	1.9	1.5
6. भविष्य और पेंशन निधियाँ	2.1	2.2
ख. वित्तीय देयताएँ	**4.1**	**3.2**
ग. निवल वित्तीय बचत (क-ख)	**7.1**	**7.8**

जीएनडीआईः सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
टिप्पणीः पूर्णांकित करने के कारण आंकड़े कुल संख्या से मेल नहीं खाते होंगे।
स्रोतः एनएसओ जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में प्रकाशित है।

I.2 बीमा बाजार का मूल्यांकन

I.2.1 वैश्विक बीमा बाजार का मूल्यांकन

I.2.1.1 स्विस रे संस्थान द्वारा विश्व बीमा पर सिगमा अनुसंधान प्रकाशन (सं. 3/2021) के अनुसार, वैश्विक बीमा उद्योग कोविड-19 संकट से आघात-सहनीयता के साथ बचकर निकला जहाँ प्रीमियमों में कमी 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान हुई कमी की तुलना में अधिक मंद रही, तथा यह अनुमान है कि दोनों जीवन और गैर-जीवन बीमा के लिए समुत्थान (रिकवरी) अधिक तेज होगा।

I.2.1.2 2020 में वैश्विक वास्तविक प्रीमियम 1.3 प्रतिशत घटे, जो जीडीपी में लगभग एक तिहाई कमी है। जीवन क्षेत्र 2020 में अत्यधिक प्रभावित हुआ था जबकि गैर-जीवन क्षेत्र ने प्रीमियम में निर्बाध वृद्धि दर्ज की।

I.2.1.3 जीवन बचत व्यवसाय में दुर्बलता के कारण 2020 में वास्तविक रूप में जीवन बीमा बाजार का 4.4 प्रतिशत संकुचन हुआ, जो वैश्विक जीवन संविभाग के 81 प्रतिशत का द्योतन करता है। उभरते बाजारों में जीवन प्रीमियम जीडीपी के 2.3 प्रतिशत के समग्र संकुचन के बावजूद 2020 में 0.3 प्रतिशत बढ़े। इस आघात-सहनीयता का कारण चीन है, जहाँ प्रीमियमों में 2.8 प्रतिशत की जीडीपी से उच्चतर दर से वृद्धि हुई। उभरते एशिया ने (चीन को छोड़कर) जीडीपी की 5.3 प्रतिशत गिरावट के मुकाबले जीवन बीमा प्रीमियमों में केवल 1.0 प्रतिशत पतन के साथ अपेक्षाकृत मजबूती के साथ कार्यनिष्पादन किया। मध्य पूर्व और अफ्रीका में वृद्धि आर्थिक मंदी (-4.8 प्रतिशत) के अनुरूप कमजोर (-4.3 प्रतिशत) रही। इसकी तुलना में उन्नत बाजारों में कुल जीवन प्रीमियमों में 2020 में 5.7 प्रतिशत गिरावट हुई, जो उनकी जीडीपी में मंदी से भी गहरी थी। उन्नत ईएमईए सर्वाधिक आहत हुआ (-9.5 प्रतिशत), जहाँ केवल कुछ ही बाजार वृद्धि में थे। उन्नत एशिया पैसिफिक में प्रीमियम 5 प्रतिशत संकुचित हुए, जोकि आस्ट्रेलिया में 30 प्रतिशत से अधिक एक और गिरावट के कारण था।

I.2.1.4 2020 में जबकि वैश्विक जीडीपी में 3.7 प्रतिशत गिरावट हुई, वहीं गैर-जीवन बीमा ने प्रीमियमों में 3490 बिलियन अमेरिकी डालर तक 1.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ विस्तृत होना जारी रखा। 25 वर्षों में पहली बार उन्नत बाजार प्रीमियम उभरते बाजारों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़े। उन्नत एशिया पैसिफिक प्रीमियमों में 2.6 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ उच्चतम वृद्धि वाला उन्नत क्षेत्र था, जिसमें दक्षिण कोरिया अग्रणी रहा। चीन (4.4 प्रतिशत) उभरते बाजारों की वृद्धि में प्रबल रहा, जिसने उभरते बाजारों को 1.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। परंतु अन्य उभरते बाजारों में गैर-जीवन प्रीमियम 2.0 प्रतिशत घटे क्योंकि गिरावट की प्रवृत्ति वाली आर्थिक गतिविधि ने माँग को कम कर दिया।

सारणी I.5
2020 में विश्व में क्षेत्र-वार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि
(प्रतिशत में)

क्षेत्र	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	-5.7	1.5	-1.8
उभरते बाजार	0.3	1.3	0.8
एशिया-पैसिफिक	-2.1	3.0	-0.3
भारत	-1.2	-3.1	-1.7
विश्व	**-4.4**	**1.5**	**-1.3**

स्रोतः स्विस आरई, सिगमा 3/2021

I.2.1.5 वैश्विक बीमा बाजार का अमेरिका, चीन और जापान के चारों ओर संघटित होना जारी है जो 2020 में अपने आकार से विश्व के शीर्षस्थ तीन बीमा बाजार थे, तथा सभी मिलाकर वैश्विक बाजार का लगभग 58 प्रतिशत बनते हैं (2019 में 56 प्रतिशत)। शीर्षस्थ 20 देशों का बाजार अंश भी 2019 के 90.5 प्रतिशत से थोड़ा-सा बढ़कर 2020 में 90.7 प्रतिशत हुआ। एशिया-पैसिफिक क्षेत्र अधिकाधिक प्रबल रूप में वृद्धि कर रहा है, जहाँ सात बाजार (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, भारत, हांगकांग और आस्ट्रेलिया) शीर्षस्थ 20 स्थान पानेवालों में हैं तथा उनका बाजार अंश 2020 में लगभग 26 प्रतिशत है। यह अनुमान है कि उभरते बाजार उन्नत बाजारों से अधिक गति से लगातार आगे बढ़ रहे हैं तथा एशिया अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जहाँ पश्चिम से पूर्व में आर्थिक शक्ति का प्रचलित अंतरण वैश्विक प्रीमियम वृद्धि के स्रोत में प्रतिबिंबित हुआ।

I.2.1.6 महामारी ने बीमा के लिए सकारात्मक आमूलचूल परिवर्तनों को जोड़कर मजबूत किया। उच्चतर जोखिम जागरूकता और डिजिटलीकरण में गतिवर्धन बीमा के लिए सकारात्मक संरचनात्मक प्रवृत्तियाँ हैं। वैश्विक स्वास्थ्य और संरक्षण-प्रकार के बीमा प्रीमियम, वितरण को प्रभावित करनेवाली सामाजिक दूरी के बावजूद 2020 में क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत बढ़ गये।

I.2.1.7 स्विस रे का पूर्वानुमान है कि वैश्विक बीमा माँग ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाते हुए 2021 में 3.3 प्रतिशत और 2022 में 3.9 प्रतिशत वृद्धि करेगी, जहाँ 2021 में अंकित कुल वैश्विक प्रत्यक्ष प्रीमियम उनके संकट-पूर्व 2019 के स्तरों से 10 प्रतिशत उच्चतर स्तर पर होंगे तथा 2022 के अंत तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से अधिक तक वैश्विक बीमा बाजार का उन्नयन करेंगे।

I.2.1.8 उपभोक्ता जोखिम जागरूकता पर कोविड-19 से लाभान्वित होते हुए वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियमों में एक सुदृढ़ समुत्थान (रिकवरी) होगा जो ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 2021 में 3.8 प्रतिशत और 2022 में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुल वैश्विक जीवन प्रीमियमों के संबंध में अनुमान है कि वे इस वर्ष 3 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से अधिक होंगे, प्राथमिक रूप से उन्नत बाजारों में उनके बृहत्तर वैश्विक अंश के होते हुए इन बाजारों में अंकित है। साथ ही, यह अनुमानित है कि व्यवसाय की सभी व्यवस्थाओं में समुत्थान (रिकवरी) के साथ इस वर्ष जीवन क्षेत्र की लाभप्रदता में महामारी-पूर्व स्तरों तक संतुलित सुधार होगा।

I.2.1.9 वैश्विक गैर-जीवन प्रीमियम मात्रा के संबंध में 2021 में 2.8 प्रतिशत और 2022 में 3.7 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अनुमान है। गैर-जीवन बीमा में मुद्रास्फीति एक प्रमुख मध्यावधि जोखिम है। वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में दो दशकों के लिए सुदृढ़तम दर वृद्धि का गैर-जीवन बीमा प्रीमियम वृद्धि के लिए प्रधान प्रेरक होना जारी है। वैयक्तिक व्यवस्थाओं की वृद्धि और लाभप्रदता अपेक्षाकृत नरम होंगी क्योंकि मोटर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव में है तथा सामान्य स्थिति में वापसी का दावा एक असाधारण लाभप्रद 2020 के बाद किया जा सकता है।

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय बीमा

I.2.1.10 स्विस रे रिपोर्ट (सिगमा सं. 3/2021) के अनुसार भारत को वैश्विक बीमा व्यवसाय में ग्यारहवाँ स्थान प्राप्त है। वैश्विक बीमा बाजार में भारत का अंश 2020 के दौरान 1.72 प्रतिशत था (2019 में 1.69 प्रतिशत)। भारत में कुल बीमा प्रीमियम 2020 में 0.1 प्रतिशत (- 1.7 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) वृद्धि हुई जबकि वर्ष के दौरान वैश्विक कुल बीमा प्रीमियम में 0.04 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि (- 1.3 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) हुई।

I.2.1.11 जीवन बीमा व्यवसाय में विश्व में भारत का स्थान दसवाँ है। वैश्विक जीवन बीमा बाजार में भारत का अंश 2020 के दौरान 2.90 प्रतिशत था। भारत में जीवन बीमा प्रीमियम 2020 में सीमांत रूप से 0.6 प्रतिशत बढ़ा (-1.2 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) जबकि वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम 3.1 प्रतिशत घटा (-4.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि)।

I.2.1.12 गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में भारत को विश्व में चौदहवाँ स्थान प्राप्त है जोकि पिछले वर्ष से एक स्थान का सुधार दर्शाता है। वैश्विक गैर-जीवन बीमा बाजार में भारत का अंश 2020 के दौरान 0.77 प्रतिशत था। भारतीय गैर-जीवन बीमा क्षेत्र ने 2020 के दौरान -1.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि (-3.1 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) देखी जबकि वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में 2.8 प्रतिशत वृद्धि (1.5 प्रतिशत मुद्रास्फीति समायोजित वास्तविक वृद्धि) हुई।

I.2.1.13 वैश्विक तौर पर, 2020 के दौरान कुल प्रीमियम में जीवन बीमा प्रीमियम का अंश 44.50 प्रतिशत था तथा गैर-जीवन बीमा प्रीमियम का अंश 55.50 प्रतिशत रहा। तथापि, भारत के लिए जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 75.24 प्रतिशत पर अत्यधिक था जबकि गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 24.76 प्रतिशत पर था (सारणी I.6)।

सारणी I.6
2020 में विश्व में क्षेत्र-वार प्रीमियम की मात्रा
(बिलियन अमेरिकी डालर)

क्षेत्र	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	2,179.26 (42.58)	2,938.86 (57.42)	5,118.12 (100)
उभरते बाजार	618.18 (52.88)	550.75 (47.12)	1,168.93 (100)
एशिया-पैसिफिक	1090.77 (62.17)	663.75 (37.83)	1,754.52 (100)
भारत	81.25 (75.24)	26.74 (24.76)	107.99 (100)
विश्व	**2,797.44 (44.50)**	**3489.61 (55.50)**	**6,287.04 (100)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में खंड का अंश निर्दिष्ट करते हैं। .
स्रोतः स्विस आरई, सिगमा 3/2021

बीमा व्यापन और सघनता

I.2.1.14 बीमा व्यापन और सघनता दो ऐसे मानदंड हैं जिनका प्रयोग किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन करने के लिए, अन्य के बीच, प्रायः किया जाता है। जबकि बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के तौर पर किया जाता है, बीमा सघनता का परिकलन जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के रूप में किया जाता है।

I.2.1.15 भारत में बीमा व्यापन 2019-20 में विद्यमान 3.76 प्रतिशत से बढ़कर 11.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2020-21 में 4.20 प्रतिशत हो गया। बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के पहले दशक के दौरान इस क्षेत्र ने बीमा व्यापन में वृद्धि सूचित की जो 2001-02 में विद्यमान 2.71 प्रतिशत से 2009 में 5.20 प्रतिशत तक हुई। तब से बीमा व्यापन का स्तर जीवन बीमा व्यापन में गिरावट के कारण घट रहा था और वह 2014-15 में 3.30 प्रतिशत तक पहुँच गया। तथापि, बीमा व्यापन 2015-16 से पुनः बढ़ने लगा तथा 2020-21 में व्यापन 4.20 प्रतिशत तक पहुँच गया। जबकि जीवन बीमा क्षेत्र का व्यापन 2001-02 में स्थित 2.15 प्रतिशत से 2020-21 में 3.20 तक बढ़ गया, वहीं गैर-जीवन बीमा का व्यापन इसी अवधि के दौरान 0.56 प्रतिशत से बढ़कर 1.00 प्रतिशत हो गया।

I.2.1.16 भारत में बीमा सघनता 2019-20 और 2020-21 के दौरान 78 अमेरिकी डालर के स्तर पर एकसमान रही। बीमा सघनता के स्तर ने 2001-02 में विद्यमान 11.50 अमेरिकी डालर से वर्ष 2020-21 में 64.40 अमेरिकी डालर तक सुसंगत वृद्धि सूचित की। कुछ उतार-चढ़ाव के बाद बीमा सघनता ने वर्ष 2016-17 से नियमित वृद्धि दर्ज की। जबकि जीवन बीमा सघनता 2001-02 में स्थित 9.10 अमेरिकी डालर से 2020-21 में 59 अमेरिकी डालर तक बढ़ी, गैर-जीवन बीमा सघनता इसी अवधि के दौरान 2.40 अमेरिकी डालर से 19 अमेरिकी डालर तक बढ़ गई।

I.2.1.17 स्विस आरई सिगमा रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में वैश्विक तौर पर जीवन खंड के लिए बीमा व्यापन और सघनता क्रमशः 3.30 प्रतिशत और 360 अमेरिकी डालर तथा गैर-जीवन खंड के लिए क्रमशः 4.10 प्रतिशत और 449 अमेरिकी डालर थीं। समग्र बीमा व्यापन और सघनता 2020 में 7.40 प्रतिशत और 809 अमेरिकी डालर थीं। (चार्ट I.4 और चार्ट I.5)।

I.2.1.18 स्विस आरई द्वारा उसकी वार्षिक रिपोर्टों से समाकलित भारत में बीमा व्यापन और सघनता के अनुमान सारणी I.7 में प्रस्तुत किये गये हैं चयनित देशों में बीमा व्यापन और सघनता की स्थिति स्विस आरई संस्थान की रिपोर्ट से विवरण 1 और विवरण 2 में उद्धृत की गई है।

सारणी I.7
भारत में बीमा व्यापन और सघनता

(प्रतिशत में)

वर्ष	व्यापन (%)			सघनता (अमेरिकी डालर)		
	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
2001-02	2.15	0.56	2.71	9.10	2.40	11.50
2002-03	2.59	0.67	3.26	11.70	3.00	14.70
2003-04	2.26	0.62	2.88	12.90	3.50	16.40
2004-05	2.53	0.64	3.17	15.70	4.00	19.70
2005-06	2.53	0.61	3.14	18.30	4.40	22.70
2006-07	4.10	0.60	4.80	33.20	5.20	38.40
2007-08	4.00	0.60	4.70	40.40	6.20	46.60
2008-09	4.00	0.60	4.60	41.20	6.20	47.40
2009-10	4.60	0.60	5.20	47.70	6.70	54.30
2010-11	4.40	0.71	5.10	55.70	8.70	64.40
2011-12	3.40	0.70	4.10	49.00	10.00	59.00
2012-13	3.17	0.78	3.96	42.70	10.50	53.20
2013-14	3.10	0.80	3.90	41.00	11.00	52.00
2014-15	2.60	0.70	3.30	44.00	11.00	55.00
2015-16	2.72	0.72	3.44	43.20	11.50	54.70
2016-17	2.72	0.77	3.49	46.50	13.20	59.70
2017-18	2.76	0.93	3.69	55.00	18.00	73.00
2018-19	2.74	0.97	3.70	55.00	19.00	74.00
2019-20	2.82	0.94	3.76	58.00	19.00	78.00*
2020-21	3.20	1.00	4.20	59.00	19.00	78.00

टिप्पणी:
1. बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में किया जाता है।
2. बीमा सघनता का मापन कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात के रूप में किया जाता है।.
3. आंकड़े पूर्णांकित होने के कारण कुल संख्या से मेल नहीं खाते होंगे।
*अंतर को पूर्णांकित किया गया
स्रोतः स्विस आरई, सिगमा, विभिन्न अंक .

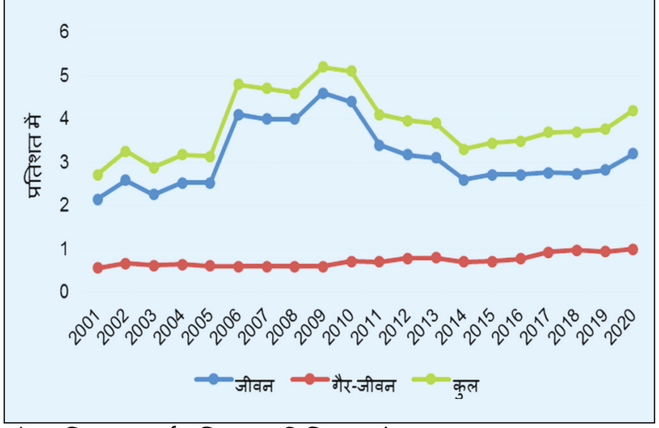

चार्ट I.2 : भारत में बीमा व्यापन

स्रोतः स्विस आरई, सिगमा, विभिन्न अंक

2020 में विश्व में क्षेत्र वार बीमा व्यापन और सघनता

(प्रतिशत में)

वर्ष	व्यापन (%)			सघनता (अमेरिकी डॉलर)		
	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
यूएसए एवं कनाडा	3.1	8.8	11.8	1878	5392	7270
उन्नत ईएमईए	4.6	3.3	7.9	1893	1341	3234
उभरते ईएमईए	0.7	1.2	1.9	30	50	80
उन्नत एशिया प्रशांत	6.2	3.1	9.3	2331	1159	3490
उभरते एशिया प्रशांत	2.3	1.7	4.1	124	92	215
विश्व	**3.3**	**4.1**	**7.4**	**360**	**449**	**809**

स्रोतः स्विस रे, सिग्मा 3/2021

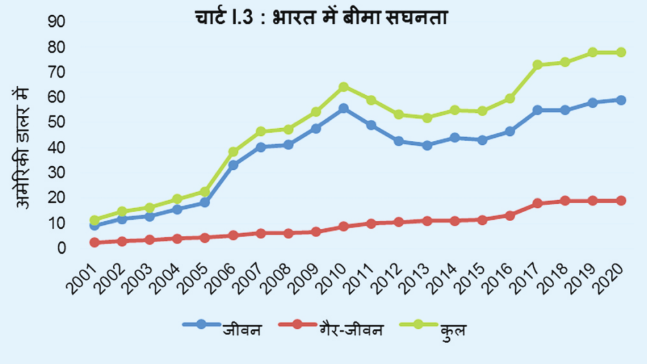

चार्ट I.3 : भारत में बीमा सघनता

स्रोतः स्विस आरई, सिगमा, विभिन्न अंक

चार्ट I.4
2020 में चयनित देशों में बीमा व्यापन

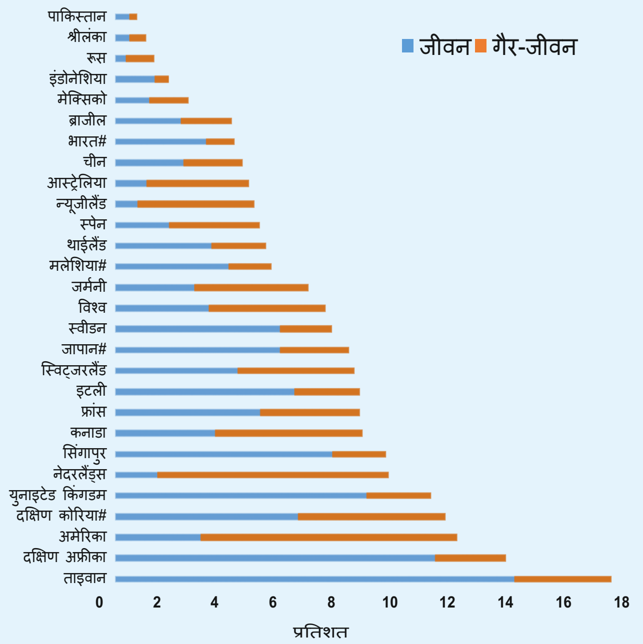

डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है।
टिप्पणीः बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में किया जाता है।
स्रोतः स्विस आरई, सिगमा सं. 3/2021.

चार्ट I.5

2020 में चयनित देशों में बीमा सघनता

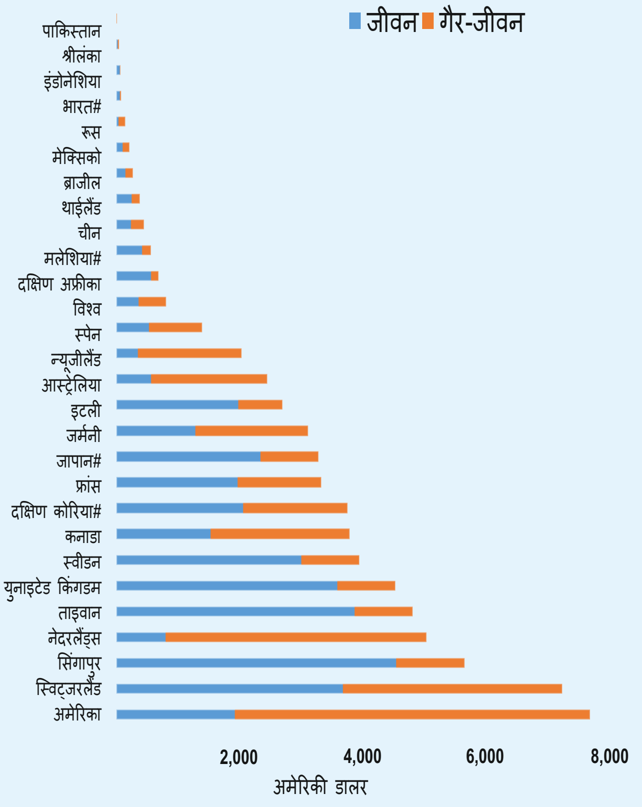

डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

टिप्पणी: बीमा सघनता का मापन जनसंख्या की तुलना में बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में किया जाता है।

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा सं. 3/2021.

I.2.2 भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन

जीवन बीमा बाजार का मूल्यांकन

जीवन बीमा प्रीमियम

I.2.2.1 जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज रु. 5.73 लाख करोड़ की तुलना में 2020-21 के दौरान रु. 6.29 लाख करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की और इस प्रकार इसने 9.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 12.75 प्रतिशत वृद्धि थी)। जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने अपनी प्रीमियम आय में 16.50 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 13.42 प्रतिशत वृद्धि थी), एलआईसीने 6.30 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (2019-20 में 12.41 प्रतिशत थी)। एलआईसी और निजी क्षेत्र द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम सारणी I.8 में दिया गया है तथा बीमाकर्ता-वार स्थिति विवरण 3 में प्रस्तुत की गई है।

I.2.2.2 एलआईसी का बाजार अंश 2020-21 में 64.14 प्रतिशत रहा है जो पिछले वर्ष के 66.22 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटा है। निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश 2019-20 के 33.78 प्रतिशत से थोड़ा-सा बढ़कर 2020-21 में 35.86 प्रतिशत हो गया है (सारणी I.8).

सारणी 1.8
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम

बीमाकर्ता	प्रीमियम (₹करोड़)		बाजार अंश (%)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
एलआईसी	379389.60 (12.41)	403286.55 (6.3)	66.22	64.14
निजी क्षेत्र	193520.59 (13.42)	225444.48 (16.5)	33.78	35.86
कुल	**572910.19 (12.75)**	**628731.04 (9.74)**	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

खंड-वार जीवन बीमा प्रीमियम

I.2.2.3 जबकि नवीकरण प्रीमियम 2020-21 में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम का 55.67 प्रतिशत रहा है (2019-20 में 54.75 प्रतिशत), नये व्यवसाय प्रीमियम ने शेष 44.33 प्रतिशत का अंशदान किया (2019-20 में 45.25 प्रतिशत था)। 2020-21 के दौरान नवीकरण प्रीमियम में वृद्धि 11.6 प्रतिशत थी (2019-20 में 7.00 प्रतिशत)। नये व्यवसाय प्रीमियम ने पिछले वर्ष की 20.59 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (सारणी I.9)।

I.2.2.4 नये व्यवसाय प्रीमियम का आगे और द्विभाजन यह निर्दिष्ट करता है कि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त एकल प्रीमियम आय ने 2020-21 के दौरान 26.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (2019-20 में 10.71 प्रतिशत वृद्धि थी)। एकल प्रीमियम उत्पादों ने एलआईसी के लिए प्रमुख भूमिका अदा करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने एलआईसी की कुल प्रीमियम आय के 37.32 प्रतिशत का अंशदान किया (2019-20 में 37.71 प्रतिशत)। तुलनात्मक रूप से 2020-21 के दौरान कुल प्रीमियम आय में एकल प्रीमियम आय का अंशदान निजी बीमा कंपनियों के लिए 21.03 प्रतिशत था (2019-20 में 18.94 प्रतिशत)।

I.2.2.5 प्रथम वर्ष प्रीमियम में पिछले वर्ष की 39.71 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले, 2020-21 में 21.01 प्रतिशत तक कमी आई। जबकि एलआईसी ने प्रथम वर्ष प्रीमियम में 41.46 प्रतिशत की कमी दर्ज की (2019-20 में 85.02 प्रतिशत वृद्धि थी), वहीं निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 5.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (2019-20 में 5.82 प्रतिशत वृद्धि थी)। खंड-वार जोखिम-अंकित प्रीमियम सारणी I.9 में दिया गया है।

I.2.2.6 नये व्यवसाय प्रीमियम में एलआईसी का बाजार अंश 2020-21 में 66.17 था (2019-20 में 68.76 प्रतिशत) तथा शेष 33.83 प्रतिशत निजी बीमाकर्ताओं का रहा (2019-20 में यह 31.24 प्रतिशत था)। इसी प्रकार, नवीकरण प्रीमियम में एलआईसी ने 66.53 प्रतिशत पर अपना उच्चतर अंश जारी रखा (2019-20 में 64.12 प्रतिशत) जबकि इसकी तुलना में निजी बीमाकर्ताओं का अंश 37.47 प्रतिशत (2019-20 में 35.88 प्रतिशत) था।

I.2.2.7 पारंपरिक उत्पादों ने पिछले वर्ष के रु. 4.90 लाख करोड़ की तुलना में रु. 5.38 लाख करोड़ के प्रीमियम के साथ 2020-21 में 9.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर, यूनिट सहबद्ध उत्पादों (यूलिप) ने प्रीमियम में 2019-20 के 83,050 करोड़ से 2020-21 में 91,007 करोड़ तक वृद्धि के साथ 9.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कुल प्रीमियम में यूनिट-सहबद्ध उत्पादों का अंश 2019-20 के 14.50 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में सीमांत रूप से 14.47 प्रतिशत तक घट गया। बीमाकर्ता-वार ब्योरा विवरण 5 में दिया गया है।

चार्ट I.6
जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम

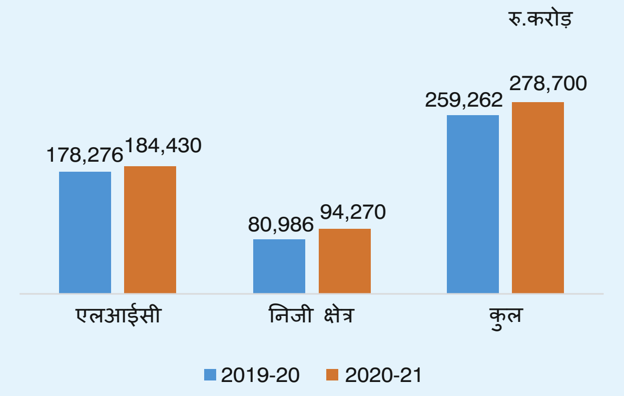

चार्ट I.7
जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम

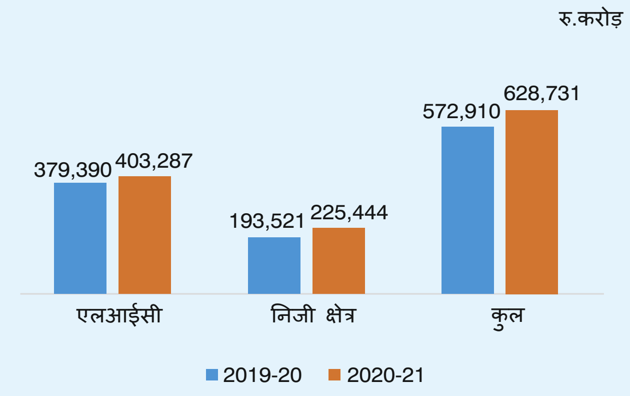

सारणी I.9
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित खंड-वार प्रीमियम

क्रम सं.	खंड	मद	एलआईसी		निजी क्षेत्र		कुल	
			2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	प्रथम वर्ष प्रीमियम	प्रीमियम (₹ करोड़ में) वृद्धि (%) बाजार अंश (%)	57958.76 85.02 56.66	33930.86 -41.46 41.99	44326.64 5.82 43.34	46869.16 5.74 58.01	102285.40 39.71 100.00	80800.02 -21.01 100.00
2	एकल प्रीमियम	(प्रीमियम ₹ करोड़ में) वृद्धि (%) बाजार अंश (%)	120317.48 8.38 76.65	150498.69 25.08 76.05	36659.50 19.10 23.35	47401.21 29.30 23.95	156976.98 10.71 100.00	197899.90 26.07 100.00
3	नया व्यवसाय प्रीमियम (1+2)	(प्रीमियम ₹ करोड़ में) वृद्धि (%) बाजार अंश (%)	178276.24 25.25 68.76	184429.55 3.45 66.17	80986.14 11.45 31.24	94270.37 16.40 33.83	259262.38 20.59 100.00	278699.92 7.50 100.00
4	नवीकरण प्रीमियम	(प्रीमियम ₹ करोड़ में) वृद्धि (%) बाजार अंश (%)	201113.36 3.05 64.12	218857.00 8.82 62.53	112534.45 14.88 35.88	131174.11 16.56 37.47	313647.81 7.00 100.00	350031.11 11.60 100.00
5	कुल प्रीमियम (3+4) = (6+7)	(प्रीमियम ₹ करोड़ में) वृद्धि (%) बाजार अंश (%)	379389.60 12.41 66.22	403286.55 6.30 64.14	193520.59 13.42 33.78	225444.48 16.50 35.86	572910.19 12.75 100.00	628731.04 9.74 100.00
		संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम						
6	संबद्ध प्रीमियम	(प्रीमियम ₹ करोड़ में) वृद्धि (%) बाजार अंश (%)	761.58 -6.38 0.92	1407.16 84.77 1.55	82288.08 9.22 99.08	89599.49 8.89 98.45	83049.66 9.06 100.00	91006.65 9.58 100.00
7	असंबद्ध प्रीमियम	(प्रीमियम ₹ करोड़ में) वृद्धि (%) बाजार अंश (%)	378628.02 12.46 77.29	401879.40 6.14 74.74	111232.51 16.73 22.71	135844.99 22.13 25.26	489860.53 13.40 100.00	537724.39 9.77 100.00

चार्ट I.8
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम की प्रवृत्ति

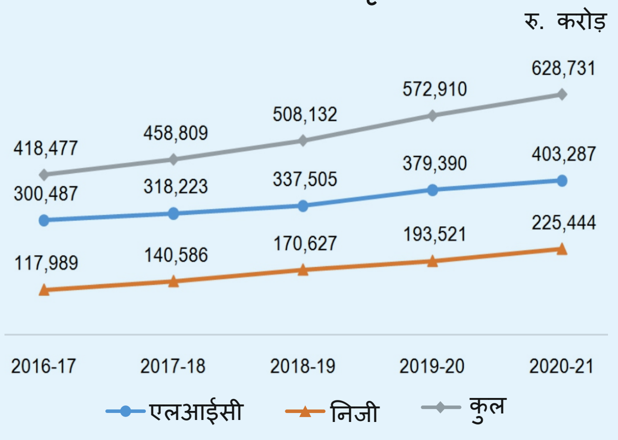

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम

I.2.2.8 एलआईसीही एकमात्र बीमाकर्ता है जिसने भारत के बाहर जोखिम-अंकित जीवन बीमा व्यवसाय किया। एलआईसी द्वारा देश के बाहर जोखिम-अंकितकिया गया कुल प्रीमियम 2020-21 में ₹400.34 करोड़ था, जबकि 2019-20 में ₹378.26 करोड़ था, जो 2018-19 में 2.16 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 5.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई पालिसियाँ

I.2.2.9 2020-21 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने वैयक्तिक व्यवसाय के अंतर्गत 281.27 लाख नई पालिसियाँ जारी कीं, जिनमें से एलआईसी ने 209.75 लाख पालिसियाँ (74.57 प्रतिशत) जारी कीं तथा निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 71.52 लाख पालिसियाँ (25.43 प्रतिशत) जारी कीं। जबकि एलआईसी ने पिछले वर्ष की तुलना में जारी की गई नई पालिसियों की संख्या में 4.21 प्रतिशत की कमी दर्शाई है, वहीं निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 2.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

सारणी I.10
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नई वैयक्तिक पालिसियाँ

(लाख में)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
एलआईसी	218.96 (2.30)	209.75 (-4.21)
निजी क्षेत्र	69.50 (-4.05)	71.52 (2.89)
कुल	**288.47 (0.69)**	**281.27 (-2.49)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी

I.2.2.10 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों की कुल पूँजी रु. 28,346 करोड़ थी। 2020-21 के दौरान निजी क्षेत्र के बीमार्ताओं द्वारा उद्योग में रु. 258 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी लाई गई (सारणी I.11)। बीमा कंपनी वार ब्योरा विवरण 6 में दिया गया है।

सारणी I.11
जीवन बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2020 को	2019-20 के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2021 को
एलआईसी	100.00	-	100.00
निजी क्षेत्र	27987.96	258.41	28246.37
कुल	**28087.96**	**258.41**	**28346.37**

टिप्पणी: प्रदत्त पूँजी में शेयर प्रीमियम और शेयर आवेदन राशि शामिल नहीं हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं की अन्य प्रकार की पूँजी

I.2.2.11 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए(1)(i) के अधीन दी गई शक्ति के अनुसरण में तथा बीमा अधिनियम की धारा 114ए और आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2016 अधिसूचित किये हैं।

I.2.2.12 उक्त विनियमों के प्रावधानों के तहत, चार निजी जीवन बीमा कंपनियों ने 2020-21 के दौरान रु. 1,980 करोड़ की राशि की अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई यानी आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा रु 150 करोड़, फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा रु 30 करोड़ , एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा रु 600 करोड़ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा रु 1200 करोड़ की राशि जुटाई |

जीवन बीमाकर्ताओं की पूंजी के कुल अन्य रूप 31 मार्च, 2021 रु 2,210 करोड़ (रु 230 करोड़ 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार)।

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

I.2.2.13 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40बी का संशोधन किया गया तथा वह निम्नानुसार पढ़ी जाती हैः "कोई भी बीमाकर्ता भारत में अपने द्वारा किये जानेवाले बीमा व्यवसाय के संबंध में किसी भी वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली राशि से कोई भी अधिक राशि प्रबंधन व्ययों के रूप में व्यय नहीं करेगा।"

तदनुसार, 9 मई 2016 को आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 अधिसूचित किये गये। ये विनियम अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के प्रकार और स्वरूप, प्रीमियम भुगतान अवधि और बीमा व्यवसाय की अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन व्ययों की अनुमतियोग्य सीमाएँ निर्धारित करते हैं।

I.2.2.14 जीवन बीमा उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में विद्यमान रु. 91,314 करोड़ (कुल प्रीमियम का 15.02 प्रतिशत) की तुलना में 2020-21 के दौरान रु. 94,416 करोड़ (कुल प्रीमियम का 15.94 प्रतिशत) के प्रबंधन व्यय सूचित किये।

I.2.2.15 कमीशन व्यय अनुपात (प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में कमीशन व्यय) 2019-20 के 5.44 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2020-21 में 5.25 प्रतिशत रहा। तथापि, कुल कमीशन 5.78 प्रतिशत (कुल प्रीमियम वृद्धि 9.74 प्रतिशत) बढ़ा, प्रथम वर्ष कमीशन 1.46 प्रतिशत घटा (ऋणात्मक) (प्रथम वर्ष प्रीमियम की ऋणात्मक (-) वृद्धि 21.01 प्रतिशत), नये व्यवसाय कमीशन में 1.57 प्रतिशत वृद्धि (नया व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि 7.50 प्रतिशत) तथा नवीकरण कमीशन में 11.70 प्रतिशत वृद्धि (नवीकरण प्रीमियम वृद्धि 11.60 प्रतिशत) हुई। एकल प्रीमियम में 26.07 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, जबकि एकल कमीशन में 20.72 प्रतिशत वृद्धि रही है। नये व्यवसाय कमीशन में (प्रतिफलों सहित) 1.57 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। तथापि, स्थिति में कुछ विभिन्नता है जब निजी बीमाकर्ताओं और एलआईसी के बीच तुलना की जाती है, जैसा कि सारणी I.12 में प्रतिबिंबित है जिसमें एलआईसी और निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं के लिए कमीशन अनुपातों का द्विभाजन (बाइफ़रकेशन) दिया गया है।

I.2.2.16 जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय 2020-21 में 2.16 प्रतिशत बढ़ गये (2019-20 में 17.58 प्रतिशत बढ़े)। जीवन बीमा व्यवसाय के लिए परिचालन व्यय 2020-21 में रु. 61,422 करोड़ पर रहे (2019-20 में रु. 60,121 करोड़ थे)। एलआईसी के परिचालन व्यय 1.22 प्रतिशत बढ़ गये और निजी बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में 3.44 प्रतिशत वृद्धि हुई। समग्र रूप में उद्योग के लिए, परिचालन व्यय अनुपात 2019-20 के 10.49 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 9.77 प्रतिशत हुआ। परिचालन व्यय भी जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में एलआईसी के लिए 2019-20 के 9.11 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 8.68 प्रतिशत रहे। निजी बीमाकर्ताओं के लिए भी ये 2019-20 के 13.20 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 11.72 प्रतिशत हो गये (सारणी I.13)।

सारणी I.12
जीवन बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय (और प्रतिफल)

क्रम सं.	खंड	मद	एलआईसी		निजी क्षेत्र		कुल	
			2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	प्रथम वर्ष कमीशन	कमीशन (₹ करोड़ में) वृद्धि (%) सीईआर (%)	9,711.17 10.36 16.76	8,969.83 -7.63 26.44	6,339.51 9.04 14.30	6,845.72 7.98 14.60	16,050.68 9.83 15.69	15,815.56 -1.46 19.57
2	एकल प्रीमियम पर कमीशन	कमीशन (₹ करोड़ में) वृद्धि (%) सीईआर (%)	440.76 -9.63 0.37	564.67 28.11 0.37	507.64 29.72 1.38	580.22 14.30 1.22	948.40 7.89 0.60	1,144.89 20.72 0.58
3	नये व्यवसाय कमीशन पर प्रतिफल (रिवार्ड)	प्रतिफल (₹ करोड़ में) वृद्धि (%) सीईआर (%)	888.04 - 0.50	1,201.39 35.29 0.65	365.52 - 0.45	378.06 3.43 0.40	1,253.57 - 0.48	1,579.45 26.00 0.57
4	नया व्यवसाय कमीशन (1+2+3)	कमीशन (₹ करोड़ में) वृद्धि (%) सीईआर (%)	11,039.97 - 6.19	10,735.90 -2.75 5.82	7,212.68 - 8.91	7,804.00 8.20 8.28	18,252.65 - 7.04	18,539.89 1.57 6.65
5	नवीकरण कमीशन	कमीशन (₹ करोड़ में) वृद्धि (%) सीईआर (%)	10,340.49 2.81 5.14	11,434.74 10.58 5.23	2,599.38 16.88 2.31	3,019.45 16.16 2.30	12,939.87 5.36 4.12	14,454.19 11.70 4.13
6	**कुल कमीशन (4+5)**	**कमीशन (₹ करोड़ में) वृद्धि (%) सीईआर (%)**	**21,380.46 12.41 5.63**	**22,170.64 3.70 5.50**	**9,812.06 16.41 5.07**	**10,823.44 10.31 4.80**	**31,192.52 12.31 5.44**	**32,994.08 5.78 5.25**

सीईआरः कमीशन व्यय अनुपात

सारणी I.13 जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय			
बीमाकर्ता	**मद**	**2019-20**	**2020-21**
एलआईसी	परिचालन व्यय (₹ करोड़ में) वृद्धि (%) परिचालन व्यय अनुपात (%)	34568.04 18.46 9.11	34989.52 1.22 8.68
निजी क्षेत्र	परिचालन व्यय (₹ करोड़ में) वृद्धि (%) परिचालन व्यय अनुपात (%)	25552.96 16.42 13.2	26432.76 3.44 11.72
कुल	**परिचालन व्यय (₹ करोड़ में)** **वृद्धि (%)** **परिचालन व्यय अनुपात (%)**	**60121.00** **17.58** **10.49**	**61422.29** **2.16** **9.77**

जीवन बीमाकर्ताओं के दावे

I.2.2.17 जीवन बीमा उद्योग ने 2020-21 में रु. 3.99 लाख करोड़ के लाभ (2019-20 में रु. 3.51 लाख करोड़) अदा किये जो जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम का 63.42 प्रतिशत (2019-20 में 61.35 प्रतिशत) है। निजी बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये लाभ रु. 1.13 लाख करोड़ (2019-20 में रु. 98,706 करोड़) थे जो जोखिम-अंकित प्रीमियम का 50.15 प्रतिशत (2019-20 में 51.01 प्रतिशत) बनते हैं। एलआईसी ने 2020-21 में रु. 2.86 लाख करोड़ के लाभों का भुगतान किया जो जोखिम-अंकित प्रीमियम का 70.85 प्रतिशत (2019-20 में रु. 2.53 लाख करोड़, जोखिम-अंकित प्रीमियम का 66.62 प्रतिशत) है। अभ्यर्पणों / प्रत्याहरणों के कारण अदा किये गये लाभ 2020-21 में रु. 1.29 लाख करोड़ तक बढ़ गये (2019-20 में रु. 1.17 लाख करोड़) जिसमें से एलआईसी का अंश 61.89 प्रतिशत रहा और शेष 38.11 प्रतिशत निजी क्षेत्र का था। चालू वर्ष में एलआईसी के मामले में रु. 80,101 करोड़ अभ्यर्पणों में से यूलिप पालिसियों का अंश 2019-20 के रु. 3,106 करोड़ (4.43 प्रतिशत) के मुकाबले रु. 2,619 करोड़ (3.27 प्रतिशत) था। निजी बीमाकर्ताओं के मामले में यूलिप अभ्यर्पण 2019-20 के रु. 38,327 करोड़ (73.96 प्रतिशत) के मुकाबले 2020-21 में रु. 40,025 करोड़ (72.82 प्रतिशत) थे (सारणी I.14)।

सारणी I.14 जीवन बीमाकर्ताओं के दावे (₹करोड़)							
क्रम सं.	**बीमाकर्ता**	**एलआईसी**		**निजी क्षेत्र**		**कुल**	
		2019-20	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**
1	मृत्यु दावा	17,505.36	23,878.62	12,288.51	18,079.81	29,793.87	41,958.43
2	परिपक्वता	1,51,159.70	1,65,659.20	21,348.71	25,845.12	1,72,508.41	1,91,504.32
3	अभ्यर्पण/ प्रत्याहरण	70,148.12	80,101.00	47,117.12	49,315.89	1,17,265.24	1,29,416.88
4	वार्षिकी/ पेंशन	13,015.29	14,571.36	949.42	1,406.32	13,964.71	15,977.68
5	अन्य	932.15	911.63	17,002.32	19,003.52	17,934.47	19,915.15
	कुल	**2,52,760.62**	**2,85,121.81**	**98,706.08**	**1,13,650.66**	**3,51,466.70**	**3,98,772.47**

चार्ट I.9
जीवन बीमाकर्ताओं के दावे

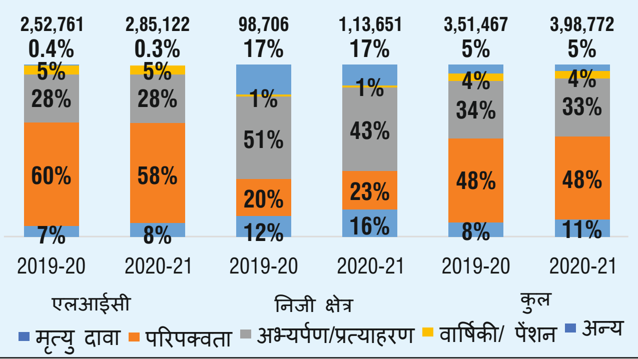

मृत्यु दावे

I.2.2.18 वैयक्तिक जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में 2020-21 के दौरान कुल 11.01 लाख दावों में से जीवन बीमाकर्ताओं ने रु. 26,422 करोड़ की कुल लाभ राशि के साथ 10.84 लाख दावों का भुगतान किया। निराकृत दावों की संख्या 9,527 थी जो रु. 865 करोड़ की राशि के लिए थी तथा अस्वीकृत दावों की संख्या 3,032 थी जो रु. 60 करोड़ की राशि के लिए थी। वर्ष के अंत में लंबित दावे रु. 623 करोड़ के लिए 3,055 थी। बीमाकर्ता-वार दावों का ब्योरा विवरण 7 और 8 में दिया गया है।

I.2.2.19 एलआईसी का दावा निपटान अनुपात 31 मार्च 2020 को विद्यमान 96.69 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 98.62 प्रतिशत था तथा निराकृत/अस्वीकृत दावों का अनुपात पिछले वर्ष में स्थित 1.09 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में एक प्रतिशत हो गया है। निजी बीमाकर्ताओं का दावा निपटान अनुपात 2020-21 के दौरान 97.02 प्रतिशत (2019-20 के दौरान 97.18 प्रतिशत) था तथा निराकरणों का अनुपात पिछले वर्ष के 2.50 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 में दो प्रतिशत तक नीचे आया। जीवन बीमा उद्योग का निपटान अनुपात 2019-20 में विद्यमान 96.76 प्रतिशत से 2020-21 में 98.39 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा निराकरण/अस्वीकरण अनुपात 2019-20 के 1.28 प्रतिशत की तुलना में 1.14 प्रतिशत तक घट गया।

I.2.2.20 सामूहिक जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में, 2020-21 के दौरान कुल 11.07 लाख दावों में से जीवन बीमाकर्ताओं ने 10.92 लाख दावों का भुगतान किया जहाँ निपटान अनुपात 98.62 प्रतिशत रहा। जबकि एलआईसी ने दावों के 96.80 प्रतिशत का भुगतान किया, वहीं निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने दावों के 99.08 प्रतिशत का भुगतान किया।

सारणी I.15
जीवन बीमाकर्ताओं के मृत्यु दावे (2020-21)
(राशि ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	कुल दावे		अदा किये गये दावे		निराकृत/ अस्वीकृत दावे		अदावी		अवधि के अंत में लंबित दावे	
	पालिसियों की सं.	राशि	पालिसियों की सं.	राशि	पालिसियों की सं.	राशि	पालिसियों की सं.	राशि	पालिसियों की सं.	राशि
वैयक्तिक जीवन बीमा व्यवसाय										
एलआईसी	9,46,976 (100.00)	19,105.34 (100.00)	9,33,889 (98.62)	18,295.58 (95.76)	9,465 (1.00)	280.85 (1.47)	1,897 (0.20)	236.49 (1.24)	1,725 (0.18)	292.42 (1.53)
निजी	1,54,331 (100.00)	9,121.95 (100.00)	1,49,734 (97.02)	8,125.92 (89.08)	3,094 (2.00)	643.85 (7.06)	173 (0.11)	21.34 (0.23)	1,330 (0.86)	330.85 (3.63)
कुल	**11,01,307 (100.00)**	**28,227.29 (100.00)**	**10,83,623 (98.39)**	**26,421.50 (93.60)**	**12,559 (1.14)**	**924.70 (3.28)**	**2,070 (0.19)**	**257.83 (0.91)**	**3,055 (0.28)**	**623.27 (2.21)**
सामूहिक जीवन बीमा व्यवसाय										
एलआईसी	2,20,320 (100.00)	6,008.46 (100.00)	2,13,267 (96.80)	5,899.43 (98.19)	853 (0.39)	9.37 (0.16)	- -	- -	6,200 (2.81)	99.66 (1.66)
निजी	8,86,667 (100.00)	9,673.98 (100.00)	8,78,489 (99.08)	9,130.26 (94.38)	3,127 (0.35)	289.99 (3.00)	19 (0.00)	1.86 (0.02)	5,032 (0.57)	251.86 (2.60)
कुल	**11,06,987 (100.00)**	**15,682.44 (100.00)**	**10,91,756 (98.62)**	**15,029.69 (95.84)**	**3,980 (0.36)**	**299.36 (1.91)**	**19 (0.00)**	**1.86 (0.01)**	**11,232 (1.01)**	**351.52 (2.24)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल संख्या में से प्रतिशत हैं।

बाक्स मद I.1

जीवन बीमा में महिलाओं की सहभागिता

महिलाएँ भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 49 प्रतिशत हैं। देश की आर्थिक गतिविधि में उनका अंशदान महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि हो रही है। इन परिस्थितियों में, जीवन बीमाकर्ताओं के लिए अर्थव्यवस्था में आबादी के इस खंड के बढ़ते महत्व को स्वीकार करने, उनकी विशेष आवश्यकताओं अथवा अपेक्षाओं, यदि कोई हों, को पहचानने तथा उन्हें पर्याप्त जीवन बीमा रक्षा (कवरेज) उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त उत्पाद समाधान विकसित करने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, जीवन बीमा व्यवसाय में महिलाओं के अंश पर एक संक्षिप्त अध्ययन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए केवल वर्ष 2020-21 के लिए वैयक्तिक नया व्यवसाय डेटा - पालिसियों की संख्या और प्रथम वर्ष प्रीमियम पर विचार किया गया है।

i. वर्ष 2020-21 में बेची गई पालिसियों की कुल संख्या 2.81 करोड़ है, जहाँ नया व्यवसाय प्रीमियम रु. 113,889 करोड़ का है।

ii. वर्ष 2020-21 में महिलाओं को जारी की गई पालिसियों की संख्या लगभग 93 लाख है जो 2019-20 में विद्यमान 32.23 प्रतिशत के अंश की तुलना में वर्ष 2020-21 में 33.00 प्रतिशत का अंश है।.

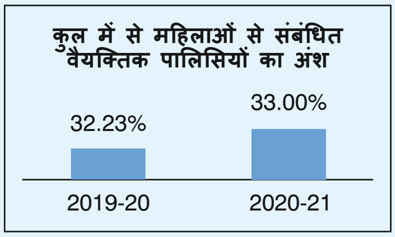

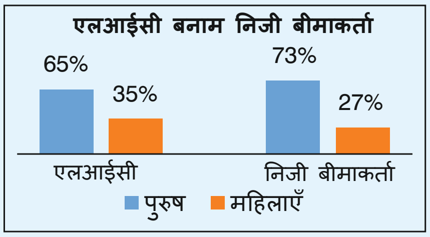

iii. महिलाओं से संबंधित पालिसियों का अनुपात निजी जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में 27 प्रतिशत है तथा एलआईसी के मामले में यह अनुपात 35 प्रतिशत है।

iv. 19 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में बेची गई कुल पालिसियों में महिलाओं द्वारा खरीदी गई पालिसियों की संख्या का अंश 33 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से अधिक है। निम्नलिखित सारणी में शीर्षस्थ और निम्नतम पाँच राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों का डेटा उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में बेची गई कुल पालिसियों की तुलना में महिलाओं द्वारा खरीदी गई पालिसियों की संख्या के अंश के तौर पर उपलब्ध है।

शीर्षस्थ 5 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जो पालिसियों की कुल संख्या की तुलना में उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में महिलाओं द्वारा खरीदी गई पालिसियों के उच्चतम अंश से युक्त हैं	
राज्य	**अंश (%)**
केरल	43
सिक्किम	41
आंध्र प्रदेश	40
लक्षद्वीप	40
पुदुचेरी	40
अखिल भारतीय औसत	**33**

निम्नतम 5 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जो पालिसियों की कुल संख्या की तुलना में उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में महिलाओं द्वारा खरीदी गई पालिसियों के निम्नतम अंश से युक्त हैं	
राज्य	**अंश (%)**
हरियाणा	27
जम्मू कश्मीर	27
गुजरात	28
उत्तर प्रदेश	29
राजस्थान	30
अखिल भारतीय औसत	**33**

जीवन बीमा महिलाओं को उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध है जिन पर पुरुषों के लिए उपलब्ध है, तथापि यह उनकी आय अर्जन क्षमता के अधीन है। वास्तव में, प्रीमियम प्रभारित करते समय अधिकांश जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा महिलाओं के जीवनों के प्रति अधिमानी व्यवहार करने की सकारात्मक प्रथा विद्यमान है क्योंकि उनकी प्रत्याशित आयु अधिक है।

यह भी देखा जा सकता है कि महिला खंड का बीमा, साक्षरता के स्तरों, वित्तीय स्वतंत्रता और वित्तीय निर्णयन तथा संभव नैतिक परिसंकट पर भी आधारित है। सम्मिलित किये जानेवाले इस महत्वपूर्ण खंड के प्रति जीवन बीमा उद्योग, नीति और अभिमत निर्माताओं का ध्यान और कार्य आकर्षित करने के लिए महिला आबादी की संख्याओं और महिलाओं से संबंधित जीवन बीमा पालिसियों के अंश के बीच विसंगति पर विशेष बल देने के लिए आईआरडीएआई ने वार्षिक रिपोर्ट में यह डेटा प्रकाशित करना प्रारंभ किया।

जीवन बीमा विपणन में महिलाओं की सहभागिता

i. जीवन बीमा उद्योग में 6,61,390 महिलाएँ एजेंटों के रूप में कार्य कर रही हैं, जिससे यह 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार कुल वैयक्तिक एजेंसी बल का 27 प्रतिशत बनता है। महिला एजेंटों की कुल संख्या में से, निजी जीवन बीमाकर्ताओं का अंश 53 प्रतिशत है तथा एलआईसी का अंश 47 प्रतिशत है।

ii. निजी जीवन बीमाकर्ताओं के बीच, एजियास फेडरल लाइफ कंपनी के पास 43 प्रतिशत पर महिला एजेंटों का अधिकतम प्रतिशत है जिनके बाद स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 42 प्रतिशत और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 41 प्रतिशत पर महिला एजेंट हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय

I.2.2.21 एलआईसी के मामले में पूँजीगत अभिलाभों और अन्य आय सहित निवेश आय (पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों संबंधी) 2020-21 में रु. 2.79 लाख करोड़ (2019-20 में 2.37 लाख करोड़) थी। निजी बीमाकर्ताओं के मामले में पूँजीगत अभिलाभों सहित निवेश आय 2020-21 में रु. 1.87 लाख करोड़ (2019-20 में रु. 3,106 करोड़) थी (सारणी I.16)।

सारणी I.16
जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय (₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
एलआईसी	236849.71	279378.88
निजी क्षेत्र	-3105.97	186651.47
कुल	**233743.74**	**466030.35**

टिप्पणी: यूनिट लिंक्ड एसेट्स के उचित मूल्य में नकारात्मक उतार-चढ़ाव शामिल है।

जीवन पुनर्बीमा

I.2.2.22 2020-21 के दौरान एलआईसी के द्वारा पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में रु. 442.21 करोड़ (2019-20 में रु. 327.04 करोड़) का अध्यर्पण किया गया था। निजी बीमाकर्ताओं ने सब मिलकर पुनर्बीमा के प्रति प्रीमियम के रूप में रु. 3908.92 करोड़ (2019-20 में रु. 3074.74 करोड़) अध्यर्पित किये थे। जीवन बीमाकर्ताओं का प्रतिधारण अनुपात 2020-21 के लिए 99.31 प्रतिशत (2019-20 के लिए 99.41 प्रतिशत) था।

जीवन बीमाकर्ताओं के लाभ

I.2.2.23 वर्ष 2020-21 के दौरान, जीवन बीमा उद्योग ने 2019-20 के रु. 7728 करोड़ की तुलना में कर के बाद रु. 8661 करोड़ का लाभ सूचित किया। 2020-21 के दौरान परिचालन में लगे हुए चौबीस (24) जीवन बीमाकर्ताओं में से अठारह (18) कंपनियों ने लाभ सूचित किये। विचाराधीन वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा सूचित किया गया कुल लाभ पिछले वर्ष के रु. 2713 करोड़ की तुलना में रु. 2901 करोड़ था। निजी बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष के रु. 5016 करोड़ के मुकाबले, कुल मिलाकर कर के बाद रु. 5760 करोड़ के लाभ की सूचना दी।

सारणी I.17
जीवन बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ (₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
एलआईसी	2712.71	2900.57
निजी क्षेत्र	5015.59	5760.06
कुल	**7728.30**	**8660.63**

जीवन बीमाकर्ताओं के शेयरधारकों को प्रतिलाभ

I.2.2.24 वर्ष 2020-21 के लिए एलआईसी ने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव नहीं किया है (2019-20 में रु. 2698 करोड़)। तीन निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांशों का भुगतान किया (2019-20 में छह निजी बीमाकर्ताओं ने लाभांशों का भुगतान किया)। बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. ने 2020-21 के लिए रु. 165.78 करोड़ अंतरिम लाभांश का भुगतान किया (2019-20 के लिए कोई भी अंतरिम लाभांश अदा नहीं किया)। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. ने 2020-21 के लिए रु. 199.56 करोड़ अंतरिम लाभांश (2019-20 के लिए रु. 378.00 करोड़ अंतरिम लाभांश) का भुगतान किया तथा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. ने 2020-21 के लिए रु. 250.02 करोड़ अंतरिम लाभांश का भुगतान किया (2019-20 के लिए कोई भी अंतरिम लाभांश अदा नहीं किया)।

सारणी I.18
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किया गया लाभांश (₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
एलआईसी	2697.74	-
निजी क्षेत्र	1192.29	615.35
कुल	**3890.03**	**615.35**

टिप्पणी: लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है।

जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय

I.2.2.25 जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या 31 मार्च 2020 को विद्यमान 11,310 की तुलना में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 11,060 पर स्थित है। जीवन बीमाकर्ताओं के लगभग 59 प्रतिशत कार्यालय (6561 कार्यालय) स्तर I के केन्द्रों पर स्थित हैं जहाँ जनसंख्या

एक लाख और उससे अधिक है। लगभग 0.72 प्रतिशत जीवन बीमा कार्यालय स्तर VI केन्द्रों में (80 कार्यालय) स्थित हैं जहाँ आबादी 5,000 से कम है। कार्यालयों के स्तर-वार वितरण का ब्योरा सारणी I.19 में दिया गया है। जीवन बीमा कार्यालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - वार वितरण विवरण 9 में प्रस्तुत है।

I.2.2.26 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कार्यालय देश में सभी जिलों के 91 प्रतिशत को समाविष्ट करते हुए देश के 735 जिलों में से 669 जिलों में हैं, जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के पास देश में सभी जिलों के 81 प्रतिशत को समाविष्ट करते हुए 596 जिलों में कार्यालय हैं। कुल मिलाकर दोनों एलआईसी और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने मिलकर देश में सभी जिलों के 92 प्रतिशत को सम्मिलित किया है। देश में जीवन बीमा कार्यालयों की उपस्थिति से रहित जिलों की संख्या 49 है। इनमें से, 38 जिले उत्तर-पूर्वी राज्यों के हैं, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम। 24 राज्यों में (देश के कुल 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से) सभी जिले जीवन बीमा कार्यालयों द्वारा सम्मिलित किये गये हैं।

सारणी I.19
जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(कार्यालयों की संख्या)

स्थान	2020			2021		
	एलआईसी	निजी क्षेत्र	कुल	एलआईसी	निजी क्षेत्र	कुल
स्तर I	1,840	4,910	6,750	1,844	4,717	6,561
स्तर II	558	784	1,342	559	735	1,294
स्तर III	1,351	495	1,846	1,353	476	1,829
स्तर IV	1,031	108	1,139	1,037	107	1,144
स्तर V	121	29	150	123	29	152
स्तर VI	54	29	83	54	26	80
कुल	**4,955**	**6,355**	**11,310**	**4,970**	**6,090**	**11,060**

टिप्पणी स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 और अधिक; स्तर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक
स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक; स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक
स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक; स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम

चार्ट I.10: जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय (31 मार्च, 2021 तक)

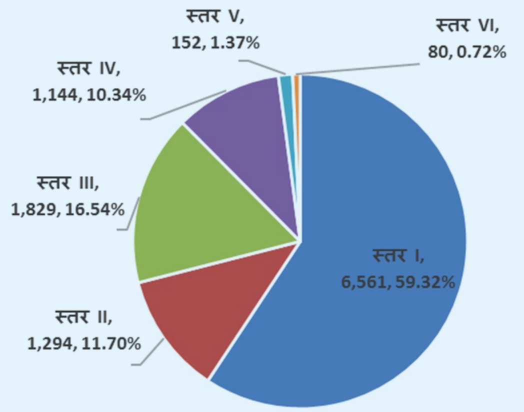

साधारण बीमा बाजार का मूल्यांकन

साधारण बीमा प्रीमियम

I.2.2.27 साधारण बीमा उद्योग ने भारत में 2019-20 के रु.1.89 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 में रु.1.99 लाख करोड़ के कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया और इस प्रकार पिछले वर्ष में दर्ज 11.49 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 5.19 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की 6.71 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2020-21 में 1.94 प्रतिशत की अव-वृद्धि (डी-ग्रोथ) प्रदर्शित की। निजी

साधारण बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 11.63 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले 8.00 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

I.2.2.28 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 27.47 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 8.86 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष के दौरान दर्ज 28.08 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 25.66 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

I.2.2.29 2020-21 में 27 निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं द्वारा (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) जोखिम-अंकित प्रीमियम 2019-20 के रु. 1.05 लाख करोड़ की तुलना में रु.1.14 लाख करोड़ था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लगातार निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी के रूप में अपना स्थान जारी रखा, जिसका बाजार अंश चालू वर्ष एवं पिछले वर्ष में समान रूप से 7.05 प्रतिशत रहा। बजाज अलायंज़ निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी है, जिसने रु. 12,570 करोड़ के कुल प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया, 2019-20 के 6.76 प्रतिशत के बाजार अंश की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में 6.33 प्रतिशत तक बाजार अंश में कमी सूचित की। भारत में परिचालन में लगे हुए सभी 27 निजी बीमाकर्ताओं (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) में से 20 बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में जोखिम-अंकित प्रीमियम में वृद्धि की सूचना दी। बीमा कंपनी-वार जोखिम-अंकित प्रीमियम विवरण 10 में दिया गया है।

I.2.2.30 सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं के मामले में न्यू इंडिया को छोड़कर सभी कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में प्रीमियम संग्रहणों में कमी के साथ अपने व्यवसाय में संकुचन का साक्षात्कार किया। न्यू इंडिया को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के अन्य सभी बीमाकर्ताओं के बाजार अंश पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए। न्यू इंडिया का बाजार अंश पिछले वर्ष के 14.19 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 14.37 प्रतिशत हुआ। नेशनल, युनाइटेड और ओरियन्टल का बाजार अंश 2019-20 के क्रमशः 8.08 प्रतिशत, 9.27 प्रतिशत और 7.24 प्रतिशत से घटकर क्रमशः 7.12 प्रतिशत, 8.41 प्रतिशत और 6.27 प्रतिशत हो गया। न्यू इंडिया, जिसने रु. 28,548 करोड़ के प्रत्यक्ष प्रीमियम का संग्रहण किया, एक बार पुनः भारत में सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी रही।

सारणी I.20
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर)

बीमाकर्ता	प्रीमियम (₹करोड़)		बाजार अंश (%)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	73,263.08 (6.71)	71,843.72 (-1.94)	38.78	36.15
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	90,743.94 (11.63)	98,000.96 (8.00)	48.03	49.32
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता*	14,472.89 (27.47)	15,755.19 (8.86)	7.66	7.93
विशेषीकृत बीमाकर्ता	10,436.71 (28.08)	13,114.85 (25.66)	5.52	6.60
कुल	**1,88,916.62 (11.49)**	**1,98,714.72 (5.19)**	**100.00**	**100.00**

*पूर्व की एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01 मार्च 2020 से एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ हुआ।
टिप्पणी::
1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं। .
2. बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

चार्ट I.11: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर)

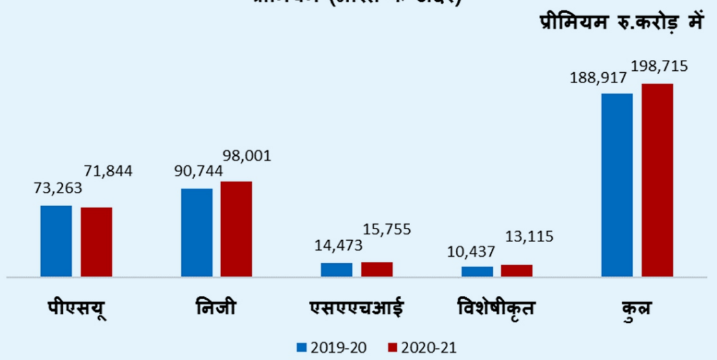

खंड-वार साधारण बीमा प्रीमियम

I.2.2.31 मोटर व्यवसाय सबसे बड़े साधारण बीमा खंड के रूप में जारी रहा जिसका अंश 34.12 प्रतिशत (2019-20 में 36.50 प्रतिशत) था। इसने 1.68 प्रतिशत की अव-वृद्धि (डी-ग्रोथ) (2019-20 में 6.86 प्रतिशत वृद्धि) सूचित की। स्वास्थ्य खंड में प्रीमियम संग्रहण 2019-20 के रु. 56,865 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में रु. 63,753 करोड़ पर उत्थान पर बना रहा, तथा इस प्रकार इसने 12.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। स्वास्थ्य खंड का बाजार अंश पिछले वर्ष के 30.10 प्रतिशत से बढ़कर 32.08 प्रतिशत हो गया। 2020-21 में अग्नि (फायर) खंड में प्रीमियम संग्रहण 27.87 प्रतिशत बढ़ा तथा मरीन खंड में इसमें 1.25 प्रतिशत कमी आई।

बीमा कंपनी वार जोखिम-अंकित खंड-वार प्रीमियम विवरण 11 में दिया गया है।

सारणी I.21
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित खंड-वार प्रीमियम (भारत के अंदर)

खंड	मद	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल जोड़	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
फायर	प्रीमियम (₹करोड़)	6,991.94	8,375.40	8,736.76	11,737.49	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	15,728.70	20,112.89
	वृद्धि (%)	33.02	19.79	36.27	34.35					34.81	27.87
	बाजार अंश (%)	44.45	41.64	55.55	58.36					100.00	100.00
मरीन	प्रीमियम (₹करोड़)	1,693.33	1,724.82	1,839.09	1,763.27	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3,532.42	3,488.09
	वृद्धि (%)	7.7	1.86	10.39	(4.12)					9.09	(1.25)
	बाजार अंश (%)	47.94	49.45	52.06	50.55					100.00	100.00
मोटर	प्रीमियम (₹करोड़)	25,408.18	23,218.11	43,542.89	44,574.07	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	68,951.07	67,792.19
	वृद्धि (%)	-3.34	(8.62)	13.88	2.37					6.86	(1.68)
	बाजार अंश (%)	36.85	34.25	63.15	65.75					100.00	100.00
स्वास्थ्य	प्रीमियम (₹करोड़)	25,966.16	28,902.71	16,426.08	19,095.07	14,472.89	15,755.19	लागू नहीं	लागू नहीं	56,865.13	63,752.97
	वृद्धि (%)	2.55	11.31	16	16.25	27.47	8.86			11.87	12.11
	बाजार अंश (%)	45.66	45.34	28.89	29.95	25.45	24.71			100.00	100.00
अन्य	प्रीमियम (₹करोड़)	13,203.47	9,622.68	20,199.13	20,831.06	लागू नहीं	लागू नहीं	10,436.71	13,114.85	43,839.31	43,568.58
	वृद्धि (%)	29.15	(27.12)	-2.96	3.13			28.08	25.66	11.87	(0.62)
	बाजार अंश (%)	30.12	22.09	46.08	47.81			23.81	30.10	100.00	100.00
कुल	**प्रीमियम (₹करोड़)**	**73,263.08**	**71,843.72**	**90,743.94**	**98,000.96**	**14,472.89**	**15,755.19**	**10,436.71**	**13,114.85**	**1,88,916.62**	**1,98,714.72**
	वृद्धि (%)	**6.71**	**(1.94)**	**11.63**	**8.00**	**27.47**	**8.86**	**28.08**	**25.66**	**11.49**	**5.19**
	बाजार अंश (%)	**38.78**	**36.15**	**48.03**	**49.32**	**7.66**	**7.93**	**5.52**	**6.60**	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी: पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

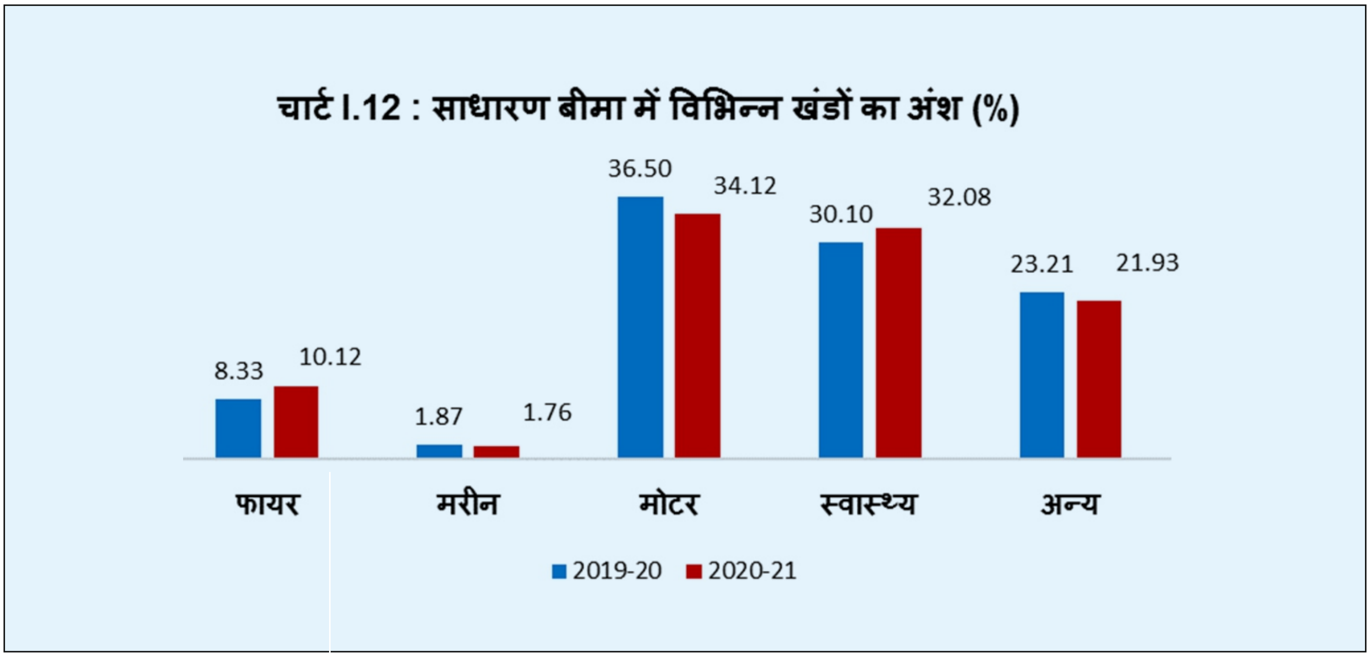

साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम

I.2.2.32 युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के सभी साधारण बीमाकर्ता भारत के बाहर साधारण बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन कर रहे हैं। युनाइटेड इंडिया ने भारत के बाहर परिचालन 2003-04 में समाप्त किये थे। सरकारी क्षेत्र के तीन बीमाकर्ताओं द्वारा देश के बाहर जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम 2019-20 के रु. 3,276 करोड़ के मुकाबले 2020-21 में रु.3,368 करोड़ पर रहा जिसने पिछले वर्ष की 7.96 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

I.2.2.33 भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम के तौर पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लगातार सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा साधारण बीमाकर्ता रही। विदेशी प्रीमियम 2020-21 में उक्त बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम का 9.58 प्रतिशत (2019-20 में 9.77 प्रतिशत) है। ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में यह 2020-21 में 2.34 प्रतिशत (2019-20 में 2.31 प्रतिशत) है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 2020-21 में 0.32 प्रतिशत पर लगातार विदेशी व्यवसाय का एक छोटा घटक अपने पास रखा (2019-20 में 0.33 प्रतिशत)।

I.2.2.34 2020-21 में भारत के बाहर जोखिम-अंकित रु. 3,368 करोड़ के कुल प्रीमियम में से न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने रु. 3,025 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया (2019-20 में रु. 2,902 करोड़)। भारत के बाहर साधारण बीमाकर्ताओं के कुल प्रीमियम में उसका बाजार अंश 2019-20 के 88.58 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में 89.83 प्रतिशत पर रहा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी ने 2020-21 में क्रमशः रु. 45 करोड़ (2019-20 में रु. 51 करोड़) और रु. 298 करोड़ (2019-20 में रु. 323 करोड़) के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया तथा उनका बाजार अंश 2019-20 के क्रमशः 1.55 प्रतिशत और 9.87 प्रतिशत के मुकाबले 2020-21 में साधारण बीमाकर्ताओं के कुल भारत के बाहर प्रीमियम में क्रमशः 1.33 प्रतिशत और 8.84 प्रतिशत रहा।

सारणी I.22 सारणी I.22: साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम				
बीमाकर्ता	भारत के बाहर प्रीमियम (₹करोड़)		कंपनी के कुल प्रीमियम का %	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	50.67 (-0.73)	44.92 (-11.34)	0.33	0.32
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2,901.94 (7.57)	3024.94 (4.24)	9.77	9.58
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	323.37 (13.29)	297.71 (-7.93)	2.31	2.34
कुल	**3,275.97** **(7.96)**	**3367.57** **(2.80)**	**5.55**	**5.76**

टिप्पणीः
1.कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2.पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई पालिसियाँ

I.2.2.35 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2019-20 में जारी की गई 24.15 करोड़ पालिसियों के संबंध में 2019-20 में दर्ज की गई 26.33 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2020-21 के दौरान 2.16 प्रतिशत की वृद्धि सूचित करते हुए 24.67 करोड़ पालिसियाँ जारी की हैं। सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई पालिसियों की संख्या 2019-20 में दर्ज 0.07 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2020-21 में 6.71 प्रतिशत कम हुई है। निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने भी जारी की गई पालिसियों की संख्या में 2019-20 में दर्ज 23.77 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2020-21 में 0.33 प्रतिशत कमी सूचित की। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने जारी की गई पालिसियों की संख्या में 2019-20 में हुई 314.71 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 के दौरान 28.40 प्रतिशत की वृद्धि की सूचना दी। स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2019-20 में दर्ज 16.63 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2020-21 में 14.34 प्रतिशत पर वृद्धि सूचित की।

सारणी I.23 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नई पालिसियाँ (₹लाख)		
बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	733.50 (0.07)	684.27 (-6.71)
निजी क्षेत्र	1,263.91 (23.77)	1,259.72 (-0.33)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य	92.18 (16.63)	105.41 (14.34)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	325.50 (314.71)	417.93 (28.40)
कुल	**2,415.09** **(26.33)**	**2,467.33** **(2.16)**

टिपण्णी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/गिरावट (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

सारणी I.24 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी (₹करोड़)			
बीमाकर्ता	31 मार्च 2020 को	2020-21 के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2021 को
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	3,774.00	9,950.00	3,724.00
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	10,914.81	578.37	11,493.19
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	3,971.92	263.14	4,235.06
विशेषीकृत बीमाकर्ता	2,700.00	690.00	3,390.00
कुल	**21,360.73**	**11,481.51**	**32,842.24**

टिप्पणीः पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी

I.2.2.36 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की कुल प्रदत्त पूँजी रु. 21,361 करोड़ थी। 2020-21 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने अपनी ईक्विटी पूँजी आधार में रु. 11,482 करोड़ जोड़ दिये। वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के तीन पीएसयू साधारण बीमाकर्ताओं में रु. 9,950 करोड़ का परिवर्धन किया गया, जिसमें से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. में रु. 3,605 करोड़, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. में रु. 3,175 करोड़ और ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. में रु. 3,170 करोड़ का परिवर्धन किया गया। निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने रु. 578 करोड़ की सीमा तक पूँजी का आगे और परिवर्धन किया। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने क्रमशः रु. 263 करोड़ और रु. 690 करोड़ की पूँजी का परिवर्धन किया। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार सभी बीमाकर्ताओं की कुल प्रदत्त पूँजी रु. 32,842 करोड़ थी।

बीमा कंपनी वार प्रदत्त पूँजी का ब्योरा विवरण 12 में दिया गया है।

साधारण बीमाक्ताओं की अन्य प्रकार की पूँजी

I.2.2.37 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए(1)(i) के अधीन दी गई शक्ति के अनुसरण में तथा बीमा अधिनियम की धारा 114ए और आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2016 अधिसूचित किये हैं। जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान साधारण बीमा कंपनियों ने अन्य प्रकार की पूँजी नहीं जुटाई है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 220 करोड़ की राशि जुटाई गई थी। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार कुल अन्य प्रकार की पूँजी रु. 4,875 करोड़ थी।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के व्यय

I.2.2.38 सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के सकल कमीशन व्यय 2020-21 के लिए क्रमशः रु. 5,816 करोड़, रु.7,387 करोड़, रु.2,135 करोड़ और रु.71 करोड़ रहे, तथा संचयी तौर पर साधारण बीमा उद्योग के लिए कुल सकल कमीशन व्यय रु.15,410 करोड़ रहे। सकल कमीशन व्यय स्वास्थ्य खंड में अधिकतम रहे, जो रु.5,772 करोड़ थे जिनमें से स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए रु. 2,135 करोड़, सरकारी क्षेत्र के लिए रु.1,873 करोड़ और निजी क्षेत्र कंपनियों के लिए रु.1,764 करोड़ थे।

I.2.2.39 कमीशन व्यय और परिचालन व्यय कुल व्ययों का एक बड़ा भाग बनते हैं। साधारण बीमा कंपनियों के परिचालन व्यय 2019-20 के रु. 35,845 करोड़ के मुकाबले 2020-21 में रु. 38,281 करोड़ पर रहे, जो 6.80 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाते हैं। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में क्रमशः 4.43 प्रतिशत, 10.41 प्रतिशत और 1.18 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय में 0.07 प्रतिशत कमी आई।

I.2.2.40 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान छह निजी बीमाकर्ता छूट अवधि के अधीन थे, क्योंकि उक्त बीमाकर्ताओं के लिए परिचालनों के प्रथम पाँच वर्ष पूरा करना अभी बाकी है। शेष बीमाकर्ताओं में से 17 बीमाकर्ता अनुपालनकर्ता हैं, आठ बीमाकर्ताओं ने अनुपालन नहीं किया है तथा दो साधारण बीमाकर्ताओं को आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 के अनुसार स्थगन इस शर्त के अधीन प्रदान किया गया कि प्रबंधन व्ययों का आधिक्य शेयरधारकों की निधि में नामे डाला जाएगा। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि. के मामले में उसका व्यवसाय संविभाग रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को अंतरित किया गया है।

सारणी I.25
साधारण बीमाकर्ताओं के कमीशन व्यय

(₹करोड़)

खंड	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
फायर	780.41 (26.05)	985.14 (26.23)	752.46 (34.38)	1,065.28 (41.57)	-	-	-	-	1,532.87 (30.01)	2,050.42 (33.76)
मरीन	162.62 (5.05)	148.17 (-8.89)	187.96 (6.97)	184.74 (-1.71)	-	-	-	-	350.58 (6.07)	332.91 (-5.04)
मोटर	2,301.88 (17.60)	2,106.58 (-8.48)	3,665.16 (24.42)	3,436.85 (-6.23)	-	-	-	-	5,967.04 (21.70)	5,543.43 (-7.10)
स्वास्थ्य	1,621.28 (10.09)	1,872.36 (15.49)	1,408.74 (20.05)	1,764.31 (25.24)	1,821.59 (29.06)	2,134.87 (17.20)	-	-	4,851.61 (19.57)	5,771.54 (18.96)
अन्य	615.27 (-26.54)	703.98 (14.42)	534.53 (-44.07)	935.79 (75.07)	-	-	41.23 (198.12)	71.43 (73.25)	1,191.03 (-34.09)	1,711.20 (43.67)
कुल	**5,481.46 (8.73)**	**5,816.23 (6.11)**	**6,548.85 (12.70)**	**7,386.97 (12.80)**	**1,821.59 (29.06)**	**2,134.87 (17.20)**	**41.23 (198.12)**	**71.43 (73.25)**	**13,893.13 (13.16)**	**15,409.50 (10.91)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

सारणी I.26
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय

(₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	15,090.75 (24.08)	15,759.12 (4.43)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	16,582.22 (28.14)	18,307.96 (10.41)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	3,620.04 (18.08)	3,662.86 (1.18)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	551.92 (20.96)	551.51 (-0.07)
कुल	**35,844.93 (25.23)**	**38,281.44 (6.80)**

टिप्पणीः
1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण / पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया।

साधारण बीमाकर्ताओं के दावे

I.2.2.41 साधारण बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे 2019-20 के रु. 1.08 लाख करोड़ के मुकाबले 2020-21 में रु.1.12 लाख करोड़ रहे। 2020-21 के दौरान उपगत दावों ने 2.92 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की तुलना में उपगत दावों में क्रमशः 2.40 प्रतिशत, 5.34 प्रतिशत और 132.43 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की, जबकि पीएसयू साधारण बीमाकर्ताओं ने उपगत दावों में 4.01 प्रतिशत की कमी सूचित की।

I.2.2.42 साधारण बीमा उद्योग का उपगत दावा अनुपात (निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे) पिछले वर्ष के 85.90 प्रतिशत के मुकाबले 2020-21 के दौरान 81.06 प्रतिशत रहा। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 98.28 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए 87.48

प्रतिशत था। जहाँ निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात वर्ष 2020-21 के लिए क्रमशः 73.39 प्रतिशत, 75.43 प्रतिशत और 93.95 प्रतिशत था, वहीं तुलनीय रूप में पिछले वर्ष का अनुपात क्रमशः 75.52 प्रतिशत, 64.13 प्रतिशत और 115.40 प्रतिशत था।

I.2.2.43 विभिन्न खंडों के बीच स्वास्थ्य खंड का दावा अनुपात पिछले वर्ष के 85.70 प्रतिशत दावा अनुपात की तुलना में 89.51 प्रतिशत पर सबसे उच्च रहा। फायर खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 78.07 प्रतिशत से घटकर 65.07 प्रतिशत हुआ। मरीन खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष में स्थित 71.27 प्रतिशत से 75.11 प्रतिशत तक बढ़ा। विविध खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 93.40 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 में 83.47 तक कम हो गया। मोटर खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 85.61 प्रतिशत से घटकर 75.61 प्रतिशत हुआ।

बीमा कंपनी वार दावा अनुपात विवरण 13 में दर्शाया गया है। साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के दावों का अवधि-विश्लेषण विवरण 14 में दिया गया है।

सारणी I.27
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे

(₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	56,887.50 (-1.09)	54,604.65 (-4.01)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	41,977.62 (16.21)	42,984.80 (2.40)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	6,435.43 (35.47)	6,779.09 (5.34)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	3,089.71 (15.95)	7,181.29 (132.43)
कुल	**1,08,390.26 (7.26)**	**1,11,549.83 (2.92)**

टिप्पणीः
1.कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2.पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्वर्गीकरण / पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया।

सारणी I.28
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात

(प्रतिशत में)

खंड	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
फायर	86.20	68.33	55.89	57.60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	78.07	65.07
मरीन	71.17	69.49	71.36	80.32	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	71.27	75.11
मोटर	96.54	78.60	77.95	73.59	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	85.61	75.61
स्वास्थ्य	102.91	101.02	72.55	78.44	64.13	75.43	लागू नहीं	लागू नहीं	85.70	89.51
अन्य	102.53	86.58	73.08	63.60	लागू नहीं	लागू नहीं	115.40	93.95	93.40	83.47
कुल	**98.28**	**87.48**	**75.52**	**73.39**	**64.13**	**75.43**	**115.40**	**93.95**	**85.90**	**81.06**

टिप्पणीः पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण / पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का जोखिम-अंकन अनुभव

I.2.2.44 साधारण बीमा उद्योग की जोखिम-अंकन हानियाँ पिछले वर्ष के रु.23,720 करोड़ से घटकर 2020-21 में रु.20,039 करोड़ हो गईं। जोखिम-अंकन हानियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 15.52 प्रतिशत कम हो गईं। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की जोखिम-अंकन हानियाँ 2019-20 के रु.18,741 करोड़ से घटकर 2020-21 में रु.13,498 करोड़ हुईं। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने जोखिम-अंकन हानियों में वृद्धि सूचित की जो 2019-20 के रु.3,647 करोड़ की तुलना में 2020-21 में रु.4,053 करोड़ हो गईं। स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2020-21 में जोखिम-अंकन हानियों में वृद्धि सूचित की जो 2019-20 के रु.651 करोड़ की तुलना में रु.2,374 करोड़ हैं। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की जोखिम-अंकन हानियों में 2019-20 में दर्ज रु.680 करोड़ की तुलना में 2020-21 में रु.115 करोड़ तक कमी आई।

I.2.2.45 सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन हानि का अनुपात वर्ष 2019-20 में दर्ज क्रमशः 32.38 प्रतिशत, 6.56 प्रतिशत, 6.49 प्रतिशत और 25.40 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में क्रमशः 21.62 प्रतिशत, 6.92 प्रतिशत, 26.41 प्रतिशत और 1.50 प्रतिशत था। साधारण बीमा उद्योग के लिए निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन हानि का अनुपात 2019-20 में दर्ज 18.80 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 में 14.56 प्रतिशत रहा।

सारणी I.29
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का जोखिम-अंकन अनुभव (₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	-18,741.35 (-32.38)	-13,497.75 (-21.62)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	-3,647.23 (-6.56)	-4,052.83 (-6.92)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-651.20 (-6.49)	-2,373.65 (-26.41)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	-680.07 (-25.40)	-114.59 (-1.50)
Total	**-23,719.85 (-18.80)**	**-20,038.83 (-14.56)**

टिप्पणीः :
1. कोष्ठक में आंकड़े निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन लाभ/हानि का अनुपात (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनःसमूहन/पुनर्वर्गीकरण, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।
3. जोखिम-अंकन लाभ/हानि = अर्जित प्रीमियम (निवल) -उपगत दावा (निवल) - निवल कमीशन - बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय - प्रीमियम कमी रिज़र्व

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय

I.2.2.46 2020-21 के दौरान सभी साधारण बीमाकर्ताओं की निवेश आय रु.29,744 करोड़ थी (2019-20 में रु.28,606 करोड़ थी) जिसने पिछले वर्ष के 8.81 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 3.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं की निवेश आय में 5.04 प्रतिशत कमी आई है। (2019-20 में 1.92 प्रतिशत की कमी आई है)। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की निवेश आय में 2020-21 के दौरान क्रमशः 13.99 प्रतिशत (2019-20 में 25.85 प्रतिशत), 8.73 प्रतिशत (2019-20 में 43.77 प्रतिशत), और 20.27 प्रतिशत (2019-20 में 7.23 प्रतिशत) की दर से वृद्धि हुई है।

सारणी I.30
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय
(₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	15,300.37 (-1.92)	14,529.48 (-5.04)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	11,181.55 (25.85)	12,745.46 (13.99)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	740.71 (43.77)	805.40 (8.73)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	1,382.89 (7.23)	1,663.21 (20.27)
कुल	**28,605.52 (8.81)**	**29,743.55 (3.98)**

टिप्पणीः :
1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनःसमूहन/पुनर्वर्गीकरण, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लाभ

I.2.2.47 वर्ष 2020-21 के दौरान साधारण बीमा उद्योग का निवल लाभ 2019-20 में दर्ज रु.1,494 करोड़ की निवल हानि की तुलना में रु.3,853 करोड़ था। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने 2019-20 की रु. 5,701 करोड़ की हानि की तुलना में रु. 1,467 करोड़ की हानि सूचित की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 2019-20 में प्राप्त रु.4,037 करोड़ के कर के बाद लाभ (पीएटी) की तुलना में रु.5,729 करोड़ का कर के बाद लाभ (पीएटी) सूचित किया तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने 2019-20 के रु. 501 करोड़ के पीएटी की तुलना में रु. 951 करोड़ के कर के बाद लाभ (पीएटी) की सूचना दी है जबकि स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2019-20 के रु. 331 करोड़ की हानि के मुकाबले रु. 1,360 करोड़ की हानि सूचित की।

I.2.2.48 वर्ष 2020-21 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चार बीमाकर्ताओं में से एक ने पीएटी सूचित किया और तीन ने कर के बाद हानि सूचित की। न्यू इंडिया ने 2019-20 में दर्ज रु. 1,418 करोड़ के पीएटी के मुकाबले वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 1,605 करोड़ का पीएटी सूचित किया। नेशनल, ओरियन्टल और युनाइटेड इंडिया ने क्रमशः रु. 562 करोड़, रु. 1,525 करोड़ और रु. 985 करोड़ की हानि की सूचना दी।

I.2.2.49 वर्ष 2020-21 के दौरान 21 निजी साधारण बीमा कंपनियों के बीच, जबकि 16 कंपनियों ने पीएटी सूचित किया, वहीं शेष पाँच कंपनियों ने हानियाँ उठाईं। छह स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं में से केवल एक ने पीएटी सूचित किया तथा शेष पाँच कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के दौरान हानियाँ उठाईं। दोनों विशेषीकृत बीमाकर्ताओं, अर्थात् भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. और ईसीजीसी लि. ने वर्ष 2019-20 के दौरान दर्ज क्रमशः रु. 177 करोड़ और रु. 324 करोड़ के पीएटी की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 490 करोड़ और रु. 460 करोड़ का पीएटी सूचित किया।

सारणी I.31
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ
(₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	-5,700.54	-1,467.29
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	4,036.69	5,729.06
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-331.07	-1,359.73
विशेषीकृत बीमाकर्ता	500.54	950.50
कुल जोड़	**-1,494.38**	**3,852.53**

टिप्पणीः पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

शेयरधारकों को प्रतिलाभ

I.2.2.50 सरकारी क्षेत्र के किसी भी साधारण बीमाकर्ता ने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया है (एक सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस ने वर्ष 2019-20 में ₹247.20 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया है)। पांच निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश का भुगतान किया (छह निजी बीमाकर्ताओं ने 2019-20 में लाभांश का भुगतान किया)। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2020-21 के लिए ₹148.81 करोड़ लाभांश का भुगतान किया (2019-20 के लिए ₹110.23 करोड़ लाभांश), एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2020-21 के लिए ₹213.47 करोड़ लाभांश का भुगतान किया (2019-20 के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया), आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2020-21 के लिए ₹181.83 करोड़ लाभांश का भुगतान किया (2019-

20 के लिए ₹318.10 करोड़ लाभांश), एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2020-21 के लिए ₹21.55 करोड़ लाभांश का भुगतान किया (2019-20 के लिए ₹21.55 करोड़ लाभांश) और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2020-21 के लिए ₹435.39 करोड़ लाभांश का भुगतान किया (2019-20 के लिए ₹570.79 करोड़ लाभांश)। वर्ष 2020-21 और 2019-20 के दौरान किसी भी स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता या विशेषीकृत बीमाकर्ता ने लाभांश का भुगतान नहीं किया है।

सारणी I.32
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभांश (₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	247.20	-
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	1,059.01	1,001.06
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-	-
विशेषीकृत बीमाकर्ता	-	-
कुल	**1,306.21**	**1,001.06**

टिप्पणी:
1. उपर्युक्त आंकड़ों में प्रस्तावित अंतिम लाभांश और अंतरिम लाभांश भी शामिल हैं।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण / पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय

I.2.2.51 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता देश भर में 31 मार्च 2020 को यथाविद्यमान 11,394 कार्यालयों के मुकाबले 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 11,248 कार्यालयों से परिचालन कर रहे थे। पिछले वर्ष की तुलना में सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के लिए 265 कार्यालयों की कमी है, निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के लिए 76 कार्यालयों की वृद्धि है तथा स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए 43 कार्यालयों का निवल परिवर्धन है। समग्र रूप में पिछले वर्ष की तुलना में 146 कार्यालयों की कमी है।

I.2.2.52 कार्यालयों के स्तर-वार वर्गीकरण के अनुसार यह पाया गया है कि साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के अधिकांश कार्यालय स्तर I के स्थान पर स्थित हैं। साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लगभग 69 प्रतिशत कार्यालय (7718 कार्यालय) इन क्षेत्रों में स्थित हैं। स्तर I स्थान के बाद, 20,000 से 49,999 तक की जनसंख्या से युक्त स्तर III स्थानों पर साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का 12 प्रतिशत (1312 कार्यालय) है। साधारण बीमाकर्ताओं के केवल लगभग एक प्रतिशत कार्यालय स्तर VI स्थानों पर (115 कार्यालय) हैं जो 5,000 से कम आबादी से युक्त हैं। निजी बीमाकर्ताओं ने 2020-21 में स्तर VI स्थानों पर अपने कार्यालय खोले हैं तथा स्तर V स्थानों पर अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) के कोई कार्यालय स्तर V और स्तर VI स्थानों पर नहीं हैं। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के कार्यालय केवल स्तर I के नगरों में हैं। साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की स्तर-वार उपस्थिति सारणी I.33 में दी गई है।

I.2.2.53 महाराष्ट्र में साधारण बीमा कार्यालय सबसे बड़ी संख्या में हैं (1242 कार्यालय) जिसके बाद तमिलनाडु का स्थान है (1037 कार्यालय)। कार्यालयों की राज्य-वार उपस्थिति दर्शाती है कि कार्यालयों की संख्या के तौर पर शीर्षस्थ छह राज्यों में साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कुल कार्यालयों के 50 प्रतिशत कार्यालय हैं। इसके अलावा, ऐसे छह राज्य और संघराज्य क्षेत्र (यूटी) हैं जिनमें इन स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) का कोई कार्यालय नहीं है।

I.2.2.54 जिला-वार विश्लेषण से विदित होता है कि साधारण बीमा क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के कार्यालय देश के 735 जिलों में से 599 जिलों (देश के कुल जिलों के 81 प्रतिशत) में हैं। निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता 302 जिलों (देश में कुल जिलों के 41 प्रतिशत) को समाविष्ट करते हैं। 15 राज्य/यूटी ऐसे हैं जहाँ उनके सभी जिलों में साधारण बीमा कार्यालय की उपस्थिति है। भारत में ऐसे जिलों की संख्या 135 है, जहाँ साधारण बीमाकर्ताओं का कोई कार्यालय नहीं है। स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) के कार्यालय देश भर में 356 जिलों (48 प्रतिशत) में हैं। 16 राज्य/ यूटी ऐसे हैं जहाँ उनके जिलों में स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) के 50 प्रतिशत से अधिक कार्यालय हैं।

जिला-वार व्याप्ति के साथ साधारण और स्वास्थ्य बीमा कार्यालयों का राज्य/यूटी वार वितरण विवरण 9 में दिया गया है।

सारणी I.33
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार) (कार्यालयों की संख्या)

स्थान	2020					2021				
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एसएए एचआई	विशेषीकृत	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एसएए एचआई	विशेषीकृत	कुल
स्तर I	4,283	2465	962	86	7,796	4,175	2,527	930	86	7,718
स्तर II	874	144	77	-	1,095	843	138	125	-	1,106
स्तर III	1,247	32	60	-	1,339	1,194	37	81	-	1,312
स्तर IV	786	9	8	-	803	722	9	14	-	745
स्तर V	249	5	-	-	254	241	11	-	-	252
स्तर VI	107	-	-	-	107	106	9	-	-	115
कुल	**7,546**	**2,655**	**1,107**	**86**	**11,394**	**7,281**	**2,731**	**1150**	**86**	**11,248**

टिप्पणी: स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 और अधिक; स्तर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक
स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक; स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक
स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक; स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम

चार्ट I.13: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय
(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)

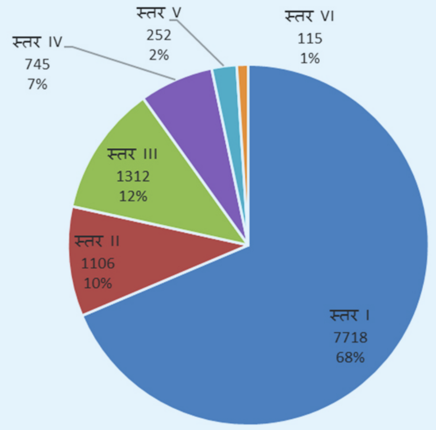

मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के दायित्व

I.2.2.55 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32डी का अनुपालन करने के लिए प्राधिकरण ने बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद मोटर बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के न्यूनतम दायित्व के लिए कार्यपद्धति बताते हुए 2 जून 2015 को आईआरडीएआई (मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 जारी किये।

I.2.2.56 वर्ष 2020-21 में 25 साधारण बीमाकर्ताओं में से नौ बीमाकर्ताओं ने मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में न्यूनतम दायित्व का अनुपालन नहीं किया।

I.2.2.57 इसके अलावा, मोटर तृतीय पक्ष दायित्वों का परिकलन करने के लिए प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए सभी बीमाकर्ताओं के पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित डेटा की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण वर्ष 2017-18 से दोनों वार्षिक रिपोर्ट और आईआरडीएआई वेबसाइट में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उक्त डेटा प्रकाशित कर रहा है ताकि समूचे उद्योग के लिए डेटा का एकल स्रोत हो सके। मोटर तृतीय पक्ष दायित्व का परिकलन करने हेतु वर्ष 2021-22 का डेटा अनुबंध 2 में देखा जा सकता है।

विशेषीकृत बीमाकर्ता

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एआईसी)

I.2.2.58 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है जो फसल बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन करता है। इस कंपनी ने 2019-20 के रु.9,361 करोड़ की तुलना में 28.76

प्रतिशत की वृद्धि सूचित करते हुए वर्ष 2020-21 के दौरान रु.12,053 करोड़ के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। इस बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष के रु.1,846 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2020-21 के लिए रु.6,816 करोड़ था। उक्त बीमाकर्ता ने 2019-20 में उठाई रु.303 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि की तुलना में 2020-21 में रु.294 करोड़ का जोखिम-अंकन लाभ सूचित किया। कंपनी का कर के बाद लाभ पिछले वर्ष के रु.177 करोड़ से बढ़कर रु.490 करोड़ हो गया। कंपनी का उपगत दावा अनुपात 2019-20 में विद्यमान 115 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में 92 प्रतिशत रहा।

I.2.2.59 एआईसी प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत मुख्य बीमाकर्ता रहा है जिसका बाजार अंश वर्ष 2020-21 में 50 प्रतिशत है (पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान 30 प्रतिशत)। इसके अलावा, इस कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान कुछ राज्यों में आधिक्य-व-जोखिम साझेदारी माडल एवं सह-बीमा माडल, दूरस्थ संवेदी (रिमोट सेन्सिंग) प्रौद्योगिकी आधारित फ़सल बीमा अर्थात् पश्चिम बंगाल में बांग्ला शस्य बीमा (बीएसबी), नारियल पाल्म बीमा योजना (सीपीआईएस) और कुछ आंतरिक उत्पादों का कार्यान्वयन किया।

ईसीजीसी लि.

I.2.2.60 ईसीजीसी एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है जो निर्यात ऋण बीमा में जोखिम-अंकन व्यवसाय करता है। इस कंपनी ने 2019-20 में दर्ज रु.1,075 करोड़ की तुलना में 1.21 प्रतिशत की कमी सूचित करते हुए 2020-21 में रु. 1,062 करोड़ के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। इस बीमाकर्ता ने पिछले वर्ष के रु. 377 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि के मुकाबले रु. 408 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि सूचित की। इस बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष के रु. 831 करोड़ की तुलना में रु. 827 करोड़ रहा। कंपनी का कर के बाद लाभ पिछले वर्ष के रु. 324 करोड़ से बढ़कर रु. 460 करोड़ हो गया।

इस बीमाकर्ता ने 2020-21 में 107 प्रतिशत का उपगत दावा अनुपात सूचित किया (2019-20 में 115 प्रतिशत)।

I.2.2.61 उक्त कंपनी के पास वर्ष 2020-21 के अंत में 11,280 अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पालिसियाँ (2019-20 में 11,598 पालिसियाँ) प्रचलन में थीं। वर्ष के दौरान अल्पावधि पालिसियों पर अर्जित प्रीमियम आय रु. 430 करोड़ (2019-20 में रु. 405 करोड़) थी। वर्ष के दौरान अल्पावधि ईसीआईबी पर अर्जित प्रीमियम आय रु. 604 करोड़ (2019-20 में रु. 645 करोड़) थी। मध्यावधि और दीर्घावधि व्यवसाय से प्रीमियम आय 2019-20 में प्राप्त रु. 26 करोड़ की तुलना में 2020-21 के दौरान रु. 29 करोड़ थी।

I.2.2.62 कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निर्यात आगम राशि की वसूली और भारत में प्रत्यावर्तन की अवधि को शिथिल करते हुए कुछ उपाय लागू किये हैं। सरकार द्वारा दी गई रियायतों के अनुरूप उक्त कंपनी ने भी अपने ग्राहकों को जारी किये गये कवरों की शर्तों में छूट प्रदान की।

पुनर्बीमा बाजार का मूल्यांकन

भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई)

I.2.2.63 जीआईसी आरई राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता है, जो भारत में प्रत्यक्ष साधारण और जीवन बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा उपलब्ध कराता है। निगम का पुनर्बीमा कार्यक्रम देश के अंदर प्रतिधारण को इष्टतम बनाने, उचित लागत पर अध्यर्पक (सीडैंट) एक्सपोज़र के लिए पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करने तथा घरेलू बाजार के अंदर तकनीकी विशेषज्ञता और पर्याप्त वित्तीय क्षमताएँ विकसित करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

I.2.2.64 जीआईसी द्वारा जोखिम-अंकित कुल निवल प्रीमियम 2019-20 में दर्ज रु. 46,655 करोड़ से 9.55 प्रतिशत घटकर 2020-21 के दौरान रु. 42,198 करोड़ हो गया है। उक्त बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम 2019-20 में दर्ज रु. 44,145 करोड़ से घटकर 2020-21 के दौरान रु. 39,866 करोड़ रहा है। निवल उपगत दावा

अनुपात में 2019-20 के 97.49 प्रतिशत से 2020-21 में 92.44 प्रतिशत तक कमी आई है।

I.2.2.65 जीआईसी की कुल प्रदत्त पूंजी की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2021 ₹877.20 करोड़ पिछले वर्ष के बराबर थी (विवरण 12) | जीआईसी आरई ने 2019-20 में दर्ज रु. 359 करोड़ की हानि के मुकाबले 2020-21 में रु. 1,920 करोड़ के कर के बाद लाभ की सूचना दी। जीआईसी आरई ने वर्ष 2019-20 में किये गये रु. 1,184.22 करोड़ के लाभांश के भुगतान की तुलना में 2020-21 में किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया है।

विदेशी पुनबीमाकर्ताओं की शाखाएँ

I.2.2.66 भारत में 10 विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ परिचालनरत हैं।

I.2.2.67 वर्ष 2020-21 के दौरान विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं द्वारा स्वीकृत पुनर्बीमा पर कुल प्रीमियम रु. 14,457 करोड़ (2019-20 में रु. 12,682 करोड़) था। विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं की समनुदेशित पूँजी में 31 मार्च 2020 को यथाविद्यमान रु. 8,667 करोड़ से 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. 10,377 करोड़ तक रु. 1,710 करोड़ की वृद्धि हुई (विवरण 15)।

I.2.2.68 लायड्स के सिंडिकेट सहित भारत में सभी विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं में से, चार (पिछले वर्ष में पाँच) ने विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं ने वर्ष 2020-21 में कर के बाद लाभ सूचित किया है, जबकि शेष विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं ने हानि की सूचना दी है। सभी विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं द्वारा सूचित कुल हानि, 2019-20 में दर्ज रु. 1,115 करोड़ मुकाबले, 2020-21 में रु. 209 करोड़ थी।

I.3 प्राधिकृत बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या और विवरण

I.3.1 मार्च 2021 के अंत में भारत में 67 बीमाकर्ता परिचालन कर रहे हैं; जिनमें से 24 जीवन बीमाकर्ता हैं, 27 साधारण बीमाकर्ता हैं, 5 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता हैं तथा 11 पुनर्बीमाकर्ता हैं जिनमें विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ और लायड्स इंडिया शामिल हैं (सारणी I.34)।

I.3.2 वर्तमान में परिचालन में लगे हुए 67 बीमाकर्ताओं में से, आठ (8) सरकारी क्षेत्र में हैं और शेष साठ (59) निजी क्षेत्र में हैं। दो (2) विशेषीकृत बीमाकर्ता, अर्थात् ईसीजीसी और एआईसी, एक (1) जीवन बीमाकर्ता अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), चार (4) साधारण बीमा में तथा पुनर्बीमा में एक (1) अर्थात् जीआईसी आरई सरकारी क्षेत्र में हैं। निजी क्षेत्र में, 23 जीवन बीमाकर्ता हैं, 21 साधारण बीमाकर्ता, छह (5) स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता और 10 पुनर्बीमाकर्ता हैं जिनमें विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ और लायड्स इंडिया शामिल हैं।

I.3.3 23 निजी जीवन बीमा कंपनियों में से 15 बीमाकर्ताओं ने भारत में जीवन बीमा बाजार में अपने परिचालन के 15 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए है | 21 निजी साधारण बीमाकर्ताओं में से, आठ (8) निजी बीमाकर्ताओं अर्थात् बजाज अलायंज़, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इफ़्को टोकियो, रिलायंस जनरल, रायल सुंदरम, चोल एमएस, एचडीएफसी एरगो और टाटा एआईजी ने भारत में साधारण बीमा बाजार में अपने परिचालनों के 15 वर्ष से अधिक समय पूरा किया है।

I.3.4 प्राधिकरण ने आदेश संदर्भ 353/ एफएण्डए (एनएल)/ विलय/ अपोलो-एचडीएफसी/ 01/2019-20/242 दिनांक 11 नवंबर 2020 के द्वारा, 13 नवंबर 2020 से प्रभावी रूप में एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. और एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. के समामेलन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

सारणी I.34
पंजीकृत बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता

बीमाकर्ता का प्रकार	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन	1	23	24
साधारण	6	21	27
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	-	5	5
पुनर्बीमाकर्ता	1	10	11
कुल	**8**	**59**	**67**

टिप्पणी: पंजीकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

बाक्स मद I.2

मोटर बीमा उत्पादों में हाल की प्रगति

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि 01 सितंबर 2018 से अन्य पक्ष बीमा कवर अधिदेशात्मक तौर पर नई कारों के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा दुपहिया वाहनों के लिए पाँच वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।

2. दीर्घावधि अन्यपक्ष कवरों के प्रारंभ होने के बाद, निजी क्षति के संबंध में साधारण बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया कि वे बीमाकृत व्यक्तियों को चयन करने के लिए निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध कराएँ :

   i. तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष, जैसी स्थिति हो, के लिए दोनों मोटर तृतीय पक्ष बीमा और निजी क्षति बीमा का प्रस्ताव करते हुए दीर्घावधि पैकेज कवर।

   इसके बाद, प्राधिकरण ने 01 अगस्त, 2020 से नई कारों और नए दोपहिया वाहनों के लिए क्रमशः तीन साल या पांच साल के लिए दिए गए लॉन्ग टर्म पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है।

   ii. अन्य पक्ष घटक के लिए तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष की अवधि (जैसी लागू हो) तथा निजी क्षति के लिए एक वर्ष की अवधि के साथ समूहित (बंडल्ड) कवर।

3. तदुपरांत, 01 सितंबर 2019 से उक्त समूहित कवर के निजी क्षति अंश के नवीकरण के लिए बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया कि वे स्टैंड-अलोन वार्षिक निजी क्षति कवर उपलब्ध कराएँ। स्टैंड-अलोन निजी क्षति (एसएओडी) पालिसी की अनुमति केवल एक वार्षिक कवर के रूप में ही दी गई है। पालिसीधारकों के पास विकल्प है कि वे 01 सितंबर 2019 को अथवा उसके बाद देय होनेवाले समूहित कवर के निजी क्षति घटक का नवीकरण उसी बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य बीमाकर्ता के पास एक वार्षिक आधार पर कराएँ।

4. एक अन्य गतिविधि के अंतर्गत, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 01 जनवरी 2019 से प्रभावी रूप में मोटर बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी साधारण बीमाकर्ताओं को निदेश दिया गया कि वे बीमित व्यक्ति के विकल्प पर अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर जहाँ भी लागू हो वहाँ सभी वर्गों के वाहनों और समूहित कवरों को पैकेज पालिसियों के खंड III केअंतर्गत, केवल देयता के अधीन मालिक-चालक के लिए रु.15,00,000/- अनिवार्यवैयक्तिकदुर्घटना (सीपीए) कवरकीन्यूनतमपूँजीगतबीमितराशि(सीएसआई) उपलब्ध कराएँ।

5. चूँकि एक साधारण वैयक्तिक दुर्घटना कवर में भी मोटर दुर्घटनाओं के लिए कवर शामिल है, अतः यदि एक मालिक-चालक के पास पहले से ही कम से कम रु. 15 लाख की सीएसआई के लिए मृत्यु और स्थायी निर्योग्यता (कुल और आंशिक) के विरुद्ध 24-घंटे का वैयक्तिक दुर्घटना कवर है, तो यह सूचित किया गया कि ऐसी स्थिति में एक अलग सीपीए कवर लेने की आवश्यकता नहीं है।

6. मालिक-चालक के लिए एक स्टैंड-अलोन अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना कवर जारी करने के लिए भी अनुमति दी गई है। उक्त स्टैंड-अलोन सीपीए कवर की अवधि एक वर्ष होगी। स्टैंड-अलोन सीपीए के अंतर्गत कवरेज, पूर्व के इंडिया मोटर प्रशुल्क (टैरिफ) के जीआर 36 के अंतर्गत निर्धारित, अर्थात् मृत्यु और स्थायी निर्योग्यता (कुल और आंशिक) के कवरेज के रूप में जारी रहेगा।

7. यदि पालिसीधारक केवल देयता पालिसी के भाग के रूप में सीपीए कवर के लिए विकल्प का चयन करता है, तो वह ऐसा करना जारी रख सकता है / रख सकती है। यदि पालिसीधारक एक स्टैंड-अलोन सीपीए पालिसी लेने के लिए चयन करता है, तो ऐसी स्थिति में केवल देयता के भाग के रूप में दिया गया सीपीए कवर हटाया जाएगा। स्टैंड-अलोन सीपीए के अंतर्गत कवरेज एक ही पालिसी के अंतर्गत मालिक-चालक द्वारा स्वामित्व-प्राप्त सभी वाहनों के लिए विस्तृत किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, स्टैंड-अलोन सीपीए पालिसी के अंतर्गत कवर उस स्थिति में विधिमान्य होगा, जब मालिक-चालक अपने स्वामित्व के अधीन स्थित किसी भी वाहन को चलाएगा / चलाएगी।

I.4 बीमा बाजार को विकसित करने के लिए नीतियाँ और उपाय

I.4.1 कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण किये गये उपाय

I.4.1.1 प्राधिकरण ने पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमाकर्ता उभरती चुनौतियों का सामना करते समय आघात-सहनीय स्थिति में हों, कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में अनेक पहलों को कार्यान्वित किया है।

पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए पहलें

- जीवन बीमाकर्ताओं को निदेश दिया गया कि देश में लगाये गये लाक़डाउनों के संदर्भ में पालिसीधारकों की सर्विसिंग के लिए वे कार्यरत कार्यालयों तथा यदि कार्यालय बंद किये गये हों तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं की सूचना के साथ अपनी वेबसाइटों को अद्यतन बनाएँ। सभी जीवन बीमाकर्ताओं को निदेश दिया गया कि वे अपने उत्पादों के अंतर्गत कोविड-19 मृत्यु दावों की स्वीकार्यता, प्रीमियमों के भुगतान, दावे और अन्य अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध डिजिटल माध्यमों/ साधनों के बारे में सूचना उपलब्ध कराएँ।

- बीमाकर्ताओं को यह भी निदेश दिया गया कि वे उभरती परिस्थिति के लिए उपयुक्त रूप में एक शीघ्रतर दावा निपटान प्रक्रिया विकसित करने के द्वारा कोविड-19 मृत्यु दावों का निपटान शीघ्रतापूर्वक करें।

- मार्च और अप्रैल 2020 के महीनों में देय प्रीमियमों के भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ाई गई।

- बीमाकर्ताओं को सामूहिक ऋण जीवन बीमा योजनाओं के अंतर्गत अवधि और बीमित राशि का आशोधन करने के लिए अनुमति दी गई जिसके अंतर्गत सदस्यों ने समान मासिक किस्तों (ईएमआई) (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित) के भुगतान पर अधिस्थगन (मारटोरियम) का लाभ उठाया है ताकि वे संशोधित ऋण चुकौती कार्यक्रम के अनुसार लगातार बीमारक्षा (कवर) प्राप्त कर सकें।

- 31 मई 2020 तक परिपक्व होनेवाली यूनिट सहबद्ध पालिसियों के संबंध में निपटान विकल्प दिये गये, इस बात का विचार किये बिना कि ऐसा विकल्प विशिष्ट उत्पाद में विद्यमान है अथवा नहीं।

- बीमाकर्ताओं को पालिसीधारक की सुस्पष्ट सहमति के साथ अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) भौतिक फार्म के बिना इलेक्ट्रानिक रूप में पालिसी दस्तावेज जारी करने की अनुमति दी गई। ऐसे मामलों में निःशुल्क अवलोकन निरसन अवधि 30 दिन के रूप में निर्धारित की गई है।

- चूँकि महामारी ने बीमा पालिसियों का अनुयाचन (कैनवसिंग) की आमने-सामने वाली पद्धति को प्रभावित किया है, अतः जीवन बीमाकर्ताओं को भौतिक हस्ताक्षर की अपेक्षा को समाप्त करते हुए नये प्रस्तावों पर ग्राहक की सहमति इलेक्ट्रानिक साधनों अथवा मोबाइल फोन वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के द्वारा प्राप्त करने की अनुमति दी गई।

- कोविड-19 से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ताओं को उपयुक्त बीमा उत्पाद अभिकल्पित करने के लिए भी जोरदार ढंग से प्रोत्साहित किया गया।

इसके अलावा, यह मानते हुए कि महामारी ने आम जनता के बीच जीवन बीमा कवर की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा की है, प्राधिकरण ने दो मानक जीवन बीमा उत्पाद पेश किए हैं, जिनका विवरण I.4.2 में प्रदान किया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कि बीमाकर्ता आघात-सहनीय स्थिति में रहें

I.4.1.2 प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित निदेश जारी किये कि महामारी से उत्पन्न होनेवाली चुनौतियों का सामना करने के लिए जीवन बीमाकर्ता बेहतर ढंग से तैयार रहें :

- तत्काल (रियल टाइम) आधार पर स्थिति की निगरानी करने के लिए तथा उपयुक्त निर्णय लेने के लिए एक व्यवसाय निरंतरता योजना लागू करें और एक संकट प्रबंध समिति का गठन करें।
- जीवन बीमाकर्ताओं की जोखिम प्रबंध समिति वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सभी जोखिमों का मूल्यांकन करेगी तथा आवश्यक न्यूनीकरण उपाय अभिकल्पित करेगी। परिचालनों अथवा पूँजीगत आवश्यकताओं अथवा शोधक्षमता मार्जिन पर किसी भी तीव्र प्रभाव की सूचना तत्काल प्राधिकरण को दी जाएगी।
- डिजिटल और आनलाइन प्रणालियों पर बढ़ती हुई निर्भरता को देखते हुए साइबर-आक्रमणों की संभावना में वृद्धि के प्रति भी बीमाकर्ताओं को सावधान किया गया। अतः उन्हें उपयुक्त एहतियाती उपाय करने का निदेश दिया गया।

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा सक्रियतापूर्वक कार्यान्वित की गई कुछ पहलें

I.4.1.3 उद्योग ने भी समय पर अपनी सक्रियता दिखाई तथा अपने बीसीपी को तुरंत उत्प्रेरित किया, कुछ कार्य "घर से कार्य करने" की पद्धति में व्यवस्थित किये और पालिसिधारकों के लिए बाधा-रहित सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण की गति बढ़ाई और साथ ही, साइबर सुरक्षा के स्तरों में वृद्धि की। इसके अतिरिक्त, कई बीमाकर्ताओं ने कुछ नवोन्मेष साधनों को कार्यान्वित किया है, जैसेः

- संवर्धित ग्राहक सुविधा के लिए व्हाट्सअप आदि जैसे माध्यमों का उन्नयन करने के अतिरिक्त, अपनी वेबसाइटों पर चाट-बाट और स्वयं-सेवा पोर्टल प्रारंभ किये।
- प्रस्ताव के स्तर पर ई-केवाईसी / वीडियो सत्यापन; दूरस्थ/ वीडियो डाक्टरी जाँच।

इसके अलावा, जीवन बीमाकर्ताओं ने महामारी के संदर्भ में उपयुक्त व्यवहार के बारे में तथा उपलब्ध होने पर टीका लगवाने (वैक्सिनेशन) के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियाँ भी प्रारंभ की हैं।

मोटर तृतीय पक्ष बीमा निरंतरता कवर

I.4.1.4 प्राधिकरण ने एक परिपत्र जारी किया है कि उन पालिसीधारकों को, जिनकी मोटर वाहन तृतीय पक्ष बीमा पालिसियाँ 25 मार्च 2020 को और इस तारीख से 03 मई 2020 तक की अवधि के दौरान नवीकरण के लिए नियत हैं तथा जो कोविड-19 के परिणामस्वरूप देश में लाकडाउन को देखते हुए समय पर अपना नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं, इस बात की अनुमति दी गई है कि वे अपने बीमाकर्ताओं को पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान 15 मई 2020 को अथवा उससे पहले करें जिससे उस तारीख से सांविधिक मोटर वाहन अन्य पक्ष बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिस तारीख को पालिसी नवीकरण के लिए नियत है।

नवीकरण के लिए नियत 1.28 करोड़ मोटर पालिसियों में से 46 लाख (36 प्रतिशत) का नवीकरण इस अवधि के दौरान किया गया। इनमें से 22 लाख पालिसियों का नवीकरण समय पर किया गया, जबकि 24 लाख (52 प्रतिशत) ने प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये समय-विस्तार का उपयोग किया है।

इलेक्ट्रानिक पालिसी का निर्गम तथा भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल (वेट) हस्ताक्षर से छूट

I.4.1.5 प्राधिकरण ने साधारण बीमाकर्ताओं को (क) पालिसी दस्तावेज के निर्गम और (ख) भौतिक रूप में प्रस्ताव फार्म की प्रति की अपेक्षा से छूट प्रदान की।

प्राधिकरण ने परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/237/09/2020 दिनांक 10 सितंबर 2020 के द्वारा इलेक्ट्रानिक पालिसियों के निर्गम की अनुमति एवं कुछ अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अधीन निम्नलिखित पालिसियों के संबंध में भौतिक दस्तावेज और प्रस्ताव फार्म पर तरल (वेट) हस्ताक्षर से छूट प्रदान की हैः

i. सभी मोटर बीमा पालिसियाँ

ii. निवास स्थानों और/या उनकी अंतर्वस्तुओं को बीमारक्षा प्रदान करते हुए व्यक्तियों को जारी की गई अग्नि (फायर) बीमा पालिसियाँ

iii. व्यक्तियों को जारी की गई सभी पैकेज बीमा पालिसियाँ (उदा. निवास स्थानों के लिए पैकेज पालिसियाँ)

iv. व्यक्तियों को जारी की गई सभी विविध पालिसियाँ जहाँ बीमित राशि रु. 5 करोड़ से अधिक नहीं है

विधिमान्यता की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है।

विवरणियाँ प्रस्तुत करने और सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए समय का विस्तार

I.4.1.6 कोविड-19 महामारी की व्याप्ति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा लगाये गये आंशिक लाकडाउन और प्रतिबंधों को देखते हुए, आईआरडीएआई ने 31 मार्च 2021 को समाप्त होनेवाली अवधि के लिए सभी मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने तथा बीमाकर्ताओं की वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रकटीकरण करने हेतु 30 दिन का समय-विस्तार प्रदान किया है।

I.4.2 मानक उत्पादों का प्रारंभ

जीवन बीमा में मानक उत्पादों का प्रारंभ

I.4.2.1 बीमाकर्ताओं के बीच एकरूपता लाने तथा सभी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा सरल उत्पाद, जो औसत ग्राहक की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं, उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण के द्वारा एक मानक वैयक्तिक मीयादी जीवन बीमा उत्पाद और एक मानक वैयक्तिक तात्कालिक वार्षिकी उत्पाद प्रारंभ किये गये। सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए समरूप नामों के साथ विक्रय के लिए उक्त उत्पाद उपलब्ध कराना अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाया गया। ये मानक उत्पाद समझने में आसान हैं, बड़ी संख्या में ग्राहकों की मुख्य आवश्यकताएँ पूरी करते हैं तथा सभी बीमाकर्ताओं के बीच अपनी एकसमान शर्तों के साथ खरीद की सुविधा को बढ़ाते हैं। ऐसे मानक उत्पाद ग्राहकों के लिए प्रामाणिक चयन करना अधिक सुगम बनाते हैं, बीमाकर्ताओं और बीमित व्यक्तियों के बीच विश्वास में वृद्धि करते हैं, तथा अपविक्रय (मिस-सेलिंग) और संभावित विवादों को कम करते हैं।

अतः बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी जीवन बीमाकर्ताओं को अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) तौर पर निम्नलिखित मानक उत्पाद प्रस्तावित करने के लिए निदेश दिया गया है।

मानक वैयक्तिक मीयादी जीवन बीमा - सरल जीवन बीमा

I.4.2.2 सरल जीवन बीमा एक असंबद्ध लाभरहित वैयक्तिक विशुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना है। इस मानक उत्पाद के संबंध में दिशानिर्देश प्राधिकरण द्वारा 15 अक्तूबर 2021 को जारी किये गये।

इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं :

विवरण	महत्वपूर्ण विशेषताएँ
आयु मानदंड	न्यूनतम - 18 वर्ष; अधिकतम- 65 वर्ष
अधिकतम परिपक्वता आयु	70 वर्ष
पालिसी अवधि	5 से 40 वर्ष
बीमित राशि	न्यूनतम - ₹5 लाख; अधिकतम - ₹ 25 लाख (बीमित राशि की अनुमति रु. 50000 के गुणज में दी गई है)
प्रीमियम भुगतान विकल्प	नियमित, 5/10 वर्ष के लिए सीमित और एकल
मृत्यु पर देय लाभ	नियमित और सीमित प्रीमियम पालिसियों के लिएः एपी का दस गुना/कुल प्रीमियमों का 105% / पूर्ण बीमित राशि का उच्चतर। एकल प्रीमियम (एसपी) के लिएः एसपी का 125%/ पूर्ण बीमित राशि

मानक वैयक्तिक तात्कालिक वार्षिकी उत्पाद - सरल पेंशन

I.4.2.3 सरल पेंशन एक एकल प्रीमियम वाली, असंबद्ध, लाभरहित तात्कालिक वार्षिकी योजना है। इस मानक उत्पाद के संबंध में दिशानिर्देश प्राधिकरण द्वारा 25 जून 2021 को जारी किये गये।

इस उत्पाद की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

i. यह आयु, पद्धति और निवेश राशि के आधार पर तात्कालिक वार्षिकी देता है।

ii. वार्षिकी 2 विकल्पों के अंतर्गत दी जाती है

क. वार्षिकी आजीवन उसके बाद क्रय कीमत की वापसी सहित देय है।

ख. संयुक्त जीवन वार्षिकी गौण वार्षिकीग्राही को 100% वार्षिकी सहित प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर तथा गौण वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर क्रय कीमत की वापसी।

iii. वार्षिकी का विकल्प वार्षिक, छमाही, तिमाही और मासिक पद्धतियों के अंतर्गत दिया जा सकता है।

iv. इस उत्पाद के अंतर्गत कोई परिपक्वता लाभ नहीं है।

v. यथाविनिर्दिष्ट गंभीर बीमारी की स्तिथि में क्रय कीमत के 95% के भुगतान के साथ अभ्यर्पण की अनुमति है।

vi. 6 महीने के बाद किसी भी समय ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

vii. न्यूनतम प्रवेश आयु 40 वर्ष पिछला जन्मदिन है तथा अधिकतम प्रवेश आयु 80 वर्ष पिछला जन्मदिन है।

viii. न्यूनतम देय वार्षिकी रु. 1000 प्रति माह, रु. 3000 प्रति तिमाही, रु. 6000 प्रति छमाही तथा रु. 12000 प्रति वर्ष है।

कुछ जोखिमों के लिए अखिल भारतीय अग्नि (फायर) प्रशुल्क (एआईएफटी), 2001 का निरसन एवं निवास स्थानों, सूक्ष्म और छोटे व्यवसायों के लिए मानक उत्पादों का प्रारंभ।

I.4.2.4 साधारण बीमा व्यवसाय का अग्नि (फायर) और संबद्ध जोखिम खंड अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क (एआईएफटी), 2001 द्वारा नियंत्रित है। इस खंड की शब्दावली, निबंधन, शर्तें, और कीमत-निर्धारण एआईएफटी द्वारा संचालित था। तदुपरांत, 2006-07 और 2007-08 में इस खंड के विभिन्न पहलुओं को एआईएफटी की परिधि से बाहर लाने की प्रक्रिया, एआईएफटी 2001 से उत्पाद के कीमत-निर्धारण पहलू को निकालने के साथ प्रारंभ हुई। 01 जनवरी 2008 से कीमत-निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी उत्पाद फाइलिंग दिशानिर्देशों के अधीन बीमाकर्ताओं पर छोड़ दिया गया। तथापि, शब्दावली, निबंधन और शर्तें अभी भी एआईएफटी, 2001 द्वारा नियंत्रित हैं।

I.4.2.5 अब, प्राधिकरण ने अधिसूचना दिनांक 28 दिसंबर 2020 के द्वारा अग्नि और संबद्ध जोखिम बीमा व्यवसाय के निम्नलिखित जोखिमों के लिए लागू सामान्य विनियमों, निबंधनों, शर्तों, खंडों, वारंटियों, नीति, ऐड-

आनों, पृष्ठांकन वाक्यरचना और प्रस्ताव फार्म, जो खंड I से IV तक के अधीन पूर्व के एआईएफटी, 2001 के द्वारा नियंत्रित थे, तथा संबंधित अनुबंधों को निरस्त किया है।

(क) निवास स्थानः कोई भी बीमित राशि

(ख) कार्यालय, होटल, दुकानें, औद्योगिक /विनिर्माण जोखिम, औद्योगिक/विनिर्माण जोखिमों के अहाते से बाहर स्थित उपयोगी वस्तुएँ, औद्योगिक / विनिर्माण जोखिमों के अहाते से बाहर भंडारण जोखिम, औद्योगिक / विनिर्माण जोखिमों के अहातों से बाहर टैंक फार्म / गैस होल्डर जहाँ जोखिम का कुल मूल्य किसी एक स्थान पर सभी आस्ति वर्गों के बीच रु.50 करोड़ से अधिक नहीं है।

अधिसूचना का यह निरसन 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुआ। उपर्युक्त श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी जोखिमों का एआईएफटी, 2021 द्वारा नियंत्रित होना जारी रहेगा।

I.4.2.6 उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राधिकरण ने दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनके द्वारा पूर्व के एआईएफटी 2001 में दी गई मानक अग्नि और विशेष जोखिम (एसएफएसपी) पालिसी के स्थान पर निम्नलिखित मानक उत्पाद रखे गये हैं तथा इन्हें अग्नि और संबद्ध बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा 01 अप्रैल 2021 से अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) तौर पर प्रस्तावित किया जाएगा।

i. भारत गृहरक्षा (गृह भवन और घरेलू अंतर्वस्तुओं के लिए उद्दिष्ट)

ii. भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा (उन उद्यमों के लिए उद्दिष्ट जहाँ जोखिम पर कुल मूल्य किसी एक स्थान पर रु. 5 करोड़ तक है)

iii. भारत लघु उद्यम सुरक्षा (उन उद्यमों के लिए उद्दिष्ट जहाँ जोखिम पर कुल मूल्य किसी एक स्थान पर रु. 5 करोड़ से अधिक और रु. 50 करोड़ तक है)

ये उत्पाद पालिसीधारक के लिए अनुकूल विशेषताओं के साथ अभिकल्पित हैं तथा सामान्य जनता की सुविधा के लिए सरल भाषा में व्यक्त किये गये हैं।

दूरवर्ती तौर पर संचालित वायुयान प्रणाली (आरपीएएस) / ड्रोन के बीमा के लिए उत्पाद संरचना का प्रारंभ

I.4.2.7 आजकल मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), जो आम तौर पर ड्रोन / दूरवर्ती तौर पर संचालित वायुयान प्रणाली (आरपीएएस) के रूप में जाने जाते हैं, दैनंदिन गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दोनों मानवयुक्त और मानवरहित वायुयान आकाश को प्रजातंत्रीय बना रहे हैं तथा भविष्य में ड्रोन का उपयोग घातीय रूप से बढ़ने का अनुमान है। सभी हितधारकों की चिंताओं का समाधान करने के लिए ड्रोन उद्योग हेतु उपयुक्त बीमा उत्पाद बनाना तथा सारे देश में ड्रोन/ यूएवी बीमा को बढ़ावा देने में सहायता करना आवश्यक है। इस विकासशील प्रौद्योगिकी के लिए बीमा कवरेज के विकास में लचीलेपन और नवोन्मेषण में सहायता प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण ने परिपत्र दिनांक 11 फरवरी 2021 के द्वारा दूरवर्ती तौर पर संचालित वायुयान प्रणाली (आरपीएएस) / ड्रोन बीमा का जोखिम-अंकन करने के लिए एक उत्पाद संरचना प्रारंभ की है। प्राधिकरण ने अन्य पक्ष के लिए कानूनी देयता, ड्रोन के ढाँचे को भौतिक क्षति, परिचालक के लिए वैयक्तिक दुर्घटना और परिचालक के चिकित्सा व्ययों को समाविष्ट करते हुए नमूना पालिसी वाक्यरचना निर्धारित की है।

I.4.2.8 सभी साधारण बीमाकर्ताओं को इस उत्पाद को फाइल करने अथवा निश्चित पालिसी वाक्यरचना में विनिर्दिष्ट रूप में न्यूनतम कवरेज को ध्यान में रखते हुए अपना स्वयं का उत्पाद अभिकल्पित और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित उत्पादों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ड्रोनों को संबद्ध करनेवाली एवं किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति अथवा संपत्ति की क्षति का कारण बननेवाली किसी दुर्घटना के कारण उत्पन्न होनेवाली देयता को समाविष्ट करते हुए अन्य पक्ष बीमा उपलब्ध कराएँ।

I.4.3 परियोजना एसएमएस

I.4.3.1 मोटर वाहन अधिनियम [एमवीए] (1998) की धारा 146 के अनुसार, सभी मोटर वाहनों का तृतीय पक्ष (टीपी) देयता बीमा अनिवार्य है, परंतु देश में बड़ी संख्या में वाहन अबीमाकृत रह जाते हैं। यह पाया गया है कि लोग अपने मोटर तृतीय पक्ष बीमा का नवीकरण नहीं करवाते हैं क्योंकि उनमें नवीकरण को भूल जाने की प्रवृत्ति है। एमटीपी नवीकरणों को प्रोत्साहन देने के लिए पालिसीधारकों को अनुस्मारक एसएमएस भेजने की परिकल्पना की गई है।

I.4.3.2 भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) इस संबंध में राज्य परिवहन विभागों की ओर से पालिसीधारकों को एसएमएस भेज रहा है। यह परियोजना तेलंगाना और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों में पहले से ही लागू है तथा प्राधिकरण इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी करने पर विचार कर रहा है।

I.5 बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप

बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप नीचे दिये जाते हैं, जैसा कि बीमा कंपनियों द्वारा सूचित किया गया है।

I.5.1 जीवन बीमाकर्ता

I.5.1.1 बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

कोविड-19 ने उपभोक्ता आवश्यकताओं और व्यवहार सहित बीमा उद्योग के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। व्यवसाय की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने निम्नलिखित डिजिटल समाधान अभिकल्पित किया है:

क. **`स्मार्ट असिस्ट':** यह कोई भी उत्पाद खरीदने के लिए अपना प्रस्ताव फार्म भरने हेतु ग्राहकों की सहायता करने में विक्रय टीमों के लिए मददगार है। इसने महामारी के दौरान अपने प्रश्नों का समाधान करने के लिए विक्रय प्रतिनिधियों का सामना करने में असमर्थ होने की स्थिति में ग्राहकों की उलझन को सुलझा दिया तथा एक डिजिटल क्रांति को उजागर किया।

ख. **`वाट्सअप बाट':** यह कंपनी के द्वारा प्रारंभ किया गया जो किसी भी समय और कहीं से भी ग्राहकों के द्वारा उठाये गये 36 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है।

ग. **`आई-सर्व':** कोविड के समय के दौरान, वाट्सअप पर आईसर्व प्रारंभ किया गया जिसने उपभोक्ताओं को 11 विभिन्न भाषाओं में वीडियो काल करने में समर्थ बनाया। इस व्यवस्था से ग्राहक (कोविड-पूर्व समय में) एक कियोस्क के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध सेवा अधिकारियों के साथ वीडियो-चाट कर सके। उक्त ग्राहक सेवा ऐप और पोर्टल `लाइफअसिस्ट' कहीं से भी और कभी भी ग्राहकों के लिए अपनी पालिसियों की स्वयं-सेवा सुनिश्चित करते हैं।

घ. **`ई-संपर्क':** कंपनी ने ई-संपर्क प्रारंभ किया है जो एजेंटों को अपने नाम और संपर्क के विवरण के साथ सूचनाओं को व्यक्तिगत (पर्सनलाइज) बनाने की सुविधा प्रदान करता है।

I.5.1.2 केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

कंपनी ने ग्राहक अनुभव में बढ़ोतरी और धारणीय वृद्धि पर संकेन्द्रण करने के लिए क्लाउड सेवाओं तथा ग्राहक संबंध प्रबंध, प्रलेख एआई संचालित नये व्यवसाय और जोखिम-अंकन प्रणाली जैसे समाधानों का प्रयोग करते हुए विभिन्न पहलू प्रारंभ किये हैं। कुछ उदाहरण हैं :

रोबोटीय प्रक्रिया स्वचालनः इसका उद्देश्य अधिक तेजी से सेवा वितरण, वाट्सअप आधारित संदेश-प्रेषण, ग्राहक सूचना प्रबंध आदि को समर्थ बनाते हुए समूची संस्था में परिचालनगत कौशल में सुधार लाना है।

आईपीएम प्रौद्योगिकीः वर्ष के दौरान, कंपनी ने समूचे हार्डवेयर में सुगठित, गैर-अंतर्वेधी (नान-इन्ट्रूजिव) बिजली

प्रबंध के लिए आईपीएम+ प्रौद्योगिकी (बुद्धियुक्त बिजली प्रबंध) का उन्नयन किया। यह प्रौद्योगिकी `अनुप्रयोगों' को समझती है तथा घटकों में बिजली का बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रबंध करने तथा यह सुनिश्चित करने के द्वारा कि बिजली का स्वतः प्रबंध किया जाए और प्रयोक्ता के हस्तक्षेप के बिना बिजली की बचत की जाए, प्रत्येक अनुप्रयोग की आवश्यकताओं के अनुसार बिजली का इष्टतमीकरण (आप्टिमाइजेशन) करती है। वर्कस्टेशनों का उपयोग किये जाने के समय भी यह ऊर्जा के संरक्षण में सहायता करती है।

I.5.1.3 आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

कंपनी ने संवर्धित ग्राहक अनुभव के लिए प्रौद्योगिकीय स्तर पर निम्नलिखित पहलें की हैं :

- **पीएएसए (पूर्व-अनुमोदित बीमित राशि):** यह व्यवस्था 'ग्राहक संपर्क' यात्रा को सरल, संघर्षरहित, संपर्करहित बनाकर द्रुत गति से पालिसी बांड जारी करने में सहायता होती है|

- **थोक पालिसी निर्गमः** कंपनी ने एक पूर्णतः स्वचालित तरीके से सामूहिक पालिसियाँ जारी करने के लिए पालिसी प्रबंधन प्रणाली में एक नये प्रवाह का निर्माण किया और उसकी सहयता से 'सेवा काल समय' को काफी कम किया है |

- **दूर-चिकित्सा के लिए तात्कालिक काल जोड़ (इन्स्टैन्ट काल पैच फ़ार टेली-मेडिकल्स):** इस पद्धति के द्वारा दूर-चिकित्सा साक्षात्कार (इंटरव्यूज़) संचालित करने के लिए एक टेलीफोन कॉल पर डॉक्टर और ग्राहक के बीच संपर्क स्थापित किया जाता हैं।

- **स्मार्ट दस्तावेज अपलोड** : इस प्रक्रिया में एक ऐप के माध्यम से दस्तावेज संग्रहण का कार्य सुगम बनाया गया है, जो वितरकों औऱ ग्राहकों को अपनी सुविधा के अनुसार अपने मोबाइल फोन से दस्तावेज अपलोड करने में सहायता करता है।

- **ह्यूमनाइड :** नवीकरण प्रीमियम अनुस्मारक कालिंग के लिए एक कृत्रिम एआई आधारित वार्तालाप स्वचालित उपकरण को अभिनियोजित किया गया है। ह्यूमनाइड ग्राहकों के साथ भिन्न-भिन्न भाषाओं में बातचीत कर सकता है तथा एक घंटे में 50,000 से भी अधिक ग्राहकों तक पहुँच सकता है। इसने कंपनी को आधिकारिक ग्राहकों तक पहुँचने और उन्हें उत्कृष्ट सेवा के साथ सुखद अनुभव करवाया है |

- **क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो-आधारित सत्यापन:** पीआईवीवी विधि में 11 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल कर क्षेत्रीय / दूरस्थ ग्राहकों के लिए सेवा प्रदान को सुलभ बनाया गया है साथ ही पीआईवीवी को वाट्सअप के माध्यम से भी समर्थ बनाया गया है।

- **एआई--पावर्ड डिजिटल ह्यूमन:** कंपनी ने एक '3-डी डिजिटल मानवीय अवतार' का निर्माण किया है जो स्वाभाविक भाषा में बोलने की क्षमता से युक्त है। इस माध्यम से ग्राहक प्रीमियमों का भुगतान अथवा सेवा संबंधी पूछताछ कर सकते हैं | उसके आलावा प्रीमियम रसीदें, स्वागत किट, प्रीमियम भुगतान प्रमाणपत्र, आदि भी प्राप्त की जा सकती है ।

- **आई-वर्कसेफ़ ऐप :** कर्मचारी की खुशहाली सुनिश्चित करने और एक सुरक्षित कार्य-स्थल उपलब्ध कराने के लिए, आई-वर्कसेफ़ ऐप प्रारंभ किया गया है जो स्वास्थ्य की स्थिति और कार्यालय में सामाजिक दूरी के पालन की निगरानी करने के लिए आरोग्यसेतु ऐप के साथ समेक्रित किया गया है जहाँ यदि आप कोविड-उचित व्यवहार का पालन नहीं करते हैं तो एक रिंगटोन सूचना/ चेतावनी दी जाती है।

I.5.1.4 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

स्मार्ट केयर (कस्टमर एंगेजमेंट ऐप): `स्मार्ट केयर' को पालिसीधारकों एवं संभावित ग्राहकों के डिजिटल सेवा अनुभव को पुनःपरिभाषित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह प्रयोक्ता को मोबाइल से लेकर वेब

अनुप्रयोगों तक के दायरे में किसी भी उपकरण पर निर्बाध अनुभव और एकसमान कार्यात्मकता और अनुभव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। स्वयं-सेवा के अनेक विकल्प भी उपलब्ध कराये गये हैं जो प्रयोक्ता को न्यूनतम निर्भरता के साथ एक बटन क्लिक करने पर अपनी पालिसी के संबंध में लेनदेन करने में समर्थ बनाते हैं।

वैकल्पिक विक्रय प्रक्रियाः कोविड-19 के प्रकोप के साथ ही, ग्राहक के साथ पारंपरिक स्वरूप की परस्पर सक्रियता और व्यवसाय स्रोतीकरण अब संभव नहीं रहा है। इसने डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से ग्राहक के निर्बाध आनबोर्डिंग के लिए एमकनेक्ट पर वैकल्पिक विक्रय प्रक्रिया (एएसपी) के विकास के लिए प्रेरणा दी है। एएसपी प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ ही, समूची आनबोर्डिंग यात्रा `कागज-रहित - कलम रहित' बन गई है, जिसमें केवाईसी अथवा हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए ग्राहक के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति एमकनेक्ट में सन्निविष्ट किये गये दो डिजिटल केवाईसी विकल्पों अर्थात् एएसपी ईकेवाईसी (ओटीपी आधारित आधार सत्यापन प्रक्रिया) और एएसपी वीडियो केवाईसी (वीडियो आधारित सत्यापन प्रक्रिया) के द्वारा प्राप्त की गई है। एएसपी प्रक्रिया का कार्यान्वयन करने के साथ ही, भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा कार्यालयों के बीच भौतिक दस्तावेजों के संचलन की आवश्यकता का पूर्णतः उन्मूलन किया गया है।

एनपीएस आनलाइनः कंपनी ने एक डिजिटल आनबोर्डिंग माड्यूल `परिवर्तन' विशेष रूप से एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) प्रस्तावों के आनबोर्डिंग के लिए प्रारंभ किया है। सुधरे हुए सेवा मानक, अयांत्रिक कार्यकलाप जैसे डेटा प्रविष्टि और प्रचालन-तंत्र (लाजिस्टिक्स) का विलोपन, शीघ्रतर निर्गम टीएटी कंपनी के लिए लागत में कमी - परिवर्तन के अन्य महत्वपूर्ण लाभ हैं।

वाट्सअप पर ग्राहक सेवाएँ : इन सेवाओं की सहायता से ग्राहक इनके लिए आवश्यक समस्त सुरक्षा और हिफ़ाज़त का अनुसरण करते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधा के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

I.5.1.5 टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

कंपनी ने `वीअकादमी' नामक एक श्रेष्ठ शिक्षण प्रबंध प्रणाली परिकल्पित की थी और इसमें निवेश किया था। यह अनवरत कंपनी के उद्देश्य पूरे करने के लिए एक बहु-प्रयोजनीय साधन के रूप में काम आती है। `वीअकादमी' माँग पर आभासी (वर्चुअल) सेतुओं का निर्माण कर देती है जो साधन अज्ञेयतात्मक (डिवाइस एग्नास्टिक) है। यह आभासी कक्षाओं और वेबिनारों के संचालन को भी सुसाध्य बनाती है तथा इसका विस्तार भागीदार कर्मचारियों और एजेंटों के लिए भी किया गया है।

यह नई पहलों और उत्पादों को प्रारंभ करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक सुदृढ़ वितरण प्लेटफार्म के रूप में कार्य करती है। यह शिक्षार्थी के ज्ञान और कौशल के स्तरों का संवर्धन करने के लिए सभी स्तरों और श्रेष्ठताओं में शिक्षार्थियों के लिए सुव्यवस्थित विषयों से युक्त पुस्तकालय भी उपलब्ध कराती है जिसमें समय के चलते वृद्धि होती है।

I.5.2 साधारण और स्वास्थ्य बीमा

I.5.2.1 एक्को जनरल इंश्यरेंस लि.

देशीकरण (नेटिवाइजेशन): कंपनी ने शीर्षस्थ वैश्विक और भारत की नवयुगीन प्रोद्योगिकी कंपनियों के समूचे अनुभव के अनुरूप समस्त आद्योपांत अनुभव को लाने के लिए क्रय यात्राओं और भुगतान माडलों (दोनों एंड्राइड और आईओएस के लिए) का देशीकरण किया है। देशीकरण उक्त ऐप पर आफ़लाइन संरचना के निर्माण के लिए भी मेरुदंड है। इसके परिणामस्वरूप, प्रयोक्ता उक्त ऐप को ग्रहण कर सकते हैं तथा निम्न-नेटवर्क से युक्त क्षेत्रों में भी प्राधिकारियों को डाउनलोड की गई अपनी पालिसियाँ दर्शा सकते हैं।

उपभोग्य वस्तुओं पर बीमारक्षा (कवर): कंपनी ने उपभोग्य वस्तुओं का कवर कहलानेवाला एक नया ऐड-आन प्रारंभ

किया है जो दस्तानों, सिरिंजों आदि जैसी गैर-बीमा देय मदों के लिए भुगतान करता है।

I.5.2.2 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.

मोटर और स्वास्थ्य ग्राहकों का अध्ययनः कंपनी ने लगभग 400 मोटर और 500 स्वास्थ्य ग्राहकों के साथ एक सर्वेक्षण संचालित किया है। उक्त सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष हैं :

खुदरा स्वास्थ्य बीमा में अधिकांश पालिसियों की खरीद विवाहित पुरुषों के द्वारा की गई थी। बहुविध बीमा उत्पादों का स्वामित्व आयु-वर्ग 35-40 वर्ष के उत्तरदाताओं के लिए उच्चतम था तथा इस आयु-वर्ग ने अपनी स्वास्थ्य पालिसियों का नवीकरण करने और अन्य बीमा उत्पादों को आजमाने के लिए अपनी इच्छा दर्शाई। उत्तरदाताओं के विपुल बहुमत के द्वारा दावा निपटान, अस्पताल नेटवर्क, ब्रैंड, कीमत और कर लाभ - इन सबको महत्वपूर्ण रेटिंग दी गई थी।

मोटर बीमा में 80 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता विवाहित पुरुष थे तथा अपने परिवार में प्रधान अर्जक सदस्य थे; 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने 30 वर्ष की आयु से पहले अपनी पहली मोटर पालिसी खरीदी थी; डिजिटल तौर पर मोटर पालिसियाँ खरीदने की इच्छा खुदरा स्वास्थ्य बीमा की तुलना में उच्चतर थी तथा लगभग 83 प्रतिशत ने कहा कि वे मोटर बीमा खरीदेंगे, भले ही वह अनिवार्य न हो।

I.5.2.3 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

कंपनी के द्वारा वर्ष भर के दौरान जो नवोन्मेष प्रौद्योगिकी प्रेरित समाधान विकसित और विनियोजित किये गये हैं, निम्नलिखित हैं :

- **बहुभाषी पोर्टल और बाटः** उपभोक्ताओं, विशेष रूप से ग्रामीण कस्बों और गाँवों में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से सेवा प्राप्त करनेवाले उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ पूरी करने में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सीएससी के लिए नया बहुभाषी पोर्टल आरएपी और वीएलई के माध्यम से ग्राहकों की सेवा उनकी भाषा में करने में सहायता प्रदान करता है। सीएससी पोर्टल के अलावा, कंपनी ने प्रभावी ढंग से ग्राहकों की सेवा में सहायता करने के लिए एजेंसी पोर्टल और ग्राहक सेवा बाट को भी बहुभाषी क्षमताओं से युक्त बनाकर उनका संवर्धन किया है।

- **एसएमई डिजिटल पोर्टल का प्रारंभः** इंटरनेट जाननेवाले एसएमई/एमएसएमई ग्राहकों की आवश्यकताएँ पूरी करते हुए उनकी सहायता करने के लिए डिजिटल पोर्टल प्रारंभ किया गया जो उन्हें वाणिज्यिक बीमा उत्पादों को समझने, पालिसियाँ खरीदने एवं दावे सूचित करने में मदद पहुँचाता है।

- **ऐप-आधारित डायबीटीज़ और कोलिस्टेराल प्रबंध प्रोग्रामः** डायबीटीज़ और कोलिस्टेराल से युक्त ग्राहकों को ऐप-आधारित रोग प्रबंध प्रोग्राम दिये गये जिनमें भोजन और व्यायाम के तौर पर अधिक स्वास्थ्यप्रद जीवनशैली अपनाने में सहायता करने के लिए पोषण संबंधी परामर्श और शिक्षण शामिल हैं। इन प्रोग्रामों के परिणामस्वरूप कुछ ग्राहकों के लिए सकारात्मक परिणाम सामने आये जहाँ उनके एचबीए1सी और कोलिस्टेराल स्तरों में कमी आई।

- **ध्वनि बाटों का प्रयोग करते हुए एआई आधारित दूर-जोखिम-अंकनः** यह एक नवोन्मेष ध्वनि-आधारित समाधान है जो ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को उनके चिकित्सा वृत्त के संबंध में अभिलिखित करता है। इन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण सहज भाषा प्रसंस्करण कलन-विधियों (ऐल्गोरिथमों) के द्वारा किया जाता है तथा उक्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर बाट अनुमोदन के निर्णयों की सिफारिश करता है। उन प्रतिक्रियाओं के संबंध में जहाँ कोई निर्णय आसानी से नहीं लिया जा सकता हो, मामला आगे किसी अर्हताप्राप्त चिकित्सा व्यवसायी के पास प्रेषित किया जाता है।

- **टेलीमैटिक्स आधारित शोधन (पे) कि आप कैसे चलाते हैं प्रोग्रामः** कंपनी ने एक मशीन शिक्षण कलन-विधि (ऐल्गोरिथम) का प्रयोग करते हुए ग्राहकों के चालन व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान करने और उन्हें खंडों में विभाजित करने में सहायता के लिए टेलीमैटिक्स का प्रयोग किया। चालन के प्राप्तांक उत्पन्न किये गये तथा उन्हें ग्राहकों के साथ साझा किया गया ताकि वे अपने चालन व्यवहार को समझ सकें।

- **नवीकरण-योग्य ऊर्जा जोखिम निर्धारण के लिए ड्रोनों का उपयोग करनाः** इस वर्ष कंपनी ने अपने ग्राहकों को वायु टर्बाइनों और सोलार पीवी माड्यूलों का निरीक्षण करने के लिए उन्नत ड्रोन-आधारित प्रौद्योगिकी प्रदान की। ये तात्कालिक नवीकरण आधार पर ऐसे ड्रोनों से तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सहायता करते हैं जो त्रुटियों/ दरारों, यदि कोई हों, की पहचान करने के लिए सोलार संयंत्रों और विंडमिलों के पैनलों के ऊपर उड़ान भरते हैं।

- **मोटर और संपत्ति दावों में वीडियो और आडियो-आधारित निरीक्षणः** मोटर वीडियो निरीक्षण ऐप `इन्स्टऐस्पेक्ट' ने ग्राहकों की सहायता संपर्करहित, तत्काल मोटर दावा निरीक्षण और अनुमोदन प्रदान करने में की है। इसका विस्तार वाणिज्यिक संपत्ति दावों में किया गया है जहाँ सर्वेक्षक दूर से ही निरीक्षण कर सकते हैं और ऐसे दावों को प्राधिकृत कर सकते हैं।

I.5.2.4 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

कंपनी द्वारा पूरे वर्ष के दौरान विकसित और विनियोजित किये गये नवोन्मेंष प्रौद्योगिकी संचालित समाधान हैं :

आरपीएः कंपनी ने आरपीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया कि व्यावसायिक परिचालन अधिक उत्पादक हों, उनमें अल्पतम त्रुटियाँ हों और डेटा सुरक्षा में वृद्धि हो। प्रक्रिया का स्वचालन अब 8 बाटों के द्वारा समर्थित है तथा निरंतर आरएण्डडी कार्यकलापों के साथ अधिक बाटों के लिए प्रतीक्षा की जा रही है।

दूर-जोखिम-अंकनः पालिसी-पूर्व स्वास्थ्य जाँच के मामलों के लिए दूर-जोखिम-अंकन प्रारंभ किया गया।

I.5.2.5 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.

डब्ल्यूबीएस का विकासः कंपनी ने अपने तकनीकी भागीदार के सहयोग से स्वास्थ्य स्कोर (डब्ल्यूबीएस) की संकल्पना को विकसित किया है। डब्ल्यूबीएस एक समग्र स्वास्थ्य और कल्याण स्कोर है जिसमें वर्तमान बीमारियाँ, रोग-विषयक स्वास्थ्य चिह्न, जीवन-शैली के विकल्प, सक्रियता के स्तर, चिकित्सीय घटनाएँ / दावे, व्यक्ति के स्वास्थ्य में निवेश शामिल हैं। यह उपलब्ध स्वास्थ्य मानदंडों के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए है।

डब्लूबीएस के आधार पर, कंपनी ग्राहकों का श्रेणीकरण निम्न से प्रारंभ करते हुए उच्च तक विभिन्न जोखिम स्तरों में करती है। ग्राहक के स्वास्थ्य में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्यीकृत और व्यक्ति आधारित हस्तक्षेप किये जाते हैं। इन हस्तक्षेपों और सुधारों का पता नियमित रूप से लगाया जाता है तथा उनका दायरा जागरूकता का निर्माण करने और आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य संदेश भेजने से लेकर डाक्टर को बुलाने और ओपीडी सहायता तक व्याप्त है।

I.5.2.6 नीवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.

कंपनी ने बेहतर ग्राहक सेवा के लिए निम्नलिखित प्रोद्योगिकी को अपनाया हैः

स्वचालित चाटबाटः यह ग्राहकों के प्रश्नों को संभालने के लिए प्रारंभ किया गया है तथा यह दावों के न्यायनिर्णयन को स्वचालित करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धि (एआई) आधारित समाधान पर कार्य कर रहा है।

कृत्रिम बुद्धि (एआई) और मशीन शिक्षण का प्रयोगः यह प्राधिकरण-पूर्व अनुमोदन के लिए अपनाया गया हैः यह ऐतिहासिक डेटा सेट से सीखने तथा व्यापक गहन तंत्रिकीय संबद्धताओं का निर्माण करने की क्षमता से युक्त एक एआई प्लेटफार्म का उन्नयन करने के द्वारा विद्यमान न्यायनिर्णयन प्रक्रिया है।

नवीकरणों के लिए आसान भुगतानः नवीकरण हेतु सीधे भुगतान करने के लिए ग्राहकों के साथ व्यक्ति आधारित भुगतान संबद्धताओं का साझा किया जाता है।

सीआईए- चाट बाटः यह पाया गया है कि उक्त चाट-बाट के प्रयोग ने ग्राहक केयर टीम द्वारा संभाले जा रहे 60 प्रतिशत समाधान-योग्य सेवा अनुरोध प्रकारों की आवश्यकताएँ पूरी की हैं।

कंपनी स्वास्थ्य ऐप चाट-बाट एवं कंपनी स्वास्थ्य ऐप में कार्यनिष्पादन सुधारीकरण को पालिसी विवरण, दावों, नवीकरण, खरीद, प्रीमियम भुगतान, आदि के संबंध में ग्राहकों की मूलभूत सर्विसिंग आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए सुसज्जित किया गया है। वास्तव में, चाट-बाट सीआईए को कोविड-19 से संबंधित मूलभूत प्रश्नों का समाधान करने के लिए भी लैस किया गया है।

I.5.2.7 स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.

`टीकाकरण अभियान' पर अध्ययन के लिए सर्वेक्षणः कंपनी द्वारा कोविड-19 रोगियों में टीकाकरण के प्रभाव का एक सहगण अध्ययन चिकित्सीय लाभ और वित्तीय निहितार्थों को समझने के उद्देश्य से देश भर में 1,104 अस्पतालों में भर्ती किये गये 3,820 मरीजों के नमूना आकार के साथ, जो 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के थे, दूसरी लहर (मार्च और अप्रैल 2021) के दौरान संचालित किया गया।

सर्वेक्षण किये गये लगभग 86 प्रतिशत ने टीका नहीं लगवाया था। टीका न लगवाये गये रोगियों के इस समूह का लगभग 57 प्रतिशत भय, अज्ञान अथवा अधिक चिंताजनक रूप से सामाजिक कारणों और अनासक्ति के कारण टीका लगवाने के संबंध में दुविधा में थे तथा शेष 43 प्रतिशत के पास इंजेक्शन न लगवाने के लिए कोई विधिमान्य कारण नहीं था।

उक्त अध्ययन के अनुसार, अस्पताल में भर्ती के कुल व्ययों में लगभग 24 प्रतिशत कमी थी, ठहरने की औसत अवधि (एएलओएस) में 2.1 दिन के मध्यमान की कमी थी, आईसीयू आवश्यकता में 66 प्रतिशत की कमी थी तथा उन रोगियों में जिन्होंने टीकाकरण की दोनों मात्राएँ पूरी की थीं, मृत्यु-दर में लगभग 81 प्रतिशत कमी थी। लागत में कमी आईसीयू अपेक्षा की घटी हुई आवश्यकता तथा अस्पताल में भर्ती की अवधि में टीका न लगवानेवाले समूह के बीच 7 दिन के औसत की तुलना में टीका लगवानेवाले समूह के लिए 4.9 दिन के औसत तक कमी जैसे कारणों की वजह से थी।

ये परिणाम सह-रुग्णता से युक्त मरीजों के लिए भी सही सिद्ध होते हैं। जबकि सह-रुग्णताओं से युक्त मरीजों के लिए आईसीयू की आवश्यकता में विद्यमान 9.4 प्रतिशत के बड़े भाग से टीका लगवानेवाले मरीजों के बीच विद्यमान 5 प्रतिशत तक गिरावट आई, चिकित्सा की लागत भी लगभग 15 प्रतिशत कम हो गई।

I.6 समीक्षा

I.6.1 पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण

पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण संबंधी विनियम

I.6.1.1 पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए आधारभूत ढाँचा आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 में निहित है। विक्रय-स्थल, प्रस्ताव के स्तर, पालिसी निर्गम के स्तर और दावों के स्तर पर अनुसरण की जानेवाली प्रक्रियाओं के संबंध में बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए रूपरेखा इनमें विद्यमान है। ये विनियम बीमाकर्ताओं के लिए निर्धारित करते हैं कि उनके पास पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति हो जिसमें उनके बीमा जागरूकता कार्यक्रम, सेवा मानदंडों की परिभाषाएँ, टर्नअराउंड समय, शिकायतों के शीघ्रतापूर्वक समाधान के लिए क्रियाविधि, अपविक्रय (मिस-सेलिंग) और अनुचित व्यवसाय कार्यपद्धतियों को रोकने के लिए कदम तथा संभावित ग्राहकों को सूचना की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शामिल होंगे। उक्त विनियम बीमाकर्ताओं के लिए बीमा दावों के विलंबित निपटान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी आदेश देते हैं।

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 : बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42 में संशोधन

I.6.1.2 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधिनियमन के द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन किये गये हैं। धारा 42(क)(2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बहुस्तरीय विपणन योजना के माध्यम से बीमा पालिसी निकालने अथवा नवीकृत करने अथवा जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अनुमति नही देगा अथवा अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं करेगा। इसके अलावा, धारा 42(क)(3) निर्धारित करती है कि प्राधिकरण इस आशय के लिए प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से बहुस्तरीय विपणन योजना में संबद्ध संस्था अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त पुलिस प्राधिकारियों को शिकायत कर सकता है। यह संशोधन अधिनियम धारा 42(5) के अनुसार यह भी निर्धारित करता है कि बीमाकर्ता आचरण-संहिता के उल्लंघन सहित अपने एजेंटों के सभी कार्यों और चूकों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा अर्थदंड के लिए भागीदार होंगे जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता है।

I.6.1.3 ये परिवर्तन अपविक्रय की प्रथा को कम करने हेतु कदाचार के लिए मध्यवर्तियों/ बीमा कंपनियों पर अर्थदंड लगाने तथा बीमा उत्पादों के बहुस्तरीय विपणन को अनुमति न देने जैसे उपबंधों के माध्यम से बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं के हितों को समर्थ बनाएँगे। उक्त संशोधित विधि में एजेंटों / बीमा कंपनियों द्वारा अपविक्रय और गलतबयानी सहित विभिन्न उल्लंघनों के लिए रु. 1 करोड़ से रु. 25 करोड़ तक के दायरे में उच्चतर अर्थदंड लगाने के लिए कई उपबंध हैं।

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 : बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 का संशोधन

I.6.1.4 धारा 45 में किया गया संशोधन निम्नलिखित के द्वारा काफी उलझन को दूर करता है

i. प्रस्ताव में बताये गये तथ्यों पर संदेह प्रकट करने के लिए अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना

ii. प्रस्तावक की ओर से धोखाधड़ीपूर्ण उद्देश्यों के आधार पर दो वर्ष के बाद भी ऐसी कार्रवाई के लिए उपबंध को छोड़ देना

iii. तीन वर्ष की अवधि निर्धारित करने के लिए गणना की तारीख को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना तथा

iv. प्रस्तावक अथवा एजेंट द्वारा कोई गलतबयानी करने अथवा तथ्य को छिपाने अथवा चूक के रूप में धोखाधड़ी को परिभाषित करना।

I.6.1.5 उक्त संशोधन कहता है कि धोखाधड़ी की स्थिति में, बीमाकर्ता अनिवार्यतः दावेदार को लिखेगा कि उनके द्वारा प्रस्ताव अथवा दावे को कंपनी को प्रवंचित करने के प्रयास के रूप में मानने का आधार क्या है। यह साबित करने का दायित्व अब पालिसीधारकों अथवा लाभार्थियों पर है कि उक्त गलतबयानी अथवा तथ्य को छिपाना जान-बूझकर नहीं किया गया है। उक्त संशोधन यह स्पष्ट रूप से कहते हुए कि 'किसी भी आधार पर' तीन वर्ष की समाप्ति के बाद पालिसी पर विवाद नहीं किया जा सकता, जोखिम के प्रारंभ से तीन वर्ष के बाद मुकदमेबाजी की संभावनाओं को दूर कर देता है।

I.6.1.6 उक्त संशोधन ने इस प्रकार बीमाकर्ताओं एवं बीमाकृत व्यक्तियों के हितों का पूरा ध्यान रखा है तथा इससे मुकदमेबाजी की संभावना कम होगी। कोई भी पालिसीधारक अब अपनी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में अपने वारिस को दावा राशि के भुगतान के संबंध में आश्वस्त हो सकता है यदि उसकी जीवन बीमा पालिसी ने प्रारंभ अथवा पुनःप्रवर्तन से तीन वर्ष पूरे किये हों। दूसरी ओर बीमाकर्ताओं को संभावित धोखाधड़ी के विरुद्ध स्वयं की रक्षा करने के लिए अपने जोखिम-अंकन मानकों और कौशल को अपग्रेड करना होगा।

शिकायत निवारण

I.6.1.7 परिवाद/शिकायत की विशिष्ट रूप से परिभाषा आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 के विनियम 4(4) में दी गई है जिसका पाठ निम्नानुसार हैः

"शिकायत" अथवा "परिवाद" से बीमाकर्ता, वितरण माध्यमों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों अथवा अन्य विनियमित संस्थाओं से शिकायतकरता द्वारा इस प्रकार के बीमाकर्ता, वितरण माध्यमों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों अथवा अन्य विनियमित संस्थाओं की सेवा के स्तर अथवा सेवा की कमी के बारे में किसी कार्रवाई अथवा कार्रवाई के अभाव के बारे में असंतोष की लिखित अभिव्यक्ति (इसमें इलेक्ट्रानिक मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक लिपियों के रूप में संप्रेषण शामिल है) अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरणः पूछताछ अथवा अनुरोध "शिकायत" अथवा "परिवाद" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता।

I.6.1.8 आईआरडीएआई बीमाकर्ताओं की शिकायत निवारण नीति की निगरानी करने के द्वारा पालिसीधारकों की शिकायतों के समाधान को सुसाध्य बनाता है तथा बीमा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए कई पहलें करता है। शिकायत निवारण प्रक्रिया पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण विनियम, 2017 में निर्धारित है जिसके अनुसार आईआरडीएआई ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाया है कि उनके पास एक शिकायत निवारण नीति हो, वे प्रधान कार्यालय/कारपोरेट कार्यालय/मुख्य कार्यालय में एक शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) को पदनामित करें तथा प्रत्येक अन्य कार्यालय में भी एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करें। उक्त विनियम बीमाकर्ताओं के लिए शिकायतों से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने तथा उनका निवारण करने के लिए कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार एक पालिसीधारक संरक्षण समिति का गठन करने का भी निर्देश देते हैं।

I.6.1.9 बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने हेतु, आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई शिकायत काल सेंटर (आईजीसीसी) स्थापित किया है जो शिकायतें एक निःशुल्क (टोल फ्री) टेलीफोन नंबर के माध्यम से तथा ई-मेल द्वारा प्राप्त करता है एवं शिकायतें पंजीकृत करता है और साथ ही समाधान की स्थिति उपलब्ध कराता है। आईआरडीएआई ने शिकायत प्रबंध के लिए एक आनलाइन प्रणाली के रूप में समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) भी स्थापित की है जो न केवल शिकायतें आनलाइन पंजीकृत कराने और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रवेश-मार्ग (गेटवे) है, बल्कि यह बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई हेतु एक उद्योग-व्यापी शिकायत रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है। आईजीसीसी का आईजीएमएस के साथ एक इंटरफेस है; तथा आईजीएमएस के माध्यम से आईआरडीएआई सभी बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रणालियों के साथ एक इंटरफेस रखता है।

I.6.1.10 आईआरडीएआई संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों से बीमाकर्ताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है; तथा समाधान के लिए ये शिकायतें बीमाकर्ताओं के पास उठाता है। संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि वे पहले अपनी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों के पास दाखिल करें। बीमा कंपनी से अपेक्षित है कि वह शिकायत का समाधान उसकी प्राप्ति से दो सप्ताह के अंदर करे। यदि शिकायतकर्ता बीमा कंपनी अथवा उक्त कंपनी के साथ संबद्ध मध्यवर्ती द्वारा दी गई सेवा/समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो उसे पहले बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के साथ संपर्क करना चाहिए तथा आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ लिखित में शिकायत देनी चाहिए। जीआरओ से अपेक्षित है कि वह दो सप्ताह के अंदर समाधान उपलब्ध कराए। यदि शिकायत का समाधान उसकी प्राप्ति से दो सप्ताह के अंदर नहीं किया जाता अथवा उसके संबंध में कार्रवाई नहीं की जाती, अथवा यदि बीमा कंपनी शिकायतकर्ता के संतोष के अनुरूप शिकायत का समाधान नहीं करती, तो शिकायतकर्ता उपयुक्त अधिकार-क्षेत्र के बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

I.6.1.11 उक्त विनियम निर्धारित करते हैं कि बीमाकर्ता अपने द्वारा जारी किये गये प्रत्येक पालिसी दस्तावेज में शिकायतों पर क्षेत्राधिकार रखनेवाले बीमा लोकपालों के संपर्क का विवरण उपलब्ध कराएँगे। बीमा लोकपाल प्रभावी

मध्यस्थता के द्वारा अथवा एक अधिनिर्णय पारित करने के द्वारा शिकायत का समाधान करता है। बीमा लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय बीमाकर्ता पर बाध्यकारी होगा। तथापि, ऐसे उदाहरण हैं जहाँ न्यायालयों ने अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकपाल द्वारा पारित किये गये आदेशों पर बीमाकर्ताओं द्वारा अपीलों के लिए अनुमति दी है। अतः शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने परिपत्र दिनांक 03 नवंबर 2015 जारी किया है जिसके द्वारा बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे बीमा लोकपाल, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (एमएसीटी) और अन्य न्यायिक निकायों के आदेशों का अनुपालन उक्त आदेशों में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अनुसार अथवा जहाँ आदेश में कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, उन मामलों में बीमाकर्ता द्वारा आदेश/अधिनिर्णय की प्राप्ति से 60 दिन के अंदर करें। यदि बीमाकर्ता आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तो उक्त आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील लागू नियमों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत की जाएगी तथा तदनुसार ग्राहक को सूचित किया जाएगा।

अनुचित व्यवसाय पद्धतियाँ

I.6.1.12 अनुचित व्यवसाय पद्धतियों के अंतर्गत श्रेणीकृत शिकायतों में शामिल हैं, जीवन बीमा उत्पादों के अतर्गत उपलब्ध शर्तों और लाभों का गलत विवरण, अन्य उत्पादों के साथ संबद्ध रूप में उत्पाद का झूठा विज्ञापन अथवा निरूपण, मुफ्त पुरस्कार अथवा उपहार के प्रस्ताव, कपटपूर्ण कीमत-निर्धारण आदि।

I.6.1.13 अपविक्रय (मिस-सेलिंग) जीवन बीमा क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है जहाँ जोखिम कवरेज तत्व के साथ बचत और/या निवेश तत्व है। यह स्वास्थ्य बीमा में भी कुछ सीमा तक विद्यमान हो सकता है जहाँ स्वास्थ्य बीमारक्षा की अपेक्षा और विक्रय करने के लिए लाभों अथवा कवरेज अथवा दोनों के बारे में गलतबयानी की जाती है। अन्य गैर-जीवन पालिसियों जैसी विशुद्ध जोखिम पालिसियों में अपविक्रय की इतनी अधिक गुंजाइश नहीं है।

I.6.1.14 आईआरडीएआई ने निम्नलिखित शिकायतों को अनुचित व्यापार पद्धतियों के रूप में श्रेणीकृत किया हैः

- अपविक्रय (मिस-सेलिंग)/गलत विवरण
- अभिलेखों में हेर-फेर करना/जाली हस्ताक्षर करना
- निःशुल्क अवलोकन (फ्री-लुक) धन-वापसी अदा नहीं करना।

I.6.1.15 जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों संबंधी शिकायतों से संबंधित ब्योरा सारणी I.35 में प्रस्तुत है। इस डेटा से विदित होता है कि निजी क्षेत्र के विरुद्ध अनुचित व्यवसाय पद्धतियों (यूएफबीपी) की शिकायतें अत्यधिक हैं तथा इस संबंध में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आईआरडीएआई के प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रयासों के कारण यूएफबीपी शिकायतों में वर्षों से लगातार कमी आ रही है। निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत यूएफबीपी शिकायतों की संख्या 2019-20 में दर्ज 39,450 से 32.20 प्रतिशत घटकर 2020-21 में 26,746 हो गई तथा बेची गई नई पालिसियों के संबंध में यूएफबीपी शिकायतों का प्रतिशत 2019-20 के 0.57 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 0.37 प्रतिशत हो गया है।

सारणी I.35 जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों संबंधी शिकायतें						
शिकायतें	2019-20			2020-21		
	एलआईसी	निजी	कुल	एलआईसी	निजी	कुल
यूएफबीपी शिकायतों की संख्या	3,994	39,450	43,444	3,928	26,746	30,674
पिछले वर्ष की तुलना में % परिवर्तन	-6.59	-12.90	-12.36	-1.65	-32.20	-29.39
जीवन बीमाकर्ताओं पर कुल शिकायतें	1,12,005	53,212	1,65,217	1,09,631	41,415	1,51,046
कुल शिकायतों में से यूएफबीपी शिकायतों का अंश (%)	3.57	74.14	26.30	3.58	64.58	20.31
वैयक्तिक नये व्यवसाय के अंतर्गत पालिसियों की संख्या (लाख)	218.96	69.50	288.47	209.75	71.52	281.27
बेची गई नई पालिसियों में से यूएफबीपी का अंश (%)	0.02	0.57	0.15	0.02	0.37	0.11

यूएफबीपी- अनुचित व्यवसाय पद्धतियाँ

छल-कपटपूर्ण कॉल

I.6.1.16 आईआरडीएआई / आईजीएमएस, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के नाम से छल-कपटपूर्ण कॉल बीमा उद्योग के लिए चिंता का विषय है। आईआरडीएआई ने विभिन्न संपर्क-बिन्दुओं पर और मीडिया में भी छल-कपटपूर्ण कॉलों आदि के विरुद्ध जनसाधारण को सतर्क करने के लिए कई सार्वजनिक सूचनाएँ, प्रेस प्रकाशनियाँ, अग्रणी टीवी चैनलों पर और समाचारपत्रों में विज्ञापन एवं बीमा कंपनियों को निदेश जारी किये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपविक्रय और छल-कपटपूर्ण कॉलों के अंतर्गत सभी शिकायतों पर कार्रवाई सभी मामलों में बीमा कंपनी की निर्धारित नीति के अनुसार की जाए, सभी जीवन बीमाकर्ताओं को अपविक्रय संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में एक कंपनी विशिष्ट नीति बनाने तथा छल-कपटपूर्ण कालों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में भी एक कंपनी विशिष्ट नीति तैयार करने के लिए सूचित किया गया है। सभी जीवन बीमाकर्ताओं ने उपर्युक्त नीतियाँ बनाई हैं। आईआरडीएआई ने जनता को किसी भी प्रकार से छल-कपटपूर्ण काल करनेवालों के साथ कोई लेनदेन न करने के लिए चेतावनी दी है।

I.6.1.17 निजी बीमाकर्ताओं की अपविक्रय संबंधी शिकायतों के डेटा (जैसा कि बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदान किया गया है) का विश्लेषण दर्शाता है कि

- अपविक्रय की शिकायतों की संख्या 2018-19 में दर्ज 41,754 से 2020-21 में 25,482 तक घटी है। प्रति 10,000 पालिसियों की अपविक्रय शिकायतों की घटना भी वर्षों में कम हो गई है (चार्ट I.14)।
- शिकायतकर्ता के पक्ष में निपटाई जा रही शिकायतें 2019-20 में दर्ज 25 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 24 प्रतिशत हो गई हैं (चार्ट I.15)।
- माध्यम-वार अपविक्रय की शिकायतों का विश्लेषण दर्शाता है कि अन्य माध्यमों के बजाय बैंकों और दलाल माध्यमों ने अधिकांश अपविक्रय की शिकायतें प्राप्त की हैं (चार्ट I.16)।

टिपण्णी: वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए आईजीएमएस के अनुसार निजी जीवन बीमाकर्ता के खिलाफ यूएफबीपी शिकायतों की संख्या क्रमशः 39450 और 26746 है। हालांकि, बीमाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वही क्रमशः 35189 और 25482 हैं। आंकड़ों में अंतर आईआरडीएआई के आईजीएमएस और बीमाकर्ताओं के सीआरएम सिस्टम के बीच डेटा के सिंक्रोनाइज़ेशन मुद्दों के कारण हो सकता है |

चार्ट I.14
अपविक्रय संबंधी शिकायतों की स्थिति

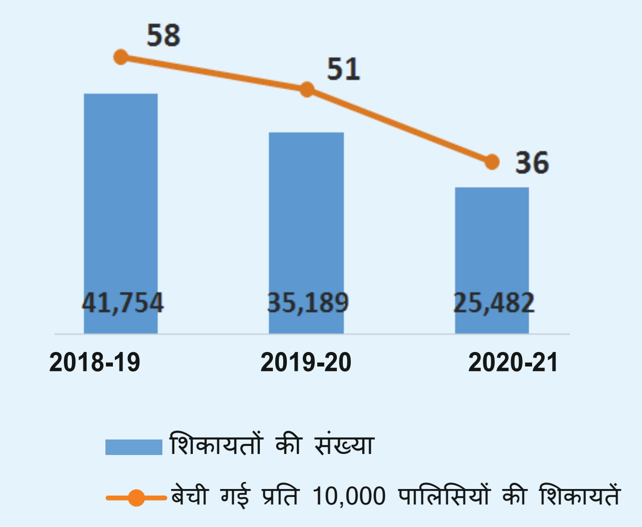

चार्ट I.15
अपविक्रय संबंधी शिकायतों का निपटान प्रकार

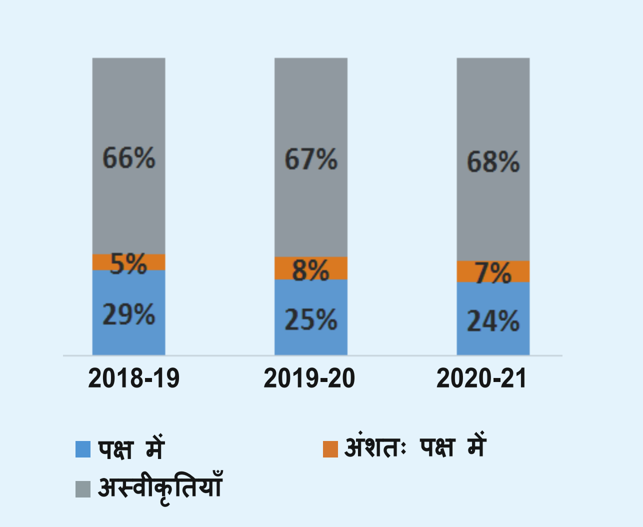

चार्ट I.16
माध्यम-वार अपविक्रय की शिकायतें

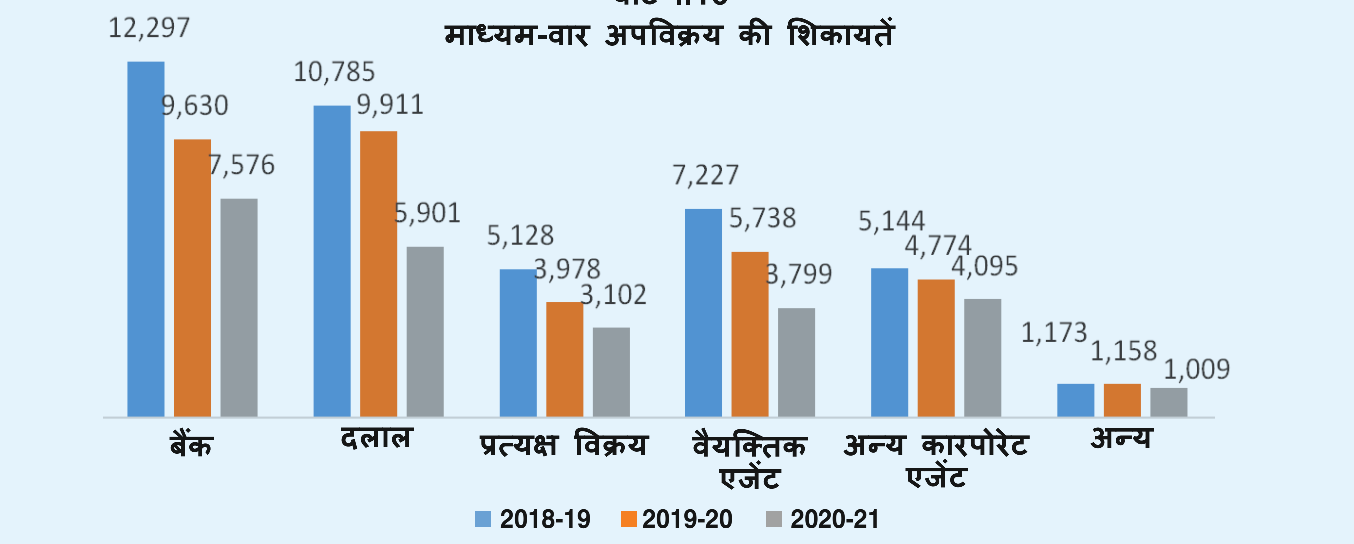

अपविक्रय की शिकायतों के संभव कारण

I.6.1.18 बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों और शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर, अपविक्रय की शिकायतों के मूल कारणों के रूप में निम्नलिखित विषयों की पहचान की गई है:

क. व्यवसाय का स्रोतीकरण करनेवाले विक्रेता द्वारा उत्पाद की विशेषताओं और लाभों की गलत व्याख्या।

ख. पालिसीधारक को प्रीमियम के भुगतान की गलत अवधि बताई जाती है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ नियमित प्रीमियम भुगतान वाले उत्पाद का विक्रय एकल प्रीमियम उत्पाद के रूप में किया गया है।

ग. पालिसी का विक्रय संभावित भोले-भाले ग्राहकों को यह आश्वासन देते हुए किया जाता है कि बीमा पालिसी खरीदने पर ऋण/बोनस/चिकित्सा लाभ/

सोने के सिक्के / मोबाइल टावर / अन्य लाभ दिये जाएँगे।

घ. प्रस्ताव / अन्य संबंधित दस्तावेजों में हेर-फेर, जालसाजी करना।

ङ. विक्रय टीम में अत्यधिक पलायन दर।

च. विक्रेता पर विक्रय का लक्ष्य पूरा करने के लिए दबाव।

छ. निःशुल्क अवलोकन (फ्री लुक) निरसन के लिए अनुरोध विक्रय कार्मिकों द्वारा अस्वीकृत किये जाते हैं जो ऐसे निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

ज. पालिसियों का विभाजन करना जहाँ एक ही समय एक ही प्रस्तावक को बहुविध पालिसियाँ जारी की जाती हैं।

झ. जीवन बीमा पालिसियों का विक्रय केवल कर बचत / निवेश योजनाओं के रूप में किया जाता है।

ञ. विक्रेता कार्मिकों के पास उचित जानकारी नहीं होती/ उन्हें अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है, इसके कारण उनके द्वारा संभावित ग्राहकों को अनुपयुक्त उत्पादों की सिफारिश की जाती है।

ट. विक्रय कार्मिकों द्वारा पालिसी का स्रोतीकरण करते समय संभावित ग्राहक की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुचित/ गलत आकलन।

ठ. यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसियों का विक्रय करते समय पालिसी के अंतर्गत प्रभारों और अवरुद्धता अवधि (लाक इन पीरियड) को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता।

ड. पालिसियों का भारी उत्पादन (चर्निंग) करना।

ढ. प्रस्तावों पर अद्यतन की गई संपर्क संख्याओं में हेर-फेर किया जाता है, जिससे निर्गम-पूर्व सत्यापन कालों की सफलता प्रतिबंधित हो जाती है।

ण. पालिसीधारक की ओर से बीमा के संबंध में जागरूकता का अभाव, जिसके कारण बीमा पालिसी खरीदने के संबंध में वह भ्रमित हो जाता है।

त. पालिसीधारक विवरण की पुनः जाँच (क्रास-चेकिंग) नहीं करते।

थ. भावी प्रीमियमों का भुगतान करने के लिए पालिसीधारक की वित्तीय समस्याएँ / अक्षमता।

द. समूहीकरण करना (बंड्लिंग) और इसे बैंक सेवाएँ प्राप्त करने के लिए शर्त बनाना।

ध. ग्राहक की उचित सहमति के बिना विक्रय करना।

न. बीमा का विक्रय ऐसे ग्राहकों को किया जाता है जो स्रोतीकरण के समय भारत में उपस्थित नहीं हैं तथा बैंक के पास धारित बैंक खातों के माध्यम से ग्राहक की सहमति के बिना प्रीमियम का निधीकरण किया जाता है।

प. ऐसे कर्मचारियों, सलाहकार, माध्यम भागीदारों, अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रेरित (इन्स्टिगेशन) किया जाता है जो बीमाकर्ता के लिए नये व्यवसाय का स्रोतीकरण (सोर्सिंग) नहीं कर रहे हैं।

अपविक्रय के संबंध में कार्रवाई

I.6.1.19 आईआरडीएआई के परमर्श पर बीमाकर्ता भी प्रमुख कारणों की पहचान करने के लिए अपविक्रय का मूल कारण विश्लेषण करने के द्वारा अपविक्रय की समस्या को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं तथा अपविक्रय को रोकने अथवा कम करने के लिए उन्होंने उपयुक्त कदम उठाये हैं। उनमें से कुछ कदम हैं, उत्पाद की उपयुक्तता का पता लगाना, माध्यम की असुरक्षितता के आधार पर विभिन्न माध्यमों को अनुकूल बनाते हुए उनपर नियंत्रण रखना एवं अपविक्रय की शिकायतों को सँभालने के संबंध में एक कार्यनीति बनाना।

I.6.1.20 आईआरडीएआई द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, बीमाकर्ताओं ने भी चेतावनी पत्र जारी करने, कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने, पुलिस में शिकायतें

दाखिल करने तथा सर्वाधिक सामान्य तौर पर जहाँ भी साबित किये गये अपविक्रय के परिणामस्वरूप पालिसियाँ निरस्त की गई हों, वहाँ कमीशन को क्ला-बैक करने के रूप में एजेंटों अथवा मध्यवर्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसके अलावा, प्रत्येक बीमाकर्ता के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमा जागरूकता नीति विद्यमान है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों में जागरूकता का निर्माण करने के लिए कार्यनीति और प्रयास निहित हैं।

उपभोक्ता शिक्षण

I.6.1.21 अपविक्रय को कम करने का निश्चित मार्ग है जनता के सदस्यों को बीमा की संकल्पना, बीमा पालिसियों के प्रकारों, कवर किये गये जोखिमों, प्रस्तावित लाभों, अपवर्जनों. और शर्तों आदि से अवगत कराना। वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के लिए वित्तीय शिक्षण के विभिन्न प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त करना अपेक्षित है।

I.6.1.22 बीमा एक जटिल वित्तीय उत्पाद होने के कारण, प्रस्तावाधीन बीमा उत्पदों के स्वरूप, उनके उपयोग और उनकी शर्तों को समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। अपनी स्थापना के समय से ही, आईआरडीएआई वर्तमान और संभावित पालिसीधारकों को उनके जोखिम कवरेज की आवश्यकताओं के बारे में उचित जानकारी से तथा उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त बीमा उत्पादों का चयन करने के लिए युक्तिसंगत समझ से सज्जित करने के उद्देश्य के साथ बीमा जागरूकता की विभिन्न अभियानों में निरंतर लगा हुआ है। यह इलेक्ट्रानिक, डिजिटल और सामाजिक प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए बहुविध दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है।

I.6.1.23 आईआरडीएआई की पालिसीधारक वेबसाइट www.policyholder.gov.in बीमा की मूलभूत संकल्पनाओं पर पालिसीधारकों को सूचना देने के एकल स्थान स्रोत के रूप में कार्य कर रही है। वर्ष 2020-21 के अंत तक इस पोर्टल ने 2.47 करोड़ आगंतुकों को दर्ज किया है। इस वेबसाइट को अधिक पालिसीधारक हितैषी बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ इसमें सुधार किया जा रहा है तथा अंतर्वस्तु के तौर पर इसे अद्यतन किया जा रहा है और सरलतापूर्वक संचालन-योग्य बनाया जा रहा है।

I.6.1.24 आईआरडीएआई द्वारा बीमा साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में की गई कुछ पहलें हैं:

i. **एनसीएफई की कोर समिति के सदस्य के रूप में भूमिका**

   वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एनसीएफई) की कोर समिति के एक सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका अदा करना आईआरडीएआई ने जारी रखा, जो वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) 2019-2024 के कार्यान्वयन के उद्देश्य से भारत में सभी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं के प्रतिनिधियों से युक्त संस्था है। एनसीएफई की स्थापना वित्तीय क्षेत्र के चार विनियमनकर्ताओं में से प्रत्येक से लिये गये एक-एक प्रतिनिधि से युक्त निदेशक बोर्ड के साथ एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में 2018 में की गई। तदनुसार आईआरडीएआई ने एनसीएफई के शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) में एक सदस्य के रूप में अपने एक अधिकारी को नामित किया है। आईआरडीएआई अन्य विनियमनकर्ताओं के साथ समन्वय करते हुए, वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) 2019-24 का प्रारूप बनाने में भी सक्रिय रूप से संबद्ध रहा है।

ii. **आईआरडीएआई अनुसंधान अनुदान योजना**

   आईआरडीएआई उक्त अनुसंधान अनुदान योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को प्रायोजित करता है, जो बीमा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुसंधान के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रति परियोजना रु. 5 लाख तक की राशि स्वीकृत की जाती है।

इसके पहले, आईआरडीएआई ने जिन विषयों पर अनुसंधान को प्रायोजित किया है उनमें से कुछ हैं, जैसे

- इक्कीसवीं सदी की युवा पीढ़ी (मिलीनियल्स) में बीमा जागरूकता
- सूखा न्यूनीकरण रणनीति के रूप में फ़सल बीमा
- जीवन बीमा तथा उत्तर प्रदेश और केरल राज्य में इसकी कमी के लिए जिम्मेदार कारक
- गुजरात में स्वास्थ्य बीमा के उपभोक्ता क्रय निर्णयों के निर्धारक तत्व
- भारत में स्वास्थ्य बीमा के संभावित उपयोगकर्ता
- तिमाही डेटा के विश्लेषण के माध्यम से भारतीय बीमाकर्ताओं की उत्पादक और आर्थिक कुशलता का मापन
- सामुदायिक सहभागिता और सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य-रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के संरक्षण अंतराल का निर्धारण

आगे बढ़ते हुए, आईआरडीएआई उक्त योजना के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाओं को एक आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण पर प्रायोजित करना जारी रखेगा जो बीमा क्षेत्र में उन अंतरालों की पहचान करेगा जहाँ अनुसंधान कार्य की आवश्यकता है।

iii. जिलों के अंगीकरण के द्वारा बीमा जागरूकता अभियान

बीमा के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे और बढ़ाने हेतु आईआरडीएआई ने बीमा साक्षरता की व्याप्ति तथा परिवारों को उनकी बीमा आवश्यकताओं के आधार पर कवरेज देने हेतु जिलों का अंगीकरण (अडाप्शन) करने के लिए बीमा कंपनियों को सूचित किया है। नीति आयोग द्वारा अभिनिर्धारित आकांक्षी जिलों को उक्त अभियानों के लिए लक्ष्य क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, महामारी के कारण उक्त पहल में कुछ मंदी रही है, परंतु उद्योग अब इसे सही दिशा में आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। उक्त अभियानों के परिणाम के आधार पर उक्त अभियान देश के अन्य जिलों में प्रारंभ करने की सुसाध्यता की जाँच की जाएगी।

iv. टेलीविजन अभियान

आईआरडीएआई ने वर्ष 2020-21 के दौरान निम्नलिखित टेलीविजन अभियान प्रारंभ किये हैं:

- टीवी धारावाहिक महाभारत के ब्रेक समय के दौरान दूरदर्शन पर छल-कपटपूर्ण टेलीफोन काल करनेवालों के संबंध में जनता को चेतावनी देते हुए एक अभियान रु. 1.76 करोड़ के व्यय सहित।
- जुलाई 2020 में तेलुगुभाषी जनता के लिए दूरदर्शन यादिगिरि में आरोग्य संजीवनी, कोरोना कवच और कोरोना सुरक्षा जैसे उत्पादों पर कार्यक्रम में एक लाइव-फोन।
- सितंबर 2020 में डीडी न्यूज़ पर न्यूज़ बुलेटिनों के बीच स्वास्थ्य बीमा संबंधी एक लाइव परस्पर सक्रिय (इंटरऐक्टिव) कार्यक्रम।

I.6.2 बीमाकर्ताओं के शोधक्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण

I.6.2.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार एक अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन बनाये रखे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य का आधिक्य बनाये रखेगा, जो अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन के रूप में कहलाता है। आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 और आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 में अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति विस्तार से वर्णित है।

जीवन बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात

I.6.2.2 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, न्यूनतम अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन पचास करोड़ रुपये

(पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक सौ करोड़ रुपये) है तथा इसकी गणना प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से की जाती है। बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 शोधक्षमता के नियंत्रण स्तर के रूप में ज्ञात शोधक्षमता मार्जन का एक स्तर विनिर्दिष्ट करता है, जिसका उल्लंघन करने पर प्राधिकरण बीमाकर्ता को निदेश देगा कि छह महीने से अनधिक एक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर कमी को सुधारने के लिए कार्य-योजना निर्दिष्ट करते हुए एक वित्तीय योजना प्रस्तुत करे।

I.6.2.3 मार्च 2021 की समाप्ति पर सभी 24 जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.5 के निर्धारित शोधक्षमता अनुपात का अनुपालन किया है। जीवन बीमाकर्ताओं के लिए बीमा कंपनी-वार शोधक्षमता अनुपात विवरण 16 में दिया गया है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात

I.6.2.4 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, निजी क्षेत्र के 27 में से 26 साधारण बीमाकर्ताओं ने (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) 1.50 के निर्धारित शोधक्षमता अनुपात का अनुपालन किया है। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि. ने 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 0.26 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि. का व्यवसाय संविभाग आईआरडीएआई के आदेश आईआरडीए/ एफएण्डए/ ओआरडी/ एसओएलपी/ 200/11/2019 दिनांक 06 नवंबर 2019 के अनुसार रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को अंतरित किया गया।

I.6.2.5 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार शोधक्षमता मार्जिन की गणना के लिए तीन सरकारी क्षेत्र साधारण बीमा कंपनियों अर्थात् नेशनल, ओरियन्टल और युनाइटेड को 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य परिवर्तन खाते के 65 प्रतिशत को मानने के लिए अनुमति दी गई है। इसके अलावा, सभी चार सरकारी क्षेत्र साधारण बीमा कंपनियों को ओएमओपी के प्रति अपनी पेंशन देयता का परिशोधन (अमार्टिजेशन) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए करने की अनुमति दी गई है।

उपर्युक्त स्थगन (फ़ारबेअरन्स) के साथ नेशनल, ओरियन्टल और युनाइटेड ने 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 0.62, 1.40 और 1.41 गुना शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है।

I.6.2.6 न्यू इंडिया ने 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 2.13 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार विशेषीकृत बीमाकर्ताओं अर्थात् एआईसी और ईसीजीसी ने क्रमशः 2.09 और 19.25 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है।

पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात

I.6.2.7 राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) ने 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 1.74 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है। सभी विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं ने 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 1.50 से अधिक शोधक्षमता मार्जिन सूचित किया है।

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं का बीमा कंपनी-वार शोधक्षमता अनुपात विवरण 17 में दिया गया है तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं का शोधक्षमता अनुपात विवरण 18 में प्रस्तुत किया गया है।

I.6.3 पुनर्बीमा की निगरानी

भारतीय पुनर्बीमाकर्ता

I.6.3.1 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, केवल एक भारतीय पुनर्बीमाकर्ता अर्थात् भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई) प्राधिकरण के पास पंजीकृत है। जीआईसी आरई भारत में प्रत्यक्ष बीमा कंपनियों और विदेशी बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं को पुनर्बीमा समर्थन प्रदान करता रहा है। यह नाभिकीय समूह (न्यूक्लियर पूल) और आतंकवाद समूह (टेररिज्म पूल) का भी प्रबंध कर रहा है। जीआईसी आरई कुछ सीमाओं के अधीन देशी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई प्रत्येक पालिसी पर

सांविधिक अध्यर्पण प्राप्त करता है तथा इन कंपनियों के अधिकांश संधि कार्यक्रमों और विकल्पी (फैकल्टेटिव) कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है।

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ

I.6.3.2 भारत को एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) बनाने के उद्देश्य से बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं तथा सोसाइटी आफ लायड्स को भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए भारत में अपनी शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, जीआईसी आरई के अतिरिक्त, 10 विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ (एफआरबी) और लायड्स भारत में परिचालनरत हैं। लायड्स इंडिया एक व्यवसाय संघ (सिंडिकेट) के साथ परिचालन कर रहा है। ये एफआरबी विश्व के प्रमुख पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ हैं जो प्रचुर अनुभव और विशेषज्ञता से युक्त हैं।

सीमापार पुनर्बीमाकर्ता

I.6.3.3 "सीमापार पुनर्बीमाकर्ता" (सीबीआर) वे पुनर्बीमाकर्ता हैं जिनकी भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है, परंतु जो भारतीय बीमा कंपनियों के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करते हैं। प्राधिकरण सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ भारतीय बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय के स्थानन (प्लेसमेंट) को आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के अनुसार विनियमित करता है।

I.6.3.4 पुनर्बीमाकर्ता को अपने स्वदेश में विधिमान्य संस्था होनी चाहिए तथा उसे अपने स्वदेश के पर्यवेक्षक के द्वारा विनियमित होना चाहिए। सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के पास पिछले तीन निरंतर वर्षों की अवधि के लिए एसएण्डपी अथवा समकक्ष अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी से प्राप्त कम से कम बीबीबी की क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए और उसका पिछला दावा निष्पादन रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए। पुनर्बीमाकर्ता की शोधक्षमता स्वदेश के विनियमनकर्ता/पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित मानकों से कम नहीं होनी चाहिए, जो उसकी वित्तीय शक्ति, प्रबंधन की गुणवत्ता और उसकी तकनीकी प्रारक्षण कार्यपद्धतियों की पर्याप्तता की निगरानी करता हो। यह भी अपेक्षित है कि पुनर्बीमाकर्ता के देश के द्वारा भारत सरकार के साथ दोहरा कराधान परिहार करार पर हस्ताक्षर किये होने चाहिए। सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) को प्राधिकरण द्वारा एक फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) प्रदान की जाती है जो एक वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य है, तथा जिससे विदेशी पुनर्बीमाकर्ता भारतीय बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय कर सकता है। वर्ष 2019-20 में दर्ज 378 सीबीआर की तुलना में वर्ष 2020-21 में 332 सीबीआर ने भारतीय बीमा व्यवसाय में सहभागिता की।

सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं संबंधी दिशानिर्देश

I.6.3.5 आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 4(3) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण ने सीबीआर संबंधी दिशानिर्देश संदर्भ सं. आईआरडीएआई/आरआई/जीडीएल/विविध/ 015/01/2021 दिनांक 22 जनवरी 2021 जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश सीबीआर पोर्टल के माध्यम से एफआरएन (फाइलिंग संदर्भ संख्याएँ) उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए जारी किये गये। उक्त दिशानिर्देशों ने निर्धारित किये हैं कि कोई भी बीमाकर्ता विधिमान्य एफएनआर के बिना किसी भी सीबीआर के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय नहीं करेगा।

I.6.3.6 भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं को बाध्यकर अध्यर्पणों के बारे में सांविधिक उपबंध

क. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए निर्धारित करती है कि प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं के साथ, अधिनियम की धारा 101बी के अधीन गठित पुनर्बीमा सलाहकार समिति से परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशत का पुनर्बीमा करेगा (जिसे `बाध्यकर अध्यर्पण' अथवा `सांविधिक अध्यर्पण' कहा जाता है)।

ख. बीमा अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जानेवाली प्रत्येक पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशतों को विनिर्दिष्ट कर सकता है तथा विभिन्न वर्गों के बीमा के लिए विभिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई भी प्रतिशत ऐसी पॉलिसी पर बीमित राशि के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ग. धारा 101ए(4) में व्यवस्था है कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना भी इस धारा के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित पुनर्बीमा के किसी भी व्यवसाय के संबंध में शर्तें निर्धारित कर सकती है तथा ऐसी शर्तें भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और अन्य बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी।

2020-21 के लिए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं को बाध्यकर अध्यर्पण

I.6.3.7 भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जानेवाली प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि का प्रतिशत 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के वर्ष के दौरान संबद्ध बीमाओं के संबंध में 5 प्रतिशत के रूप में अधिसूचित है।

पुनर्बीमा प्रीमियम

I.6.3.8 वर्ष 2020-21 के लिए रु. 61,471.27 करोड़ के सकल पुनर्बीमा प्रीमियम में से भारतीय व्यवसाय 72.12 प्रतिशत (2019-20 में 76.62 प्रतिशत) का रहा है तथा शेष भाग विदेशी व्यवसाय का रहा है। वर्ष 2020-21 में रु. 44,333.23 करोड़ के कुल भारतीय व्यवसाय में से, जीआईसी का अंश 67.69 प्रतिशत (2019-20 में 74.22 प्रतिशत) रहा है तथा शेष अंश लायड्स सहित एफआरबी का है।

सारणी I.36
सकल पुनर्बीमा प्रीमियम

(₹करोड़)

क्रम सं.	पुनर्बीमाकर्ता	भारतीय व्यवसाय		विदेशी व्यवसाय		कुल	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	जीआईसी आरई	36,233.84 (74.22)	30,009.93 (67.69)	14,796.29 (99.35)	17,004.46 (99.22)	51,030.13 (80.09)	47,014.38 (76.48)
	एफआरबी						
2	अलायंज़ ग्लोबल	225.23	135.06	24.57	35.64	249.80	170.70
3	अक्सा फ्रांस वी	1,559.48	570.52	-	-	1,559.48	570.52
4	जीईएन आरई	393.85	415.72	-	-	393.85	415.72
5	हैनोवर आरई	1,246.87	1,291.98	1.43	0.00	1,248.30	1,291.98
6	म्यूनिख आरई	3,761.46	4,791.43	61.30	81.59	3,822.75	4,873.02
7	आरजीए लाइफ	453.36	430.37	-	3.49	453.36	433.85
8	स्कोर एसई	1,550.55	1,805.49	-	-	1,550.55	1,805.49
9	स्विस आरई	2,906.97	4,447.77	1.93	8.69	2,908.90	4,456.46
10	एक्सएल एसई	472.24	399.71	7.37	4.12	479.61	403.84
11	लायड्स	15.58	35.26	-	0.05	15.58	35.31
	एफआरबी कुल	**12,585.59 (25.78)**	**14,323.30 (32.31)**	**96.59 (0.65)**	**133.58 (0.78)**	**12,682.18 (19.91)**	**14,456.88 (23.52)**
	कुल जोड़	**48,819.43 (100.00)**	**44,333.23 (100.00)**	**14,892.88 (100.00)**	**17,138.04 (100.00)**	**63,712.31 (100.00)**	**61,471.27 (100.00)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में बाजार अंश हैं।

साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिधारण और पुनर्बीमा स्थानन

I.6.3.9 भारत के अंदर रखा गया पुनर्बीमा प्रीमियम 2019-20 के 26.89 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में साधारण बीमाकर्ताओं के लिए सकल प्रीमियम का 22.25 प्रतिशत रहा। भारत के बाहर रखा गया पुनर्बीमा प्रीमियम 2019-20 के 7.34 प्रतिशत के मुकाबले 2020-21 में सकल प्रीमियम का 6.93 प्रतिशत था। भारत के अंदर और बाहर खंड-वार पुनर्बीमा स्थानन सारणी I.37 में दिया गया है।

सारणी I.37
साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिधारण और पुनर्बीमा स्थानन

(₹करोड़)

खंड	भारत के अंदर रखा गया पुनर्बीमा प्रीमियम		भारत के बाहर रखा गया पुनर्बीमा प्रीमियम	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
अग्नि (फायर)	7,932.15 (46.47)	9,734.68 (45.28)	3,718.89 (21.79)	4,662.69 (21.69)
मरीन कार्गो	583.97 (21.45)	493.37 (19.57)	432.03 (15.87)	333.02 (13.21)
मरीन हल	341.50 (37.38)	403.36 (37.28)	388.87 (42.56)	454.54 (42.01)
मोटर	9,463.97 (13.67)	8,125.10 (12.46)	215.95 (0.31)	252.49 (0.39)
विमानन	1,055.62 (37.26)	1,255.56 (39.78)	582.23 (20.55)	631.53 (20.01)
इंजीनियरिंग	374.62 (45.95)	431.83 (51.77)	258.90 (31.75)	303.44 (36.38)
अन्य	31,429.79 (32.50)	24,483.92 (22.75)	8,362.91 (8.65)	7,350.57 (6.83)
कुल	**51,181.61 (26.89)**	**44,927.82 (22.25)**	**13,959.78 (7.34)**	**13,988.26 (6.93)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल संख्या में से प्रतिशत हैं।

I.6.3.10 साधारण बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण 2019-20 के 66.33 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 70.82 प्रतिशत हुआ। विमानन और इंजीनियरिंग को छोड़कर अन्य सभी खंडों ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में निवल प्रतिधारण में वृद्धि सूचित की।

सारणी I.38
भारत में साधारण बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण
(सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)

	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		कुल	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
अग्नि (फायर)	48.91	46.68	18.32	23.73	31.74	33.03
मरीन कार्गो	69.07	72.54	59.03	64.52	62.69	67.22
मरीन हल	23.71	24.06	3.76	3.00	20.06	20.71
मोटर	90.37	94.52	83.49	83.07	86.02	87.15
इंजीनियरिंग	54.69	54.72	27.21	23.47	42.19	40.22
विमानन	22.29	10.82	22.34	15.69	22.30	11.85
अन्य	62.50	80.60	57.61	61.69	59.97	70.42
कुल	**69.04**	**79.20**	**64.23**	**64.64**	**66.33**	**70.82**

बीमा समूह (पूल)

आतंकवाद समूह (पूल)

I.6.3.11 अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा 9/11 की घटना के बाद आतंकवाद बीमारक्षा (कवर) को हटाने के बाद अप्रैल 2002 में भारत में सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों की पहल से भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह (पूल) बनाया गया। इस पूल ने इस प्रकार सफल परिचालन के 19 वर्ष पूरे किये हैं। सभी भारतीय गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ, सरकारी बीमा निधि, गुजरात और जीआईसी आरई उक्त पूल के सदस्य हैं। इस पूल का प्रबंधन जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल बहुविध स्थानों में निवासों और अचल आस्तियों के लिए बीमारक्षा सहित, संपत्ति बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत रक्षित आतंकवाद जोखिम के बीमा के लिए लागू है। प्रति स्थान क्षतिपूर्ति की सीमा पिछले वर्ष की तरह रु.2000 करोड़ पर अनुरक्षित की गई है तथा सदस्यों का अंश भी पिछले वर्ष की तरह अपरिवर्तित है (सारणी I.39)।

I.6.3.12 उक्त पूल की प्रीमियम आय 2019-20 की रु.595.31 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 में रु.516.60 करोड़ रही। पूल द्वारा 2020-21 के दौरान भुगतान किये गये दावे रु. 4.5 करोड़ थे। 2020-21 के दौरान पूल को किसी बड़ी हानि की सूचना नहीं दी गई।

सारणी I.39 भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह (पूल) में सदस्यों का अंश (वित्तीय वर्ष 2020-21)			
क्रम सं.	**सदस्य कंपनी**	**प्रति जोखिम क्षमता (₹करोड़)**	**अंश (%)**
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	333.69	16.68
2	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	333.69	16.68
3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	250.05	12.50
4	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	238.31	11.92
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	167.62	8.38
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	165.74	8.29
7	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	106.28	5.31
8	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	78.64	3.93
9	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	39.72	1.99
10	चोलमंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	39.06	1.95
11	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	31.46	1.57
12	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	28.16	1.41
13	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	27.72	1.39
14	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20.81	1.04
15	सरकारी बीमा निधि, गुजरात	20.00	1.00
16	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20.00	1.00
17	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.62	0.78
18	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.11	0.76
19	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.00	0.75
20	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि..	10.32	0.52
21	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10.00	0.50
22	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10.00	0.50
23	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10.00	0.50
24	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10.00	0.50
25	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	2.00	0.10
26	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.00	0.05
	कुल	**2000**	**100.00**

नाभिकीय समूह (न्यूक्लियर पूल)

I.6.3.13 नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 का अधिनियमन नाभिकीय (न्यूक्लियर) घटना के कारण उत्पन्न होनेवाले अज्ञात और संभावित आपाती जोखिम के संरक्षण को अधिदेशी (मैंडेटरी) बनाता है। सामान्य रूप से पारंपरिक बीमारक्षाओं से नाभिकीय जोखिम अपवर्जित किये जाते हैं क्योंकि इसके लिए एक बड़ी बीमा क्षमता आवश्यक होती है। अतः नाभिकीय जोखिमों से उत्पन्न होनेवाले दायित्व का संरक्षण करने के लिए भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) 2015 में बनाया गया। इस समूह (पूल) का प्रबंधन भी जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है जहाँ प्रति स्थान क्षतिपूर्ति सीमा पिछले वर्ष की तरह रु. 1500 करोड़ है तथा सदस्यों का अंश पिछले वर्ष की तरह अपरिवर्तित है (सारणी I.40)। उक्त पूल देश में न्यूक्लियर परिचालकों और न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ताओं को भी बीमारक्षा उपलब्ध कराता है।

I.6.3.14 उक्त पूल की वर्ष 2020-21 के लिए प्रीमियम आय रु.103.50 करोड़ थी, जबकि 2019-20 में उक्त पूल की प्रीमियम आय रु. 105.31 करोड़ थी। वर्ष 2020-21 के दौरान उक्त पूल द्वारा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है।

सारणी I.40 भारतीय नाभिकीय बीमा समूह (पूल) में सदस्यों का अंश (वित्तीय वर्ष 2020-21)			
क्रम सं.	सदस्य कंपनी	प्रति जोखिम क्षमता (₹करोड़)	अंश (%)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	600	40.00
2	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	300	20.00
3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	200	13.33
4	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100	6.67
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100	6.67
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100	6.67
7	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20	1.33
8	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20	1.33
9	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20	1.33
10	चोलमंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15	1.00
11	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15	1.00
12	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10	0.67
	कुल	**1500**	**100.00**

I.6.4 बीमाकर्ताओं के निवेशों की निगरानी

I.6.4.1 बीमाकर्ताओं के लिए आईआरडीएआई (निवेश) विनियमों के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार निवेश के स्वरूप का पालन करना अधिदेशात्मक किया गया है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार जीवन, साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों द्वारा किये गये निवेशों का विवरण निम्नानुसार हैः

बीमा क्षेत्र के कुल निवेश

I.6.4.2 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, बीमा उद्योग द्वारा किये गये निवेश 31 मार्च 2020 को यथाविद्यमान रु.42.53 लाख करोड़ की तुलना में रु.49.13 लाख करोड़ के थे और इस प्रकार इन्होंने 15.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2021 को जीवन बीमाकर्ताओं का अंश 91.18 प्रतिशत तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) सहित साधारण बीमाकर्ताओं का अंश 7.10 प्रतिशत पर स्थित है एवं विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का अंश 1.72 प्रतिशत रहा है। इसी अवधि में पीएसयू का अंश 73.79 प्रतिशत और निजी क्षेत्र का अंश 26.21 प्रतिशत है। निवेशों का ब्योरा सारणी I.41 में दिया गया है।

सारणी I.41
बीमा क्षेत्र के कुल निवेश
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार) (₹करोड़)

क्षेत्र	जीवन बीमाकर्ता		साधारण बीमाकर्ता		पुनर्बीमाकर्ता		कुल	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
सरकारी	30,70,852 (11.24)	33,97,832 (10.65)	1,36,291 (8.12)	1,58,703 (16.44)	58,757 (11.02)	68,799 (17.09)	32,65,901 (11.10)	36,25,333 (11.01)
निजी	8,19,422 (6.08)	10,82,142 (32.06)	1,55,895 (21.47)	1,90,067 (21.92)	11,712 (67.12)	15,733 (34.33)	9,87,029 (8.72)	12,87,942 (30.49)
कुल	**38,90,274 (10.11)**	**44,79,973 (15.16)**	**2,92,187 (14.85)**	**3,48,770 (19.37)**	**70,469 (17.58)**	**84,532 (19.96)**	**42,52,930 (10.54)**	**49,13,275 (15.53)**

टिप्पणी:
1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं। .
2. साधारण बीमाकर्ताओं में विशेषीकृत बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता शामिल हैं।
3. पुनर्बीमाकर्ताओं में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ शामिल हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश

I.6.4.3 जीवन बीमाकर्ताओं की निधियों को पारंपरिक उत्पादों और यूलिप उत्पादों से किये गये निवेशों के आधार पर विभाजित किया गया है। जीवन बीमाकर्ताओं की कुल निधियाँ 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु.44.80 लाख करोड़ थीं जिनमें से रु.39.57 लाख करोड़ (कुल निधियों का 88.33 प्रतिशत) पारंपरिक उत्पादों से थीं तथा शेष रु.5.23 लाख करोड़ (कुल निधियों का 11.67 प्रतिशत) यूलिप उत्पादों से। जीवन बीमाकर्ताओं के श्रेणी-वार निवेश सारणी I.42 में दिये गये हैं। जीवन बीमा कंपनी-वार निवेश, विवरण 19 में दर्शाये गये हैं।

सारणी I.42
जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश : श्रेणी-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार) (₹करोड़)

क्रम सं.	श्रेणी	2020	2021
क	**पारंपरिक उत्पाद**		
1	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	14,05,754 (39.97)	16,71,268 (42.23)
2	राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	9,65,846 (27.46)	10,43,770 (26.38)
3	आवास और बुनियादी संरचना	2,75,434 (7.83)	4,16,718 (10.53)
4	अनुमोदित निवेश	7,32,023 (20.81)	6,80,935 (17.21)
5	अन्य निवेश	1,38,145 (3.93)	1,44,452 (3.65)
क	**कुल (1+2+3+4+5)**	**35,17,202 (100.00)**	**39,57,144 (100.00)**
ख	**यूलिप निधियाँ**		
6	अनुमोदित निवेश	3,49,193 (93.60)	4,75,204 (90.89)
7	अन्य निवेश	23,879 (6.40)	47,626 (9.11)
ख	**कुल (6+7)**	**3,73,072 (100.00)**	**5,22,830 (100.00)**
	कुल जोड़ (क+ख)	**38,90,274**	**44,79,973**

I.6.4.4 निधियों के वर्गीकरण की पद्धति के आधार पर कुल निवेशों में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार जीवन निधि का अंशदान रु.29.14 लाख करोड़ (कुल निधियों का 65.05 प्रतिशत), पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि का अंशदान रु.10.43 लाख करोड़ (कुल निधियों का 23.28 प्रतिशत) तथा यूनिट सहबद्ध निधि (यूलिप) का अंशदान रु.5.23 लाख करोड़ (कुल निधियों का 11.67 प्रतिशत) रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल निवेशों में पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि तथा यूलिप निधि का अंश क्रमशः 23.08 प्रतिशत से बढ़कर 23.28 प्रतिशत तथा 9.59 प्रतिशत से बढ़कर 11.67 प्रतिशत हो गया है। परंतु जीवन निधि का अंश 67.33 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 65.05 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2019-20 में जीवन, पेंशन/वार्षिकी निधि और यूलिप निधि की मात्रा क्रमशः रु.2.95 लाख करोड़ और रु. 1.45 लाख करोड़ और रु. 1.50 लाख करोड़ बढ़ गई है।

सारणी I.43
जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश : निधि-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार) (₹करोड़)

बीमाकर्ता	जीवन निधि		पेंशन और सामान वार्षिकी एवं सामूहिक निधि		यूनिट सहबद्ध निधि		कुल	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
एलआईसी	22,53,495	24,60,827	7,92,485	9,12,229	24,872	24,776	30,70,852	33,97,832
निजी	3,65,661	4,53,456	1,05,560	1,30,631	3,48,200	4,98,054	8,19,422	10,82,142
कुल	26,19,157 (67.33)	29,14,284 (65.05)	8,98,045 (23.08)	10,42,860 (23.28)	3,73,072 (9.59)	5,22,830 (11.67)	38,90,274 (100.00)	44,79,973 (100.00)
कुल निधि की वृद्धि (%)	**11.57**	**11.27**	**15.99**	**16.13**	**-9.32**	**40.14**	**10.11**	**15.16**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल निधियों से संबंधित निधियों का प्रतिशत हैं।

साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश

I.6.4.5 बीमा क्षेत्र द्वारा किये गये कुल निवेशों में साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये निवेशों का अंश 8.82 प्रतिशत पर स्थित है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये निवेशों की कुल राशि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के रु. 3.63 लाख करोड़ की तुलना में रु.4.33 लाख करोड़ थी तथा इस प्रकार इसने 19.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

I.6.4.6 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं ने प्रमुख रूप से केन्द्र, राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में रु. 2.09 लाख करोड़ (48.12 प्रतिशत) का निवेश किया है एवं अनुमोदित निवेशों में रु.1.10 लाख करोड़ (25.40 प्रतिशत) का निवेश किया है। साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा श्रेणी-वार किये गये निवेश सारणी I.44 में दर्शाये गये हैं। साधारण बीमा और पुनर्बीमा कंपनी-वार निवेश विवरण 20 में दिये गये हैं।

सारणी I.44
साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेशः श्रेणी-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार) (₹करोड़)

श्रेणी	साधारण बीमाकर्ता		पुनर्बीमाकर्ता		कुल	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	69,750 (23.87)	91,089 (26.12)	24,449 (34.69)	29,445 (34.83)	94,199 (25.97)	1,20,533 (27.82)
राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	50,314 (17.22)	69,585 (19.95)	11,791 (16.73)	18,392 (21.76)	62,105 (17.12)	87,977 (20.30)
आवास और राज्य सरकार को आवास और एफएफई के लिए ऋण	27,791 (9.51)	28,404 (8.14)	5,384 (7.64)	6,263 (7.41)	33,176 (9.15)	34,667 (8.00)
बुनियादी संरचनागत निवेश	48,203 (16.50)	57,572 (16.51)	6,728 (9.55)	8,359 (9.89)	54,931 (15.15)	65,931 (15.22)
अनुमोदित निवेश	85,086 (29.12)	92,098 (26.41)	17,451 (24.76)	17,968 (21.26)	1,02,536 (28.27)	1,10,066 (25.40)
अन्य निवेश	11,043 (3.78)	10,023 (2.87)	4,666 (6.62)	4,105 (4.86)	15,709 (4.33)	14,128 (3.26)
कुल	**2,92,187 (100.00)**	**3,48,770 (100.00)**	**70,469 (100.00)**	**84,532 (100.00)**	**3,62,656 (100.00)**	**4,33,301 (100.00)**

एफएफईः अग्नि-शमन उपस्कर
टिप्पणीः :
1. कोष्ठक में आंकड़े कुल संख्या में से प्रतिशत हैं।
2. साधारण बीमाकर्ताओं में विशेषीकृत बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता शामिल हैं।
3. पुनर्बीमाकर्ताओं में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ शामिल हैं।

1.6.5 स्वास्थ्य बीमा

क.साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

I.6.5.1 वर्ष 2020-21 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में रु.58,238 करोड़ संगृहीत किये (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर) तथा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 14.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सरकारी क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ताओं ने 46.75 प्रतिशत के साथ अधिकतर बाजार अंश धारित करना जारी रखा। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के बाजार अंश में 2019-20 में दर्ज 48.53 प्रतिशत से गिरावट आई है। स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का अंश भी 2019-20 के 27.06 प्रतिशत से थोड़-सा घटकर 2020-21 में 25.99 प्रतिशत हुआ है। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का अंश 2019-20 के 24.41 प्रतिशत से 2020-21 में 27.26 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

सारणी I.45
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
(₹करोड़)

बीमाकर्ता	प्रीमियम (₹करोड़)		बाजार अंश (%)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	24,631.85 (4.65)	27,228.20 (10.54)	48.53	46.75
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	12,390.72 (16.29)	15,875.09 (28.12)	24.41	27.26
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	13,735.50 (28.59)	15,134.56 (10.19)	27.06	25.99
कुल	**50,758.07 (13.12)**	**58,237.86 (14.74)**	**100.00**	**100.00**

टिप्पणीः :
1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. उक्त डेटा में विदेशों में किये गये स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।
3. प्रीमियम वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर है।
4. बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य रिटर्न के अनुसार

चार्ट I.17 : स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा को छोड़कर)

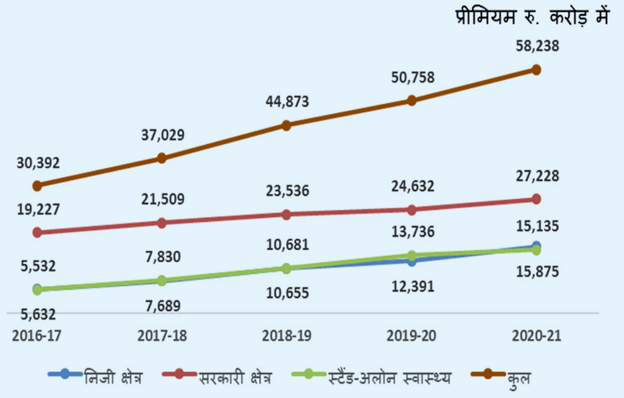

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण

I.6.5.2 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा (सरकार द्वारा प्रायोजित को छोड़कर अन्य) और वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संगृहीत प्रीमियम की राशि के तौर पर, सामूहिक व्यवसाय का अंश उच्चतम (48.26 प्रतिशत) था, तथा उसके बाद वैयक्तिक व्यवसाय (44.37 प्रतिशत) और सरकारी व्यवसाय (7.37 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2020-21 के दौरान वैयक्तिक व्यवसाय प्रीमियम के अंश में वृद्धि तथा सरकारी व्यवसाय और सामूहिक व्यवसाय में कमी रही है।

जारी की गई पालिसियों की संख्या और सम्मिलित जीवनों की संख्या

I.6.5.3 2020-21 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 2.37 करोड़ स्वास्थ्य बीमा पालिसियों (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा के अंतर्गत जारी की गई पालिसियों को छोड़कर) के अंतर्गत 51.47 करोड़ जीवनों को सम्मिलित कर बीमारक्षा प्रदान की है। सम्मिलित जीवनों की संख्या के तौर पर, 66.62 प्रतिशत जीवन सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं, 23.06 प्रतिशत जीवन सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित हैं तथा शेष 10.32 प्रतिशत जीवन साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई वैयक्तिक पालिसियों के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं।

सारणी I.46
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण

व्यवसाय का वर्ग	पालिसियों की संख्या (लाख)		सम्मिलित जीवनों की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
सरकारी व्यवसाय	0.002 (-4.71)	0.001 (-53.50)	3,619.71 (1.36)	3,429.14 (-5.26)	4,920.62 (-13.25)	4,290.00 (-12.82)
सामूहिक व्यवसाय	7.61 (-30.20)	9.09 (19.49)	935.17 (28.36)	1,186.95 (26.92)	25,880.83 (19.40)	28,108.09 (8.61)
वैयक्तिक व्यवसाय	171.72 (-12.35)	228.30 (32.95)	432.25 (2.76)	531.39 (22.94)	19,956.63 (13.88)	25,839.77 (29.48)
कुल	**179.33 (-13.29)**	**237.39 (32.38)**	**4,987.13 (5.65)**	**5,147.47 (3.22)**	**50,758.07 (13.12)**	**58,237.86 (14.74)**

टिप्पणी:
1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. प्रीमियम वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर है।
3. उक्त डेटा में विदेशों में किये गये स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।

चार्ट I.18
कुल प्रीमियम में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के विभिन्न वर्गों का अंश

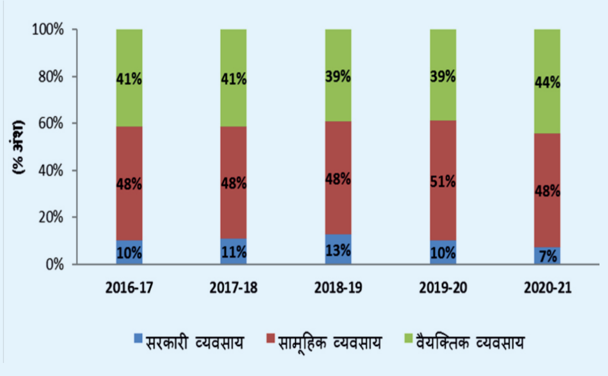

चार्ट I.19: स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सम्मिलित जीवनों में विभिन्न वर्गों का अंश

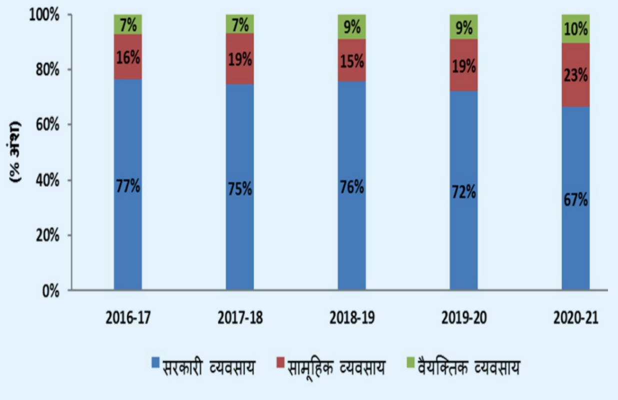

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का राज्य-वार वितरण

I.6.5.4 जबकि पाँच राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली संघराज्य क्षेत्र और गुजरात ने कुल स्वास्थ्य बीमा (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा को छोड़कर) के 66 प्रतिशत का अंशदान किया, वहीं शेष राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 34 प्रतिशत का अंशदान किया। अकेले महाराष्ट्र राज्य ने ही कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रु. 18,354 करोड़ (32 प्रतिशत) का अंशदान किया।

चार्ट I.20
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का अंश 2020-21

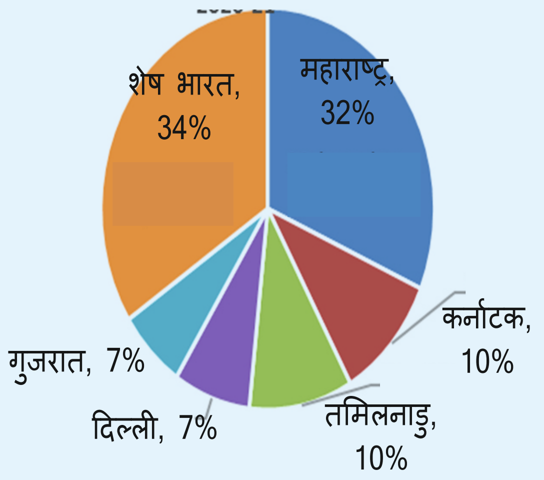

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावे

I.6.5.5 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के निवल उपगत दावे 2019-20 में दर्ज रु. 34,058 करोड़ के मुकाबले 2020-21 में रु. 40,718 करोड़ रहे। उक्त उपगत दावों ने 2020-21 के दौरान 19.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। पीएसयू, निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं, और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2020-21 के दौरान क्रमशः 16.96 प्रतिशत, 38.32 प्रतिशत और 6.37 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की।

सारणी I.47
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत निवल उपगत दावे

(₹करोड़)

बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	20,559.99 (6.66)	24,046.23 (16.96)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	7,244.95 (17.64)	10,020.86 (38.32)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	6,252.98 (36.14)	6,651.38 (6.37)
कुल	**34,057.92 (13.42)**	**40,718.47 (19.56)**

टिप्पणीः :
1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. इसमें वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय शामिल नहीं हैं।
3. बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य रिटर्न के अनुसार

I.6.5.6 स्वास्थ्य व्यवसाय के उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) में 2019-20 के 88.43 प्रतिशत से 2020-21 में 93.80 प्रतिशत तक वृद्धि रही है। वैयक्तिक व्यवसाय और सरकारी व्यवसाय के अंतर्गत आईसीआर पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया है। दूसरी ओर, सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत आईसीआर में 2019-20 के 98.84 प्रतिशत से 2020-21 में 97.88 तक थोड़ी-सी गिरावट रही है।

I.6.5.7 क्षेत्र-वार आईसीआर के तौर पर, सभी क्षेत्रों अर्थात् सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं में वृद्धि रही। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं का आईसीआर 2019-20 के 101.54 प्रतिशत से 2020-21 में 103.61 प्रतिशत तक बढ़ा। निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं का आईसीआर 2019-20 के 82.19 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 85.78 प्रतिशत हुआ तथा स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के आईसीआर में 2020-21 में 78.09 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

सारणी I.48
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात

बीमाकर्ता	सरकारी व्यवसाय		सामूहिक व्यवसाय		वैयक्तिक व्यवसाय		कुल	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	99.45	124.67	106.18	104.33	91.73	95.52	101.54	103.61
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	96.74	96.53	87.19	89.79	66.53	78.64	82.19	85.78
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	78.40	-1170.91	85.82	79.95	59.18	77.67	66.16	78.09
कुल	**97.22**	**120.09**	**98.84**	**97.88**	**72.86**	**84.69**	**88.43**	**93.80**

टिप्पणीः इसमें वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय शामिल नहीं हैं। (आंकड़े प्रतिशत में)

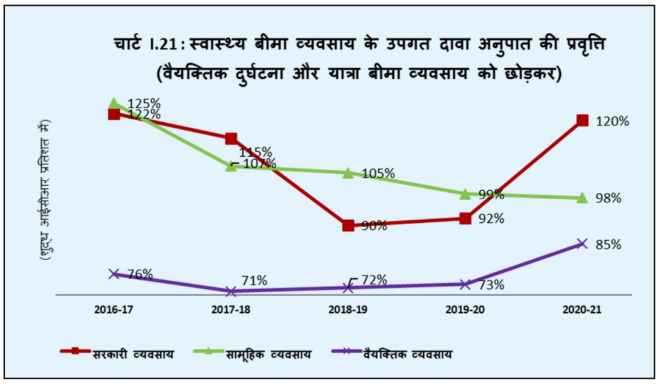

चार्ट I.21: स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के उपगत दावा अनुपात की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

I.6.5.8 2020-21 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 1.40 करोड़ स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान किया है तथा स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के लिए रु. 43,355 करोड़ का भुगतान किया है। प्रति दावा अदा की गई औसत राशि रु. 30,900 थी।

I.6.5.9 निपटाये गये दावों की संख्या के तौर पर, 73 प्रतिशत दावों का निपटान टीपीए के माध्यम से किया गया तथा दावों के शेष 27 प्रतिशत का निपटान आंतरिक व्यवस्था के द्वारा किया गया।

I.6.5.10 दावों के निपटान की पद्धति के तौर पर, भुगतान किये गये दावों की कुल संख्या के 56 प्रतिशत का निपटान नकदीरहित पद्धति के माध्यम से किया गया तथा दावों के अन्य 41 प्रतिशत का निपटान प्रतिपूर्ति पद्धति के द्वारा किया गया। बीमाकर्ताओं ने अपने दावों की राशि के दो प्रतिशत का निपटान दोनों "नकदीरहित और प्रतिपूर्ति पद्धति" के माध्यम से किया है (सारणी I.49)।

I.6.5.11 2020-21 के दौरान, बीमाकर्ताओं ने अपनी बहियों में दर्ज दावों की कुल संख्या के 84 प्रतिशत का निपटान किया है तथा पंजीकृत दावों की कुल संख्या के सात प्रतिशत का निराकरण किया है। पंजीकृत शेष नौ प्रतिशत दावे 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार लंबित थे। साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत भुगतान किये गये दावों की स्थिति और दावों की अवधि क्रमशः विवरण 22 और विवरण 23 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी I.49
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत अदा किये गये दावे
(2020-21)

दावा निपटान की पद्धति	टीपीए		आंतरिक		कुल	
	संख्या (लाख)	राशि (₹करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹करोड़)
केवल नकदीरहित	58.79 (57.11)	14,422.91 (52.79)	19.18 (51.33)	8,873.90 (55.34)	77.97 (55.57)	23,296.81 (53.74)
केवल प्रतिपूर्ति	41.09 (39.92)	11,601.10 (42.46)	16.99 (45.47)	6,307.74 (39.34)	58.08 (41.40)	17,908.83 (41.31)
दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति	3.00 (2.92)	1,285.11 (4.70)	0.34 (0.92)	252.62 (1.58)	3.35 (2.39)	1,537.74 (3.55)
लाभ आधारित	0.05 (0.05)	10.61 (0.04)	0.85 (2.28)	600.61 (3.75)	0.90 (0.64)	611.22 (1.41)
कुल	**102.94 (100.00)**	**27,319.74 (100.00)**	**37.37 (100.00)**	**16,034.87 (100.00)**	**140.31 (100.00**	**43,354.60 (100.00)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल संख्या का प्रतिशत हैं।

ख. जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

प्रीमियम, पालिसियाँ और रक्षित जीवन

I.6.5.12 वर्ष 2020-21 के दौरान, जीवन बीमा कंपनियों ने 2019-20 में संगृहीत रु. 1,219 करोड़ के मुकाबले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में रु. 1,176 करोड़ वसूल किये तथा इस प्रकार उन्होंने पिछले वर्ष के 15.17 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2020-21 में 3.58 प्रतिशत की अव-वृद्धि (डी-ग्रोथ) दर्ज की। निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 2020-21 के दौरान 60.55 प्रतिशत के अपेक्षाकृत अधिक बाजार अंश को धारण करना जारी रखा (2019-20 में 65.04 प्रतिशत)। दूसरी ओर, एलआईसी का अंश 2019-20 के 34.96 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 39.45 प्रतिशत हुआ जहाँ 2020-21 में प्रीमियम वृद्धि 8.81 प्रतिशत रही।

सारणी I.50
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

बीमाकर्ता	प्रीमियम (₹करोड़)		बाजार अंश (%)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
एलआईसी	426.33 (-2.11)	463.87 (8.81)	34.96	39.45
निजी क्षेत्र	793.14 (27.25)	711.96 (-10.24)	65.04	60.55
कुल	**1,219.47 (15.17)**	**1,175.83 (-3.58)**	**100.00**	**100.00**

टिप्पणीः इसमें वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय शामिल नहीं हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विपणन किये गये स्वास्थ्य बीमा उत्पाद

I.6.5.13 वर्ष 2020-21 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से रु. 834 करोड़ का कुल प्रीमियम प्राप्त किया। जबकि नवीकरण प्रीमियम ने कुल प्रीमियम के 80 प्रतिशत (रु. 667 करोड़) का अंशदान किया, वहीं नये व्यवसाय ने शेष 20 प्रतिशत (रु. 167 करोड़) का अंशदान किया।

I.6.5.14 वर्ष 2020-21 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने 5.56 लाख जीवनों को कवर करते हुए 4.37 लाख नई पालिसियाँ जारी की हैं, वहीं उन्होंने 12.39 लाख जीवनों को कवर करते हुए 9.26 लाख पालिसियों का नवीकरण किया।

जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियाँ (राइडर्स)

I.6.5.15 अनुवृद्धियाँ जो मूल उत्पादों के साथ संबद्ध की जाती हैं, पॉलिसीधारकों को एक मूल्यसंवर्धन के रूप में दी जाती हैं। जीवन बीमा पॉलिसियों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों के माध्यम से रु.342 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया गया। इन अनुवृद्धियों से प्राप्त कुल प्रीमियम में से नवीकरण 55 प्रतिशत (रु.188 करोड़) रहे जबकि शेष 45 प्रतिशत (रु.154 करोड़) का अंशदान नये व्यवसाय द्वारा किया गया।

I.6.5.16 वर्ष 2020-21 के दौरान 36.86 लाख जीवनों को समाविष्ट करते हुए नये जीवन बीमा उत्पादों के साथ 5.93 लाख स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियाँ (राइडर्स) जारी की गईं। इसी अवधि के दौरान 23.64 लाख जीवनों को समाविष्ट करते हुए जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध 15.64 लाख अनुवृद्धियों का नवीकरण किया गया।

सारणी I.51
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित खंड-वार स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

(₹करोड़)

खंड	एलआईसी		निजी		कुल	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
स्वास्थ्य उत्पाद						
नया व्यवसाय	104.74	102.10	136.36	64.85	241.09	166.96
नवीकरण व्यवसाय	309.33	346.24	333.17	320.30	642.5	666.55
उत्पाद कुल	414.07	448.34	469.52	385.16	883.59	833.50
स्वास्थ्य अनुवृद्धियाँ (राइडर)						
नया व्यवसाय	1.11	1.36	169.79	152.96	170.90	154.32
नवीकरण व्यवसाय	11.14	14.16	153.83	173.84	164.97	188.01
राइड़र कुल	**12.25**	**15.53**	**323.62**	**326.80**	**335.87**	**342.33**
कुल जोड़	**426.33**	**463.87**	**793.14**	**711.96**	**1,219.47**	**1,175.83**

सारणी I.52
जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण

व्यवसाय का वर्ग	पालिसियों की स./राइडरों की सं.		रक्षित जीवनों की सं. ('000)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विपणन किये गये स्वास्थ्य बीमा उत्पाद						
नया व्यवसाय						
सरकारी व्यवसाय	-	-	-	-	-	-
सामूहिक बीमा	64	92	182.36	74.79	57.19	15.79
वैयक्तिक व्यवसाय	4,40,325	4,36,811	466.63	481.21	183.90	151.16
नया व्यवसाय कुल	**4,40,389**	**4,36,903**	**648.99**	**556.00**	**241.09**	**166.96**
नवीकरण व्यवसाय						
सरकारी व्यवसाय	-	-	-	-	-	-
सामूहिक व्यवसाय	4	13	13.39	17.78	0.75	0.99
वैयक्तिक व्यवसाय	8,19,952	9,26,427	1,184.96	1,221.09	641.75	665.56
नवीकरण व्यवसाय कुल	**8,19,956**	**9,26,440**	**1,198.35**	**1,238.87**	**642.50**	**666.55**
जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य राइडर						
नया व्यवसाय						
सरकारी व्यवसाय	-	-	-	-	-	-
सामूहिक बीमा	250	1,307	2,718.82	3,095.23	122.27	95.93
वैयक्तिक व्यवसाय	4,31,116	5,91,372	427.15	591.23	48.64	58.39
नया व्यवसाय कुल	**4,31,366**	**5,92,679**	**3,145.97**	**3,686.46**	**170.90**	**154.32**
नवीकरण व्यवसाय						
सरकारी व्यवसाय	-	-	-	-	-	-
सामूहिक बीमा	593	591	789.20	820.54	28.04	27.12
वैयक्तिक व्यवसाय	13,97,222	15,63,311	1,375.65	1,544.05	136.93	160.88
नवीकरण व्यवसाय कुल	**13,97,815**	**15,63,902**	**2,164.84**	**2,364.59**	**164.97**	**188.01**

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावे

I.6.5.17 वर्ष 2020-21 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने 31,478 दावों के निपटान के प्रति दावों के रूप में रु. 218 करोड़ का भुगतान किया है। स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पंजीकृत दावों की कुल संख्या में से बीमाकर्ताओं ने 79 प्रतिशत दावों का भुगतान किया है जबकि 20 प्रतिशत दावों का निराकरण अथवा अस्वीकरण किया गया है।

I.6.5.18 अनुवृद्धि (राइडर) दावों के संबंध में, पंजीकृत दावों के 96 प्रतिशत का भुगतान किया गया जबकि दो प्रतिशत दावों को निराकृत अथवा अस्वीकृत किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, 21,741 राइडर दावों के निपटान के प्रति जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा रु. 57 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया।

सारणी I.53
जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (2020-21)

(राशि ₹करोड़ में)

व्यवसाय का वर्ग	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे		वर्ष के दौरान सूचित किये गये दावे		वर्ष के दौरान अदा किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		वर्ष के अंत में बकाया दावे	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
स्वास्थ्य बीमा उत्पाद										
सरकारी व्यवसाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामूहिक व्यवसाय	21	0.48	683	8.70	522	4.22	168	3.47	14	1.49
वैयक्तिक व्यवसाय	719	20.62	39,139	291.96	30,956	213.52	8,068	69.64	834	29.42
उत्पाद कुल	**740**	**21.10**	**39,822**	**300.66**	**31,478**	**217.74**	**8,236**	**73.11**	**848**	**30.91**
स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियाँ (राइडर)										
सरकारी व्यवसाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामूहिक व्यवसाय	4	1.92	387	30.06	313	23.68	73	8.21	5	0.09
वैयक्तिक व्यवसाय	55	2.99	22,244	50.69	21,428	33.27	302	11.97	569	8.44
अनुवृद्धियाँ (राइडर) कुल	**59**	**4.91**	**22,631**	**80.75**	**21,741**	**56.95**	**375**	**20.18**	**574**	**8.53**

वैयक्तिक दुर्घटना बीमा

I.6.5.19 2020-21 के दौरान, बीमा उद्योग ने वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कुल 101.62 करोड़ जीवनों को समाविष्ट किया है। इसमें सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) और ई-टिकट यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी यात्रा बीमा के अंतर्गत सम्मिलित 49.04 करोड़ जीवन शामिल हैं।

I.6.5.20 2020-21 के दौरान, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय से प्राप्त सकल प्रीमियम आय रु. 5100 करोड़ थी। जबकि निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने कुल प्रीमियम के 57.49 प्रतिशत का अंशदान किया है, वहीं सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम के 30.85 प्रतिशत का अंशदान किया है तथा शेष 11.66 प्रतिशत का अंशदान स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा किया गया है। व्यवसाय की इस व्यवस्था का आईसीआर वर्ष 2020-21 के लिए 62 प्रतिशत है।

सारणी I.54
वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	जीवनों की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	7,859.43 (8.57)	5,200.65 (-33.83)	1,305.67 (-22.66)	1,573.35 (20.50)	153.38	116.53
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	7,588.87 (58.96)	4,783.92 (-36.96)	3,282.36 (10.90)	2,931.79 (-10.68)	40.70	42.40
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	184.40 (30.50)	177.24 (-3.88)	617.15 (9.97)	594.63 (-3.65)	26.38	22.23
कुल	**15,632.70 (29.47)**	**10,161.80 (-35.00)**	**5,205.18 (-0.08)**	**5,099.77 (-2.03)**	**71.75**	**61.66**

टिप्पणीः
1.कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में दर्शाते हैं।
2.उक्त डेटा में आईआरसीटीसी, पीएमएसबीवाई और पीएमजेडीवाई व्यवसायों के अंतर्गत समाविष्ट जीवनों की संख्या शामिल है।
3.उक्त डेटा में विदेशों में किये गये वैयक्तिक दुर्घटना व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।
4.ध्यान दिया जाए कि आईआरसीटीसी योजना के अंतर्गत रेल यात्रियों को वैयक्तिक दुर्घटना कवर केवल यात्री द्वारा की गई किसी विशिष्ट यात्रा के लिए ही दिया जाता है तथा एक व्यक्ति सूचित समय के दौरान कई यात्राएँ कर सकता है। किसी भी वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी/ योजना में रक्षित जीवनों के संबंध में संभव है कि एक व्यक्ति को कई बार कवर किया गया हो।

यात्रा बीमा

विदेश यात्रा बीमा

I.6.5.21 2020-21 के दौरान 3.04 लाख विदेश यात्रा बीमा पालिसियों के अंतर्गत 8.27 लाख जीवनों को बीमारक्षा प्रदान की गई। 2020-21 के लिए विदेश यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय रु.210 करोड़ थी। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) वर्ष 2020-21 के लिए 66.35 प्रतिशत था।

I.6.5.22 व्यवसाय की इस व्यवस्था में निजी साधारण बीमाकर्ता प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनका बाजार अंश सकल प्रीमियम में 84.02 प्रतिशत रहा। सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का अंश क्रमशः 3.70 प्रतिशत और 12.28 प्रतिशत था।

सारणी I.55
विदेश यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	जीवनों की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	0.97 (-11.62)	0.24 (-74.83)	28.63 (-6.55)	7.79 (-72.77)	45.68	63.95
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	50.74 (16.50)	7.27 (-85.66)	609.02 (-1.05)	176.81 (-70.97)	49.51	69.36
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	5.88 (-0.23)	0.75 (-87.17)	119.92 (7.66)	25.83 (-78.76)	42.78	45.96
कुल	**57.58 (13.94)**	**8.27 (-85.64)**	**757.57 (0.01)**	**210.44 (-72.22)**	**48.46**	**66.35**

टिप्पणीः :
1.कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में दर्शाते हैं।
2.उक्त डेटा में विदेशों में किये गये विदेश यात्रा बीमा व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।

देशी यात्रा बीमा

I.6.5.23 2020-21 के दौरान, देशी यात्रा बीमा व्यवसाय से प्राप्त सकल प्रीमियम रु. 83 करोड़ था, जिसने पिछले वर्ष के रु. 188 करोड़ के सकल प्रीमियम की तुलना में 55.90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 61,359 पालिसियों के अंतर्गत 20.38 करोड़ जीवनों को बीमारक्षा प्रदान की है।

सारणी I.56
देशी यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	जीवनों की सं. (लाख)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	-	0.02 (-)	-	7.20 (-)	-	-
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	4129.90 (59.62)	2037.66 (-50.66)	187.57 (61.44)	75.49 (-59.75)	16.62	-0.74
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	0.27 (123.29)	0.05 (-81.47)	0.33 (521.61)	0.16 (-51.54)	0.00	0.00
कुल	**4,130.16 (59.62)**	**2037.73 (-50.66)**	**187.89 (61.64)**	**82.85 (-55.90)**	**16.58**	**-0.74**

भारत के बाहर जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

I.6.5.24 सरकारी क्षेत्र के केवल तीन साधारण बीमाकर्ताओं अर्थात् न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और ओरियन्टल इंश्योरेंस ने विदेशों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय किया। वर्ष 2020-21 के दौरान इन तीन बीमाकर्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसायों सहित) से सकल प्रीमियम के रूप में कुल रु.167 करोड़ प्राप्त किये हैं तथा 17.32 लाख की कुल संख्या में जीवनों को बीमारक्षा प्रदान की है। 2020-21 के दौरान भारत के बाहर किये गये इस व्यवसाय का उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) 71.71 प्रतिशत है।

सारणी I.57
भारत के बाहर जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

बीमाकर्ता	समाविष्ट जीवनों की संख्या ('000))		सकल प्रीमियम (₹करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
नेशनल	37.70 (98.42)	40.00 (6.10)	2.87 (5.24)	2.47 (-13.94)	131.29	161.62
न्यू इंडिया	1,706.52 (-56.34)	1,678.22 (-1.66)	190.63 (14.40)	160.62 (-15.74)	85.66	70.30
ओरियन्टल	40.00 (-65.52)	13.31 (-66.73)	83.97 (130.43)	3.76 (-95.52)	116.34	97.93
कुल	**1,784.22 (-55.89)**	**1,731.53 (-2.95)**	**277.47 (34.83)**	**166.85 (-39.87)**	**94.73**	**71.71**

टिप्पणीः :
1.उक्त डेटा में स्वास्थ्य, वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसायों से संबंधित आंकड़े शामिल हैं।
2.कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में दर्शाते हैं।

I.6.6 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में किये जानेवाले व्यवसाय का विनिर्दिष्ट प्रतिशत

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्वों संबंधी विनियम

I.6.6.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ने वार्षिक आधार पर बीमाकर्ताओं द्वारा पूरे किये जानेवाले ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इन विनियमों के अनुसार बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित के अंतर्गत व्यवसाय के वर्ष वार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें-

(i) कुल व्यवसाय पर संगणित सामाजिक क्षेत्र जीवनों के प्रतिशत के तौर पर; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों से जीवन बीमाकर्ताओं के लिए पॉलिसियों की संख्या के प्रतिशत के तौर पर तथा साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से अंकित सकल प्रीमियम के रूप में।

I.6.6.2 उक्त विनियम बीमाकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे इन खंडों में व्यवसाय का जोखिम-अंकन अपने परिचालन के वर्षों की संख्या के आधार पर करें। उक्त विनियमों में आगे यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई बीमा कंपनी अपने परिचालन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में प्रारंभ करती है और संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालन में है तो

(i) उपर्युक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र दायित्व लागू नहीं होंगे; तथा

(ii) विनियमों में निर्दिष्ट किये गये रूप में वार्षिक दायित्व अगले वित्तीय वर्ष से गणना में लिये जाएँगे जो अनुपालन के प्रयोजन के लिए परिचालन के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा।

उन मामलों में जहाँ कोई बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में परिचालन प्रारंभ करती है, वहाँ पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दायित्वों का 50 प्रतिशत होंगे तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए 2500 जीवन होंगे।

2020-21 के दौरान बीमाकर्ताओं द्वारा दायित्वों की पूर्ति

i. जीवन बीमाकर्ता

I.6.6.3 वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और निजी क्षेत्र के 22 जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों का पालन किया है।

I.6.6.4 जीवन बीमाकर्ताओं ने 2020-21 में उनके द्वारा जोखिम-अंकित कुल 281.27 लाख पालिसियों में से ग्रामीण क्षेत्र में 63.85 लाख पालिसियों (अर्थात् निर्धारित 20 प्रतिशत की तुलना में 22.67 प्रतिशत) का जोखिम-अंकन किया। एलआईसी ने नई पालिसियों के 21.43 प्रतिशत का जोखिम-अंकन किया तथा निजी बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी नई वैयक्तिक पालिसिय़ों के 26.32 प्रतिशत का जोखिम-अंकन किया।

I.6.6.5 जीवन बीमाकर्ताओं ने निर्धारित 5 प्रतिशत की तुलना में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत 3.82 करोड़ जीवनों अर्थात् 14.94 प्रतिशत को समाविष्ट किया। एलआईसी ने 7.96 प्रतिशत प्राप्त किया तथा निजी क्षेत्र ने 17.19 प्रतिशत प्राप्त किया।

I.6.6.6 मेसर्स सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. को बीमा अधिनियम,1938 की धारा 52बी(2) के अधीन आईआरडीएआई के आदेश संदर्भ आईआरडीएआई/ एफएण्डए/ ओआर/एफए/ 148/06/2017 के द्वारा 24 जून 2017 से नये व्यवसाय का जोखिम-अंकन न करने का निदेश दिया गया। अतः सहारा इंडिया लाइफ पर ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए विचार नहीं किया गया।

ii. साधारण बीमाकर्ता

I.6.6.7 वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के सभी चार बीमाकर्ताओं और निजी क्षेत्र के 21 साधारण बीमाकर्ताओं ने अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया है। वर्ष 2020-21 में जोखिम-अंकित कुल पालिसियों के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा जोखिम-अंकित पालिसियों की संख्या उनके लिए लागू दायित्वों के अनुसार थी। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत उनके द्वारा समाविष्ट जीवनों की संख्या आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 में निर्धारित शर्तों से अधिक थी।

I.6.6.8 साधारण बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्र में रु. 31,436 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। सरकारी क्षेत्र और निजी बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त कुल सकल प्रीमियम के क्रमशः 29.09 प्रतिशत और 70.91 प्रतिशत का जोखिम-अंकन किया।

iii. स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता

I.6.6.9 2020-21 के दौरान, भारत में व्यवसाय करनेवाले सभी पाँच स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने विनियमों के अंतर्गत निर्धारित रूप में अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया है। उक्त पाँच स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) ने ग्रामीण क्षेत्र में रु. 2,498.19 करोड़ प्रीमियम प्राप्त किया जो वर्ष 2020-21 में उनके द्वारा प्राप्त सकल प्रीमियम का 15.86 प्रतिशत है।

I.6.7 लेखा और बीमांकिक मानक

लेखा

I.6.7.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अंतर्गत एवं साथ ही समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यावसायिक मदें प्रस्तुत करने के लिए अनुरक्षित की जाती हैं।

नियुक्त बीमांकक प्रणाली

I.6.7.2 नियुक्त बीमांकक प्रणाली भारतीय बीमा उद्योग में एक दशक से भी अधिक समय से विद्यमान है। आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000 नियुक्त बीमांकक प्रणाली को विनियमित करते हैं। उक्त विनियमों के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह एक बीमांकक को नियुक्त करे जो नियुक्त बीमांकक के रूप में जाना जाता है।

आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम 2000, आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 द्वारा अधिगृहीत किया गया था, समय - समय पर संशोधनों के साथ पठित ।

I.6.7.3 नियुक्त बीमांकक कंपनी की शोध-क्षमता को सुनिश्चित करते हुए और समय-समय पर दिये गये प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन करते हुए विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, बीमा संविदा वाक्यरचना, निवेश और पुनर्बीमा के क्षेत्रों में बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग को बीमांकिक परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है।

I.6.7.4 नियुक्त बीमांकक के लिए बीमाकर्ता के कब्जे में अथवा नियंत्रण में स्थित सूचना अथवा दस्तावेजों तक पहुँच होती है, यदि नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए ऐसी पहुँच आवश्यक हो।

I.6.8 प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेश, आदेश और विनियम

I.6.8.1 प्राधिकरण ने 2020-21 के दौरान अनेक निदेश, आदेश और परिपत्र जारी किये। ऐसे सभी निदेशों, आदेशों और परिपत्रों की सूची जो 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये थे, अनुबंध 3 में प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2021 तक अधिसूचित किये गये सभी विनियमों की सूची अनुबंध

4 में प्रस्तुत है।

I.6.9 प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ और कार्य

I.6.9.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्रमशः 12 जून 2020 और 13 अगस्त 2020 को संपन्न प्राधिकरण की 108वीं और 109वीं बैठक के दौरान प्राधिकरण ने निम्नलिखित विनियमों के अधीन अपनी कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकरण के अध्यक्ष/ पूर्णकालिक सदस्यों/ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को किया हैः

i. आईआरडीएआई (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016

ii. आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016

iii. आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्मों का पंजीकरण) विनियम, 2015

I.6.10 बीमा बाजार की कार्यप्रणाली से संबंध रखनेवाली अन्य नीतियाँ और कार्यक्रम

क. धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/ सीएफटी) कार्यक्रम

एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

I.6.10.1 धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा क्षेत्र को एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश (दिशानिर्देश) सर्वप्रथम मार्च 2006 में जारी किये गये थे। तब से बीमा क्षेत्र भारत में एक प्रभावी एएमएल/सीएफटी व्यवस्था की दिशा में कार्य करता रहा है। ये दिशानिर्देश पीएमएलए के अंतर्गत अपेक्षित रूप में ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी की प्रक्रियाओं, सूचना देने के दायित्वों और अभिलेख-पालन की आवश्यकताओं के महत्व पर बल देते हैं।

I.6.10.2 बीमाकर्ताओं ने लेखा-परीक्षा समिति के माध्यम से अपने बोर्ड के विस्तृत पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की दिशा में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। बीमाकर्ता के आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण विभागों के माध्यम से प्रणालियों की प्रभावात्मकता की नियमित समीक्षा की जाती है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की भी निगरानी आईआरडीएआई द्वारा दोनों प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) और परोक्ष (ऑफ़-साइट) प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है।

नकदी स्वीकरण का प्रारंभ

I.6.10.3 बीमा क्षेत्र बहुत कुछ बैंकिंग क्षेत्र के समान है जहाँ दोनों ही देश में जनता के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यम और सहायक साधन हैं। देश में बीमा संबंधी कानूनों के अनुसार भी यह अनिवार्य है कि प्रत्येक कंपनी के व्यवसाय का कुछ अनुपात अवश्य ग्रामीण क्षेत्र से उत्पन्न हो। भारत में गाँवों की विपुल संख्या के होते हुए, जिसकी तुलना में बैंकों की व्याप्ति सीमित है, नकदी की स्वीकृति के संबंध में प्रतिबंधों के द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को हटाने के लिए आईआरडीएआई ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित रूप में ही निर्धारित शर्त को पंक्तिबद्ध किया था। इसका उद्देश्य प्रभावी ढंग से ग्रामीण व्यवसाय प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों को प्रोत्साहित करना भी था और इसके परिणामस्वरूप बीमा व्यापन और सघनता में सुधार लाना था।

I.6.10.4 यह अपेक्षा 26 मई 2011 की सीबीडीटी अधिसूचना एस.ओ. 1214 (ई) के भी अनुरूप थी जो आय-कर नियम, 1962 के नियम 114बी को संशोधित करती है और खंड (क्यू) को निविष्ट करती है जो प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह उन सभी लेनदेनों से संबंधित दस्तावेजों में अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को उद्धृत करे जहाँ किसी बीमाकर्ता को जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में एक वर्ष में कुल पचास हजार रुपये या उससे अधिक राशि का भुगतान निहित हो, जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में परिभाषित है।

I.6.10.5 `नकदी में प्रीमियम के स्वीकरण' के संबंध में अधिक सख्त नियंत्रण रखने के लिए आईआरडीएआई ने कठोर नियंत्रणों को अनिवार्य कर दिया है, जैसे ग्राहक से

प्राप्त की जानेवाली पैन संख्या के सत्यापन की आवश्यकता। बीमाकर्ताओं के लिए यह भी आवश्यक है कि वे पैन विवरण के प्रकटीकरण से बचने के किसी भी प्रकार के प्रयास को रोकने के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित करें। बीमाकर्ताओं को निदेश दिया गया है कि इन अपेक्षाओं के संबंध में धोखा देने के संभव प्रयासों की स्थिति में वे इसकी सूचना संदिग्ध गतिविधि के रूप में वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को दें।

साधारण बीमा कंपनियों के लिए लागू एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

I.6.10.6 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साधारण बीमा कंपनियों के लिए लागू एएमएल/ सीएफटी अपेक्षाएँ जीवन बीमा कंपनियों पर लागू अपेक्षाओं से भिन्न हैं, उक्त दिशानिर्देशों का आशोधन किया गया है ताकि वे साधारण बीमा व्यवसाय के विशिष्ट लक्षणों के सूक्ष्म भेदों के अनुरूप हो सकें। विभिन्न संबंधित पहलुओं पर साधारण बीमा परिषद के माध्यम से सभी साधारण बीमा कंपनियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। साधारण बीमा कंपनियों पर यथाप्रयोज्य एएमएल/ सीएफटी ढाँचे की विभिन्न शर्तों/ अपेक्षाओं पर एक समेकित परिपत्र फरवरी 2013 में जारी किया गया। इस परिपत्र के द्वारा बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक उत्पाद की प्रोफाइल के अपने जोखिम-निर्धारण के आधार पर एएमएल/ सीएफटी अपेक्षाओं को लागू करें।

जीवन बीमाकर्ताओं के लिए लागू एएमएल/ सीएफटी दिशानिर्देश

I.6.10.7 केन्द्र सरकार द्वारा 2013 में पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में किये गये संशोधन के अनुसरण में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए 2010 में जारी किये गये आईआरडीएआई के एएमएल/ सीएफटी संबंधी मास्टर परिपत्र में उक्त संशोधनों के अनुरूप संशोधन किया गया। उक्त मास्टर परिपत्र 28 सितंबर 2015 को जारी किया गया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग/सूचना की साझेदारी

I.6.10.8 2013 से आईआरडीएआई अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन (एमएमओयू) का एक हस्ताक्षरकर्ता है जो सहयोग और सूचना की साझेदारी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है। सूचना की साझेदारी के तौर पर, आईआरडीएआई (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2013 विद्यमान हैं जो वह पद्धति उपलब्ध कराते हैं जिसमें अन्य विनियामक निकायों के साथ गोपनीय सूचना की साझेदारी की जा सकती है।

विभिन्न एजेंसियों / विभागों के साथ समन्वय

I.6.10.9 आईआरडीएआई भारत में एएमएल/सीएफटी व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विभिन्न एजेंसियों / विभागों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है तथा यह राजस्व विभाग द्वारा गठित एएमएल/ सीएफटी संबंधी राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण (एनआरए) के लिए कार्यदल का भाग है। एफएटीएफ की संशोधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक कार्य विभाग (एफएटीएफ कक्ष) द्वारा गठित कोर कार्यदल (सीडब्ल्यूजी) का भी आईआरडीएआई एक हिस्सा है।

I.6.10.10 इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी यूरेशियन समूह (ईएजी), जो एक एफएटीएफ शैली का क्षेत्रीय निकाय है, के साथ भी सक्रिय रूप से संबद्ध है।

I.6.10.11 आईआरडीएआई ने वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) के साथ नियमित परस्पर सक्रियता (इंटरऐक्शन) प्रारंभ की है तथा `बीमा क्षेत्र के लिए लाल झंडा संकेतकों' पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के संबंध में उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ गठित कार्यदल में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आईआरडीएआई केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री निर्मित करने की वित्तीय सेवाएँ विभाग की पहल का भी भाग है।

I.6.10.12 धन-शोधन निवारण अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समन्वित प्रयासों के भाग के रूप में आईआरडीएआई और एफआईयू-आईएनडी ने 29 जनवरी 2014 को परस्पर सहयोग संबंधी एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

उक्त एमओयू के अनुसार, आईआरडीएआई और एफआईयू-आईएनडी निम्नलिखित सहित, परस्पर हित के क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगेः

क. उनके संबंधित डेटाबेसों में उपलब्ध आसूचना और जानकारी की साझेदारी करना।

ख. वह कार्यविधि और तरीका निर्धारित करना जिसमें सूचना देनेवाली संस्थाएँ पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमों के अंतर्गत एफआईयू-आईएनडी को सूचना देंगी।

ग. सूचना देनेवाली संस्थाओं के लिए लोक संपर्क और प्रशिक्षण संचालित करना।

घ. आईआरडीएआई द्वारा विनियमित सूचना देनेवाली संस्थाओं के एएमएल/ सीएफटी कौशल का दर्जा बढ़ाना।

ङ. बीमा क्षेत्र में धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/ सीएफटी) संबंधी जोखिमों और असुरक्षितताओं का निर्धारण।

च. बीमा क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों (एसटीआर) के लिए लाल झंडा संकेतकों का अभिनिर्धारण।

छ. पीएमएलए के अंतर्गत सूचना देनेवाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ उनके अनुपालन का पर्यवेक्षण और निगरानी।

ज. संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत एक दूसरे के दायित्वों का अनुपालन।

केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री का परिचालन

I.6.10.13 ग्राहकों की केवाईसी संबंधी सूचना के विषय में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए जिससे ग्राहक द्वारा किसी वित्तीय उत्पाद/ सेवा का उपयोग किये जाने के प्रत्येक समय बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवाईसी संबंधी कार्रवाई की बहुलता से बचा जा सके, माननीय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2012-13 में घोषित किया कि केवाईसी डेटा के पंजीकरण की बहुलता से बचने के लिए एक केन्द्रीय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) भंडार (डिपॉजिटरी) को विकसित किया जाएगा।

I.6.10.14 पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में 2015 के संशोधन के अनुसार, सूचना देनेवाली प्रत्येक संस्था ग्राहक आधारित संबंध स्थापित करने के 10 दिन के अंदर ग्राहक के केवाईसी अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के पास दाखिल करेगी।

I.6.10.15 आईआरडीएआई ने दिनांक 12 जुलाई 2016 के परिपत्र के अनुसार बीमाकर्ताओं को वैयक्तिक पॉलिसीधारकों के केवाईसी अभिलेख केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री को अपलोड करने के लिए सूचित किया। उसके बाद, मौजूदा पीएमएल नियमों का अनुपालन करने के लिए, आईआरडीएआई ने दिनांक 22 जनवरी 2021 के परिपत्र के द्वारा बीमाकर्ताओं को निम्नानुसार सूचित कियाः

i. विधिक संस्थाओं (एलई) के केवाईसी अभिलेख सीकेवाईसीआर को 01 अप्रैल 2021 को या उसके बाद अपलोड करें।

ii. एक बार सीकेवाईसीआर द्वारा केवाईसी अभिनिर्धारक (आईडेन्टीफायर) को उत्पन्न किये जाने/ आबंटित किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित पालिसीधारक को एक गोपनीय तरीके से देना।

iii. आवधिक तौर पर वर्तमान केवाईसी अभिलेखों को अद्यतन (अपडेट) करना।

ई-केवाईसी के लिए दिशानिर्देश

I.6.10.16 यूआईडीएआई ने अन्य बातों के साथ-साथ आधार संख्या के ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के लिए क्रियाविधि निर्धारित करते हुए आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 जारी किये। तदनुसार, आईआरडीएआई ने परिपत्र दिनांक 31 अगस्त 2017 के जरिये बीमाकर्ताओं को यूआईडीएआई द्वारा उपलब्ध कराई गई "ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा" के माध्यम से ग्राहक का सत्यापन निष्पादित करने के लिए सूचित किया।

I.6.10.17 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 494/2012 में दिनांक 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार आधार अधिनियम की संवैधानिक विधिमान्यता और आधार के सहवर्ती अधिप्रमाणन को मान्य ठहराया। तथापि, पीएमएल संशोधन नियम, 2017 द्वारा पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 (बीमा सहित वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करने के लिए आधार और पैन/फार्म 60 को अनिवार्य बनाना) में संशोधन को असंवैधानिक माना गया है।

तदुपरांत, यूआईडीएआई ने भारत के सुविज्ञ महान्यायवादी के अभिमत के आधार पर परिपत्र एफ. सं. 13012/171/2018/विधिक/यूआईडीएआई/114 दिनांक 23 अक्तूबर 2018 के द्वारा स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड की भौतिक प्रति एवं ई-आधार, आच्छादित आधार और यूआईडीएआई द्वारा प्रदत्त आफ़लाइन इलेक्ट्रानिक एक्सएमएल (यदि ग्राहक द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिया गया हो) को केवाईसी के प्रयोजन के लिए आधिकारिक तौर पर विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

I.6.10.18 तदनुसार, आईआरडीएआई ने केवाईसी के भाग के रूप में प्रस्तावक/पालिसीधारक से आधार और फार्म/60 की माँग अधिदेशात्मक तौर पर न करने के लिए बीमाकर्ताओं को सूचित करते हुए 29 जनवरी 2019 को एक परिपत्र जारी किया है। तथापि, बीमाकर्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन केवाईसी के प्रयोजन के लिए प्रस्तावक/पालिसीधारक की पहचान और/या पते को प्रमाणित करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार कर सकते हैं:

- प्रस्तावक/पालिसीधारक केवाईसी के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड स्वेच्छा से प्रस्तुत करता है। इसमें ई-आधार की भौतिक प्रति, आच्छादित (मास्क्ड) आधार और आफ़लाइन आधार एक्सएमएल शामिल हैं। तथापि, बीमाकर्ता किसी भी परिस्थिति में ई-केवाईसी सुविधा अथवा यूआईडीएआई की हाँ/ नहीं प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त प्रमाणीकरण नहीं करेंगे।
- बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करें कि आधार संख्या के प्रथम 8 अंक उचित रूप से/ उपयुक्त रूप से आच्छादित (मास्क्ड) हों।
- किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की आधार संख्या के अंतिम 4 अंक से अधिक बीमाकर्ताओं द्वारा भौतिक अथवा डिजिटल रूप में नहीं रखे जाने चाहिए।

I.6.10.19 इस संबंध में, राजस्व विभाग/ वित्त मंत्रालय ने “धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2019” दिनांक 13 फरवरी 2019 अधिसूचित किये हैं जो विनिर्दिष्ट करते हैं कि सूचना देनेवाली प्रत्येक संस्था, जहाँ उसका ग्राहक अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करता है, सुनिश्चित करेगी कि ऐसा ग्राहक वहाँ पर उपयुक्त साधन से अपनी आधार संख्या संपादित (रिडैक्ट) करे अथवा ढक दे, जहाँ आधार संख्या का अधिप्रमाणन आवश्यक नहीं है।

तत्पश्चात् विधि और न्याय मंत्रालय ने 24 जुलाई 2019 को “आधार और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019” अधिसूचित किया है जिसके द्वारा केवल बैंकिंग कंपनियों और टेलीकाम उद्योगों के द्वारा आधार के आनलाइन अधिप्रमाणन की तथा आधार (वित्तीय और

अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यीकृत वितरण) अधिनियम, 2016 के अधीन बीमाकर्ताओं के लिए आफ़लाइन सत्यापन की अनुमति दी गई है।

I.6.10.20 ऊपर उल्लिखित अधिनियम ने यह भी विनिर्दिष्ट किया कि बीमाकर्ताओं को आनलाइन अधिप्रमाणन निष्पादित करने के लिए आईआरडीएआई और यूआईडीएआई की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के अधीन अनुमति दी जाएगी।

तदनुसार, पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 11ए के अधीन यूआईडीएआई की आधार अधिप्रमाणन सेवा करने के लिए 23 अप्रैल 2020 को 29 बीमाकर्ताओं तथा 19 अगस्त 2020 को 24 बीमाकर्ताओं को अधिसूचित किया गया।

वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (वीबीआईपी)

I.6.10.21 विभिन्न इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्मों का उन्नयन करने के द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आईआरडीएआई ने "वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया" पर परिपत्र दिनांक 18 सितंबर 2020 जारी किया।

वीबीआईपी ग्राहक संबंधी उचित सावधानी के प्रयोजन के लिए अपेक्षित आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों सहित पहचान की सूचना प्राप्त करने तथा ग्राहक/लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की सच्चाई का पता लगाने के लिए ग्राहक/लाभार्थी के साथ निर्बाध, सुरक्षित, तात्कालिक, सहमति-आधारित दृश्य-श्रव्य परस्पर सक्रियता (इंटरऐक्शन) करने के द्वारा बीमाकर्ता/ प्राधिकृत व्यक्ति (बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकृत और आमने-सामने वीबीआईपी के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति) द्वारा की गई कागज-रहित रूप में पहचान / केवाईसी की एक वैकल्पिक (ऐच्छिक) इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया है।

परस्पर मूल्यांकन

I.6.10.22 राजस्व विभाग ने एक अंतर-मंत्रालय समन्वय समिति (आईएमसीसी) का और तदुपरांत संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जिसका आईआरडीएआई एक सदस्य है। उपर्युक्त समिति/कार्य दल का मुख्य उद्देश्य सरकार, विधि प्रवर्तन एजेंसियों, एफआईयू-आईएनडी और विनियमनकर्ताओं के बीच धनशोधन निवारण अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी विधियों से संबंधित विषयों में सहयोग/परामर्श/विकास/कार्यान्वयन करना है।

आईआरडीएआई संबंधित मंत्रालय को लागू एफएटीएफ सिफारिशों के संबंध में बीमा क्षेत्र की तैयारी की सूचना दे रहा है।

I.6.10.23 इसके अलावा, पीएमएल नियमों के द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार बीमा क्षेत्र की एक जोखिम निर्धारण रिपोर्ट भी मंत्रालय को विचारार्थ और राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण संकल्पना में शामिल करने के लिए भेजी गई है।

ख.सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

I.6.10.24 वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण ने सारणी I.58 में दर्शाये गये अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया। इसी अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अनुसार सौंपे गये कार्यों का निर्वहण करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार प्राधिकरण द्वारा श्री दीपक खन्ना, उप महाप्रबंधक को अपने दिल्ली कार्यालय के लिए केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया तथा श्री विकास राणे, सहायक प्रबंधक को अपने मुंबई कार्यालय के लिए केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार सौंपे गये कार्यों का निर्वहण करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार श्री सुरेश माथुर, कार्यकारी निदेशक को प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया।

I.6.10.25 वर्ष के दौरान, कर्तव्यों और दायित्वों के प्रभावी निर्वहण के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंधों पर केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा अपील प्राधिकारी के लिए 26 मार्च 2021 को एक वर्चुअल सुग्राहीकरण (सेन्सिटाइजेशन) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन करने के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने एक संसाधन व्यक्ति को प्रतिनियुक्त किया।

सारणी I.58
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) की सूची

क्रम सं.	सीपीआईओ का नाम और पदनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	विभाग
1	दीपक गायकवाड, उप महाप्रबंधक	लेखा, प्रशासन, भवन, आंतरिक लेखा-परीक्षा, कारपोरेट सेवाएँ, मानव संसाधन एवं राजभाषा कार्यान्वयन.
2	एस. पी. चक्रवर्ती, महाप्रबंधक	बीमांकिक
3	टी.एस. नाईक, महाप्रबंधक	एजेंसी वितरण एवं उपभोक्ता कार्य
4	के.जी.पी.एल. रमादेवी, महाप्रबंधक	संचार और बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ)
5	पी.के. मैती, महाप्रबंधक	प्रवर्तन
6	ए. रमणा राव, महाप्रबंधक	एफ एण्ड ए (जीवन)
7	आर.के. शर्मा, महाप्रबंधक	एफ एण्ड ए (गैर-जीवन)
8	डी.वी.एस. रमेश, महाप्रबंधक	स्वास्थ्य
9	एस.एन. जयसिंहन, महाप्रबंधक	निवेश
10	ए.आर. नित्यानंदम, मुख्य महाप्रबंधक	सूचना प्रौद्योगिकी
11	जे. मीनाकुमारी, मुख्य महाप्रबंधक	निरीक्षण
12	रणदीप सिंह जगपाल, मुख्य महाप्रबंधक	मध्यवर्ती - दलाल
13	निमिषा श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक	मध्यवर्ती - सर्वेक्षक
14	मारिमुत्तु पी., सहायक प्रबंधक	न्यायनिर्णयन
15	एच. अनंतकृष्णन, मुख्य महाप्रबंधक	विधि
16	वी. जयंत कुमार, मुख्य महाप्रबंधक	जीवन
17	यज्ञप्रिया भरत, मुख्य महाप्रबंधक	गैर-जीवन
18	लता सी., उप महाप्रबंधक	पुनर्बीमा
19	ए. वेंकटेश्वर राव, महाप्रबंधक	सेक्टोरियल विकास एवं सतर्कता

ग. सरकार प्रायोजित और सामाजिक रूप से उन्मुख बीमा योजनाएँ

प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

I.6.10.26 प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) बुआई से पहले के स्तर से कटाई के बाद के स्तर तक सभी अनिवार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध किसानों की फ़सलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने के लिए एक वहनीय फ़सल बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के द्वारा कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रारंभ की गईं। डब्ल्यूबीसीआईएस मौसम के मानदंडों का उपयोग मानी गई फ़सल हानियों के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति करने में कृषि उपजों हेतु "प्रतिनिधि" (प्राक्सी) के रूप में करती है। उक्त योजनाओं का प्रबंध कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

I.6.10.27 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2020 में फ़सल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के नवीनीकरण (रीवैम्पिंग) के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उपबंधों/मानदंडों को सम्मिलित करने के बाद पीएमएफबीवाई/ आरडब्ल्यूबीसीआईएस के लिए नवीनीकृत परिचालनगत दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस की उक्त नवीनीकृत योजना खरीफ़ 2020 मौसम से प्रभावी है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

I.6.10.28 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) सरकार द्वारा अभिकल्पित एक वर्ष की सामूहिक सावधि जीवन बीमा योजना है। यह 18 से 50 वर्ष के आयु-समूह के लोगों के लिए उपलब्ध है जो बैंक खाता रखते हैं तथा योजना में सम्मिलित होने/ आटो-डेबिट करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। दो लाख रुपये का जीवन कवर एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जो 01 जून से 31 मई तक व्याप्त होगा तथा यह उसके बाद स्वतः नवीकरण-योग्य होगा। प्रीमियम रु. 330 प्रति वर्ष है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और 12 अन्य जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जा रही है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

I.6.10.29 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना कार्यक्रम प्रारंभिक तौर पर 4 वर्ष की अवधि के लिए 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था। यह प्रत्येक घर-परिवार के लिए कम से कम एक आधारभूत बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुँच, बीमा और पेंशन के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सर्वव्यापी प्रवेश की परिकल्पना करता है। तदुपरांत, सरकार ने दुर्घटना बीमा कवर में आशोधन के साथ व्यापक पीएमजेडीवाई का विस्तार किया जिसमें नये रुपे कार्डधारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गये नये पीएमजेडीवाई खातों के लिए वर्तमान एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है।

I.6.10.30 दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एकमात्र बीमा कंपनी है जो भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत बीमा कवर दे रही है। वर्ष 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत 20.22 करोड़ जीवनों को बीमारक्षा प्रदान की गई तथा रु. 10 करोड़ का सकल प्रीमियम प्राप्त किया गया जबकि पिछले वर्ष में 54.20 करोड़ जीवनों को कवर प्रदान किया गया और रु. 27 करोड़ प्रीमियम का संग्रहण किया गया।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

I.6.10.31 यह योजना एक बैंक खाता रखनेवाले 18 से 70 तक के आयु-समूह के लोगों के लिए उपलब्ध है जो एक वार्षिक नवीकरण आधार पर 01 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए 31 मई को या उससे पहले योजना में सम्मिलित होने / आटो-डेबिट का अधिकार देने के लिए

अपनी सहमति देते हैं। इस योजना के अंतर्गत जोखिम का कवरेज दुर्घटनावश मृत्यु और पूर्ण निर्योग्यता के लिए दो लाख रुपये और आंशिक निर्योग्यता के लिए एक लाख रुपये है। रु. 12 प्रति वर्ष के प्रीमियम की कटौती एक किस्त में `आटो-डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से की जाएगी।

I.6.10.32 यह योजना सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र साधारण बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जो इस प्रयोजन के लिए बैंकों के साथ तालमेल रखते हैं। इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष कवर किये गये 16.28 करोड़ जीवनों और संगृहीत रु. 194 करोड़ प्रीमियम की तुलना में वर्ष 2020-21 में 16.06 करोड़ जीवनो को कवर किया गया तथा रु. 212 करोड़ का सकल प्रीमियम संगृहीत किया गया।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)

I.6.10.33 अनिश्चित बाजार परिस्थितियों के कारण 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वयोवृद्धों को उनकी ब्याज आय में भावी गिरावट से संरक्षण देने एवं वृद्धावस्था के दौरान उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए भी भारत सरकार ने प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) कहलानेवाली आश्वासित पेंशन की एक सरलीकृत योजना 2017 में प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत विद्यमान शर्तों के अनुसार एक वर्ष के दौरान बेची गई पालिसियों के लिए पेंशन की गारंटीकृत दरों का निर्णय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में किया जाएगा।

I.6.10.34 यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

I.6.10.35 भारत सरकार ने मई 2020 में इस योजना के अंतर्गत पेंशन की आशोधित दर के साथ पीएमवीवीवाई लागू की है तथा इस योजना के विक्रय की अवधि का विस्तार तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 31 मार्च 2023 तक किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, इस योजना ने 31 मार्च 2021 तक खरीदी गई पालिसियों हेतु 10 वर्ष की पालिसी अवधि के लिए मासिक तौर पर देय 7.40 प्रतिशत प्रति वर्ष का आश्वासित पेंशन उपलब्ध कराया है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)

I.6.10.36 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार की एक अग्रणी (फ्लैगशिप) योजना है जो 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई। यह योजना निर्धन और असुरक्षित घर-परिवारों के लिए द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्यरक्षा संबंधी अस्पताल में भर्ती के लिए पाँच लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर देती है। पीएम-जेएवाई पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) के रूप में जानी जाती थी जिसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को सम्मिलित कर लिया जो 2008 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का पूर्णतः निधीयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा कार्यान्वयन की लागत की साझेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच की जाती है।

बाक्स मद I.3

बीमा क्षेत्र की विहंगम दृष्टि

(31 मार्च को)

क्रम सं.	विवरण	2018-19			2019-20			2020-21		
		जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
1	बीमा कंपनियों की संख्या	24	35	59	24	33	57	24	32	56
2	कार्यालयों की संख्या	11,279	11,578	22,857	11,310	11,394	22,704	11,060	11,248	22,308
3	बीमा व्यापन (%)	2.69	0.90	3.59	2.82	0.94	3.76	3.20	1.00	4.20
4	बीमा सघनता ($)	55.00	19.00	74.00	58.00	19.00	78.00*	59.00	19.00	78.00
5	जारी की गई नई पालिसियों की संख्या (लाख)	286.48	1911.78	2,198.26	288.47	2415.09	2,703.56	281.27	2,467.33	2,748.60
6	कुल प्रीमियम	5,08,132.03	1,72,482.77	6,80,614.80	5,72,910.19	1,92,192.59	7,65,102.78	6,28,731.04	2,02,082.30	8,30,813.34
	i. भारत के अंदर (₹करोड़)	5,07,761.76	1,69,448.46	6,77,210.22	5,72,531.93	1,88,916.62	7,61,448.55	6,28,330.70	1,98,714.72	8,27,045.42
	ii. भारत के बाहर (₹करोड़)	370.27	3,034.30	3,404.57	378.26	3,275.97	3,654.23	400.34	3,367.58	3,767.92
7	प्रीमियम में वृद्धि (%)	10.75	12.41	11.18	12.75	11.43	12.41	9.74	5.15	8.59
8.	पीएसयूएस का कुल प्रीमियम (₹करोड़)	3,37,505.07	71,693.15	4,09,198.22	3,79,389.60	76,539.05	4,55,928.65	4,03,286.55	75,211.29	4,78,497.84
9	पीएसयूएस का बाजार अंश (%)	66.42	41.57	60.12	66.22	39.82	59.59	64.14	37.22	57.59
10	प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ (₹करोड़)	35,33,142.84	3,14,331.33	38,47,474.17	38,90,274.09	3,62,655.67	42,52,929.76	44,79,973.46	4,33,301.36	49,13,274.82
11	प्रदत्त पूँजी (₹करोड़)	27,615.94	16,517.86	44,133.80	28,087.96	21,360.73	49,448.69	28,346.37	32,842.24	61,188.61
12	अन्य प्रकार की पूँजी (₹करोड़)	230.00	4,656.00	4,886.00	230.00	4,875.00	5,105.00	2,210	4,875.00	7,085.00
13	कमीशन व्यय (₹करोड़)	27,774.54	12,277.42	40,051.96	31192.52	13,893.13	45,085.65	32,994.08	15,409.50	48,403.58
14	परिचालन व्यय (₹करोड़)	51,130.26	28,624.10	79,754.36	60121.00	35,844.93	95,965.93	61,422.29	38,281.44	99,703.73
15	दावे (₹करोड़)	3,29,678.28	1,01,051.01	4,30,729.29	3,51,466.70	1,08,390.26	4,59,856.49	3,98,772.47	1,11,549.83	5,10,322.30
16	निवेशों से आय (₹करोड़)	2,84,800.37	26,288.51	3,11,088.88	2,33,743.74	28,605.52	2,62,349.26	4,66,030.35	29,743.55	4,95,773.90
17	कर के बाद लाभ (₹करोड़)	8,435.81	683.21	9,119.02	7,728.30	-1,494.38	6,233.92	8,660.63	3,852.53	12,513.16
18	प्रदत्त लाभांश (₹करोड़)	4,441.86	647.92	5,089.78	3,890.03	1,306.21	4,949.04	615.35	1,001.06	1,616.41

टिप्पणी: 1. गैर-जीवन में स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के आंकडे शामिल है|; 2. जीवन बीमाकर्ताओं के लिए दावा भुगतान किए गए लाभ को दर्शाता है और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिए, दावे शुद्ध किए गए दावों को दर्शाते हैं; 3. एयूएम में एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का एयूएम शामिल है|; 4. कमीशन व्यय में वर्ष 2019-20 से जीवन बीमाकर्ताओं के लिए प्रतिफल भी शामिल हैं|

भाग - II
कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के प्रयोजन के लिए विनियामक शर्तों में उल्लेखनीय परिवर्तन किये हैं। वर्ष 2020-21 में आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन दो विनियम बनाये गये। वे हैं :

i. आईआरडीएआई (अन्वेषण और निरीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम जानकारी) विनियम, 2020

ii. आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2020.

अप्रैल 2021 में, आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन निम्नलिखित विनियम को अधिसूचित किया गयाः

आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021

उपर्युक्त विनियमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

II.1.1 आईआरडीएआई (अन्वेषण और निरीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम जानकारी) विनियम, 2020

II.1.1.1 आईआरडीएआई (अन्वेषण और निरीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम जानकारी) विनियम, 2020, 23 नवंबर 2020 को अधिसूचित किये गये। ये विनियम 23 मई 2021 से प्रवृत्त हुए। ये विनियम बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33(7) के अंतर्गत प्राधिकरण में निहित शक्तियों के अधीन जारी किये गये।

II.1.1.2 ये विनियम बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों और बीमा मध्यवर्तियों के लिए प्राधिकरण द्वारा अन्वेषण और निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अपनी बहियों में न्यूनतम जानकारी रखना, वह पद्धति जिसमें ऐसी जानकारी रखी जाएगी तथा उनके द्वारा अपनाये जानेवाले परीक्षणों और अन्य सत्यापनों को अधिदेशात्मक बनाते हैं।

II.1.1.3 इन विनियमों की मुख्य-मुख्य बातें हैं :

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2(1)(द) से अपनाई गई `इलेक्ट्रानिक रूप' की परिभाषा।
- सूचना भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में अनुरक्षित की जा सकती है।
- सूचना विभिन्न कार्यालयों में अनुरक्षित की जा सकती है।
- बीमाकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित किये जानेवाले अभिलेख।
- मध्यवर्तियों और बीमा मध्यवर्तियों द्वारा अनुरक्षित किये जानेवाले अभिलेख।
- अनुरक्षित किये जानेवाले दस्तावेज।
- परीक्षण और अन्य सत्यापन।
- अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी बोर्ड नीति।

II.1.1.4 उपर्युक्त के अलावा, प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों और बीमा मध्यवर्तियों को किफायत एवं प्राधिकरण द्वारा अन्वेषण और निरीक्षण के लिए अभिलेखों की अभिगम्यता को सुनिश्चित करने हेतु सभी अभिलेख इलेक्ट्रानिक रूप में अनुरक्षित करने के लिए सूचित करते हुए परिपत्र सं. आईआरडीएआई/ आईएनएसपी/ सीआईआर/293/12/2020 दिनांक 08 दिसंबर 2020 जारी किया है। बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए अपनी स्वयं की समय-सीमाएँ निर्धारित करने के लिए सूचित किया गया।

II.1.2 आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2020

II.1.2.1 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि

निर्धारक) विनियम, 2015 बनाये गये। इन विनियमों में 2017 में संशोधन किया गया। तदुपरांत, उक्त विनियमों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता महसूस की गई तथा विनियामक ढाँचे को सरल और कारगर बनाने और साधारण बीमा बाजार की आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु सर्वेक्षक बनने के लिए युवा पीढ़ी की अधिक व्यापक सहभागिता को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से वर्तमान ढाँचे की जाँच करने और विचार-विमर्श करने के लिए बीमाकर्ताओं और सर्वेक्षकों के साथ एक कार्य दल गठित किया गया।

II.1.2.2 उक्त कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर तथा एक्सपोज़र प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों की जाँच करने के बाद, आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2020 24 नवंबर 2020 को अधिसूचित किये गये तथा ये 26 नवंबर 2020 को सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी हुए और इन विनियमों के खंड 4.2 के उप-खंड (ख) और (ग) 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुए।

II.1.2.3 वर्तमान विनियमों का संशोधन करने में अंतर्निहित तर्काधार पालिसीधारकों एवं साधारण बीमा उद्योग को एक कुशल और व्यावसायिक तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को एक समर्थकारी परिवेश उपलब्ध कराना है।

II.1.2.4 आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में इन संशोधनों का उद्देश्य निम्नलिखित हैः

क. (क) भौतिक प्रलेखीकरण को समाप्त करने और लाइसेंसीकरण प्रक्रिया को पूर्णतः आनलाइन करने, (ख) प्रमाणपत्रों की नोटरीकृत प्रतियों के बजाय स्वयं-साक्ष्यांकित प्रतियों का प्रयोग करने, तथा (ग) शपथ-पत्रों के स्थान पर घोषणा-व-वचनपत्र प्राप्त करने के द्वारा लाइसेंसीकरण प्रक्रिया को आसान करना।

ख. अपेक्षित शैक्षिक योग्यता और आईआईआईएसएलए की सदस्यता से युक्त किसी भी पात्र आवेदक को प्राधिकरण के पास नामांकन और उसके बाद दिशानिर्देशों के जरिये प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद परीक्षाएँ लिखने के लिए समर्थ बनाना। उक्त संशोधन ने दो-स्तरीय परीक्षाओं को प्रारंभ किया जो बीमा सर्वेक्षण के सिद्धांत और व्यावहारिक पहलुओं को समाविष्ट करेंगी।

ग. प्रशिक्षणार्थी सर्वेक्षकों के लिए एक-वर्षीय व्यावहारिक प्रशिक्षण को हटाना और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को दो विकल्प उपलब्ध कराना अर्थात् i) अनुमोदित संस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) के माध्यम से दो महीने का गहन प्रशिक्षण अथवा ii) कम से कम आठ वर्ष का अनुभव रखनेवाले वरिष्ठ सर्वेक्षकों के पास छह महीने की प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप)।

घ. सर्वेक्षकों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सर्वेक्षकों के प्रबंधन की नीति रखने के लिए बीमाकर्ताओं को निदेश देना तथा इसके द्वारा पालिसीधारकों के अनुभव में वृद्धि करना। विनियम 21 में किये गये संशोधन सर्वेक्षकों का उपयोग करने, उनके कार्यनिष्पादन की निगरानी करने और जहाँ भी आईआरडीएआई के विनियमों का उल्लंघन सिद्ध किया जाता है वहाँ प्राधिकरण को सूचित करने के संबंध में बीमाकर्ताओं को अधिक दायित्व सौंपते हैं।

ङ. सर्वेक्षकों द्वारा लाइसेंस के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के लिए उपबंध प्रारंभ करना। चूँकि लाइसेंस के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के संबंध में विनियम मौन थे, अतः उक्त संशोधन आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये अन्य विनियमों में इसी प्रकार के उपबंधों के अनुरूप लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए क्रियाविधि निर्धारित करते हैं।

च. विनियमों से आवेदन फार्मेट हटाना। विनियम 28 के अनुसार प्राधिकरण को अब प्रशिक्षण और आनलाइन आवेदन फार्मों के फार्मेटों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए सशक्त बनाया गया है।

छ. कार्य दल की सिफारिशों और एक्सपोज़र प्रारूप पर अनुवर्ती टिप्पणियों के आधार पर अनुबंध 1, अनुसूची I में निर्धारित अर्हताओं में संशोधन करना और उनका विस्तार करना।

ज. शुल्क संरचना का संशोधन करना। विनियमों में संशोधन की तारीख से आवेदक से अपेक्षित है कि वह वैयक्तिक लाइसेंस के लिए रु. 1,000 और कारपोरेट लाइसेंस के लिए रु. 5,000 के वापस न करने योग्य प्रसंस्करण शुल्क का आनलाइन भुगतान करे।

II.1.3 आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021

II.1.3.1 प्राधिकरण ने 09 अप्रैल 2021 को आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 अधिसूचित किये हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा के विज्ञापन प्रासंगिक, उचित और सरल भाषा में हों, जिससे ग्राहक प्रामाणिक निर्णयन कर सकें। इन विनियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सभी बीमाकर्ता, मध्यवर्ती अथवा बीमा मध्यवर्ती विज्ञापन जारी करते समय उचित, सत्यनिष्ठ और पारदर्शी प्रथाओं को अपनाएँ तथा ऐसी प्रथाओं से बचें जो जनता के विश्वास को क्षति पहुँचाने की प्रवृत्ति से युक्त हों।

II.1.3.2 इन विनियमों की मुख्य-मुख्य बातें हैं :

i. बीमा विज्ञापन की दो स्थूल श्रेणियाँ - (क) विज्ञापन की पूछताछ करने के लिए आमंत्रण, (ख) विज्ञापन की संविदा करने के लिए आमंत्रण, परिभाषित की गई हैं।

ii. विभिन्न संकल्पनाएँ जैसे संयुक्त विक्रय विज्ञापन, प्रारंभ की गई हैं।

iii. "अनुचित अथवा भ्रामक विज्ञापन" का दायरा ऐसे किसी विज्ञापन को जोड़ने के द्वारा विस्तृत किया गया है, जोः

क. ऐसे अभिकल्प, अंतर्वस्तु अथवा फार्मेट का उपयोग करता है जो किसी विज्ञापन में निहित होने के लिए अपेक्षित किसी वक्तव्य, चेतावनी अथवा अन्य विषय को छिपाता हो, दुरूह बनाता हो अथवा उसके महत्व को कम करता हो।

ख. ऐसे नामों, चिह्नों (लोगो), ब्रैंड नामों, विशिष्ट संकेतों, प्रतीकों आदि को बदनाम करता है अथवा उनका प्रयोग करता है, जो बाजार में अन्यों के द्वारा पहले से ही प्रयुक्त किये जा रहे हों, जिससे बाजार स्थल में उलझन के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

ग. ऐसे शब्दों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग करता है जो सुरक्षा की एक गढ़ी हुई अनुभूति सूचित करते हैं।

घ. जहाँ प्रमुख रूप से दर्शाई गई विशेषताएँ अथवा लाभ ऐसी विशेषताएँ अथवा लाभ हैं जो चरम अथवा अपवादात्मक परिदृश्यों के अंतर्गत लागू हैं।

iv. सोशल मीडिया विज्ञापन के संबंध में विशिष्ट व्यवस्थाएँ, अथवा बीमा विज्ञापनों के परिचालन के लिए प्रयुक्त आनलाइन/ डिजिटल मीडिया जैसी नई पद्धतियाँ लागू की गई हैं।

v. स्थान-निर्धारण (रैंकिंग) और पुरस्कारों के प्रकाशन को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ प्रारंभ की गई हैं।

vi. अन्य पक्षकारों के द्वारा समर्थन किये गये अथवा जारी किये गये विज्ञापनों के अनुपालन के लिए बीमाकर्ताओं पर दायित्व निर्धारित करना।

vii. प्रमाणपत्र के आधार पर अंतर्वस्तु में किसी परिवर्तन के बिना बहुभाषी विज्ञापन फाइल करने में बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को सुविधा प्रदान करना।

II.2 बीमा एजेंट और बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध मध्यवर्ती

II.2.1 बीमा एजेंट

बीमा एजेंट वह व्यक्ति है जो बीमा पालिसियों की निरंतरता, नवीकरण अथवा पुनःप्रवर्तन से संबंधित व्यवसाय सहित बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) करने अथवा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त है। कोई भी व्यक्ति एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता और एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता तथा एक व्यवस्था (मोनो-लाइन) वाले बीमाकर्ताओं में से एक से अधिक के लिए बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा।

जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट

II.2.1.1 जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों की संख्या 31 मार्च 2020 को विद्यमान 22.78 लाख की तुलना में 31 मार्च 2021 को 24.55 लाख थी। जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में एजेंटों की संख्या में 7.75 प्रतिशत की वृद्धि देखी। जब कि निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 2.96 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की, वहीं एलआईसी ने 11.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2021 को एलआईसी के पास एजेंटों की संख्या 13.54 लाख रही तथा निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए तदनुरूपी संख्या 11.01 लाख थी।

II.2.1.2 वर्ष 2020-21 के दौरान, 6.29 लाख एजेंट नियुक्त किये गये थे तथा 4.52 लाख एजेंटों की सेवा समाप्त की गई थी। एलआईसी और निजी क्षेत्र द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान नियुक्त और सेवासमाप्त एजेंटों की संख्या सारणी II.1 में दर्शाई गई है।

II.2.1.3 जीवन बीमा उद्योग के कुल 24.55 लाख वैयक्तिक एजेंटों में से पुरुष वैयक्तिक एजेंट 73.06 प्रतिशत बनते हैं और महिला वैयक्तिक एजेंट 26.94 प्रतिशत हैं। एलआईसी और निजी क्षेत्र के एजेंटों का लिंग-वार वितरण सारणी II.2 में दिया गया है।

सारणी II.1
जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट

(एजेंटों की संख्या)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2020 को	2020-21 के दौरान नियुक्ति	2020-21 के दौरान सेवासमाप्ति	31 मार्च 2021 को
एलआईसी	12,08,826	3,45,469	2,00,487	13,53,808
निजी क्षेत्र	10,69,639	2,83,343	2,51,713	11,01,269
कुल	**22,78,465**	**6,28,812**	**4,52,200**	**24,55,077**

सारणी II.2
जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों का लिंग-वार वितरण
(2020-21)

(एजेंटों की संख्या)

बीमाकर्ता	पुरुष	महिला	कुल
एलआईसी	10,42,686 (77.02)	3,11,122 (22.98)	13,53,808 (100.00)
निजी क्षेत्र	7,51,001 (68.19)	3,50,268 (31.81)	11,01,269 (100.00)
कुल	**17,93,687 (73.06)**	**6,61,390 (26.94)**	**24,55,077 (100.00)**

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट

II.2.1.4 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों की संख्या 31 मार्च 2020 को यथाविद्यमान 11.97 लाख की तुलना में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 14.22 लाख थी। साधारण और स्वास्थ्य बीमा उद्योग ने एजेंटों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 18.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। जबकि वर्ष 2020-21 के अंत में, सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के पास एजेंटों की संख्या 2.89 लाख पर रही, वहीँ निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के लिए तदनुरूपी संख्या 3.61 लाख और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) के लिए 7.72 लाख थी। जहाँ एक ओर निजी साधारण बीमाकर्ताओं के अंतर्गत वैयक्तिक एजेंटों की संख्या ने 61.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (मुख्य रूप से एचडीएफसी एर्गो के एचडीएफसी एर्गो हेल्थ के साथ विलय के कारण), वहीं दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के लिए कार्यरत वैयक्तिक एजेंटों की संख्या ने 1.03 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की तथा स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) ने 13.32 की वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, स्टार हेल्थ ने 4.62 लाख वैयक्तिक एजेंटों के साथ स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) के कुल वैयक्तिक एजेंटों के लगभग 60 प्रतिशत का अंशदान किया।

II.2.1.5 वर्ष 2020-21 के दौरान, 3.69 लाख एजेंटों को नियुक्त किया गया तथा 45,564 एजेंटों की सेवा समाप्त की गई। सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, निजी क्षेत्र और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान नियुक्त किये गये और सेवासमाप्त किये गये एजेंटों की संख्या सारणी II.3 में दर्शाई गई है।

II.2.1.6 साधारण बीमा उद्योग के कुल 14.22 लाख वैयक्तिक एजेंटों में से, 74.70 प्रतिशत पुरुष हैं और 25.30 महिलाएँ हैं। सरकारी क्षेत्र उपक्रमों, निजी क्षेत्र और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के एजेंटों का लिंग-वार वितरण सारणी II.4 में दिया गया है।

सारणी II.3
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट

(एजेंटों की संख्या)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2020 को	2020-21 के दौरान नियुक्ति	2020-21 के दौरान सेवासमाप्ति	31 मार्च 2021 को
सरकारी क्षेत्र	2,92,356	19,428	22,434	2,89,350
निजी क्षेत्र	2,23,141	1,53,833	15,926	3,61,048
विशेषीकृत बीमाकर्ता	-	-	-	-
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	6,81,145	1,96,037	7,204	7,71,906
कुल	**11,96,642**	**3,69,298**	**45,564**	**14,22,304**

सारणी II.4
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों का लिंग-वार वितरण (2020-21)

(एजेंटों की संख्या)

बीमाकर्ता	पुरुष	महिला	कुल
सरकारी क्षेत्र	2,36,103 (81.60)	53,247 (18.40)	2,89,350 (100.00)
निजी क्षेत्र	2,70,076 (74.80)	90,972 (25.20)	3,61,048 (100.00)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	-	-	-
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	5,56,262 (72.06)	2,15,644 (27.94)	7,71,906 (100.00)
कुल	**10,62,441 (74.70)**	**3,59,863 (25.30)**	**14,22,304 (100.00)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल संख्या में से प्रतिशत हैं।

II.2.2 कारपोरेट एजेंट

II.2.2.1 कारपोरेट एजेंट जीवन, साधारण अथवा स्वास्थ्य की किसी भी विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और सर्विसिंग हेतु आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया विधिमान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करते हैं। कारपोरेट एजेंट तीन जीवन बीमाकर्ताओं, तीन गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और तीन स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

II.2.2.2 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, 586 सक्रिय कारपोरेट एजेंट थे जिन्हें प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है। 586 कारपोरेट एजेंटों में से 250 बैंक और 336 एनबीएफसी/सहकारी सोसाइटियाँ/सीमित देयता भागीदारी फर्म और अन्य पात्र फर्म थे।

सारणी II.5
बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध कारपोरेट एजेंट
(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	बैंक	एनबीएफसी और अन्य	कुल
जीवन	16	25	41
साधारण	12	34	46
स्वास्थ्य	-	-	-
सम्मिश्र	222	277	499
कुल	**250**	**336**	**586**

II.2.3 बीमा दलाल

II.2.3.1 प्राधिकरण ने बीमा दलालों को भारतीय बाजारों में परिचालन करने के लिए 2003 से अनुमति दी तथा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसरण में दलाली का सबसे पहला पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) 30 जनवरी 2003 को जारी किया गया। वर्ष 2013-14 में आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 द्वारा इन विनियमों का अधिक्रमण किया गया। आगे चलकर आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का अधिक्रमण वर्ष 2017-18 में आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 द्वारा किया गया। उक्त विनियमों ने प्रत्यक्ष बीमा दलालों के लिए 75 लाख रुपये की, पुनर्बीमा दलालों के लिए 400 लाख रुपये की तथा सम्मिश्र बीमा दलालों के लिए 500 लाख रुपये की पूँजीगत अपेक्षा निर्धारित की। बीमा दलाली लगातार लोकप्रिय हो रही है तथा पंजीकरणों की संख्या 2003 से लेकर 612 तक बढ़ गई है (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)।

II.2.3.2 612 पंजीकृत दलालों की कुल संख्या में से 31 मार्च 2021 को विधिमान्य दलाल 486 हैं और शेष 126 प्रचलन में नहीं हैं। उक्त 486 विधिमान्य दलालों में 419 प्रत्यक्ष दलाल हैं, 5 पुनर्बीमा दलाल हैं तथा 62 सम्मिश्र दलाल। बीमा दलालों के राज्य-वार पंजीकृत कार्यालयों की स्थिति सारणी II.6 में दी गई है।

II.2.3.3 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान प्राधिकरण ने 32 नये पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किये हैं जिनमें से सभी 32 प्रत्यक्ष बीमा दलाल हैं। उक्त अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने 201 बीमा दलाल पंजीकरणों का नवीकरण किया है। उक्त विनियमों के अनुसार, बीमा दलाल नवीकरण के लिए अपने पंजीकरण की समाप्ति से 90 दिन पहले आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण बीमा दलालों के अनुपालन स्तरों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाता रहा है। इनमें से कुछ के अंतर्गत कार्यशालाओं का संचालन, भारतीय बीमा दलाल संघ के साथ नियमित रूप से परस्पर सक्रिय विचार-विमर्श, आदि शामिल हैं।

II.2.3.4 कागज-रहित परिवेश की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रारंभिक कदम के तौर पर प्राधिकरण ने 01 जनवरी 2016 से व्यावसायिक विश्लेषण-विज्ञान परियोजना (बीएपी) लागू की है। बीमा दलाल पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए नये आवेदनों का प्रसंस्करण, बीमा दलाल पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण और कारपोरेट अभिशासन संबंधी मामलों के कार्य बीएपी माड्यूल के माध्यम से किये जा रहे हैं।

सारणी II.6
बीमा दलालों के राज्य-वार पंजीकृत कार्यालय
(31 मार्च 2021 को)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत कार्यालयों की संख्या			
		प्रत्यक्ष दलाल	पुनर्बीमा दलाल	सम्मिश्र दलाल	कुल
1	बिहार	1	-	-	1
2	चंडीगढ़	7	-	-	7
3	गुजरात	25	-	2	27
4	हरियाणा	15	-	1	16
5	झारखंड	1	-	-	1
6	जम्मू व कश्मीर	1	-	-	1
7	कर्नाटक	17	-	2	19
8	केरल	14	-	1	15
9	मध्य प्रदेश	7	-	-	7
10	महाराष्ट्र	106	3	32	141
11	नई दिल्ली	70	1	11	82
12	ओडिशा	2	-	-	2
13	पंजाब	15	-	-	15
14	राजस्थान	9	-	-	9
15	तमिलनाडु	38	-	4	42
16	तेलंगाना	39	-	4	43
17	उत्तर प्रदेश	24	1	3	28
18	पश्चिम बंगाल	28	-	2	30
	कुल	**419**	**5**	**62**	**486**

II.2.4 सूक्ष्म बीमा एजेंट

II.2.4.1 जनता के निम्नतर आय खंडों में बीमा व्यापन को सुसाध्य बनाने के लिए आईआरडीएआई ने 2005 में सूक्ष्म बीमा विनियम अधिसूचित किये थे जिन्होंने ग्रामीण और शहरी निर्धन वर्ग के लिए वहनीय बीमा उत्पाद वितरित करने तथा सूक्ष्म बीमा को वित्तीय समावेशन में अपनी भूमिका अदा करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया।

II.2.4.2 सूक्ष्म बीमा विनियमों का मुख्य रूप से बल बीमारक्षा, प्रीमियम और लाभ मानकों के कुछ स्तरों का पालन करनेवाले मानकीकृत लोकप्रिय बीमा उत्पादों के साथ सामान्य जोखिमों का सामना करने और उनसे संभल जाने में सहायता करने के लिए वहनीय बीमा उत्पादों के साथ निम्न आय वाले लोगों को संरक्षण देने पर है। इन विनियमों ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सूक्ष्म बीमा उत्पादों का विपणन करने में बीमा कंपनियों के एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी है और साथ ही, ये दोनों जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को काम्बी-सूक्ष्म बीमा उत्पादों (व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं का संयोजन) को बढ़ावा देने की अनुमति देते हैं।

II.2.4.3 प्राधिकरण ने सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 की समीक्षा की है और सूक्ष्म बीमा विनियम, 2015 अधिसूचित किये हैं जिनमें सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के बेहतर व्यापन को सुसाध्य बनाते हुए सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के व्यवसाय प्रतिनिधियों सहित, जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसी कई अन्य संस्थाओं को अनुमति दी गई है। इन विनियमों में अतिरिक्त पालिसीधारक संरक्षण उपाय भी शामिल किये गये हैं।

जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा

II.2.4.4 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार विक्रय के लिए बाजार में 18 जीवन बीमाकर्ताओं के अड़तीस (38) सूक्ष्म बीमा उत्पाद उपलब्ध थे। इन 38 उत्पादों में से 14 वैयक्तिक उत्पाद और शेष 24 सामूहिक उत्पाद हैं (अनुबंध 5)।

II.2.4.5 जबकि वर्ष 2020-21 के लिए सूक्ष्म बीमा खंड के अंतर्गत वैयक्तिक नया व्यवसाय रु. 355.27 करोड़ के प्रीमियम के साथ 10.69 लाख नई पालिसियों पर रहा था, वहीं सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत कवर किये गये जीवन रु. 4213.06 करोड़ के प्रीमियम के साथ 10.13 करोड़ थे। सूक्ष्म बीमा के प्रति एलआइसी का अंशदान वैयक्तिक बीमा के अंतर्गत रु. 352.93 करोड़ के प्रीमियम के साथ 9.92 लाख पालिसियों का था तथा सामूहिक सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के अंतर्गत रु. 114.53 करोड़ प्रीमियम के साथ 42.62 लाख जीवनों का रहा। निजी क्षेत्र ने वैयक्तिक व्यवसाय में 0.77 लाख पालिसियों और रु. 2.34 करोड़ प्रीमियम का अंशदान किया तथा सामूहिक सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के अंतर्गत रु. 4,098.53 करोड़ प्रीमियम के साथ 9.70 करोड़ जीवनों का अंशदान रहा।

सारणी II.7
जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का कार्यनिष्पादन

(वित्तीय वर्ष 2020-21)

बीमाकर्ता	वैयक्तिक नया व्यवसाय		सामूहिक नया व्यवसाय		
	पालिसियाँ (लाख)	प्रीमियम (₹ करोड़)	योजनाएँ	समाविष्ट जीवन (लाख)	प्रीमियम (₹ करोड़)
एलआईसी	9.92	352.93	624	42.62	114.53
निजी क्षेत्र	0.77	2.34	378	970.37	4,098.53
कुल	**10.69**	**355.27**	**1,002**	**1,012.99**	**4,213.06**

टिप्पणी: नये व्यवसाय में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।

II.2.4.6 31 मार्च 2021 को सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 93,748 थी, जिनमें से 21,547 एजेंट एलआईसी से संबंधित थे और शेष 72,201 निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित थे। कुल सूक्ष्म बीमा एजेंटों में से गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 7.08 प्रतिशत हैं, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) 0.38 प्रतिशत, सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई) 0.36 प्रतिशत, व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) 0.15 प्रतिशत तथा अन्य सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंट 92.03 प्रतिशत बनाते हैं (सारणी II.8)।

सारणी II.8
जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट

एजेंट	एलआईसी	निजी क्षेत्र	कुल
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	6,548	90	6,638
स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)	341	16	357
सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई)	295	46	341
व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी)	103	36	139
अन्य सूक्ष्म बीमा एजेंट	14,260	72,013	86,273
कुल	**21,547**	**72,201**	**93,748**

साधारण और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा

II.2.4.7 प्राधिकरण ने व्यापक तौर पर सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 की समीक्षा की है तथा संशोधित आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 13 मार्च 2015 को अधिसूचित किये हैं। साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद स्वास्थ्य बीमा को समाविष्ट करते हैं, संपत्ति, जैसे झोंपड़ी, पशुधन अथवा साधनों अथवा उपकरणों के लिए कवर, वैयक्तिक दुर्घटना के लिए वैयक्तिक या सामूहिक आधार पर अधिकतम एक लाख रुपये (परिवार/सामूहिक स्वास्थ्य के लिए 2.5 लाख रुपये) की तथा एक वर्ष की अवधि के लिए बीमारक्षा प्रदान करते हैं।

II.2.4.8 प्राधिकरण ने विभिन्न खंडों में सूक्ष्म बीमा को प्रसारित करने के लिए संस्थाओं अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों में विस्तार किया है जिन्हें सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिनमें गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म वित्त

संस्थाएँ (एमएफआई), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)-सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई), जिला सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी), प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियाँ (पीएसी) और अन्य सहकारी सोसाइटियाँ शामिल हैं।

II.2.4.9 पंजीकृत साधारण बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये जानेवाले सूक्ष्म बीमा उत्पाद के प्रकार हैं, मवेशी सूक्ष्म बीमा पालिसी, किसान कृषि पम्पसेट सूक्ष्म बीमा पालिसी, जनता वैयक्तिक दुर्घटना सूक्ष्म बीमा पालिसी, रेशम-कीट सूक्ष्म बीमा पालिसी, भेड़-बकरी सूक्ष्म बीमा पालिसी, संपूर्ण गृह सुरक्षा पालिसी आदि। ये उत्पाद जनसाधारण के निम्न आय खंड पर लक्ष्यित हैं। प्राधिकरण ने गैर-ऋणी किसानों को सम्मिलित करते हुए आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा एजेंटों द्वारा अपेक्षा और विपणन किये जाने के लिए प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को अनुमति दी है।

II.2.4.10 इसके अलावा, साधारण बीमा व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में वर्गीकृत रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जारी की जानेवाली साधारण बीमा पालिसियाँ भी, प्रति एमएसएम उद्यम रु. 10,000 प्रीमियम प्रति वर्ष तक साधारण सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगी।

II.2.4.11 सूक्ष्म बीमा एक कम कीमत एवं अधिक मात्रा वाला व्यवसाय होते हुए, इसकी सफलता और धारणीयता मुख्य रूप से लेनदेन की लागतों को कम रखने पर निर्भर है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32बी और 32सी तथा आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 बीमाकर्ताओं के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में दायित्व निर्धारित करते हैं, जिन्होंने भी भारत में सूक्ष्म बीमा उत्पादों के विकास और संवर्धन के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है।

II.2.4.12 वर्ष 2020-21 में सूक्ष्म बीमा एजेंटों द्वारा जारी की गई साधारण बीमा पालिसियों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

जारी की गई पालिसियों की संख्या		
निजी	सरकारी	कुल
16,313	36,733	53,046

टिप्पणीः स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई सूक्ष्म बीमा पालिसियाँ शामिल नहीं हैं।

II.2.5 बीमा विपणन फर्म

II.2.5.1 बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) एक वितरण माध्यम है जो बीमा उत्पादों की अपेक्षा (सलिसिटेशन) करने और उन्हें प्राप्त करने, सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक, डाक घर, एनपीएस आदि द्वारा विनियमित अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरण उनका विपणन करने के लिए लाइसेंसप्राप्त व्यक्तियों को नियोजित करने के द्वारा करने हेतु आईआरडीएआई द्वारा विनियमित है। आईएमएफ का पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म) विनियम, 2015 के अधीन किया जाता है। यह पंजीकरण जिला-वार है तथा आईएमएफ को एक राज्य के अंदर अधिकतम तीन जिलों के लिए विकल्प देने की अनुमति है। आईएमएफ खुली संरचना का अनुसरण करते हैं, जिसमें उन्हें व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं अर्थात् जीवन बीमा, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा में से प्रत्येक में दो बीमा कंपनियों के साथ खुदरा तौर पर व्यवहार करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, आईएमएफ को एग्रीकल्चर इन्सुरांस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) और निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) के साथ भी सहबद्धता रखने की अनुमति दी गई है। आईएमएफ को सभी प्रकार के जीवन बीमा उत्पाद प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि साधारण बीमा के संबंध में केवल बीमा उत्पादों की खुदरा व्यवस्थाओं की ही अनुमति दी गई है।

II.2.5.2 प्राधिकरण संबंधित प्राधिकारियों के पास एक निजी लिमिटेड कंपनी / एलएलपी / सहकारी सोसाइटी के रुप में आवेदक के पंजीकरण के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) जारी करता है। इसके बाद प्राधिकरण का आईएमएफ विभाग आईएमएफ के रूप में पंजीकरण प्रदान करने के लिए आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत

आवेदनों का प्रसंस्करण करता है। एनओसी/पंजीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल www.imf.irda.gov.in के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं।

II.2.5.3 प्राधिकरण ने जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा में से प्रत्येक के लिए अक्तूबर 2020 में एक आईएमएफ के लिए तीन क्षमता निर्माण सत्र संचालित किये हैं। आईएमएफ को खुदरा उत्पादों के विभिन्न प्रकारों से अवगत कराया गया जिनकी अपेक्षा वे कर सकते हैं (मानक उत्पादों सहित), तथा उन विक्रय रणनीतियों की जानकारी उन्हें दी गई जिनका प्रयोग वे कर सकते हैं। आईएमएफ उन लोगों के लिए एक कैरियर पथ को सुसाध्य बनाता है जो इस दिशा में लगे रहते हैं। वे समावेशी वृद्धि का समर्थन करते हैं।

II.2.5.4 वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण द्वारा 337 अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किये गये तथा 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार जारी किये गये एनओसी की संचयी संख्या 2099 थी। इसके अलावा, प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 में 77 आईएमएफ पंजीकरण जारी किये हैं तथा पंजीकरणों की कुल संख्या 31 मार्च 2021 को 417 थी। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2020-21 के दौरान पंजीकृत आईएमएफ की अधिकतम संख्या को देखा।

II.2.5.5 वर्ष 2020-21 के दौरान आईएमएफ माध्यम के द्वारा आईएमएफ ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) (जीवन/साधारण/ स्वास्थ्य) के अंतर्गत उत्पन्न की गई कुल प्रीमियम आय निम्नानुसार हैः

बीमाकर्ता	आईएमएफ के साथ संबद्धता रखनेवाले बीमाकर्ता	पालिसियों की संख्या	प्रीमियम (रु.करोड़)
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	24	57,214	70.75
जीवन बीमाकर्ता	10	20,289	160.78
कुल	**34**	**77,503**	**231.53**

II.2.5.6 प्रधान अधिकारी (पीओ) और बीमा विक्रेता (आईएसपी) आईएमएफ संरचना के मूल स्तंभ हैं। उन प्रधान अधिकारियों और बीमा विक्रेताओं की संख्या वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रही है जो बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के लिए अर्हता प्राप्त हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, लगभग 570 प्रधान अधिकारी और 1139 बीमा विक्रेता आईएमएफ माध्यम के भाग के रूप में बीमा की अपेक्षा करने के लिए अर्हता प्राप्त हैं।

II.2.5.7 नीति आयोग ने देश के कुछ सर्वाधिक अल्पविकसित जिलों का स्वरूप त्वरित गति से और प्रभावी रूप में बदलने के उद्देश्य से जनवरी 2018 में `महत्वाकांक्षी जिलों का रूपांतरण' कार्यक्रम प्रारंभ किया। वित्तीय समावेशन इन जिलों के रूपांतरण का मापन करने के लिए 49 मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों में से एक है। इस दृष्टि के साथ सुयोजन करते हुए आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019, 24 जुलाई 2019 को अधिसूचित किये गये। इस संशोधन ने संभावित आवेदकों को निवल मालियत (नेट वर्थ) की अपेक्षा को कम करने के द्वारा उनके परिचालन क्षेत्र के रूप में महत्वाकांक्षी जिलों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।

परिणामस्वरूप, महत्वाकांक्षी जिलों में आईएमएफ की उपस्थिति में एक क्रमिक वृद्धि देखी गई है तथा 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, महत्वाकांक्षी जिलों में 13 आईएमएफ की उपस्थिति है।

II.2.6 सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सीपीएससी) - विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी)

II.2.6.1 सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किये गये हैं तथा इनका कार्यान्वयन मेसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण ने 05 अक्तूबर 2015 को आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केन्द्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015 अधिसूचित किये हैं जिनका अधिक्रमण 30 जुलाई 2019 को अधिसूचित आईआरडीएआई (सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2019 के द्वारा किया गया है।

II.2.6.2 विनियमों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

i. "सामान्य सेवा केन्द्रों" को "सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्रों" के रूप में पुनःपरिभाषित किया गया है ताकि मेसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत स्थापित "सामान्य सेवा केन्द्र" अथवा संबंधित राज्य सरकारों के विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा स्थापित इसी प्रकार के केन्द्रों को शामिल किया जा सके।

ii. ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) उक्त सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्र का परिचालन करने के लिए पंजीकृत और प्राधिकृत व्यक्ति है, जो सीएससी माडल के अंतर्गत एससीए अथवा एसडीए और सीपीएससी-एसपीवी द्वारा अनुमोदित रूप में सीपीएससी के दैनिक परिचालन संचालित करने का प्रभारी है।

iii. "ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति" (आरएपी) ग्राम-स्तरीय उद्यमी (वीएलई) व्यक्ति अथवा उसके समकक्ष व्यक्ति है जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण और परीक्षा पूरी करने के बाद सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्र का परिचालन और प्रबंध करने के लिए सीपीएससी-एसपीवी द्वारा पंजीकृत और प्राधिकृत एवं प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है।

iv. "ग्राम स्तरीय उद्यमी-इन्स" (वीएलई-इन्स) प्रारंभ किया है जो एक वीएलई है जो ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति (आरएपी) के अतिरिक्त, सरल काउंटर पर (ओवर दी काउंटर) बीमा उत्पाद बेच सकता है।

v. वीएलई-इन्स की योग्यता, प्रशिक्षण और परीक्षा की अपेक्षाएँ वही हैं जैसी कि बिक्री केन्द्र विक्रेता के लिए निर्धारित हैं।

vi. आरएपी और वीएलई-इन्स बिक्री केन्द्र विक्रेता के लिए उपलब्ध उत्पाद और सभी सूक्ष्म बीमा उत्पाद एवं बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित सभी सरकारी योजनाओं का विक्रय कर सकते हैं।

vii. आरएपी और वीएलई-इन्स द्वारा बीमा पालिसियों (सूक्ष्म बीमा उत्पादों और सरकार प्रायोजित बीमा योजनाओं सहित) की अपेक्षा (सलिसिटेशन) के लिए बीमाकर्ता द्वारा सीपीएससी-एसपीवी को देय पारिश्रमिक आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के अनुसार होगा।

viii. सीपीएससी-एसपीवी बीमाकर्ता से कोई भी पारिश्रमिक अथवा प्रभार प्राप्त करने पर, जैसी स्थिति हो, उसके 90 प्रतिशत से अन्यून राशि का वितरण संबंधित आरएपी को तथा उसके 85 प्रतिशत से अन्यून राशि का वितरण संबंधित वीएलई-इन्स को करेगा।

II.2.6.3 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीपीएससी-एसपीवी माध्यम का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार हैः

क.	आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हें प्रारंभ से लेकर प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं	79,971
ख.	आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं	9,800
ग.	वीएलई-इन्स की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं	1,46,748
घ.	प्राप्त कुल नया व्यवसाय प्रीमियम (करोड़)	₹292
ङ.	संगृहीत कुल नवीकरण प्रीमियम (जीवन) (करोड़)	₹1409.85

II.2.7 वेब संग्राहक

II.2.7.1 प्राधिकरण ने बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन तुलना और वितरण करने के लिए बीमा वेब संग्राहक के रूप में ज्ञात एक बीमा वितरण माध्यम का प्रवर्तन किया है। बीमा वेब संग्राहक का उद्देश्य विभिन्न बीमाकर्ताओं के उत्पादों की कीमत की तुलना के लिए संभावित बीमा ग्राहकों को इंटरफेस और अन्य संबंधित विषयों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट का अनुरक्षण करना है। यह पहल ई-कामर्स के माध्यम से बीमा व्यापन में वृद्धि करने एवं भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की पहल में अंशदान करने के लिए की गई।

II.2.7.2 बीमा वेब संग्राहकों का पर्यवेक्षण और निगरानी करने के उद्देश्य से 13 अप्रैल 2017 को आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 अधिसूचित किये गये। बीमा वेब संग्राहकों को आनलाइन और दूरस्थ विपणन पद्धतियों के द्वारा जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उत्पाद बेचने की अनुमति दी गई है।

II.2.7.3 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार प्रमाणित बीमा वेब संग्राहकों की संख्या 22 है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 18 सक्रिय बीमा वेब संग्राहकों के माध्यम के द्वारा उत्पन्न व्यवसाय निम्नानुसार हैः

i.आगंतुकों (विजिटरों) की कुल संख्याः 5.03 करोड़
ii.जारी की गई पालिसियों की कुल संख्याः 72,59,193
iii.प्राप्त कुल प्रीमियमः रु. 4,169 करोड़

II.2.8 बिक्री केंद्र विक्रेता (पीओएस)

II.2.8.1 प्राधिकरण ने पाया कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा और विपणन से संबंधित सरल और नेमी कार्यकलापों से संबद्ध हैं। उदाहरण के लिए मोटर बीमा, यात्रा बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, आदि में अधिकांश उत्पादों के लिए बहुत कम जोखिम-अंकन अपेक्षित है। ये अधिकांश तौर पर पहले से जोखिम अंकित होते हैं जिनमें संभावित ग्राहक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा बीमा पॉलिसी स्वचालित रूप से उत्पन्न की जाती है। ऐसे उत्पाद के लिए आवश्यक हस्तक्षेप अल्पतम है तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा न्यूनतर परिमाण की हो सकती है।

II.2.8.2 देश में बीमा व्यवसाय की वृद्धि को सुसाध्य बनाने तथा बीमा व्यापन और बीमा सघनता को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने अपनी विकासात्मक कार्यसूची के भाग के रूप में "बिक्री केंद्र विक्रेताओं" संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये।

II.2.8.3 उक्त दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

i. बिक्री केन्द्र विक्रेता अथवा पीओएसपी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास न्यूनतम अर्हताएँ हों, जिसने पीओएसपी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा केवल ऐसे ही उत्पादों का विपणन करता हो जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं।

ii. कोई बीमा कंपनी अथवा कोई बीमा मध्यवर्ती पीओएसपी को नियुक्त कर सकता है।

iii. एक पीओएसपी किसी बीमा कंपनी अथवा किसी बीमा मध्यवर्ती का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

iv. प्रत्येक पीओएसपी की पहचान उसके पैन कार्ड के द्वारा की जाएगी।

v. पीओएसपी कम से कम 18 वर्ष की आयु (पूर्ण) का होगा तथा उसके पास 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने की शैक्षिक योग्यता होगी।

vi. बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएसपी) को नियुक्त करने का प्रस्ताव करनेवाला बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्तीः

क. बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी), हैदराबाद में स्थित डेटाबेस के साथ पुनः जाँच (क्रास-चेकिंग) करने के द्वारा सुनिश्चित करेगा कि आवेदक किसी अन्य बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती के पास नियोजित नहीं है।

ख. उम्मीदवार के लिए 15 घंटों का आंतरिक प्रशिक्षण संचालित करेगा।

ग. उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद परीक्षा आयोजित करेगा।

घ. परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले उम्मीदवार को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फार्मेट में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

ङ. सफल उम्मीदवार को निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए एक लिखित करार करने के द्वारा बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएसपी) के रूप में नियुक्त करेगा।

च. दिन के अंत में आईआईबी डेटाबेस में ब्योरा अपलोड करेगा।

छ. उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जिसमें इनका आयोजन किया गया हो, कम से कम पाँच वर्ष के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा का उचित अभिलेख रखेगा जिसे प्रत्यक्ष (आनसाइट) निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण के निरीक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

vii. बीमा मध्यवर्ती अपने द्वारा नियुक्त किये गये "बिक्री केन्द्र विक्रेता" (पीओएसपी) के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा तथा बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएसपी) की ओर से कोई भी दुराचरण उसे अधिनियम के अनुसार दंड का भागी बनायेगा।

II.2.8.4 प्राधिकरण ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) द्वारा बिक्री केन्द्र विक्रेता के रूप में डाक विभाग के डाकियों (पोस्टमेन) और ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति के लिए विनियामक रूपरेखा के संबंध में संदर्भ सं. आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/आईएनडीपी/219/12/2019 दिनांक 04 दिसंबर 2019 से युक्त दिशानिर्देश जारी किये हैं।

II.2.8.5 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पीओएसपी की संख्या 8,27,901 थी। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार विस्तृत पीओएसपी सांख्यिकी निम्नानुसार हैः

प्रवर्तक एजेंसी	प्रवर्तक एजेंसियों की संख्या	पीओएस की संख्या
बीमाकर्ता	42	2,72,449
बीमा दलाल	106	4,49,585
कारपोरेट एजेंट	145	1,05,867
कुल		**8,27,901**

II.2.9 मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी)

II.2.9.1 प्राधिकरण ने मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देश संदर्भ सं. आईआरडीए/आईएनटी/ जीडीएल/ एमआईएसपी/ 202/ 08/ 2017 दिनांक 31 अगस्त 2017 उद्योग के हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श करने के बाद जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य मोटर बीमा पॉलिसियों का वितरण और उनकी सर्विसिंग करने में ऑटोमोटिव व्यापारी की भूमिका की पहचान करना था ताकि बीमा से संबंधित उनके कार्यकलापों का विनियामक पर्यवेक्षण किया जा सके। ये दिशानिर्देश 01 नवंबर 2017 को प्रवृत्त होनेवाले थे। इस बीच, प्राधिकरण को स्पष्टीकरणों, समय के विस्तार, आदि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए। प्राधिकरण ने अपने परिपत्र दिनांक 01 नवंबर 2017 के द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के संबंध में स्थिति स्पष्ट की।

II.2.9.2 उक्त दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

i. आटोमोबाइल व्यापारी, आटोमोबाइल विनिर्माता, वितरण शुल्क और मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) की परिभाषा दी गई।

ii. उक्त दिशानिर्देश किसी आटोमोबाइल व्यापारी के रूप में तथा ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके संबंध में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42 में निर्धारित कोई भी निरर्हता लागू नहीं होती, एमआईएसपी की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें देते हैं।

iii. एमआईएसपी या तो बीमाकर्ता(ओं) अथवा बीमा मध्यवर्ती के द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा।

iv. प्रवर्तक संस्था(एँ) एमआईएसपी की भूल-चूक के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी(होंगी)।

v. एमआईएसपी एक पदनामित व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा मोटर बीमा पालिसियाँ वितरित करनेवाले सभी व्यक्ति कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होंगे तथा बिक्री केन्द्र विक्रेता का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और परीक्षा देंगे।

vi. एमआईएसपी की नियुक्ति बीमाकर्ताओं के मामले में सामान्य रूप से तब तक विधिमान्य होगी जब तक कि उसका प्रतिसंहरण नहीं किया जाता तथा बीमा मध्यवर्तियों के मामले में तब तक विधिमान्य होगी जब तक पंजीकरण प्रमाणपत्र विधिमान्य होगा।

vii. एमआईएसपी द्वारा लागू किये गये नियंत्रणों, प्रणालियों, क्रियाविधियों, और रक्षोपायों की

आवधिक समीक्षा प्रवर्तक संस्था(ओं) द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार की जाएगी।

viii. एमआईएसपी के लिए एक विस्तृत आचरण-संहिता और प्रवर्तक संस्था(ओं) के दायित्व उक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित किये गये हैं।

ix. एमआईएसपी के माध्यम से मोटर बीमा पालिसियों का वितरण बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती और मोटर बीमा सेवा प्रदाता के बीच, जैसी स्थिति हो, किये गये एक करार के आधार पर होगा।

x. एमआईएसपी केवल मोटर बीमा पालिसी का ही वितरण और / या सर्विसिंग करेगा।

xi. कोई भी बीमा मध्यवर्ती लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करनेवाले आटोमोटिव व्यापारियों को मोटर बीमा पालिसियों का वितरण और सर्विसिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

II.2.9.3 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत एमआईएसपी की संख्या 25,077 थी। 31 मार्च 2021 को विद्यमान विस्तृत एमआईएसपी सांख्यिकी निम्नानुसार हैः

प्रवर्तक एजेंसी	प्रवर्तक एजेंसियों की संख्या	पीओएस की संख्या
बीमाकर्ता	22	11,294
बीमा दलाल	24	428
कारपोरेट एजेंट	5	13,355
कुल		**25,077**

II.2.10 बीमा भंडार (रिपोजिटरीज़)

II.2.10.1 बीमा रिपोजिटरी प्रणाली बीमा पालिसियों को अमूर्तीकृत (डी-मेटीरियलाइज) करने के लिए प्राधिकरण की एक पहल है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्राधिकरण ने अप्रैल 2011 में बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं।

II.2.10.2 तदुपरांत मई 2015 में प्राधिकरण ने "बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम संबंधी संशोधित दिशानिर्देश" जारी किये हैं। अप्रैल 2011 से लेकर वर्तमान में कुल 77.84 लाख ईआईए (इलेक्ट्रानिक बीमा खाते) निर्मित किये गये हैं तथा कुल 85.74 लाख पालिसियों को इलेक्ट्रानिक पद्धति में परिवर्तित किया गया है।

II.2.10.3 सेवाओं और दायित्वों का निर्वहण करने के लिए बीमा रिपोजिटरी आईआरडीएआई की पूर्व अनुमति के अधीन पालिसीधारकों के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी संख्या में अनुमोदित व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। ईआईए खोलने के लिए अनुरोध बीमा रिपोजिटरी (आईआर) को सीधे अथवा प्राधिकृत अनुमोदित व्यक्तियों के द्वारा अथवा बीमाकर्ताओं के द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान में बीमा रिपोजिटरियों के साथ संबद्ध कुल 271 सक्रिय अनुमोदित व्यक्ति हैं।

II.2.10.4 "आईट्रेक्स" एक केन्द्रीय सूचकांक सर्वर है जो दोहराव से बचने की सेवाएँ देता है तथा ईआईए निर्मित करनेवाली संस्थाओं, इलेक्ट्रानिक पालिसियों और उनकी सर्विसिंग करनेवाली संस्थाओं के बीच एक संदेशदायक केन्द्र (हब) के रूप में कार्य करता है। आईट्रेक्स एक केवाईसी रिपोजिटरी, संदेशदायक और दोहराव-से बचने (डी-डूप्लिकेशन) के केन्द्र (हब) के रूप में कार्य करेगा। अनावृत्ति (डी-डूप्लिकेशन), अधिक तेज गति से प्रसंस्करण और डेटा की साझेदारी में सुधार लाने के लिए प्राधिकरण बीमाकर्ताओं/बीमा रिपोजिटरियों (आईआर) से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के द्वारा आईट्रेक्स में डेटाबेस के दायरे में और विस्तार कर सकता है।

II.2.10.5 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बीमा रिपोजिटरियाँ निम्नलिखित हैं :

i. नेशनल इंश्योरेंस-पालिसी रिपोजिटरी (एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड)

ii. सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड

iii. सीएएमएस रिपोजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड

iv. कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड

डेटा मानक

II.2.10.6 बीमा क्षेत्र में बहुविध संस्थाओं की आईटी प्रणालियों के सुगम इंटरफेसिंग को सुसाध्य बनाने के लिए प्राधिकरण ने डेटा मानकों को संकलित करने का कार्य प्रारंभ किया है। डेटा मानक सूचना के विनिमय के लिए सामान्य परिभाषाएँ उत्पन्न करते हैं। इससे संस्था के अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार से बहुविध प्रणालियों के सुगम इंटरफेसिंग में सहायता मिलती है।

II.2.10.7 बीमा रिपोजिटरी प्रणाली को समर्थन देने के लिए क्षेत्र परिभाषाओं, क्षेत्र विशेषताओं और संदेश अंतर्वस्तु से युक्त मानक विस्तारयोग्य मार्कअप भाषा (एक्सएमएल) योजना (स्कीमा) का पहले जीवन खंड के बहुविध खिलाड़ियों के बीच डेटा के आदान-प्रदान के लिए साझा किया गया था। इसी प्रकार, स्वास्थ्य, मोटर, व्यवसाय की अन्य व्यवस्थाओं, कारपोरेट और सामूहिक की आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए योजनाओं (स्कीमाओं) को अंतिम रूप दिया गया है। ये योजनाएँ (स्कीमाएँ) बीमा रिपोजिटरी प्रणाली में जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा लेनदेनों की वैयक्तिक और सामूहिक व्यवस्थाओं को समर्थन देंगी।

II.2.11 बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म (आईएसएनपी)

II.2.11.1 ई-कामर्स के माध्यम के द्वारा बीमा व्यापन को बढ़ाने के प्रयास में प्राधिकरण ने 09 मार्च 2017 को परिपत्र सं.आरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/ईसीएम/055/03/2017 के अनुसार बीमा ई-कामर्स संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में, बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म (आईएसएनपी) नाम का एक नया प्लेटफार्म प्रारंभ किया गया है।

II.2.11.2 बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म (आईएसएनपी) से प्राधिकरण की अनुमति से किसी भी आवेदक के द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म अभिप्रेत है। वैयक्तिक एजेंट को एक अलग बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म स्थापित करने की अनुमति नहीं है, इसके बजाय वह संबंधित बीमाकर्ता के प्लेटफार्म का उपयोग कर सकता है, यदि उपलब्ध हो।

II.2.11.3 बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म पर बाजार सहभागियों में निम्नलिखित शामिल होंगे

i. प्राधिकरण के द्वारा पंजीकृत बीमाकर्ता

ii. प्राधिकरण के द्वारा पंजीकृत बीमा मध्यवर्ती

iii. प्राधिकरण के द्वारा इस प्रकार मान्यताप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति

II.2.11.4 प्राधिकरण ने आनलाइन आवेदन फाइल करने के लिए आईएसएनपी आनलाइन पोर्टल (isnp.irda.gov.in) 11 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया है। बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से प्राप्त आईएसएनपी आवेदन की स्थिति 31 मार्च 2021 को निम्नानुसार हैः

विवरण	संख्या
बीमाकर्ता	52
दलाल	145
वेब संग्राहक	16
कारपोरेट एजेंट	48
कुल	**261**

II.2.12 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

II.2.12.1 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (एसएलए) साधारण बीमा पॉलिसियों से संबंधित दावों के मूल्यांकन और निपटान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक वह आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया एक विधिमान्य एसएलए लाइसेंस धारित नहीं करता। ऐसी हानि के संबंध में कोई भी दावा जो भारत में घटित हुई हो और किसी बीमाकर्ता के संबंध में उत्पन्न हो गई हो अथवा उसको सूचित की गई हो, जिसके लिए बीमा की किसी पॉलिसी पर मूल्य में प्राधिकरण द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट राशि के समान अथवा उससे अधिक राशि का भारत में भुगतान अथवा निपटान किया जाना अपेक्षित हो तब तक बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा और उसका निपटान नहीं किया जाएगा जब तक सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस धारण करनेवाले किसी व्यक्ति से घटित हानि के संबंध में एक

रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती। बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम के अनुसार प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में शैक्षिक योग्यता और भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) की सदस्यता सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए सांविधिक अपेक्षाएँ हैं। ऐसे आवेदकों के संबंध में जो आईआईआईएसएलए से सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकते, समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 में अपील का प्रावधान है।

सारणी II.9
सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस

एसएलए का प्रकार	2019-20	2020-21
नये लाइसेंस		
वैयक्तिक	478	436
कारपोरेट	16	9
कुल	494	445
नवीकरण		
वैयक्तिक	3507	2563
कारपोरेट	51	45
कुल	**3558**	**2608**
प्रशिक्षणार्थी नामांकन	1158	1293

II.2.13 अन्य पक्ष सेवा प्रदाता (टीपीए)

II.2.13.1 अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) से स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्राधिकरण के पास पंजीकृत और किसी शुल्क के लिए अथवा चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए और स्वास्थ्य सेवाएँ करार में उल्लिखित किया जाए, किसी बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त कंपनी अभिप्रेत है।

II.2.13.2 टीपीए स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के संबंध में एक करार के अंतर्गत बीमाकर्ता को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान कर सकता हैः

i. दावों के निपटान के लिए संबंधित पालिसी की अंतर्निहित शर्तों के अनुसार तथा बीमाकर्ताओं द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के ढाँचे के अंदर नकदीरहित चिकित्सा के पूर्व-प्राधिकरण (प्री-आथराइजेशन) अथवा नकदीरहित दावों को छोड़कर अन्य प्रकार के दावों के निपटान अथवा दोनों के द्वारा स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के अंतर्गत दावों की सर्विसिंग।

ii. वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी और देशी यात्रा पालिसी के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के कवर, यदि कोई हो, के लिए दावों की सर्विसिंग।

iii. स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के जोखिम-अंकन के संबंध में बीमा-पूर्व डाक्टरी जाँच के संचालन में सहायता करना।

II.2.13.3 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, आईआरडीएआई के पास 23 टीपीए पंजीकृत हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी नये टीपीए को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया। मेसर्स अन्युता इंश्योरेंस टीपीए इन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 17 के नवीकरण के लिए आवेदन आदेश दिनांक 26 जून 2020 के द्वारा अस्वीकृत किया गया।

प्राधिकरण के पास पंजीकृत टीपीए की सूची उनके द्वारा नामांकित नेटवर्क अस्पतालों के साथ सारणी II.10 में दी गई है। उक्त टीपीए ने इस सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में अपने नेटवर्कों में नये अस्पताल जोड़ने के द्वारा अस्पतालों के नेटवर्क में विस्तार किया।

सारणी II.10
टीपीए द्वारा नामांकित नेटवर्क अस्पताल

क्रम सं.	टीपीए का नाम	नेटवर्क में अस्पतालों की संख्या			
		31 मार्च 2020 को	2020-21 के दौरान परिवर्धन	2020-21 के दौरान प्रत्याहरण/ निष्कासन	31 मार्च 2021 को
1	अलंकित इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	5,235	10	4	5,241
2	अनमोल मेडीकेयर इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	539	20	0	559
3	ईस्ट वेस्ट असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5,220	55	42	5,233
4	एरिक्सन इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	8,120	737	0	8,857
5	फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	13,084	3,256	251	16,089
6	जेनिन्स इंडिया इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	5,025	283	67	5,241
7	गुड हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	6,116	582	124	6,574
8	ग्रैंड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड*	-	-	-	-
9	हेल्थ इंडिया इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	8,316	2,378	1,358	9,336
10	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए आफ इंडिया लिमिटेड	5,894	169	122	5,941
11	हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	8,024	1,985	379	9,630
12	एमडीइंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	15,058	1,945	1,284	15,719
13	मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	11,246	1,286	266	12,266
14	मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	9,009	304	26	9,287
15	पैरमाउन्ट हेल्थ सर्विसेज़ एण्ड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	15,113	2,543	737	16,919
16	पार्क मेडीक्लेम इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	4,111	160	0	4,271
17	रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	8,102	662	40	8,724
18	रोथशील्ड इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	3,902	390	21	4,271
19	सेफ़वे इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	6,091	1,516	415	7,192
20	युनाइटेड हेल्थ केयर पारेख इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5,318	258	75	5,501
21	वाइडल हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	7,949	311	279	7,981
22	विपुल मेडकार्प इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	11,404	0	122	11,282
23	विज़न डिजिटल इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	4,843	125	11	4,957
	कुल नेटवर्क अस्पताल**	**1,67,719**	**18,975**	**5,623**	**1,81,071**

*उक्त टीपीए ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

** अस्पताल एक से अधिक टीपीए के साथ संबद्ध रहे होंगे।

II.2.14 बीमा एजेंटों और बीमा उद्योग के साथ संबद्ध मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

जीवन बीमा व्यवसाय में बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

वैयक्तिक नया व्यवसाय

II.2.14.1 वैयक्तिक एजेंट वैयक्तिक नये व्यवसाय के लिए प्रमुख वितरण माध्यम के रूप में लगातार बने हुए हैं। तथापि, वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम में वैयक्तिक एजेंटों का अंशदान 2019-20 के 60.09 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान घटकर 58.14 प्रतिशत हो गया है। एलआईसी के लिए वैयक्तिक एजेंट वितरण का प्रबल माध्यम (94.74 प्रतिशत) हैं जिनका अंश वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम में 93.87 प्रतिशत है जबकि निजी क्षेत्र के लिए यह 23.00 प्रतिशत रहा है। वैयक्तिक नये व्यवसाय का दूसरा प्रमुख वितरण माध्यम कारपोरेट एजेंट हैं। कारपोरेट एजेंटों का अंशदान जो 2019-20 के दौरान 28.99 प्रतिशत पर था, वर्ष 2020-21 में बढ़कर 30.75 प्रतिशत हो गया है। निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त नये व्यवसाय प्रीमियम में कारपोरेट एजेंटों का अंश 2020-21 में 57.86 प्रतिशत पर उल्लेखनीय रहा है (2019-20 में 55.73 प्रतिशत)। दूसरी ओर, 2020-21 में एलआईसी का केवल 3.18 प्रतिशत (2019-20 में 2.86 प्रतिशत) था।

II.2.14.2 बीमाकर्ताओं के प्रत्यक्ष विक्रय माध्यम का अंश 2019-20 में विद्‌यमान 7.19 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में 7.10 प्रतिशत रहा। जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से अपने नये व्यवसाय प्रीमियम का 12.99 प्रतिशत प्राप्त किया, एलआईसी ने 1.12 प्रतिशत प्राप्त किया। दलालों और आनलाइन विक्रय माध्यम ने वर्ष 2020-21 में क्रमशः 1.46 प्रतिशत (2019-20 में 1.68 प्रतिशत) और 1.58 प्रतिशत (2019-20 में 1.45 प्रतिशत) पर अंशदान किया। सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंट, सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), वेब संग्राहक, बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) और बिक्री केन्द्र (पीओएस) माध्यमों ने सब एकसाथ मिलकर वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम में 2019-20 के 0.59 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में एक प्रतिशत से भी कम (0.85 प्रतिशत) अंशदान किया (सारणी II.11)।

सामूहिक नया व्यवसाय

II.2.14.3 सामूहिक व्यवसाय के लिए प्रत्यक्ष विक्रय निरंतर वितरण का प्रबल माध्यम बना हुआ है, जहाँ इसका अंश 2020-21 के दौरान प्रीमियम का 90.86 प्रतिशत है। 2019-20 में तदनुरूपी अंश 91.76 प्रतिशत था। इस माध्यम ने निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और एलआईसी के सामूहिक नये व्यवसाय प्रीमियम का क्रमशः 67.77 प्रतिशत और 97.49 प्रतिशत अंशदान किया। निजी बीमाकर्ताओं के सामूहिक व्यवसाय के लिए एक और महत्वपूर्ण वितरण माध्यम कारपोरेट एजेंट-बैंक हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान बैंकों ने निजी बीमाकर्ताओं के मामले में कुल सामूहिक नये व्यवसाय प्रीमियम का 21.91 प्रतिशत अंशदान किया, जबकि 2019-20 में यह 22.56 प्रतिशत था। एलआईसी ने अपने वैयक्तिक एजेंसी बल के द्‌वारा सामूहिक व्यवसाय प्रीमियम का 2.43 प्रतिशत प्राप्त किया, जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने इस माध्यम के द्‌वारा 0.84 प्रतिशत प्राप्त किया। सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत उद्‌योग के नये व्यवसाय प्रीमियम में दलाल माध्यम का अंशदान 0.91 प्रतिशत था (सारणी II.11)।

चार्ट II.1
जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन (2020-21)

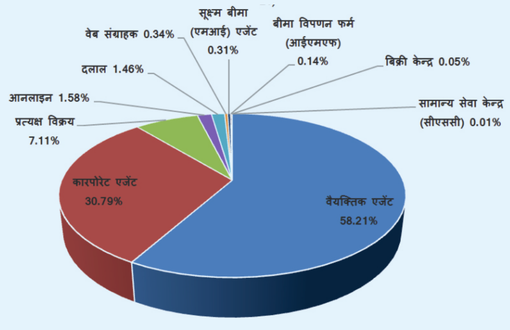

आंकड़े प्रीमियम के % में

चार्ट II.2
जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन

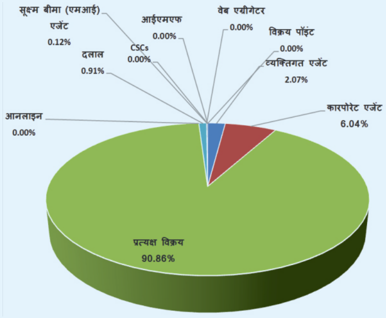

आंकड़े प्रीमियम के % में

सारणी II.11
जीवन बीमा में वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन
(2020-21)
(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

क्रम सं.	मध्यवर्ती का प्रकार	वैयक्तिक नया व्यवसाय			सामूहिक नया व्यवसाय		
		एलआईसी#	निजी क्षेत्र	उद्योग	एलआईसी#	निजी क्षेत्र	उद्योग
1	वैयक्तिक एजेंट	93.87	23	58.14	2.43	0.84	2.07
2	कारपोरेट एजेंट						
	i. बैंक	3.07	54.55	29.03	0.02	21.91	4.91
	ii. अन्य*	0.11	3.31	1.72	0.01	5.01	1.13
3	दलाल	0.06	2.83	1.46	0.04	3.92	0.91
4	प्रत्यक्ष विक्रय	1.12	12.99	7.1	97.49	67.77	90.86
5	आनलाइन प्रत्यक्ष विक्रय	0.83	2.31	1.58	-	-	-
6	सूक्ष्म बीमा एजेंट	0.63	-	0.31	-	0.55	0.12
7	सामान्य सेवा केन्द्र	-	0.01	0.01	-	-	-
8	वेब संग्राहक	-	0.67	0.34	-	-	-
9	बीमा विपणन फर्म	0.05	0.23	0.14	-	-	-
10	बिक्री केन्द्र	-	0.1	0.05	-	-	-
	कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
	रिफ़रल	-	0.02	0.01	-	-	-

टिप्पणी:
1. नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।
2. रिफ़रल व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त अग्रताएँ संबंधित माधमों में शामिल की गई हैं।
3. * बैंकों को छोड़कर अन्य कोई संस्था, परंतु कारपोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंसीकृत।
4. # इसमें इसका सीमापार नया व्यवसाय प्रीमियम शामिल नहीं है।

साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

I.2.14.4 साधारण बीमाकर्ताओं के लिए व्यवसाय के वितरण के विभिन्न माध्यमों के बीच वर्ष 2020-21 में दलाल माध्यम ने 30.12 प्रतिशत के साथ प्रीमियम का प्रमुख अंशदान किया जिसके बाद प्रत्यक्ष विक्रय और वैयक्तिक एजेंटों का स्थान है जिनका अंशदान क्रमशः 25.93 प्रतिशत और 24.28 प्रतिशत है। कारपोरेट एजेंटों का अंशदान प्रीमियम का 9.39 प्रतिशत रहा है। अन्य सभी माध्यमों ने एकसाथ प्रीमियम के शेष 10.29 प्रतिशत का अंशदान किया है।

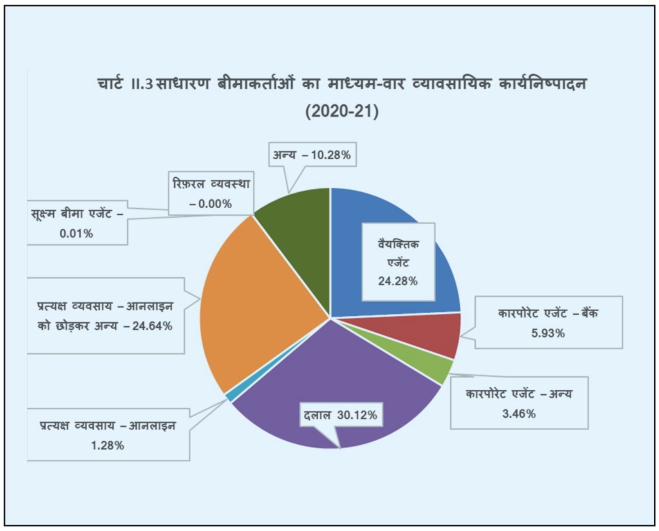

चार्ट II.3 साधारण बीमाकर्ताओं का माध्यम-वार व्यावसायिक कार्यनिष्पादन (2020-21)

क्रम सं.	वितरण माध्यम	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता (एसएएचआई को छोड़कर)	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल
1	वैयक्तिक एजेंट	40.50	15.64	0.00	24.28
2	कारपोरेट एजेंट	2.26	15.87	0.01	9.39
	i. बैंक	1.32	10.09	0.01	5.93
	ii. अन्य	0.93	5.77	0.00	3.46
3	दलाल	23.33	37.31	13.64	30.12
4	प्रत्यक्ष व्यवसाय	28.59	26.44	7.47	25.93
	i. आनलाइन	1.22	1.48	0.10	1.28
	ii. आनलाइन को छोड़कर अन्य	27.37	24.96	7.37	24.64
5	सूक्ष्म बीमा एजेंट	0.00	0.00	0.11	0.01
6	रिफ़रल व्यवस्था	0.00	0.00	-	0.00
7	अन्य	5.32	4.74	78.78	10.28
	कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)

II.2.14.5 स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के वितरण के लिए विभिन्न माध्यमों के बीच वैयक्तिक एजेंटों ने 35 प्रतिशत पर कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में प्रमुख अंशदान किया। इस माध्यम का अंश वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 74 प्रतिशत पर अत्यधिक था। प्रत्यक्ष विक्रय (आनलाइन को छोड़कर अन्य) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए दूसरा प्रमुख माध्यम है। इस माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीम प्रीमियम में 27 प्रतिशत का अंशदान किया। सरकारी व्यवसाय में इनका अंश 100 प्रतिशत था। स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए तीसरा महत्वपूर्ण माध्यम दलाल है, जिन्होंने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 24 प्रतिशत का अंशदान किया। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में दलालों का अंश 45 प्रतिशत पर अधिक था। "बैंकेश्योरेंस" माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 9 प्रतिशत का अंशदान किया तथा "आनलाइन विक्रय" माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के दो प्रतिशत का अंशदान किया।

चार्ट II.4 : स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का माध्यम-वार कार्यनिष्पादन
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)
(2020-21)

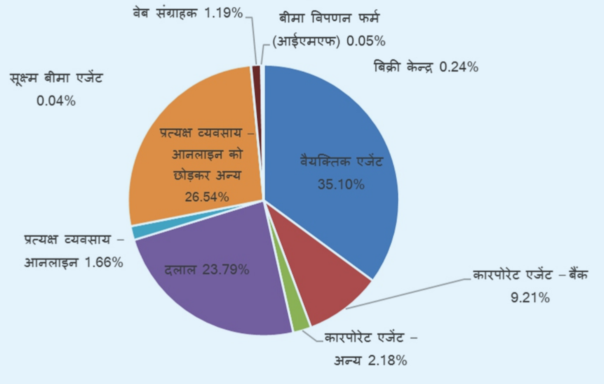

सारणी II.13
स्वास्थ्य बीमा में वैयक्तिक एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यवसाय कार्यनिष्पादन
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)
(2020-21) (आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

क्रम सं.	वितरण माध्यम	सरकारी व्यवसाय	सामूहिक व्यवसाय	वैयक्तिक व्यवसाय	कुल
1	वैयक्तिक एजेंट	-	4.79	73.90	35.10
2	कारपोरेट एजेंट	-			
	i. बैंक	-	11.86	7.84	9.21
	ii. अन्य	-	3.29	1.32	2.18
3	दलाल	-	44.76	4.93	23.79
4	प्रत्यक्ष व्यवसाय				
	i. आनलाइन	-	0.33	3.38	1.66
	ii. आनलाइन को छोड़कर अन्य	100.00	34.74	5.41	26.54
5	सूक्ष्म बीमा एजेंट	-	0.09	-	0.04
6	सामान्य सेवा केन्द्र	-	-	0.01	0.004
7	वेब संग्राहक	-	0.10	2.57	1.19
8	बीमा विपणन फर्म	-	0.04	0.07	0.05
9	बिक्री केन्द्र	-	0.001	0.55	0.24
	कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

II.2.15 कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल के भुगतान के लिए विनियम

II.2.15.1 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन के उपरांत धारा 40 कहती है कि कोई भी व्यक्ति बीमा एजेंट अथवा मध्यवर्ती को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने अथवा उसे प्राप्त करने के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल, चाहे कमीशन के द्वारा अथवा अन्य प्रकार से भुगतान नही करेगा अथवा भुगतान करने के लिए संविदा नहीं करेगा तथा अनुमति-प्राप्त भुगतान ऐसे तरीके से किया जाएगा जो विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, धारा 31बी कहती है कि कोई भी बीमाकर्ता उसके द्वारा किये गये बीमा व्यवसाय के संबंध में किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक चाहे कमीशन के रूप में अथवा अन्य प्रकार से विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली राशि से अधिक भुगतान नहीं करेगा।

II.2.15.2 बीमा अधिनियम की उपर्युक्त धाराओं के अनुसरण में प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 14 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किये थे जो 01 अप्रैल 2017 से प्रभावी बनाये गये थे।

II.2.15.3 उक्त विनियमों की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

i. कमीशन, पारिश्रमिक (रेम्यूनरेशन) और प्रतिफल (रिवार्ड) को उक्त विनियमों में परिभाषित किया गया है।

ii. प्रत्येक बीमाकर्ता के पास बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।

iii. उक्त नीति के उद्देश्य में इस तरीके से बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों का उपयोग शामिल होगा जो क) देश में बीमा व्यापन और सघनता में वृद्धि करेगा; ख) पालिसीधारकों के हित में होगा; ग) व्यवसाय की कार्यनीति के अनुरूप होगा; घ) किफ़ायत उत्पन्न करेगा; ङ) उनमें से प्रत्येक पर रखे गये महत्व के संबंधित स्तर का संकेत देगा।

iv. जीवन बीमा उत्पादों, स्वास्थ्य बीमा और साधारण बीमा उत्पादों के लिए अनुमत अधिकतम कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

v. कमीशन अथवा पारिश्रमिक से अधिक प्रतिफल बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर देय होगा।

vi. उन बीमा मध्यवर्तियों को किसी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाएगा जिनके संबंध में बीमा मध्यस्थता के कार्यकलापों को छोड़कर अन्य गतिविधियों से राजस्व सभी कार्यकलापों से प्राप्त होनेवाले कुल राजस्व के पचास प्रतिशत से अधिक हों।

vii. प्रतिफल का परिकलन क्रमशः बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों के लिए समग्र आधार पर किया जाना चाहिए तथा बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्ती द्वारा अपेक्षित प्रत्येक पालिसी के साथ संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

viii. जीवन बीमा में प्रतिफल बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को अदा किये गये प्रथम वर्ष कमीशन अथवा पारिश्रमिक के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ix. स्वास्थ्य बीमा सहित साधारण बीमा में प्रतिफल बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को अदा किये गये कमीशन अथवा पारिश्रमिक के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

x. उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार बीमाकर्ता कमीशन के भुगतान के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

II.2.15.4 प्राधिकरण ने कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल के भुगतान के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बोर्ड अनुमोदित नीतियों का अवलोकन किया है। प्रेक्षणों के आधार पर प्राधिकरण ने निम्नलिखित को स्पष्ट करते हुए और इनपर बल देते हुए 03 अप्रैल 2020 को परिपत्र जारी किया हैः

I बोर्ड अनुमोदित नीतियों में उन मानदंडों सहित जिनपर प्रतिफलों का परिकलन किया जाता है, उद्देश्य और पारदर्शी मापदंड आवश्यक औचित्य और तर्काधार के साथ निहित होंगे।

ii. बोर्ड अनुमोदित नीति कमीशन/ पारिश्रमिक की तुलना में प्रतिफलों का विशिष्ट अनुपात निर्धारित करेगी जो वैयक्तिक बीमा एजेंट/ बीमा मध्यवर्ती के लिए उचित और तर्कसंगत होगा तथा आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के विनियम 6(घ)(ii) और 6(ङ)(ii) में दिये गये रूप में समग्र सीमा के अधीन होगा।

iii. इसी प्रकार के समान व्यवसायों और स्थितियों के लिए बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को देय प्रतिफलों के प्रति दृष्टिकोण में सुसंगति होगी।

iv. बीमाकर्ता वर्ष के प्रारंभ में बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को बोर्ड नीति के निर्धारित मानदंड पूरे करने के अधीन तथा कमीशन/पारिश्रमिक की तुलना में प्रतिफलों के निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए वे जो अधिकतम प्रतिफल अर्जित कर सकते हैं उनके बारे में लिखित में सूचित करेंगे।

v. इसके अलावा, यदि बीमाकर्ता द्वारा प्रतिफल कार्यक्रम में कोई परिवर्धन/ परिवर्तन/ विलोपन किया जाता है तो इसकी सूचना भी बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों को अग्रिम रूप से दी जाएगी।

II.2.16 भारत में लाइसेंस-प्राप्त बीमा विक्रेताओं का केन्द्रीय डेटाबेस (ईएनवीओवाई)

II.2.16.1 उक्त डेटाबेस का निर्माण बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएस) संबंधी दिशानिर्देशों के निर्गम के साथ प्रारंभ हुआ।

इसका उद्देश्य बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों द्वारा भर्ती किये गये पीओएस की आवृत्ति से बचने (डी-डूप्लिकेशन) की जाँच करना था। अतः आवृत्ति से बचने (डी-डूप्लिकेशन) की जाँच करने के लिए विशिष्ट पहचान क्षेत्र के रूप में आधार संख्या को लिया गया। आगे बढ़ते हुए यह देखा गया कि इसी तर्क का विस्तार बीमा एजेंटों तथा बीमा मध्यवर्तियों के प्रशिक्षित और अर्हताप्राप्त व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है जिसमें विशिष्ट पहचान क्षेत्र के रूप में आधार संख्या से युक्त दलाल अर्हताप्राप्त व्यक्ति, कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्ति, वेब संग्राहक के प्राधिकृत सत्यापक शामिल किये जाएँगे।

II.2.16.2 उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमा एजेंटों, दलाल अर्हताप्राप्त व्यक्तियों, कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, वेब संग्राहकों के प्राधिकृत सत्यापकों, बिक्री केन्द्र विक्रेताओं (पीओएस) आदि जैसी संस्थाओं सहित बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए कार्य करनेवाले सभी लाइसेंस-प्राप्त बीमा विक्रेता एक ही व्यवसाय की श्रेणी में अनेक बीमाकर्ताओं/ बीमा मध्यवर्तियों के पास कार्य न करें।

II.2.16.3 उक्त डेटाबेस (ईएनवीओवाई - https://envoy.iib.gov.in) प्रारंभिक तौर पर बिक्री केन्द्र विक्रेताओं, कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों, बीमा दलालों के अर्हताप्राप्त व्यक्तियों और वेब संग्राहकों के प्राधिकृत सत्यापकों को सम्मिलित करते हुए 24 अगस्त 2017 को प्रारंभ किया गया तथा तदुपरांत मई 2018 के दौरान बीमा कंपनियों के बीमा एजेंटों और आईएमएफ के बीमा विक्रेताओं को इसमें शामिल किया गया।

II.2.16.4 ईएनवीओवाई बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों के उपयोग के लिए खोज की सुविधा भी उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा किसी आवेदक बीमा विक्रेता का विवरण उक्त डेटाबेस से मिलान करने के लिए पूछा जाता है। बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती द्वारा ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति केवल यह सुनिश्चित करने के बाद ही की जाएगी कि आवेदक उक्त डेटाबेस में पहले से सम्मिलित नहीं है।

II.2.16.5 नियमों में हाल में हुए परिवर्तनों के कारण आधार संख्या की साझेदारी और संचयन में विद्यमान अवरोधों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अभिज्ञाता (आइडेन्टिफायर) को आधार संख्या से पैन में अंतरित किया जाएगा। अतः सभी बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों को सूचित किया गया कि वे बीमा विक्रेता आवेदक का डेटा ईएनवीओवाई में अपलोड करते समय अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) तौर पर पैन को साझा करें।

II.3 बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान

भारतीय बीमा क्षेत्र ने बीमा शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए माँग में वृद्धि देखी है। इस स्थिति के होते हुए प्राधिकरण भारत में और विदेशों में बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क में रहता है।

II.3.1 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम)

II.3.1.1 2004 में स्थापित बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम), हैदराबाद आईआरडीएआई और तेलंगाना सरकार की एक संयुक्त पहल है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुविध माँगें पूरी करने के साथ ही, बीमा, बीमांकिक विज्ञानों और विश्लेषण-विज्ञान, जोखिम प्रबंध और पेंशन निधि प्रबंध सहित वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक श्रेष्ठता से युक्त केन्द्र के रूप में माना गया है। इस संस्थान का उद्देश्य सामान्य रूप से वित्तीय सेवा क्षेत्र और विशिष्ट रूप से बीमा उद्योग के विभिन्न पहलुओं में शिक्षण को मजबूत करना है। एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित रूप में आईआईआरएम वित्तीय सेवाओं के सभी पहलुओं की आवश्यकताओ को पूरा करते हुए वैश्विक मानकों का एक संस्थान स्थापित करने का प्रयास है।

II.3.1.2 यद्यपि कोविड ने कई क्षेत्रों को विघटित किया है, तथापि बीमा का महत्व महामारी के दौरान अत्यधिक महसूस किया गया है। बीमा के बारे में संवर्धित जागरूकता बीमा क्षेत्र में व्यापन में वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। यह इस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित संसाधनों की आवश्यकता पूरी करने के लिए संस्थान की भूमिका को आगे और बढ़ाएगी। आईआईआरएम इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना प्रयास जारी रखता है। एक मुख्य विशेषीकरण के रूप में बीमा के साथ इस संस्थान के दो-वर्षीय प्रबंध कार्यक्रम ने छात्रों के लिए बीमा क्षेत्र हेतु एक नया दृष्टिकोण दिया है। बीमा शिक्षण को मजबूत बनाने के लिए यह संस्थान प्रबंध कार्यक्रम में वैकल्पिक विषयों के संयोजन के साथ एक 2-

वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम) उपलब्ध कराता है जो बीमा क्षेत्र और अन्य उद्योगों में प्रबंधकीय पदों के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करता है। बीमा विशेषीकरण के क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम समकालीन आर्थिक परिवेश में हो रहे परिवर्तनों, विनियमनकर्ता के दिशानिर्देशों और निर्देशों तथा सरकार की पहलों के अनुरूप क्रमविकास की एक निरंतर प्रक्रिया से गुजरता है।

II.3.1.3 बीमा क्षेत्र के लिए कौशल आधारित प्रतिभा का विशेष रूप से उपयोग करने के लिए, आईआईआरएम के पास बीमा और जोखिम प्रबंध में विशेषीकरण के साथ एक एक-वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (पीजीसीएम) भी है। यह पाठ्यक्रम बीमा व्यवसायों को संभालने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के छात्र बीमा कंपनियों के विभिन्न विभागों में समाविष्ट किये जाते हैं।

II.3.1.4 इस संस्थान के हाल के प्रयासों ने बीमा क्षेत्र को एक अर्थक्षम कैरियर विकल्प के रूप में मानने के लिए अनेक छात्रों को प्रेरणा दी है। पिछले वर्ष के दौरान, महामारी के बावजूद इस संस्थान ने 15,000 से अधिक छात्रों को सुग्राही बनाते हुए स्नातकपूर्व छात्रों के लिए देश भर में वेबिनारों का संचालन किया है। बीमा क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं के बारे में जागरूकता निर्मित करने के अलावा, बीमांकिक विज्ञान और विश्लेषण-विज्ञान संबंधी अभिमुखता कार्यक्रम भी संचालित किये गये हैं। छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए कैरियर विकल्पों के संबंध में विशेष परामर्श भी आयोजित किये गये हैं।

II.3.1.5 एक नई पहल के तौर पर बीमा क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों के लिए 2 / 3 दिवसीय कार्यशालाएँ भी प्रारंभ की गई हैं। इन कार्यशालाओं में 31 जुलाई 2021 तक लगभग 300 कार्यरत व्यवसायियों ने सहभागिता की है। संस्थान बीमा क्षेत्र में कार्यरत व्यवसायियों के लिए कौशल और ज्ञान का स्तर बढ़ाने (अपग्रेडिंग) हेतु इन पहलों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है। बीमा क्षेत्र में कार्यरत कार्यकारी पदधारियों के लिए कई प्रमाणपत्र कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जहाँ यह प्रमाणीकरण उनकी कैरियर वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ायेगा।

II.3.1.6 इस संस्थान के पास इसके अनुभवजन्य शिक्षण अध्यापन के भाग के रूप में उन छात्रों के लिए 3-महीने का एक व्यापक प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) कार्यक्रम है, जो बीमा में विशेषज्ञता के लिए विकल्प देते हैं। यह बीमा क्षेत्र और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में उनके ज्ञान का संवर्धन करता है। यह संस्थान विभिन्न उद्योगों के कई सेवारत व्यवसायियों को भी छात्रों के साथ उनकी मूल्यवान अन्तर्दृष्टियों और अनुभव का साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। इस दृष्टिकोण ने उद्योग और छात्रों के बीच अधिकाधिक समझ उत्पन्न की है जिससे सुधरे हुए स्थान नियोजनों (प्लेसमेंट्स) के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है।

II.3.1.7 बीमा क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने और इसके लिए संगत मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आईआईआरएम के प्रयास अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं। छात्र समुदाय में बीमा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के प्रति इसके योगदान के बारे में संवर्धित आशावाद परिलक्षित होता है।

II.3.2 भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई)

II.3.2.1 वर्ष 1955 में स्थापित भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) का नियंत्रण सारे देश में व्याप्त सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और संबद्ध संस्थानों का प्रतिनिधित्व करनेवाले कारपोरेट सदस्यों से युक्त परिषद द्वारा किया जाता है। शिक्षण बोर्ड इसके शैक्षिक और प्रशासनिक निर्णयन में इसका मार्गदर्शन करता है।

II.3.2.2 उक्त संस्थान की प्रमुख (फ्लैगशिप) परीक्षाओं (लाइसेंसिएट, एसोसिएटशिप और फेलोशिप) का आयोजन देश में 171 केन्द्रों में और विदेशों में 11 स्थानों पर किया गया। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, संस्थान के 58,475 एसोसिएट सदस्यों और 35,889 फेलो सदस्यों सहित 3,60,600 सदस्य थे। संस्थान की अर्हताओं को न केवल भारत में बल्कि पड़ोस के सार्क देशों, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और आसियान (एएसईएएन) क्षेत्र में भी अत्यधिक सम्मान के साथ देखा जाता है। यह संस्थान सदस्यों के लिए निबंध और तकनीकी पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है तथा चयनित निबंधों / आलेखों को प्रकाशित करता है।

II.3.2.3 यह संस्थान बीमा विनियमनकर्ता द्वारा दिये गये अधिदेश के अनुसार बीमा मध्यवर्तियों के लिए भर्ती-पूर्व और लाइसेंसीकरण-पूर्व परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम सामग्री विकसित

करता है तथा परीक्षाएँ आयोजित करता है। वर्ष के दौरान, 7,34,014 उम्मीदवारों ने एजेंट की परीक्षा दी। संस्थान दलालों, बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ), कारपोरेट एजेंटों और सर्वेक्षकों के लिए नवीकरण-पूर्व/ लाइसेंसीकरण-पूर्व प्रशिक्षण हेतु एक मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र है तथा कारपोरेट एजेंटों के प्रधान अधिकारियों / विनिर्दिष्ट अधिकारियों हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकृत है। डाक जीवन बीमा निदेशालय ने भी अपने विक्रय बल के लिए परीक्षाओं के आयोजन और प्रशिक्षण देने हेतु इस संस्थान को प्राधिकृत किया है।

II.3.2.4 संस्थान वैश्विक बीमा शिक्षण संस्थान (आईजीआईई) का सदस्य है तथा कई अन्य सुप्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों और संघों के साथ इसका पुराना संबंध है। यह संस्थान अंतरराष्ट्रीय बीमा सोसाइटी (आईआईएस) का सदस्य है तथा सार्क क्षेत्र के लिए आईआईएस राजदूत के रूप में कार्य करता है। विदेशों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों और परीक्षा निकायों के साथ इस संस्थान के व्यावसायिक संबंध हैं।

II.3.2.5 उक्त संस्थान व्यापार और वाणिज्य मंडलों के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करता है तथा अपने अनुसंधान/ सर्वेक्षण परिणामों और अन्य जानकारी को बीमा उद्योग के लाभ के लिए साझा करता है। वर्ष के दौरान, कठिन महामारी अवधि के दौरान अपने अनुभवों और जानकारियों का साझा करने के लिए संस्थान ने छह देशों के बीमाकर्ताओं, बीमा संस्थानों और विनियामक प्राधिकरण अधिकारियों के साथ एक आभासी (वर्चुअल) गोलमेज अधिवेशन आयोजित किया। स्वास्थ्य बीमा, प्रौद्योगिकी, विधि और सड़क सुरक्षा के क्षेत्रों में विचारोत्तेजक वेबिनारों का आयोजन किया गया।

II.3.2.6 संस्थान के पास मुंबई और कोलकाता में अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं और एक सुदृढ़ संकाय दल है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत के 1694 और विदेशों से 228 सहभागियों ने आभासी (वर्चुअल) प्लेटफार्म पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

II.3.2.7 वर्ष के दौरान संपत्ति बीमा पर एक नया प्रमाणपत्र कार्यक्रम चालू किया गया। इस संस्थान ने "इनसे मिलिये" नाम का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जहाँ उद्योग के सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के लघु साक्षात्कार यूट्यूब पर अपलोड किये गये ताकि अभिमत-निर्माताओं के विचार दर्शकों की एक बड़ी संख्या तक पहुँच सकें। संस्थान ने प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) हेतु क्षमता-निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ भागीदारी की।

II.3.2.8 क्षमता-निर्माण और कौशल-स्थिति विकास में बीमा उद्योग के सहभागियों की सहायता करने के साथ ही, यह संस्थान स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में पहुँचता है तथा युवा वर्ग को बीमा क्षेत्र में विद्यमान कैरियर अवसरों के बारे में सूचित करता है। संस्थान को बैंकिंग और बीमा विषयों में अंतर्वस्तु विकसित करने और सीबीएससी विद्यालय शिक्षकों के लिए `प्रशिक्षक का प्रशिक्षण' संचालित करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) के साथ सहभागिता करने के लिए आमंत्रित किया गया।

II.3.3 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थानः

II.3.3.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित तथा 04 अक्तूबर 2005 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित एक संस्थान है। प्राधिकरण को आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(च), जो बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करने से संबंधित है, के अंतर्गत आईआईआईएसएलए को बढ़ावा देने और उसका विनियमन करने का अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त है।

II.3.3.2 इस संस्थान की स्थापना शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय में गुणवत्ता का संवर्धन करने, अपने सदस्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने में मदद पहुँचाने तथा अपने सदस्यों के कौशल और ज्ञान का कोटि-उन्नयन करने हेतु उनके बीच तकनीकी सूचना का प्रसार करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य हानि नियंत्रण तथा न्यूनीकरण तकनीकों और उपायों में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना एवं बीमा उद्योग और जनसाधारण के साथ इसका साझा करना तथा उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को सेवा में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने के संबंध में अपने सदस्यों को अद्यतन जानकारी देना है। इसके अलावा,

सदस्यों तथा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय के साथ संबद्ध अन्य व्यक्तियों के उपयोग और लाभ के लिए मार्गदर्शी नोट, अनुदेश मैनुअल, आवधिक पत्रिकाएँ प्रकाशित करने के लिए भी यह जिम्मेदार है।

II.3.4 अन्य व्यावसायिक संस्थान

II.3.4.1 भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) की परिषद में प्राधिकरण का भी सांविधिक प्रतिनिधित्व है, जो भारत में बीमांकको के व्यवसाय के विनियमन के लिए एक सांविधिक और व्यावसायिक निकाय है। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ बीमांकक के व्यवसाय के सदस्यों द्वारा किये जानेवाले व्यवहार को विनियमित करना भी शामिल है।

II.3.4.2 बीमा शिक्षण से संबंधित एक और उल्लेखनीय समन्वित प्रबंध विद्यालय राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), पुणे है जो संस्थागत और वैयक्तिक आधार पर अनुसंधान और परामर्श संबंधी कार्यकलापों का संवर्धन, विकास और पोषण करता है।

II.4 वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय

II.4.1 2020-21 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी), सिविल अदालतों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), और लोक अदालत के समक्ष दायर किये गये मामलों के तौर पर वादों एवं निपटाये गये / खारिज किये गये मामलों का भी विवरण सारणी II.14 और II.15 में दिया गया है।

सारणी II.14
2020-21 के दौरान दायर किये गये विधिक मामलों का विवरण

क्रम सं.	दायर किये गये मामलों का विवरण	जीवन	गैर-जीवन	स्वास्थ्य	मध्यवर्ती	एचआर	सीएडी	कुल
1	सर्वोच्च न्यायालय	1	2	1	-	-	-	4
2	विभिन्न उच्च न्यायालयों मं दायर रिट याचिकाएँ	5	11	17	15	3	27	78
3	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	-	2	1	3	-	-	6
4	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट अपीलें, एलपीए	-	-	-	-	-	2	2
5	उच्च न्यायालयों में दायर अवमानना याचिकाएँ	-	2	-	-	-	-	2
6	उपभोक्ता मामले (डीसीएफ+एससीडीआरसी+एनसीडीआरसी)	-	-	2	-	-	40	42
7	दीवानी और लोक अदालत मामले	-	-	-	-	-	2	2
8	एमएसीटी मामले	-	-	-	-	-	-	-
9	जनहित वाद	-	1	3	-	1	1	6
	कुल	**6**	**18**	**24**	**18**	**4**	**72**	**142**

सारणी II.15
2020-21 के दौरान निपटाये गये/खारिज किये गये विधिक मामलों का विवरण

क्रम सं.	दायर किये गये मामलों का विवरण	जीवन		गैर-जीवन		स्वास्थ्य		मध्यवर्ती		एच आर		सीएडी		कुल	
		क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	सर्वोच्च न्यायालय	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाएँ	1	1	-	2	2	8	6	4	-	1	3	7	12	23
3	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	उच्च न्यायालयों में दायर अवमानना याचिकाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
5	उपभोक्ता मामले (डीसीएफ+ एससीआरडीसी+ एनसीडीआरसी)	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	7
	कुल	**1**	**2**	**-**	**4**	**2**	**10**	**6**	**4**	**-**	**1**	**3**	**14**	**12**	**35**

टिप्पणी: क- आईआरडीएआई को निर्देश सहित निपटाये गये मामले ख- आईआरड़ीएआई को निर्देश के बिना निपटाये गये मामले

II.5 बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

आईआरडीएआई घरेलू तौर पर विनियामक उपाय प्रारंभ करने और उन्हें कार्यान्वित करने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व को स्वीकार करता है। इस संदर्भ में और अपने विनियामक उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए आईआरडीएआई विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, फोरमों और विदेशी विनियमनकर्ताओं के साथ संबंध बनाया हुआ है। आईआरडीएआई वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में निरंतर चल रही गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलिप्त रहा है और योगदान कर रहा है।

II.5.1 अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के साथ संबंध

II.5.1.1 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संलिप्तता अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के साथ जारी है, जो बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत, मानक और अन्य सहायक सामग्री विकसित करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय है। 1994 में स्थापित आईएआईएस 200 से अधिक अधिकार-क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षक प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करता है। आईएआईएस सदस्यों के लिए अपने अनुभवों तथा बीमा पर्यवेक्षण और बीमा बाजारों की समझ की साझेदारी करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। यह वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है जहाँ पर्यवेक्षक, उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य व्यवसायी बीमा क्षेत्र में प्रगति और बीमा विनियमन को प्रभावित करनेवाले विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं।

II.5.1.2 उक्त आईएआईएस अपने कार्यकलाप एक कार्यकारी समिति के नेतृत्व में एक समिति प्रणाली के द्वारा संचालित करता है जो पुनः पाँच समितियों (जो "मूल समितियाँ" कहलाती हैं) द्वारा समर्थित है, अर्थात् लेखा-परीक्षा और जोखिम (एआरसी), बजट (बीसी), समष्टि विवेकपूर्ण (एमपीसी), नीति विकास (पीडीसी) तथा कार्यान्वयन और मूल्यांकन (आईएससी) समितियाँ।

II.5.1.3 कार्यकारिणी समिति के सदस्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा चुने हुए अधिकार-क्षेत्रों के होते हैं। एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उक्त कार्यकारिणी समिति में सात देश करते हैं जिनमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, हांगकांग और सिंगापुर शामिल हैं।

II.5.1.4 आईएआईएस की प्रमुख समितियों अर्थात् नीति विकास समिति, समष्टि विवेकपूर्ण समिति एवं कार्यान्वयन और मूल्यांकन समिति में आईआरडीएआई की सहभागिता है। ये समितियाँ नीति विकास, वित्तीय स्थिरता तथा आईएआईएस पर्यवेक्षी सामग्री आदि के कार्यान्वयन और मूल्यांकन के क्षेत्र में मानक निर्धारण कार्यकलापों की निगरानी करती हैं।

II.5.1.5 आईएआईएस की समिति प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक समिति ने अपने कर्तव्यों के निर्वाह में सहायता के लिए विभिन्न कार्यदलों / कार्यबलों की स्थापना की है। आईआरडीएआई की सहभागिता वित्तीय समावेशन, कॉरपोरेट अभिशासन, बाजार व्यवहार, समष्टि विवेकपूर्ण नीति और निगरानी तथा बीमा पूँजी मानक विकास के पहलुओं की जाँच करनेवाले आईएआईएस कार्यदलों में है।

II.5.1.6 आईआरडीएआई आईएआईएस के कार्य में व्यक्तियों की उपस्थिति के द्वारा और टेली-कान्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समितियों/ कार्यदल/ कार्यबलों की बैठकों में सहभागिता करते हुए योगदान करता है। तथापि, वर्तमान कोविड-19 स्थिति के चलते सभी भौतिक बैठकें आभासी बैठकों से प्रतिस्थापित की गई हैं। उक्त विचार-विमर्श एवं जानकारी का आदान-प्रदान वैश्विक बीमा मानकों के निर्माण और अंगीकरण के रूप में परिवर्तित होते हैं। आईएआईएस की समितियों/ कार्यदलों/ कार्यबलों की बैठकों में सहभागिता ने अत्यंत उपयोगी निविष्टियाँ उपलब्ध कराई हैं तथा वे आईआरडीएआई के अपने घरेलू विनियम-निर्माण में बहुत उपयोगी रही हैं।

II.5.1.7 आईआरडीएआई, आईएआईएस सदस्य प्राधिकरणों द्वारा कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में लिये जा रहे विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य वित्तीय नीतिगत उपायों के संबंध में आवधिक तौर पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराते हुए बीमा पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए आईएआईएस की पहल में सम्मिलित हुआ।

II.5.1.8 आईआरडीएआई समकक्ष समीक्षा और स्व-मूल्यांकन अभ्यासों में सहभागिता करता है जो मूल बीमा सिद्धांतों के मानकों के कार्यान्वयन और अनुपालन-स्तर तथा एक अधिकार-क्षेत्र में इसकी प्रभावकारिता के मूल्यांकन से संबद्ध हैं।

II.5.1.9 आईआरडीएआई बीमा पर्यवेक्षी स्टाफ के लिए आईएआईएस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण अवसरों का उपयोग करता है। आईआरडीएआई द्वारा नामित पर्यवेक्षी स्टाफ ने "एफएसआई-आईएआईएस विनियामक और पर्यवेक्षी प्रशिक्षण आनलाइन (प्रथम)" कहलानेवाला क्षमता निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया जो आनलाइन शिक्षकीय कक्षाओं और वेबिनारों का एक संयोजन है। इस आनलाइन पाठ्यक्रम का उद्देश्य दोनों विवेकपूर्ण और आचरणसंबंधी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए बीमा पर्यवेक्षण के आवश्यक तत्वों से सहभागियों को परिचित कराना है। ये गतिविधियाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही गतिविधियों के साथ पंक्तिबद्ध होने में आईआरडीएआई की सहायता करती हैं।

II.5.2 द्विपक्षीय वचनबद्धताएँ

II.5.2.1 मई 2013 से आईआरडीएआई अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन का एक हस्ताक्षरकर्ता है जो सहयोग और सूचना की साझेदारी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2012 विद्यमान है जो उस तरीके की व्यवस्था करता है जिसमें अन्य विनियामक निकायों के साथ गोपनीय सूचना साझा की जा सकती है।

II.5.2.2 आईआरडीएआई ने अब तक दो द्विपक्षीय सहमति ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये थे। एक बीमा प्राधिकरण, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ और दूसरा फेडरल बीमा कार्यालय (एफआईओ), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। उक्त एमओयू सूचना के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सहायता सहित, सहयोग एवं समन्वय के लिए एक ढाँचे की व्यवस्था करते हैं। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, कज़कस्तान, मंगोलिया और मारिशस देशों के बीमा पर्यवेक्षकों और संबंधित एजेंसियों ने भी द्विपक्षीय सहमति ज्ञापन के लिए अपनी इच्छा दर्शाई है जो विचाराधीन हैं।

II.5.3 बीमा विनियमनकर्ताओं का एशियाई फोरम (एएफआईआर)

II.5.3.1 बीमा विनियमनकर्ताओं का एशियाई फोरम (एएफआईआर) एशिया और ओशनिया क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षकों का एक मंच है जिसकी स्थापना 2005 में क्षेत्रीय बीमा विनियमन सहयोग पर बीजिंग घोषणा के आधार पर की गई थी। एएफआईआर का मिशन क्षमता निर्माण को मजबूत बनाना, बीमा विनियामक क्षमता को सुसाध्य बनाना तथा एशिया और ओशनिया क्षेत्रों में विनियामक सहयोग को बढ़ावा देना है। एएफआईआर में वर्तमान में 21 सदस्य हैं। एएफआईआर के सदस्य वार्षिक तौर पर बैठक करते रहे हैं जहाँ प्रत्येक सहभागी अधिकार-क्षेत्र बारी-बारी से मेजबान आयोजक है। सर्वप्रथम एएफआईआर सम्मेलन बीजिंग में 2006 में आयोजित किया गया। पिछली (पन्द्रहवीं) बैठक की मेजबानी 14 जुलाई 2020 को आभासी (वर्चुअल) पद्धति में आईआरडीएआई द्वारा की गई।

II.5.4 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

II.5.4.1 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वित्तीय प्रणाली की असुरक्षितताओं का समाधान करने तथा वित्तीय स्थिरता के हित में सुदृढ़ विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। एफएसबी का एक मुख्य अधिदेश है वित्तीय विनियमन पर जी20 की नीतिगत घोषणाओं को कार्यान्वित करना। एफएसबी में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है। एफएसबी की बैठकों में चर्चित बीमा क्षेत्र संबंधी विषयों पर अपने विचार और अभिमत वित्त मंत्रालय को उपलब्ध कराने के द्वारा आईआरडीएआई एफएसबी के कार्य में अंशदान करता है। आईआरडीएआई बीमा के लिए संगत एफएसबी के सर्वेक्षणों / प्रश्नावलियों / समीक्षाओं के लिए प्रतिक्रियाएँ भी देता है।

II.5.5 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी)

II.5.5.1 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) का एक संयुक्त कार्यक्रम है, किसी भी देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन मूल्यांकन है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों में एफएसएपी मूल्यांकन आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाते हैं तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केवल आईएमएफ द्वारा। एफएसएपी में दो प्रमुख घटक होते हैं : अर्थात् वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन (आईएमएफ का दायित्व) तथा वित्तीय विकास का मूल्यांकन (विश्व बैंक का दायित्व)। एफएसएपी 29 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अधिकार-क्षेत्रों के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) हैं। भारत इन 29 देशों में से एक है। भारत के लिए पहला एफएसएपी 2011-12 में संचालित किया गया था और रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा 29 अगस्त 2013 को प्रकाशित की गई थी।

II.5.5.2 दूसरा एफएसएपी मिशन संयुक्त आईएमएफ-डब्ल्यूबी टीम द्वारा दिसंबर 2016 में प्रारंभ किया गया था तथा उसके बाद दो और मिशन विजिट मार्च और जून-जुलाई 2017 में किये गये थे। तदुपरांत, आईएमएफ और डब्ल्यूबी ने भारत के लिए क्रमशः वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन (एफएसएसए) और वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन (एफएसए) रिपोर्टें 21 दिसंबर 2017 को जारी की हैं। भारत 2017 एफएसएपी के भाग के रूप में, आईएमएफ ने "बीमा क्षेत्र विनियमन और पर्यवेक्षण" पर एक तकनीकी नोट भी प्रकाशित किया। यह तकनीकी नोट भारतीय बीमा क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण के हाल के विकास का मूल्यांकन उपलब्ध कराता है तथा इसमें भारतीय बीमा बाजार के लिए सिफारिशें की गई हैं। उक्त रिपोर्ट ने पाया है कि बीमा विनियमन संबंधी 2011 एफएसएपी की अधिकांश सिफारिशों का समाधान किया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2011 में केवल अंशतः पाये गये (पीओ) रूप में रेटिंग दिये गये चार आईसीपी के संबंध में संबंधित सभी सिफारिशों का समाधान विधायी परिवर्तन करने, गैर-जीवन आरक्षण आवश्यकताओं का सशक्तीकरण करने, तथा बीमा धोखाधड़ी के संबंध में अपेक्षाओं का सेट प्रारंभ करने के द्वारा किया गया है।

II.5.6 ओईसीडी वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफई)

II.5.6.1 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने वित्तीय शिक्षा में हित और विशेषज्ञता के साथ सरकारी प्राधिकरणों के लिए एक मंच निर्मित करने हेतु 2008 में वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफई) स्थापित किया। इसके कार्य के कार्यक्रम में समर्पित कार्यदलों के द्वारा संचालित विषयों के एक दायरे के संबंध में वैश्विक डेटा संग्रहण अभ्यास और कार्यपद्धतियाँ, नीतिगत विश्लेषण और अनुसंधान शामिल हैं। ओईसीडी-आईएनएफई कार्य में वित्तीय साक्षरता के संबंध में वैश्विक सिद्धांतों और साधनों का विकास भी शामिल है। आईएनएफई के कार्य में मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड (एबी) स्थापित किया गया। उक्त एबी की सहायता अध्यक्ष के रूप में ओईसीडी सचिवालय द्वारा भारत और युनाइटेड किंगडम से नामित दो उपाध्यक्षों के साथ की जाती है। भारत आईएनएफई की गतिविधियों में नियमित रूप से सहभागिता करता है, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई और एनआईएसएम द्वारा किया जाता है। 2014 में आईएनएफई की संस्थागत संरचना का संशोधन किया गया जब आईएनएफई के कार्यकलापों का वित्तीय रूप से समर्थन करने के लिए संस्थागत आधार से युक्त अंशदान प्रारंभ किया गया और आईएनएफई तकनीकी समिति का निर्माण किया गया जिसकी बैठकों में केवल पूर्ण और अंशदाता सदस्य ही भाग लेते हैं। ओईसीडी आईएनएफई बैठकों के दौरान सहभागी वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में विश्व भर में की गई पहलुओं को साझा करते हैं।

II.5.7 अन्य वचनबद्धताएँ

II.5.7.1 2020-21 के दौरान, आईआरडीएआई ने बीमा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और वार्ताओं के संबंध में भारत सरकार के साथ एक प्रभावी और उपयोगी वचनबद्धता की दिशा में अंशदान करना जारी रखा।

II.5.7.2 बीमा के क्षेत्र में आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करने के लिए आईआरडीएआई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में भी सहभागिता करता है।

II.6 सार्वजनिक शिकायतें

II.6.1 शिकायत निवारण नीति

II.6.1.1 बीमाकर्ताओं की शिकायत निवारण नीति की निगरानी के द्वारा आईआऱडीएआई पालिसीधारकों की शिकायतों के समाधान को सुसाध्य बनाता है तथा बीमा उपभोक्ताओ के हितों के संरक्षण की दिशा में कई पहलें करता है। पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण विनियम, 2017 में शिकायत निवारण प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार आईआरडीएआई ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उनके पास एक शिकायत निवारण नीति विद्‌यमान हो, वे प्रधान कार्यालय/कारपोरेट कार्यालय/मुख्य कार्यालय में एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करें और प्रत्येक अन्य कार्यालय में भी एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित किया जाए। उक्त विनियम शिकायतों और उनके निवारण से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए जारी किये गये कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्ताओं के लिए एक पालिसीधारक संरक्षण समिति गठित करने की अपेक्षा को भी निर्धारित करते हैं।

II.6.2 समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली

II.6.2.1 बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई शिकायत काल सेंटर (आईजीसीसी) स्थापित किया है जो एक निःशुल्क (टोल फ्री) टेलीफोन संख्या और ई-मेल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करता है तथा शिकायतें पंजीकृत करता है और साथ ही, उनके समाधान की स्थिति प्रस्तुत करता है। आईआरडीएआई ने शिकायत प्रबंध के लिए एक आनलाइन प्रणाली के रूप में समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) भी स्थापित की है जो न केवल आनलाइन शिकायतें पंजीकृत करने और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रवेश-द्‌वार (गेटवे) है, बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई के लिए एक उद्‌योग-व्यापी शिकायत भंडार (रिपोजिटरी) के रूप में भी कार्य करती है। आईजीसीसी का आईजीएमएस के साथ एक इंटरफेस है; तथा आईजीएमएस के माध्यम से सभी बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रणालियों के साथ आईआरडीएआई का इंटरफेस है।

II.6.3 आईजीएमएस में शिकायतों की स्थिति

जीवन बीमाकर्ताओं

II.6.3.1 2020-21 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने संभाली गई शिकायतों के 99.88 प्रतिशत का समाधान किया है। निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने शिकायतों के 99.63 प्रतिशत का समाधान किया है, जबकि एलआईसी ने शिकायतों के 99.97 प्रतिशत का समाधान किया है (सारणी II.16)।

II.6.3.2 वर्ष 2020-21 में सूचित की गई शिकायतों की संख्या में पिछले वर्ष से 8.58 प्रतिशत की कमी आई है।

II.6.3.3 जैसा कि चार्ट II.5 से देखा जा सकता है, शिकायत निवारण संबंधी दिशानिर्देशों के तौर पर आईजीएमएस के अनुसार वर्गीकरण 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं के अंतर्गत शिकायतों में छह प्रतिशत की पर्याप्त कमी निर्दिष्ट करता है तथा पालिसी सर्विसिंग श्रेणी के अंतर्गत शिकायतों में चार प्रतिशत की सीमांत कमी; 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान प्रस्ताव प्रसंस्करण के अंतर्गत शिकायतों में एक प्रतिशत की वृद्धि, उत्तरजीविता दावों के अंतर्गत शिकायतों में 6 प्रतिशत की वृद्धि तथा अन्य के अंतर्गत शिकायतों में 2 प्रतिशत की वृद्धि निर्दिष्ट करता है। यूलिप संबंधी और मृत्यु दावों के अंतर्गत शिकायतों ने पिछले दो वर्षों के दौरान कुल शिकायतों में अपेक्षाकृत रूप से एक ही अंश को बनाये रखा है।

सारणी II.16
आईजीएमएस के अनुसार शिकायतों की स्थिति

बीमाकर्ता का प्रकार	2019-20			2020-21		
	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित
जीवन बीमाकर्ता						
एलआईसी	1,12,005	1,09,153	2,852	1,09,631	1,12,454	29
निजी	53,212	53,272	24	41,415	41,286	153
जीवन बीमाकर्ता कुल	**1,65,217**	**1,62,425**	**2,876**	**1,51,046**	**1,53,740**	**182**
साधारण बीमाकर्ता						
सरकारी क्षेत्र	23,002	22,699	642	21,192	21,456	378
निजी	26,986	27,218	29	26,825	26,421	433
साधारण बीमाकर्ता कुल	**49,988**	**49,917**	**671**	**48,017**	**47,877**	**811**
कुल जोड़	**2,15,205**	**2,12,342**	**3547**	**1,99,063**	**2,01,617**	**993**

चार्ट II.5
जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण

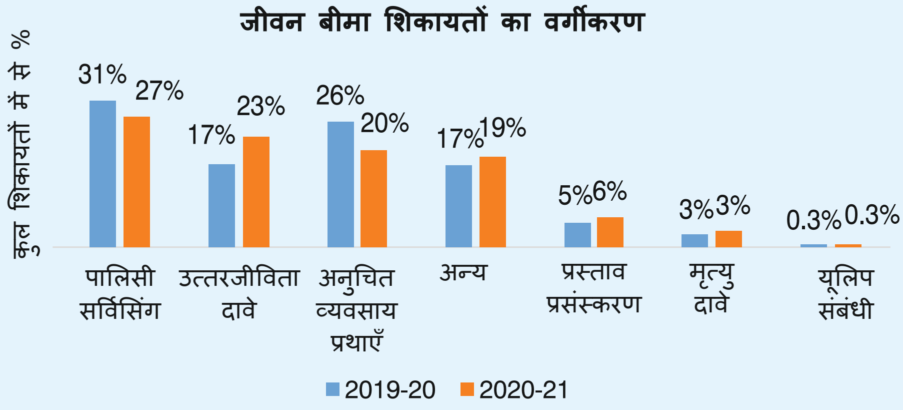

साधारण बीमाकर्ता

II.6.3.4 साधारण बीमा कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के दौरान संभाली गई शिकायतों के 98.33 प्रतिशत का समाधान किया। निजी साधारण बीमा कंपनियों ने 98.39 प्रतिशत का समाधान किया तथा सरकारी क्षेत्र साधारण बीमा कंपनियों ने अपने द्वारा संभाली गई शिकायतों के 98.27 प्रतिशत का समाधान किया। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, कुल 811 शिकायतें समाधान के लिए लंबित थीं, जिनमें से 433 निजी क्षेत्र बीमा कंपनियों से संबंधित थीं तथा शेष 378 सरकारी क्षेत्र बीमा कंपनियों से संबंधित थीं (सारणी II.16)।

II.6.3.5 सूचित की गई शिकायतों की संख्या में 2019-20 में सूचित की गई शिकायतों की संख्या की तुलना में वर्ष 2020-21 में 3.94 प्रतिशत की कमी रही है।

II.6.3.6 जैसा कि चार्ट II.6 से देखा जा सकता है, 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान दावों के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों में छह प्रतिशत की कमी है। अन्य के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों में तीन प्रतिशत की वृद्धि, पालिसी संबंधी और प्रीमियम के अंतर्गत एक प्रतिशत वृद्धि है। अन्य सभी श्रेणियों के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों ने पिछले वर्ष की तरह अपेक्षाकृत रूप से उसी अंश को बनाये रखा है।

चार्ट II.6

साधारण बीमा शिकायतों का वर्गीकरण

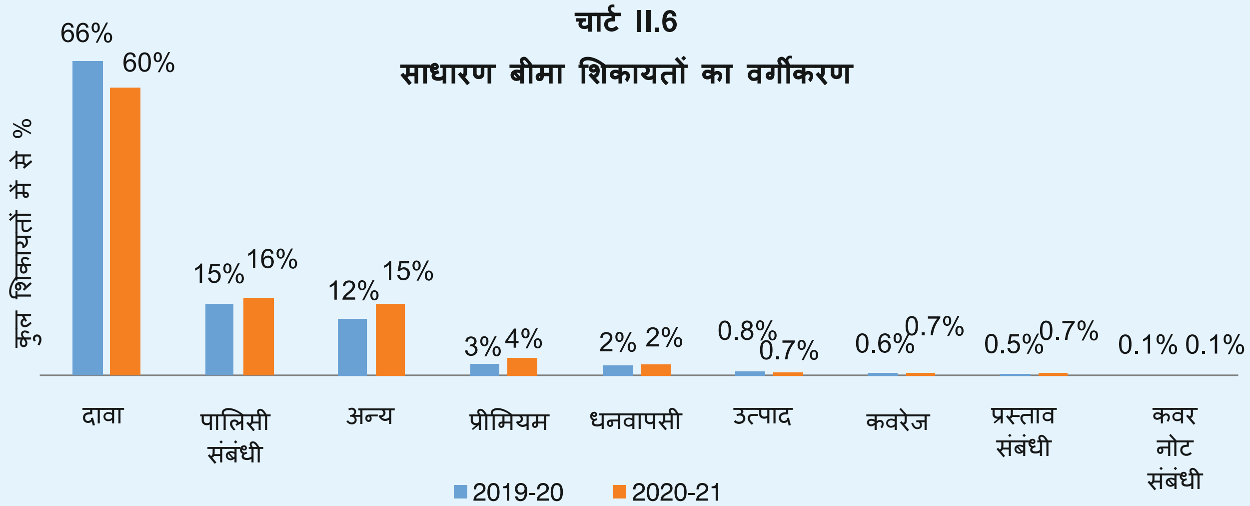

बीमा उद्योग

II.6.3.7 उद्योग ने वर्ष 2020-21 में शिकायतों में पिछले वर्ष की तुलना में 7.50 प्रतिशत की कमी देखी है। वर्ष 2019-20 में सूचित की गई 2.15 लाख शिकायतों के मुकाबले वर्ष 2020-21 में कुल 1.99 लाख शिकायतें सूचित की गईं (सारणी II.16)।

II.6.4 डीएआरपीजी पोर्टल में शिकायतों की स्थिति

II.6.4.1 वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) पोर्टल में पंजीकृत शिकायतों में से आईआरडीएआई को 8580 शिकायतें भेजी गई हैं। वर्ष के दौरान कुल 8340 शिकायतों का निपटान किया गया है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार कुल 369 शिकायतें लंबित थीं।

सारणी II.17

डीएआरपीजी पोर्टल में पंजीकृत और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें (शिकायतों की संख्या)

शिकायत का स्रोत	2020-21 के प्रारंभ में शिकायतें	2020-21 के दौरान प्राप्त	2020-21 की कुल शिकायतें	2020-21 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2020-21 के अंत में शिकायतें
डीपीजी	1	266	267	249	18
डीएआरपीजी	10	98	108	94	14
स्थानीय/इंटरनेट	56	4932	4988	4786	202
राष्ट्रपति सचिवालय	1	26	27	26	1
पेन्शन	-	8	8	7	1
पीएमओ	61	3250	3311	3178	133
कुल	**129**	**8580**	**8709**	**8340**	**369**

डीएआरपीजी - प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग; डीपीजी- सार्वजनिक शिकायत निदेशालय;
पीएमओ- प्रधान मंत्री कार्यालय

II.6.4.2 31 मार्च 2021 को लंबित 369 शिकायतों में से 17 शिकायतें समाधान के लिए 60 दिन से अधिक लंबित थीं।

निम्न अवधि के लिए लंबित	शिकायतों की संख्या
< 15 दिन	262
15 - 30 दिन	52
31 - 60 दिन	38
> 60 दिन	17
कुल	**369**

II.7 सलाहकार समिति की कार्यपद्धति

II.7.1 बीमा सलाहकार समिति

II.7.1.1 बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) में 25 सदस्य होते हैं जो वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता मंच, सर्वेक्षकों, एजेंटों, मध्यवर्तियों, सुरक्षा और हानि निवारण मंः लगे हुए संगठनों, बीमा क्षेत्र के अनुसंधान निकायों और कर्मचारी संघों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राधिकरण का अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्य उक्त बीमा सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य हैं। बीमा सलाहकार समिति का उद्देश्य विनियम बनाने से संबंधित विषयों पर प्राधिकरण को सलाह देना है। बीमा सलाहकार समिति प्राधिकरण को ऐसे अन्य विषयों पर भी परामर्श दे सकती है जो निर्धारित किये जाएँगे।

II.7.1.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बीमा सलाहकार समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई थीं। वे हैं :

- आईएसी की 41वीं बैठक 24 जुलाई 2020 को आयोजित की गई।
- आईएसी की 42वीं बैठक 24 सितंबर 2020 को आयोजित की गई।
- आईएसी की 43वीं बैठक 25 फरवरी 2021 को आयोजित की गई।

II.7.2 पुनर्बीमा सलाहकार समिति

II.7.2.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी(1) के अधीन वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), भारत सरकार के अनुमोदन दिनांक 06 दिसंबर 2018 के आधार पर आईआरडीएआई ने आदेश सं. आईआरडीएआई/आरआई/ओआरडी/विविध/212/12/2018 दिनांक 31 दिसंबर 2018 के द्वारा पुनर्बीमा सलाहकार समिति (आरएसी) का पुनर्गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था। सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैः

नाम	संस्था	आरएसी में पद
श्री रामप्रसाद	भूतपूर्व सदस्य, आईआरडीएआई	अध्यक्ष
श्री अरुण अग्रवाल	लियोड्स भारत के पूर्व मुख्य प्रतिनिधि	सदस्य
श्री गिरीश राधाकृष्णन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	सदस्य
श्री राजीव कुमारस्वामी	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैगमा एच़डीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	सदस्य
श्री रितेश कुमार	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	सदस्य

II.7.2.2 श्रीमती टी.एल. अलमेलु ने सदस्य (गैर-जीवन) के रूप में आईआरडीएआई में 01 जुलाई 2019 से कार्यग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप आरएसी में एक आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई। श्री अरुण अग्रवाल को श्रीमती टी.एस. अलमेलु के स्थान पर आरएसी में सदस्य के रूप में नामित किया गया।

II.7.2.3 वर्ष 2020-21 के दौरान पुनर्बीमा सलाहकार समिति की एक बैठक 20 अगस्त 2020 को आयोजित की गई। आरएसी ने अपनी बैठक में विचार-विमर्श किया और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनिवार्य अध्यर्पणों की सिफारिश की।

II.7.2.4 इस समिति की कार्यावधि 30 दिसंबर 2021 तक है।

II.8 बीमा लोकपाल की कार्यपद्धति

II.8.1 एक सीमा तक बीमा की वैयक्तिक व्यवस्थाओं के संबंध में दावों से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए एक त्वरित और सस्ता मंच उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 11 नवंबर 1998 से बीमा क्षेत्र में लोकपाल (ओम्बुड्समैन) की प्रणाली लागू की। वर्तमान में देश में 17 बीमा लोकपाल हैं जिन्हें उनके अधिकार-क्षेत्रों के रूप में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र आबंटित किये गये हैं।

II.8.2 बीमाकर्ता (उसके एजेंटों और मध्यवर्तियों सहित) अथवा बीमा दलाल से अपेक्षित कार्यनिष्पादन में कमी के आरोप से युक्त, अथवा निम्नलिखित किसी भी आधार पर शिकायतें न्यायनिर्णयन के लिए बीमा लोकपाल के समक्ष की जा सकती हैं :

क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट समय से अधिक, दावों के निपटान में विलंब

ख) जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा दावों का कोई आंशिक अथवा पूर्ण निराकरण

ग) बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार प्रदत्त अथवा देय प्रीमियम पर विवाद

घ) पालिसी दस्तावेज अथवा पालिसी संविदा में किसी भी समय पालिसी की शर्तों का गलत विवरण

ङ) बीमा पालिसियों की कानूनी व्याख्या जहाँ तक विवाद दावे से संबंधित है

च) बीमाकर्ताओं तथा उनके एजेंटों और मध्यवर्तियों के विरुद्ध पालिसी सर्विसिंग संबंधी शिकायतें

छ) जीवन बीमा पालिसी, स्वास्थ्य बीमा पालिसी सहित साधारण बीमा पालिसी का निर्गम जो प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव फार्म के अनुरूप नहीं है

ज) जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा सहित साधारण बीमा में प्रीमियम की प्राप्ति के बाद बीमा पालिसी जारी न करना

झ) पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा बनाये गये किसी भी विनियम अथवा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी परिपत्र, दिशानिर्देश अथवा अनुदेश के उपबंधों अथवा पालिसी संविदा की शर्तों का अनुपालन न करने अथवा पालन न करने से अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाला कोई अन्य विषय, जहाँ तक ऐसा विषय खंड (क) से (ज) तक में उल्लिखित समस्याओं से संबंधित है।

II.8.3 प्रत्येक लोकपाल वैयक्तिक व्यवस्थाओं पर बीमा संविदाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए सशक्त है जहाँ अपेक्षित क्षतिपूर्ति की राशि रु. 30 लाख से कम है। बीमा लोकपाल शिकायत के संबंध में न्यायनिर्णयन करता है तथा एक अधिनिर्णय (अवार्ड) जारी करता है। बीमाकर्ता शिकायतकर्ता से स्वीकृति पत्र प्राप्त होने से 15 दिन के अंदर लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णय का अनुपालन करेगा और अनुपालन की सूचना लोकपाल को देगा।

II.8.4 बीमा लोकपाल के अधिनिर्णय के अननुपालन की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई ने परिपत्र संदर्भः सीएडी/बीमा लोकपाल/10-11 दिनांक 23 नवंबर 2010 और संदर्भःआईआरडीएआई/परिपत्र/विविध/194/11/2015 दिनांक 03 नवंबर 2015 जारी किये हैं। आईआरडीएआई

द्वारा जारी किये गये दिनांक 03 नवंबर 2015 के परिपत्र में बीमाकर्ताओं को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः

- न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के आदेशों का अनुपालन बीमाकर्ता द्वारा आदेश अथवा अधिनिर्णय में निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया जाना चाहिए तथा उन मामलों में जहाँ आदेश/अधिनिर्णय में समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, उक्त आदेश/अधिनिर्णय का अनुपालन बीमाकर्ता द्वारा आदेश/अधिनिर्णय की प्राप्ति से 60 दिन के अंदर किया जाना चाहिए तथा
- उन मामलों में जहाँ बीमाकर्ता न्यायिक/अर्धन्यायिक निकाय के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है, वहाँ आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील प्रयोज्य नियमों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- शिकायतकर्ता को मामले में तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए।

II.9 बीमा संघ और बीमा परिषदें

II.9.1 जीवन बीमा परिषद

II.9.1.1 जीवन बीमा (एलआई) परिषद उन बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय है जो भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करते हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64सी के अधीन गठित जीवन बीमा परिषद विभिन्न उप-समितियों के माध्यम से कार्य करती है और इसमें भारत में कार्यरत सभी 24 जीवन बीमा कंपनियाँ शामिल हैं।

II.9.1.2 जीवन बीमा परिषद की कार्यकारिणी समिति बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64एफ के अनुसार गठित है जिसमें निम्नलिखित होते हैं

क. अपनी वैयक्तिक क्षमता में चुने गये जीवन बीमा परिषद के सदस्यों के चार प्रतिनिधि;

ख. प्राधिकरण द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध नहीं है;

ग. क्रमशः बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों और पालिसीधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले तीन व्यक्ति जो प्राधिकरण द्वारा नामित किये जा सकते हैं;

घ. स्वयं-सहायता समूहों और बीमा सहकारी सोसाइटियों से एक-एक प्रतिनिधि।

II.9.1.3 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64जे (1) के अनुसार जीवन बीमा परिषद की कार्यकारिणी समिति के कार्य

क. जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं को आचरण और युक्तियुक्त प्रथा के मानक निर्धारित करने के विषय में तथा जीवन बीमा की पालिसियों के धारकों को कुशल सेवा प्रदान करने के विषय में सहायता और परामर्श देना।

ख. भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले ऐसे बीमाकर्ताओं के व्ययों को नियंत्रित करने के विषय में आईआरडीएआई को परामर्श देना।

ग. जीवन बीमा पालिसियों के धारकों के हितों के प्रतिकूल तरीके से कार्य करनेवाले किसी भी बीमाकर्ता का मामला आईआरडीएआई की जानकारी में लाना।

घ. आईआरडीएआई के अनुमोदन से खंड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए प्रासंगिक अथवा अनुषंगी विषय में कार्य करना, जिसे जीवन बीमा परिषद के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है।

II.9.1.4 2020-21 में जीवन बीमा परिषद की गतिविधियाँ

i. प्रस्ताव के कागजात पर भौतिक हस्ताक्षरों और लाभ निदर्शनों के लिए विकल्प आईआरडीएआई ने जीवन बीमा परिषद को सूचित किया कि उपर्युक्त विषय पर विचार-विमर्श करने और एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के लिए जीवन बीमाकर्ताओं की एक समिति गठित करे तथा एजेंट/मध्यवर्ती द्वारा अपेक्षित (सलिसिटेड) विक्रय प्रक्रिया में प्रस्तावों पर भौतिक हस्ताक्षरों/लाभ निदर्शनों के तौर पर संभव सुविधाओं के विषय में एक निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण को वह प्रस्तुत करे। उक्त समिति गठित की गई और रिपोर्ट आईआरडीएआई को माह जून 2020 में प्रस्तुत की गई।

ii. भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) को प्रस्तुत डेटा में ग्राहक अभिनिर्धारक

जीवन बीमा परिषद को साधारण बीमा परिषद के साथ समन्वय करते हुए आईआईबी को प्रस्तुत डेटा में ग्राहक अभिनिर्धारकों के विषय की जाँच करने का कार्य सौंपा गया। उक्त समिति ने माह नवंबर 2020 में सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की।

iii. कर प्रमुखों की बैठक

जीवन बीमाकर्ताओं के कर प्रमुखों ने नियमित अंतरालों पर उद्योग के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया। जीवन बीमा परिषद ने अंतिम रूप दिये गये अभ्यावेदन के साथ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क किया तथा वित्त मंत्रालय को बजट 2021 पूर्व प्रस्तुतीकरण भी दिया।

iv. अध्यक्ष, आईआरडीएआई के साथ उद्योग की बैठक से उत्पन्न होनेवाले कार्य-विषय

अध्यक्ष, आईआरडीएआई और उनकी टीम ने वर्ष 2020-21 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ नियमित रूप से बैठकें कीं। तदुपरांत, आईआरडीएआई ने उपर्युक्त बैठकों से उत्पन्न होनेवाली कार्रवाई के कुछ बिन्दुओं पर जीवन बीमा परिषद से सूचना माँगी। तदनुसार, जीवन बीमा परिषद ने जीवन बीमाकर्ताओं से सूचना एकत्रित की और प्राधिकरण को उनके विचारार्थ प्रस्तुत की।

v. बीमा लोकपाल हेतु परिषद को जीवन बीमा परिषद से अंशदान

`बीमा लोकपाल हेतु परिषद' के कार्यचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता से (वर्तमान फार्मूले के अनुसार) अपेक्षित मौद्रिक अंशदान को सुसाध्य बनाने के लिए जीवन बीमा परिषद ने जीवन बीमाकर्ताओं के साथ समन्वय किया।

vi. कोविड मृत्यु दावा डेटा

जीवन बीमा परिषद सभी बीमाकर्ताओं से मृत्यु दावा डेटा एकत्रित करती रही है। संगृहीत सांख्यिकीय डेटा का विश्लेषण किया जाता है और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय और आईआरडीएआई को दैनिक आधार पर नियमित रूप से प्रेषित किया जाता है।

vii. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पीएमजेजेबीवाई के संबंध में दावों का समाधान किये गये विवरण पर विशेष बल देते हुए परिषद साप्ताहिक डेटा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करती है। पीएमजेजेबीवाई योजना के संबंध में वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय और आईआरडीएआई से अपने द्वारा प्राप्त की गई किसी भी सूचना पर परिषद अपने सदस्यों को नियमित रूप से अद्यतन जानकारी भी देती है।

viii. त्रिपुरा में बीमा जागरूकता में सुधार लाना

सदस्य कंपनियाँ जिन्होंने त्रिपुरा के विभिन्न जिलों का अंगीकरण किया है, आईआरडीएआई और जीवन बीमा परिषद को मासिक कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। परिषद ये रिपोर्टें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है।

ix. सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सीपीएससी)

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निलंब खाता (एसक्रो अकाउंट) - "सीएससी-एसपीवी आन बोर्डिंग कार्पस फंड" में शेष राशि लगभग रु. 15 लाख है। सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ विनियम, 2019 के अनुसार, सीपीएससी-एसपीवी केन्द्रों के माध्यम से अपने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए बीमाकर्ताओं और सीपीएससी-एसपीवी के बीच किये गये करार के अनुसार बीमाकर्ता सीधे सीपीएससी-एसपीवी को निधियाँ विपेषित करते हैं। अतः बीमाकर्ताओं ने जीवन बीमा परिषद के एसक्रो खाते में निधियाँ विप्रेषित करना बंद किया है।

II.9.1.5 आईआरडीएआई और भारत सरकार को अभ्यावेदन

जीवन बीमा परिषद ने आईआरडीएआई और भारत सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभ्यावेदन निम्नानुसार हैं :

- सीबीडीटी अभ्यावेदन - अधिनियम की धारा 194डी के अधीन टीडीएस दर में कमी
- आईसीएआई - इंड एएस 117 के लिए संशोधनों का एक्सपोज़र प्रारूप (बीमा संविदाएँ)
- कोविड-19 का मापः निविष्टि कर जमा के दावे के लिए कर बीजकों की स्कैन की हुई प्रतियों की स्वीकार्यता
- केवाईसी के लिए वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (वीबीआईपी) संबंधी दिशानिर्देशों का प्रारूप
- बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2020 का प्रारूप
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रबंधन के व्यय से स्थगन
- सीकेवाईसीआर पोर्टल में अपलोड करने के लिए संशोधित केवाईसी टेंप्लेट चालू करना
- वर्तमान जीएसटी अनुपालन व्यवस्था में लागू करने के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए जीवन बीमा उद्योग को पर्याप्त समय देने के लिए अनुरोध
- एमएसएमईएस के लिए बीमा उत्पाद - एमएसएमईएस संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें
- औद्योगिक संबंध कूट, 2019 का प्रत्याहरण करने तथा औद्योगिक संबंध कूट, 2020 संसद में प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव
- आधार अधिप्रमाणन के लिए यूआईडीएआई शुल्क को कम करना/ युक्तियुक्त बनाना
- पीएमजीकेपी के अंतर्गत कोरोना योद्धाओं और कोविड-19 से संघर्ष करनेवाले अन्य समुदायों के लिए आदर्शरूप (प्रोटोटाइप) विकसित करना
- सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों में आशोधन
- बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश की वृद्धि
- जीएसटी ई-बीजक बनाना और प्रस्तावित नये विवरणी फार्म
- जीएसटी टीडीएस उपबंधों को कान्यान्वित करने में व्यावहारिक चुनौतियाँ
- वर्तमान विनियामक ढाँचे के अंतर्गत शोधक्षमता की अपेक्षाओं की समीक्षा
- करों का भुगतान और कोविड-19 प्रकोप को देखते हुए जीएसटीआर 3बी फाइल करने में विलंब के लिए ब्याज की संगणना
- उच्च मूल्य के यूलिपों के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10(10 डी) में प्रस्तावित संशोधन को 01 अप्रैल 2021 तक आस्थगित करना
- नई निविष्ट की गई आय-कर अधिनियम,1961 (अधिनियम) की धारा 194-ओ से जीवन बीमा क्षेत्र को छूट प्रदान करना
- “आवास” और “बुनियादी संरचना” क्षेत्रों में निवेश करने की अपेक्षा में निधि के न्यूनतम 15% से 5% तक छूट की माँग करना
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट
- निरंतरता के परिकलन/ रिपोर्टिंग संबंधी मानदंडों में रियायत तथा दावा अन्वेषण के लिए 90 दिन के विनियामक टीएटी का विस्तार
- कारपोरेट बांड लेनदेनों के लिए आरएफक्यू प्लेटफार्म
- स्टैंड-अलोन सूक्ष्म बीमा कंपनी संबंधी टिप्पणियाँ

II.9.2 साधारण बीमा परिषद

II.9.2.1 साधारण बीमा परिषद (जीआई काउंसिल) स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबी) और भारत में परिचालनरत लायड्स इंडिया सहित साधारण बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय है। बीमा अधिनियम, 1938 (जनवरी 2015 में यथासंशोधित) की धारा 64सी के अनुसार भारत में व्यवसाय करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा पंजीकरण और लाइसेंस प्रदान किये गये सभी साधारण बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे उक्त साधारण बीमा परिषद के सदस्य हों। अद्यतन स्थिति के अनुसार कुल 43 कंपनियाँ (25 साधारण बीमाकर्ता, 5 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, 1 पीएसयू पुनर्बीमाकर्ता, 10 एफआरबी और 2 विशेषीकृत बीमाकर्ता) हैं जो साधारण बीमा परिषद के सदस्य हैं। अप्रैल 2015 में बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम के पारित होने के बाद गैर-जीवन बीमा उद्योग के बाजार व्यवहार और कार्यपद्धतियों के लिए साधारण बीमा परिषद एक स्व-विनियामक संगठन है।

II.9.2.2 आईआरडीएआई और गैर-जीवन बीमा उद्योग के बीच साधारण बीमा परिषद एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ ही, यह उद्योग की समस्याएँ भारत सरकार के पास उठाती है। जबकि उक्त परिषद बीमा अधिनियम द्वारा इसके लिए परिकल्पित भूमिका अदा करती है, यह सभी हितधारकों के हित में एक उचित और न्यायसंगत तरीके से उद्योग की समग्र वृद्धि में योगदान करती है।

II.9.2.3 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64एल(1) के अनुसार साधारण बीमा परिषद के पास निम्नलिखित कार्य हैं:

क. आचरण और विवेकपूर्ण व्यवहार के मानक निर्धारित करने के विषय में तथा साधारण बीमा की पालिसियों के धारकों को कुशल सेवा प्रदान करने के विषय में साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं को सहायता और परामर्श देना;

ख. कमीशन और अन्य व्ययों के मामले में भारत में व्यवसाय करनेवाले ऐसे बीमाकर्ताओं के व्ययों का नियंत्रण करने के विषय में आईआरडीएआई को परामर्श देना;

ग. सामान्य बीमा पालिसियों के धारकों के हितों के लिए हानिकर तरीके से कार्य करनेवाले किसी ऐसे बीमाकर्ता का मामला आईआरडीएआई की जानकारी में लाना;

घ. खंड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए प्रासंगिक और सहायक किसी भी मामले में आईआरडीएआई के अनुमोदन से युक्त रूप में कार्य करना तथा उसे साधारण बीमा परिषद द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है।

II.9.2.4 2020-21 में साधारण बीमा परिषद की गतिविधियाँ

i. भारत में परिचालनरत सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के प्रतिनिधि निकाय के रूप में साधारण बीमा परिषद ने विनियमनकर्ता/भारत सरकार द्वारा अपनाई गई परामर्शक प्रक्रिया के भाग के तौर पर, बनाये गये विभिन्न नये विनियमों, वर्तमान विनियमों में किये गये संशोधनों के संबंध में आईआरडीएआई और / या भारत सरकार को उद्योग के विचार प्रस्तुत किये हैं।

ii. साधारण बीमा परिषद ने मोटर वाहन अधिनियम (2019 में व्यापक रूप से संशोधित) के विकास और अधिसूचना के संबंध में विचार-विमर्श में भाग लिया और अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सहयोग किया। परिषद प्रयोज्य सीएमवी नियमों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई चर्चाओं में भी सक्रिय रूप से सहभागिता कर रही है।

iii. इसने कुछ लोकप्रिय बीमा उत्पादों में वाक्यरचना और अपवर्जनों के मानकीकरण के संबंध में आईआरडीएआई की ग्राहक केन्द्रिक पहलों में योगदान किया है।

iv. साधारण बीमा परिषद ने अपनी सदस्य कंपनियों की सहायता से टेलीविजन और डिजिटल मीडिया पर `बीमा शिक्षण और सूचना अभियान' प्रारंभ किया और संचालित किया जिसने जनसाधारण की प्रशंसा प्राप्त की।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुरोध पर परिषद ने आभासी (वर्चुअल) पद्धति में वार्षिक सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख विधि विद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी और अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग कालेजों के बीच अलग-अलग आलेख प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिताएँ शामिल हैं। परिषद ने सभी सहभागियों को प्रमाणपत्र देने के साथ ही, प्रत्येक समूह में शीर्षस्थ तीन विजेताओं को रु. 50,000, रु. 30,000 और रु. 20,000 के नकद पुरस्कार प्रदान किये।

vi. यह वर्ष कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुआ। साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने कोविड चिकित्सा संबंधी दावे बड़ी संख्या में (9.5 लाख से अधिक दावे) प्राप्त किये, जिन्हें उद्योग ने अत्यंत कुशलतापूर्वक संभाला। कई बीमाकर्ता और टीपीए कर्मचारी और/या उनके करीबी पारिवारिक सदस्य स्वयं कोविड के कारण मृत्यु के शिकार / रोगग्रस्त हुए। तथापि, अपने संगठित प्रयासों से साधारण बीमाकर्ताओं ने लाखों में दावों का (सूचित किये गये दावों के लगभग 90 प्रतिशत का) निपटान करने में सहायता की।

vii. साधारण बीमा परिषद ने विभिन्न अस्पताल निकायों के साथ बातचीत में निरंतर संबद्ध होने के द्वारा स्वास्थ्य बीमा पालिसीधारकों के समग्र हितों का संरक्षण करने में अपना सर्वाधिक सहयोग प्रदान किया तथा बीमाकृत रोगियों के लिए उचित दरें प्रभारित करने के लिए उन्हें राजी करने का प्रयास किया।

viii. परिषद समय-समय पर महत्वपूर्ण विषयों पर आईआरडीएआई द्वारा बनाये गये विभिन्न समूहों, समितियों और उप-समितियों, उद्योग के विभिन्न निकायों- जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचम, आदि में सक्रियतापूर्वक पारस्परिक विचार-विमर्श किया।

II.10 बीमा बाजार से संबंधित अन्य गतिविधियाँ

उत्पाद - अनुमोदन

II.10.1 जीवन उत्पाद - अनुमोदन प्रक्रिया

II.10.1.1 भारत में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए बाजार में कोई भी नया उत्पाद प्रारंभ करने के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। नये उत्पाद के लिए आवेदन फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रिया (2001 में प्रारंभ की गई) में निर्धारित फार्मेट के अनुसार फाइल किया जाना चाहिए तथा प्रस्तावित उत्पाद को आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019 और आईआरडीएआई (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019 में निर्धारित विभिन्न उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए।

II.10.1.2 बाजार की बदलती आवश्यकताओं के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया दर्शाने हेतु जीवन बीमाकर्ताओं को समर्थ बनाने के लिए, प्राधिकरण ने 2017 में बीमाकर्ता को लघु आशोधनों के अंतर्गत अनुमोदित वर्तमान उत्पादों में कुछ आशोधन करने की अनुमति दी। इस पद्धति के अंतर्गत जीवन बीमाकर्ताओं को विनियामक ढाँचे का अनुपालन करते हुए वर्तमान उत्पादों में आशोधन करने और उनका प्रवर्तन करने तथा तदुपरांत निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्राधिकरण के पास निर्धारित दस्तावेज फाइल करने की अनुमति दी गई है। जीवन बीमाकर्ताओं के लिए वर्तमान उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडरों) के अंतर्गत कुछ आशोधनों के लिए प्रारंभ की गई यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया के साथ वर्ष 2019 में इसे आगे और अधिक कार्यक्षम बनाया गया।

II.10.2 साधारण बीमा उत्पाद फाइलिंग

II.10.2.1 साधारण बीमाकर्ताओं के लिए 2016 में जारी किये गये उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देशों में साधारण बीमा उत्पादों के लिए `फाइल एण्ड यूज़' और `यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रियाओं हेतु विनियामक ढाँचा उपलब्ध है।

- `फाइल एण्ड यूज़' प्रक्रियाओं से अपेक्षित है कि उत्पादों का विपणन करने से पहले उत्पादों को आवश्यक रूप से प्राधिकरण के पास फाइल किया जाए।

- `यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रियाएँ बीएपी साधारण बीमा उत्पाद माड्यूल के माध्यम से यूआईएन उत्पन्न करने के लिए फाइल किये जा रहे उत्पादों का विपणन करने के लिए बीमाकर्ताओं को समर्थ बनाती हैं।

II.10.3 स्वास्थ्य बीमा उत्पाद फाइलिंग

II.10.3.1 स्वास्थ्य बीमा उत्पाद फाइलिंग को निम्नानुसार श्रेणीकृत किया गया हैः

i. **फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रियाः** यह प्रक्रिया निम्नलिखित के लिए लागू हैः

क. नया अथवा वैयक्तिक उत्पाद का आशोधन

ख. राइडर अथवा ऐड-आन

ग. प्रायोगिक (पायलट) उत्पाद (दोनों वैयक्तिक और सामूहिक)

घ. स्वास्थ्य और (प्लस) जीवन मिश्रित (काम्बी) उत्पाद (दोनों वैयक्तिक और सामूहिक)

ङ. गैर-जीवन बीमा पैकेज उत्पाद

च. स्वास्थ्य पैकेज उत्पाद

फाइल एण्ड यूज़ के अंतर्गत आवेदन स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी आईआरडीएआई समेकित दिशानिर्देश संदर्भः आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/ 194/07/2020 दिनांक 22 जुलाई 2020 में विनिर्दिष्ट संबंधित फार्मों में प्रस्तुत किया जाएगा। बीमाकर्ता उत्पाद का विक्रय (फाइल एण्ड यूज़ श्रेणी के अंतर्गत) तब तक प्रारंभ नहीं करेंगे जब तक प्राधिकरण फाइल किये गये उत्पाद के संबंध में किसी प्रश्न के न होने की बात की पुष्टि लिखित में नहीं करता।

ii. **यूज़ एण्ड फाइलः** यह प्रक्रिया निम्नलिखित के लिए लागू हैः

क. सामूहिक उत्पाद

ख. सरकारों के द्वारा प्रायोजित बीमा योजनाएँ

राज्य और केन्द्र सरकारों के द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रस्तावित उत्पादों सहित, साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सामूहिक उत्पाद (प्रायोगिक उत्पादों को छोड़कर अन्य) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी समेकित दिशानिर्देश संदर्भःआईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/194/07/2020 दिनांक 22 जुलाई 2020 में निर्धारित मानदंडों के अधीन प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना प्रारंभ किये जा सकते हैं।

2020-21 के दौरान प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की बीमा कंपनी वार कुल संख्या अनुबंध 6 में दी गई है।

भाग - III
प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

आईआरडीए अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम) की धारा 14 बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय का विनियमन करने, संवर्धन करने तथा उनकी सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्य निर्धारित करती है। उपर्युक्त धारा की उप-धारा (2) में प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य निर्धारित किये गये हैं। वार्षिक रिपोर्ट के भाग III में प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों का निर्वहण एवं अपने को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2020-21 में संपन्न की गई प्राधिकरण की गतिविधियों को समाविष्ट किया गया है।

III.1 आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन

III.1.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, किसी भी नई बीमा अथवा पुनर्बीमा कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान नहीं किया गया है।

III.1.2 प्राधिकरण ने आदेश संदर्भ 353/ एफएण्डए (एनएल)/ विलय/ अपोलो-एचडीएफसी/ 01/2019-20/242 दिनांक 11 नवंबर 2020 के द्वारा, 13 नवंबर 2020 से प्रभावी रूप में एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. और एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. के समामेलन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

III.2 पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण।

शिकायत निवारण

III.2.1 प्राधिकरण ने विक्रयस्थल, दावे के स्थान, आदि पर बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए विभिन्न कर्तव्य और अकर्तव्य (डूज़ एण्ड डोंट्ज़) की हिदायतें देते हुए आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 अधिसूचित किये हैं। प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं के लिए पॉलिसीधारकों के संरक्षण हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्रचलित रखने के लिए भी शर्त निर्धारित की है जिसमें उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत पॉलिसीधारकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा मानदंड और समय-सीमाएँ (टर्नअराउंड टाइम) भी शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियम पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए बीमाकर्ताओं को एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने का भी अधिदेश देते हैं। प्राधिकरण ने अपने उपभोक्ता कार्य विभाग (सीएडी) के माध्यम से जीवन और साधारण बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारकों के लिए एक "शिकायत कक्ष" एवं "शिकायत कॉल सेंटर" स्थापित किया है जिससे एक त्वरित, किफायती और कार्यक्षम शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराई जा सके। यह प्रणाली शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाने और उनकी स्थिति का पता लगाने में समर्थ बनाती है। निर्धारित समय के अंदर बीमाकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों का समाधान करवाने के लिए पॉलिसीधारकों की मदद करने में एक सहायक भूमिका अदा करने के अलावा, प्राधिकरण एक निरंतर आधार पर उन अंतर्निहित समस्याओं की जाँच करता है जो शिकायतों के लिए कारण बनती हैं तथा संबद्ध प्रणालीगत समस्याओं को ठीक करने की दिशा में कार्य करता है।

प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को यह भी अधिदेश दिया है कि वे कॉरपोरेट अभिशासन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति गठित करें। उक्त विनियम शिकायत निवारण प्रक्रिया भी निर्धारित करते हैं तथा इनमें वे परिस्थितियाँ भी निर्धारित हैं जिनमें शिकायत को समाप्त समझा जाता है। बीमाक्षेत्र में विश्वास और भरोसे को बढ़ाने के लिए गंभीरता, तत्परता और समानुभूति के साथ पॉलिसीधारकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में न केवल फ्रंटलाइन स्टाफ को, बल्कि संगठन के सभी स्तरों पर ग्राहक सेवा स्टाफ/ अधिकारियों को भी सुग्राही बनाने के लिए विद्यमान प्रणालियों की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में भी बल दिया गया है।

बीमा दावे का निपटान - यूनिट सहबद्ध पालिसियों के अंतर्गत परिपक्वता भुगतान के लिए निपटान के विकल्प

III.2.2 31 मई 2020 तक परिपक्व होनेवाली यूनिट सहबद्ध पालिसियों के लिए तथा जहाँ निधिगत मूल्य का एकमुश्त भुगतान किया जाना अपेक्षित था, वहाँ कोविड-

19 की परिस्थिति के कारण निधिगत मूल्य के निरंतर उतार-चढ़ाव के अधोमुखी जोखिम से बचने में पालिसीधारकों की सहायता करने के लिए निपटान के एक विकल्प की व्यवस्था की गई। यह एकबारगी (वन-टाइम) विकल्प इस बात का विचार किये बिना उपलब्ध कराया गया कि क्या इस प्रकार का विकल्प उक्त विशिष्ट उत्पाद में विद्यमान है अथवा नहीं। प्रदत्त उक्त निपटान विकल्प आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 के विनियम 25 के अनुसार थे।

इलेक्ट्रानिक पालिसियों का निर्गम

III.2.3 कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, पालिकीधारकों के हित में व्यवसाय करने के डिजिटल साधनों को महत्व दिया गया है। पालिसी दस्तावेज और प्रस्ताव फार्म की प्रति भौतिक रूप में जारी करने की अपेक्षा से आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016 के विनियम 4(iii) के परंतुक के अंतर्गत 30 सितंबर 2021 तक छूट की अनुमति दी गई है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह इलेक्ट्रानिक पालिसी प्राप्त करने के लिए पालिसीधारक की सुस्पष्ट सहमति के अधीन है तथा यदि पालिसीधारक आग्रह करता है तो हार्ड प्रति किसी प्रभार के बिना जारी की जानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसे सभी मामलों के लिए 30 दिन की निःशुल्क अवलोकन अवधि की अनुमति है। निःशुल्क अवलोकन निरसन के लिए पालिसी के निरसन के स्पष्ट आशय के साथ पालिसीधारक द्वारा ई-पालिसी दस्तावेजों की वापसी विधिमान्य होगी।

प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर समाप्त करना

III.2.4 कोविड-19 के प्रकोप ने जीवन बीमा पालिसियों की अनुयाचना (कैन्वसिंग) की पारंपरिक पद्धति को प्रभावित किया। विशेष रूप से भौतिक प्रस्ताव फार्म भरना, उन पर तरल हस्ताक्षर प्राप्त करना और तदुपरांत ऐसे भौतिक कागज-पत्रों के संचलन आदि पर तीव्र प्रभाव पड़ा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सभी प्रकार के उत्पादों के अंतर्गत व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) के लिए भौतिक हस्ताक्षर के स्थान पर इलेक्ट्रानिक साधन के माध्यम से जीवन बीमा हेतु प्रस्ताव को अधिप्रमाणित करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक अनुमति दी गई। इस प्रक्रिया-प्रवाह के अंतर्गत भरा गया प्रस्ताव फार्म उसके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजना अथवा एक लिंक सहित ई-मेल आईडी पर एक ई-मेल या मोबाइल नंबर पर एक संदेश भेजना शामिल है। संभावित ग्राहक उक्त प्रस्ताव के लिए सहमति पुष्टीकरण लिंक पर क्लिक करने के द्वारा दे सकता है अथवा ओटीपी पद्धति के द्वारा उसे विधिमान्य बना सकता है।

उक्त सुविधा के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं :

i. बीमाकर्ता प्रस्ताव जमा के लिए धनराशियों का भुगतान तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक प्रस्तावक की सहमति प्राप्त नहीं होती।

ii. सभी मामलों में अनुमोदित विक्रय सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

iii. ई-मेल आईडी/ मोबाइल नंबरों की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करें। निर्गम-पूर्व सत्यापन काल संचालित करें।.

iv. उत्पाद के संबंध में केवल प्रस्तावक को स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराये जाने के बाद ही ग्राहक की सहमति प्राप्त की जाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए विक्रय / अपेक्षा (सलिसिटेशन) की प्रक्रिया में संबद्ध सभी व्यक्तियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करें।

सामूहिक ऋण जीवन योजनाएँ - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित ऋणस्थगन के साथ कवरेज को सुयोजित करने के लिए आशोधन

III.2.5 जीवन बीमाकर्ताओं को उनके द्वारा जारी की गई सामूहिक ऋण जीवन मास्टर पालिसियों में कुछ आशोधन करने के लिए अनुमति दी गई जिससे इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध बीमा कवर का सुयोजन उन सदस्यों के संबंध में जिन्होंने कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा घोषित ऋणस्थगन की सुविधा का लाभ उठाया है, ऋण चुकौती के संशोधित कार्यक्रम के साथ किया जा सके। यह सरलीकरण अपेक्षित रूप में अतिरिक्त प्रीमियम (उन्हीं शर्तों पर कीमत-निर्धारित) की वसूली के आधार पर है, ताकि सदस्य संशोधित ऋण चुकौती कार्यक्रम के अनुसार जीवन बीमा के साथ रक्षित (कवर्ड) होना जारी रख सकें।

मानक वैयक्तिक मीयादी जीवन बीमा और पेंशन उत्पाद

III.2.6 मीयादी और पेंशन उत्पादों के लिए बढ़ती हुई माँग के अनुरूप, जीवन बीमाकर्ता बहुविध विशेषताओं, विकल्पों,

राइडरों, आदि के साथ नवोन्मेष संरक्षण और पेंशन उत्पाद प्रारंभ करते रहे हैं। एक औसत ग्राहक की आवश्यकताएँ मोटे तौर पर पूरी करनेवाले सरल उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए एक मानक वैयक्तिक मीयादी जीवन बीमा उत्पाद तथा एक मानक वैयक्तिक तात्कालिक वार्षिकी उत्पाद का अभिकल्पन किया गया। सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए यह अधिदेशात्मक (मैडेटरी) किया गया कि वे इन्हीं नामों से उक्त उत्पाद विक्रय के लिए उपलब्ध कराएँ। उक्त मानक उत्पाद समझने के लिए सरल हैं, अधिकांश ग्राहकों की प्रमुख आवश्यकताएँ पूरी करते हैं तथा अपनी एकसमान शर्तों के साथ सभी बीमाकर्ताओं के बीच खरीद की सुगमता को बढ़ाते हैं।

अदावी राशियों से संबंधित समस्याओं का समाधान

III.2.7 अदावी राशियों से संबंधित विभिन्न समस्याओँ का समाधान प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार किया गया हैः

क. अदावी राशियों की परिभाषा दी गई - "अदावी राशि के अंतर्गत मृत्यु दावा, परिपक्वता दावा, उत्तरजीविता लाभ, वापसी के लिए देय प्रीमियम, प्रीमियम के लिए समायोजित नहीं की गई प्रीमियम जमाराशि और क्षतिपूर्ति दावों आदि के रूप में पॉलिसीधारक को देय कोई भी राशि शामिल है जो दावा राशि के निपटान के लिए नियत तारीख से छह महीने से अधिक अदावाकृत रही हो।"

ख. अदावी राशियों का अनुरक्षण मुद्रा बाजार लिखतों और/ या अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमाराशियों में अधिदेशित निवेश के साथ एक एकल वियोजित (सेग्रिगेटेड) निधि के रूप में करने की आवश्यकता है। व्ययों की वसूली के लिए 20 आधार अंकों पर उच्चतम सीमा रखी गई है। अदावी राशियों संबंधी सूचना का प्रकटीकरण वेबसाइट पर करना आवश्यक है और बैंक खाते को सभी नई पॉलिसियों के लिए संबद्ध करना अधिदेशात्मक कर दिया गया है। पॉलिसीधारक को सूचना देना अधिदेशात्मक किया गया है तथा समयावधि (एजिंग) की सूचना देने के लिए फार्मेट निर्धारित किया गया है। किसी विनियोजन अथवा प्रतिलेखन (राइटबैक) की अनुमति नहीं दी गई है।

ग. अदावी राशियों की गणना शोधक्षमता मार्जिन के लिए नहीं की जाएगी तथा अदावी राशियों और लेखा-टिप्पणियों में प्रकटीकरणों के लिए समयावधि (एजिंग) के संबंध में सूचना-प्रणाली (रिपोर्टिंग) निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर आगे के लिए, अर्जित की गई निवेश आय को अदावी राशि निधि में आबंटित करना अधिदेशात्मक किया गया है। यह भी निर्धारित किया गया कि बीमाकर्ता बीमाकृत व्यक्तियों / पॉलिसीधारकों/ दावेदारों को इस प्रकार जमा की गई निवेश आय के साथ ही, अभिनिर्धारित अदावी राशि का भुगतान करे। न्यायालय सहित किसी सांविधिक निकाय द्वारा दिये गये किसी अधिनिर्णय/ आदेश की स्थिति में, जिसमें ब्याज का कोई घटक सम्मिलित हो, उस पर आगे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

घ. उन सभी बीमाकर्ताओं के लिए, जिनके पास पालिसीधारकों की अदावी राशियाँ 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हैं, ऐसी अदावी राशियों का अंतरण वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) में करने की आवश्यकता है।

कोविड-19 संबंधी मृत्यु दावों का निपटान

III.2.8 वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी ने कई व्यक्तियों का जीवन ग्रस लिया है। प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को जीवन बीमा दावों का निपटान शीघ्रतापूर्वक करने के लिए सूचित किया है।

वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण दावों की स्थिति (वैयक्तिक एवं पीएमजेजेबीवाई) की स्थिति यहाँ नीचे प्रस्तुत हैः

सारणी III.1

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण दावों की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

सूचित किये गये दावे		निपटाये गये दावे		निराकृत दावे		बकाया दावे	
दावों की संख्या	दावे की राशि	दावों की संख्या	दावे की राशि	दावों की संख्या	दावे की राशि	दावों की संख्या	दावे की राशि
21,836	1,617.45	21,304	1,418.71	175	81.18	357	117.56

बाढ़ और चक्रवात के कारण बीमा दावों के संबंध में मार्गदर्शन

III.2.9 वर्ष 2020 ने देश के विभिन्न भागों में कई प्राकृतिक आपाती घटनाओं का साक्षात्कार किया है। जब कि मई 2020 चक्रवात आम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में तबाही मचाई थी तथा चक्रवात निसर्ग ने माह जून 2020 में महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य पड़ोसी राज्यों को इसी प्रकार से प्रभावित किया था। अक्तूबर 2020 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में बाढ़ आई थी। माह नवंबर 2020 में चक्रवात निवार ने देश के कुछ भागों में संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। प्रभावित पालिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण विपत्तियों के दौरान उद्योग को मार्गदर्शन जारी करता है।

III.2.10 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उपर्युक्त घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली जीवन और संपत्ति की हानि से संबंधित दावों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जाए, साधारण बीमाकर्ताओं को मार्गदर्शन जारी किया गया। प्राधिकरण ने निम्न प्रकार से दावों के त्वरित पंजीकरण और निपटान के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु बीमाकर्ताओं को सूचित किया:

क. प्रभावित राज्यों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करना। उक्त नोडल अधिकारी का कर्तव्य सभी पात्र दावों की प्राप्ति, प्रसंस्करण और निपटान का समन्वय करना है।

ख. दावों की फाइलिंग को सुसाध्य बनाने के लिए उक्त प्रयोजन हेतु स्थापित कार्यालयों/ विशेष कैम्पों का विवरण और अन्य संबंधित विवरण बीमाकर्ता की वेबसाइट और मीडिया के माध्यम से तथा राज्य सरकार के माध्यमों के द्वारा सार्वजनिक किया जाए।

ग. दावों का सर्वेक्षण तत्काल किया जाए और दावा भुगतान/लेखागत भुगतान शीघ्रातिशीघ्र संवितरित किये जाएँ।

घ. प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षक तत्काल नियुक्त किये जाएँ।

ङ. अपने द्वारा किये गये उपायों पर विधिवत् विशेष बल देते हुए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रभावित राज्यों में व्यापक जागरूकता अभियान प्रारंभ किये जाएँ।

च. कोरोना विषाणु (कोविड-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया कि वे दावा सूचित करते समय और सभी संबंधित दस्तावेज फाइल करते समय पत्र-व्यवहार के लिए जहाँ भी संभव हो वहाँ पालिसीधारकों को इलेक्ट्रानिक संचार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

III.2.11 वर्ष 2020-21 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण दावों की स्थिति सारणी III.1 में दी गई है।

सारणी III.2

2020-21 के दौरान प्राकृतिक विपत्तियों के कारण दावों की स्थिति (राशि ₹ करोड़)

विपत्ति की घटना	सूचित किये गये दावे		निपटाये गये दावे		बकाया दावे	
	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि
चक्रवात						
आम्फान	14,575	1,767.07	11,512	470.94	1,693	1,235.77
निसर्ग	7,726	290.09	6,462	93.03	499	181.75
निवार	1,106	109.86	546	12.27	444	91.64
बाढ़						
तेलंगाना	7,041	329.83	5,510	151.30	682	168.52
आंध्र प्रदेश	441	12.10	338	7.82	38	4.02
महाराष्ट्र	1,008	39.34	813	17.69	62	20.95
कर्नाटक	2,407	10.81	2,395	7.63	10	2.87
कुल	**34,304**	**2,559.10**	**27,576**	**760.68**	**3,428**	**1,705.52**

टिप्पणी: 30 जून 2021 को अद्यतन की गई स्थिति

III.2.12 अधिकांश मामलों के संबंध में संपत्ति का पुनःस्थापन नहीं होने के कारण दावे बकाया हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ अपेक्षित दस्तावेज लाकडाउन के कारण बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तथापि, अनेक दृष्टांतों में लेखागत भुगतान किये गये हैं।

III.2.13 वर्ष 2021 में चक्रवात ताऊते और यास ने देश के कुछ भागों में संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। वर्ष 2021-22 के दौरान भी प्राधिकरण ने उपर्युक्त घटनाओं के कारण उत्पन्न होनेवाले दावों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए बीमाकर्ताओं को मार्गदर्शन जारी किया है। 30 जून 2021 की स्थिति के अनुसार, चक्रवात ताऊते और यास के कारण 18,194 दावेदारों के द्वारा रु. 1,351 करोड़ की राशि के दावे सूचित किये गये तथा इनमें से 6,671 दावादारों को रु. 38.40 करोड़ की राशि के दावों का निपटान किया गया। विभिन्न स्तरों पर लंबित दावों के निपटान की निगरानी प्राधिकरण के द्वारा नियमित रूप से रखी जा रही है।

III.3 मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण-संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना

III.3.1 बीमा व्यवसाय में सभी मध्यवर्तियों के लिए लाइसेंसीकरण और आचरण-संहिता आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमों में, बीमा सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) विनियम, 2015, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

III.3.2 विनियामक पर्यवेक्षण को आगे और मजबूत करने के लिए प्राधिकरण के द्वारा वितरण के विभिन्न माध्यमों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा की आवश्यकताओं के सामंजस्यीकरण के संबंध में परिपत्र सं. आईआरडीए/आईएनटी/ सीआईआर/ टीएण्डई/ 136/ 07/2016 जारी करते हुए एक विनियामक रूपरेखा निर्धारित की गई है।

III.4 सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों के लिए आचरण-संहिता विनिर्दिष्ट करना

III.4.1 सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक के कर्तव्य और दायित्व आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक) विनियम, 2015 के अध्याय IV में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। विनियम 13 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही गई हैं कि:

- यह प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक का कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आकस्मिकता से उत्पन्न होनेवाली हानियों (चाहे बीमाकृत हों अथवा नहीं) का अन्वेषण, प्रबंध, परिमाण-निर्धारण, प्रमाणीकरण और निपटारा करे तथा उसके संबंध में बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति को सूचित करे।
- सभी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक उपर्युक्त कार्य सक्षमता, वस्तुनिष्ठता और व्यावसायिक सत्यनिष्ठता के साथ करेंगे तथा 2020 में यथासंशोधित आईआरडीएआई सर्वेक्षक विनियम, 2015 में निर्धारित रूप में आचरण-संहिता का कड़ाई से पालन करेंगे।

III.4.2 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यावसायिक कार्य के आचरण के लिए व्यावसायिक और नीतिपरक आवश्यकताओं के संबंध में आचरण-संहिता विनियमों के अध्याय VI में विनिर्दिष्ट की गई है। विनियम 16 उक्त संहिता के संबंध में विस्तार से प्रतिपादित करता है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक:

- व्यावसायिक कामकाज में नीतिपरक ढंग से और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा;
- व्यावसायिक और कारोबार के निर्णयन में वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करेगा;
- बीमाकर्ता से प्राप्त अनुदेशों पर उस बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक के दावे के संबंध में कार्य करते समय निष्पक्ष ढंग से कार्य करेगा;
- बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण के लिए सहमति-प्राप्त शुल्क को छोड़कर किसी भी प्रकार से कोई अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ स्वीकार नहीं करेगा;
- अपने कार्य की प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के साथ वह संपर्क में आता है, उन सभी लोगों के साथ

शिष्टता और सम्मान के साथ आचरण करेगा;

- उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य स्वीकार नहीं करेगा अथवा निष्पादित नहीं करेगा जिसके लिए उसके पास लाइसेंस नहीं हो;
- अपना व्यावसायिक कार्य उचित सावधानी, अनुरक्षण-कौशल तथा उससे प्रत्याशित किये जानेवाले तकनीकी और व्यावसायिक मानकों का उचित ध्यान रखते हुए करेगा;
- बीमा व्यवसाय में केवल सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक के रूप में ही कार्य करेगा तथा कोई व्यावसायिक सलाहकारी अथवा परामर्श सेवा अथवा कार्य नहीं करेगा जो हित का संघर्ष उत्पन्न कर सकता है;
- प्राधिकरण के बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) दिशानिर्देशों के द्वारा अनुमत गतिविधियों को छोड़कर कोई अन्य बाह्यस्रोतीकरण कार्य निष्पादित नहीं करेगा;
- प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक जो किसी बीमाकर्ता का कर्मचारी है, केवल सर्वेक्षण और हानि का निर्धारण ही करेगा तथा दावों के निपटान में स्वयं को संबद्ध नहीं करेगा।
- नियुक्त सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के द्वारा आचरण संहिता का उल्लंघन होने की स्थिति में बीमाकर्ता जाँच संचालित करेगा।
- बीमाकर्ता और कंपनी/फर्म के निदेशक/भागीदार सुनिश्चित करेंगे कि अंतरिम तथा अंतिम सर्वेक्षण और हानि निर्धारण लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के द्वारा किया जाएगा।
- कंपनी/फर्म के निदेशक और भागीदार कंपनी/फर्म द्वारा नियोजित सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के सभी कार्यों पर उचित और विवेकपूर्ण निगरानी रखेंगे।

III.4.3 इसके अलावा, पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2017 अधिसूचित किये हैं जो आईआरडीए (पालिसीधारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हैं। उपर्युक्त विनियम के विनियम 15 के अंतर्गत साधारण बीमा पॉलिसी के संबंध में दावों के निपटान पर कार्रवाई करते समय सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों द्वारा आचरण-संहिता का पालन करने पर अतिरिक्त रूप से बल दिया गया है।

III.4.4 प्राधिकरण को सर्वेक्षकों से सर्वेक्षण कार्यों के लिए सूची में नाम शामिल करने, बीमा कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान न करने, आंतरिक (इन-हाउस) सर्वेक्षकों और व्यपगत लाइसेंस के धारकों को आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यता के अस्वीकरण, आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यता के स्तर के अस्वीकरण, आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों और आईआईआईएसएलए को उनके स्तर पर समाधान के लिए अग्रेषित की जाती हैं। पालिसीधारक भी सर्वेक्षकों/सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्राप्त न होने, सर्वेक्षण रिपोर्ट के निर्गम में विलंब, कदाचार, आईआरडीए सर्वेक्षक विनियमों के उल्लंघन, आदि के संबंध में शिकायत करते हैं। ऐसी शिकायतों के संबंध में समस्याओं के त्वरित निपटान के लिए सर्वेक्षकों से संपर्क किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, सर्वेक्षकों और कारपोरेट सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध प्राधिकरण को विभिन्न आरटीआई पत्रादि और संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण को 88 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर कुल 90 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसमे से 88 का निवारण किया गया ।

III.4.5 वर्ष 2020-21 के दौरान, प्राधिकरण ने सर्वेक्षकों से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र/ दिशानिर्देश जारी किये हैं :

- परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसयूआर/सीआईआर/विविध/205/08/2020 दिनांक 03 अगस्त 2020 के द्वारा प्राधिकरण ने सभी सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को सूचित किया कि 03 अगस्त 2020 से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस जारी किये जाएँगे तथा आवेदकों के पंजीकृत ईमेल-आईडी को बीएपी पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएँगे।
- परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसयूआर/जीडीएल/विविध/287/12/2020 दिनांक 01 दिसंबर 2020 के द्वारा प्राधिकरण ने सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए नया लाइसेंस/लाइसेंस का नवीकरण प्रदान करने के लिए लाइसेंसीकरण प्रक्रिया और आवेदन फार्मेटों संबंधी दिशानिर्देश

निर्धारित किये हैं। उक्त दिशानिर्देश यह भी विनिर्दिष्ट करते हैं कि सुपाठ्य (लेजिबुल) स्वयं-साक्ष्यांकित दस्तावेजों को बीएपी पोर्टल www.irda.bap.org.in पर अपलोड करना अपेक्षित है तथा लागू शुल्क का भुगतान उक्त पोर्टल में उपलब्ध आनलाइन भुगतान-प्रदाताओं का उपयोग करते हुए किया जाना अपेक्षित है। उक्त दिशानिर्देश नया लाइसेंस/ लाइसेंस का नवीकरण प्रदान करने के लिए सभी आवेदकों के द्वारा चाहे वे वैयक्तिक अथवा निदेशकों या भागीदारों, प्रवर्तकों और कर्मचारियों (कारपोरेटों के मामले में) सहित कारपोरेट हों, योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) विवरण प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट आईआरडीएआई-20-एएफ भी निर्धारित करते हैं।

- परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसयूआर/ जीडीएल/ विविध/288/12/2020 दिनांक 01 दिसंबर 2020 के द्वारा प्राधिकरण ने सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं जो 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुए हैं। इन दिशानिर्देशों के द्वारा नये आवेदकों एवं अतिरिक्त विभागों में लाइसेंस की अपेक्षा करनेवाले वर्तमान सर्वेक्षकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के दो विकल्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं। नये आवेदकों के लिए या तो लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक के पास छह महीने की प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा अनुमोदित संस्थानों के द्वारा उपलब्ध कराये जानेवाले दो महीने का सांस्थानिक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विकल्प है। वर्तमान सर्वेक्षक के पास या तो किसी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक के अधीन आठ सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने या अनुमोदित संस्थाओं के पास दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने का विकल्प है। अनुमोदित संस्था के पास प्रशिक्षण अथवा सर्वेक्षक के पास प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) पूरा करने के बाद आवेदक से अपेक्षित है कि वह लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले `प्रशिक्षण व मूल्यांकन प्रमाणपत्र' प्राप्त करे।
- परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसयूआर/ जीडीएल/ विविध/289/12/2020 दिनांक 01 दिसंबर 2020 के द्वारा प्राधिकरण ने रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण हेतु सभी साधारण बीमाकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनके अनुसार बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे प्राधिकरण के पास लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षकों के कदाचार तथा बीमाकर्ता के द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में निर्धारित फार्मेट में एक वार्षिक रिपोर्ट फाइल करें एवं छमाही आधार पर सर्वेक्षण कार्यों के संबंध में निर्धारित फार्मेट में छमारी रिपोर्ट अनुरक्षित करें।
- सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध मे परिपत्र सं. आईआरडीएआई/ एसयूआर/जीडीएल/विविध/288/12/2020 से आगे परिपत्र सं. आईआरडीएआई/ एसयूआर/ जीडीएल/ विविध/068/03/2021 दिनांक 31 मार्च 2021 जारी किया गया। प्रशिक्षण हेतु नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत विवरण देने के अतिरिक्त, ये दिशानिर्देश व्यावहारिक प्रशिक्षण के संबंध में निर्देशात्मक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराते हैं। ये दिशानिर्देश यह भी विनिर्दिष्ट करते हैं कि संस्थागत व्यावहारिक प्रशिक्षण अथवा सर्वेक्षक के पास प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) पूरा करने के बाद आवेदक को एनआईए अथवा आईआईआई द्वारा संचालित की जानेवाली अंतिम व्यावहारिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा लाइसेंस के निर्गम के लिए प्रशिक्षण मूल्यांकन व समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

III.5 बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना

III.5.1 बीमा विनियामक सैंडबाक्स

III.5.1.1 बीमा व्यापन को बढ़ावा देने के लिए बीमा क्षेत्र में नवोन्मेषणों, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी द्वारा प्रेरित नवोन्मेषणों को सुसाध्य बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान विनियामक ढाँचा नये विचारों अथवा नई प्रौद्योगिकी को आजमाने के लिए विनियमित संस्थाओं हेतु कुछ बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है। नवोन्मेषणों को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से आईआरडीएआई ने एक विनियामक सैंडबाक्स दृष्टिकोण अपनाया है।

III.5.1.2 सैंडबाक्स वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में प्रयुक्त एक परिवेश है, जो नये व्यावसायिक माडलों, प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण का आधार उपलब्ध कराता है, जिन्हें आवश्यक रूप से वर्तमान विनियमों के द्वारा पूर्णतः

सम्मिलित नहीं किया जाता अथवा जो वर्तमान विनियमों का पूर्णतः अनुपालन नहीं करते। नवोन्मेष विचार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे नवोन्मेषणों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 दिनांक 26 जुलाई 2019 अधिसूचित किये हैं जिनका उद्देश्य निम्नलिखित है–

- एक ओर बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास और दूसरी ओर पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के बीच संतुलन कायम करना, एवं साथ ही नवोन्मेषण को सुसाध्य बनाना;
- विनियामक सैंडबाक्स परिवेश के निर्माण को सुसाध्य बनाना और प्राधिकरण द्वारा बनाये गये किसी वर्तमान विनियम के ऐसे उपबंधों को एक सीमित दायरे के लिए और सीमित अवधि के लिए शिथिल करना, यदि ऐसे शिथिलन की आवश्यकता हो।

III.5.1.3 इसके अलावा, आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 के विनियम 13(3) के अनुसार, आईआरडीएआई ने "बीमा में नवोन्मेषण" को कार्यान्वित करने में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया की रूपरेखा देते हुए विनियामक सैंडबाक्स के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं।

III.5.1.4 विनियम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रचलित होने चाहिए। उक्त विधिमान्यता का विस्तार राजपत्र अधिसूचना दिनांक 07 अप्रैल 2021 के अनुसार आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किया गया है।

III.5.1.5 आवेदन किसी बीमाकर्ता, अथवा किसी बीमा मध्यवर्ती अथवा पिछले एक वित्तीय वर्ष के लिए रु. 10 लाख की न्यूनतम निवल मालियत (नेट वर्थ) से युक्त व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति अथवा भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए अकेले अथवा संयुक्त रूप से अपेक्षा करते हुए प्राधिकरण द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकता है।

III.5.1.6 आवेदन निम्नलिखित किसी एक श्रेणी अथवा अधिक श्रेणियों के अंतर्गत फाइल किये जा सकते हैः i) बीमा अपेक्षा (सलिसिटेशन) अथवा वितरण; ii) बीमा उत्पाद; iii) जोखिम-अंकन; iv) पालिसी और दावा सर्विसिंग; v) प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य श्रेणी।

III.5.1.7 अनुमति प्रदान की जा सकती है यदि प्रौद्योगिकी क) बीमा के लिए लाभकारी नवोन्मेषण को बढ़ावा देती है; ख) पालिसीधारकों के हित में है; ग) सुव्यवस्थित विकास के लिए सहायक है; घ) बीमा व्यापन को बढ़ावा देती है; ङ) उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताएँ पूरी करती है। अनुमोदन की विधिमान्यता छह महीने की अवधि के लिए होगी। छह महीने की अवधि के लिए समय का आगे और विस्तार प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा गुण-दोष के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

III.5.1.8 प्रस्ताव का आकार अधिकतम 10,000 ग्राहक/रु. 50 लाख प्रीमियम/ कोई अन्य मानदंड हो सकता है। आवेदन https://reg.irda.gov.in/sandbox/ पर रु. 10,000 के आवेदन प्रसंस्करण शुल्क के साथ फाइल किया जा सकता है।

III.5.1.9 प्रस्तावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में आईआरडीएआई की सहायता करने के लिए आईआरडीएआई ने एक मूल्यांकन समिति का गठन किया है जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

III.5.1.10 प्राधिकरण ने पहला सहगण (कोहार्ट) विंडो 15 सितंबर 2019 से 14 अक्तूबर 2019 तक खोला था। इस अवधि के दौरान कुल 173 आवेदन प्राप्त किये गये थे। इन आवेदनों में संपूर्ण स्वास्थ्य (वेलनेस), परिधेय (वेअरबल्स), सामूहिक बीमा, उपयोग आधारित बीमा, निष्ठा / पुरस्कार कार्यक्रम, इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, केवाईसी आनबोर्डिंग, वितरण, उत्पाद आदि जैसी संकल्पनाएँ समाविष्ट हैं।

III.5.1.11 इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने दूसरा सहगण (कोहार्ट) विंडो 15 सितंबर 2020 से 14 अक्तूबर 2020 तक खोला था तथा कुल 185 आवेदन प्राप्त किये गये थे। उक्त 185 आवेदनों में से 29 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा फाइल किये गये थे, 104 साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा, 20 स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा, नौ बीमा मध्यवर्तियों द्वारा तथा 23 इंश्योरटेक फर्मों के द्वारा फाइल किये गये थे। प्राधिकरण ने कुल छह आवेदनों का

अनुमोदन किया है। शेष आवेदनों का प्रसंस्करण किया गया है तथा अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा की जा रही है।

III.5.2 "भारतीय स्वाधिकृत और नियंत्रित" संबंधी दिशानिर्देशों का प्रत्याहरण

III.5.2.1 प्राधिकरण ने परिपत्र दिनांक 30 जुलाई 2021 के द्वारा "भारतीय स्वाधिकृत और नियंत्रित" दिशानिर्देश दिनांक 19 अक्तूबर 2015 का प्रत्याहरण निम्नलिखित कारणों से किया हैः

i. 25 मार्च 2021 को अधिसूचित बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (7ए) के उप-खंड (बी) में निम्नलिखित संशोधन किये हैं :

   क. विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा वर्तमान 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है;

   ख. धारा 2 के खंड (7ए) के उप-खंड (बी) का स्पष्टीकरण, जिसने "भारतीय स्वाधिकृत और नियंत्रित" की अपेक्षा को अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किया था, छोड़ दिया गया है।

ii. भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के अंतर्गत दी गई "नियंत्रण", "भारतीय बीमा कंपनी का भारतीय नियंत्रण" और "भारतीय स्वामित्व" की परिभाषाएँ भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार छोड़ दी गई हैं।

III.5.3 बीमा कंपनियों के शेयरों का अंतरण

III.5.3.1 प्रवर्तकों/शेयरधारकों द्वारा बीमा कंपनियों के शेयरों के अंतरण से संबंधित कुछ विषयों पर अधिक स्पष्टता लाने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए परिपत्र दिनांक 22 जुलाई 2020 जारी किया:

क. सूचीबद्ध बीमा कंपनियों के शेयरों का अंतरण यह योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) घोषणा फाइल करने, प्राधिकरण को सूचित करने तथा अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा अनुमोदन की अपेक्षा करने के लिए प्रारंभिक (थ्रेशोल्ड) सीमा की व्यवस्था करता है।

ख. सूचीबद्ध और असूचीबद्ध बीमा कंपनियों के अंतरण की सीमा का निर्धारण 1% अथवा 5% से अधिक अंतरण की मात्रा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये संचयी अंतरणों पर विचार किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी के मामले में यह व्यवस्था केवल प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के लिए ही लागू होगी।

ग. शेयरों को गिरवी रखना

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए(4)(बी) तथा आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित किसी बीमा कंपनी के शेयरों पर उसके प्रवर्तकों के द्वारा गिरवी अथवा भारग्रस्तता (इनकम्ब्रैन्स) के निर्माण पर लागू होंगे।

घ. मतदान अधिकारों का निलंबन

जहाँ लेनदेन प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना निर्धारित प्रारंभिक (थ्रेशोल्ड) सीमा से अधिक निष्पादित किये गये हों, वहाँ अंतरिती के पास बीमा कंपनी की किसी भी बैठक में कोई मतदान अधिकार नहीं होगा तथा वह निर्धारित थ्रेशोल्ड सीमा से अधिक अधिगृहीत शेयरों का तत्परतापूर्वक निपटान करेगा।

ङ. उल्लंघन/अननुपालन के लिए कार्रवाई

प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना निर्धारित थ्रेशोल्ड सीमा से अधिक शेयरों का कोई भी अंतरण करने पर उपयुक्त विनियामक कार्रवाई की जाएगी।

III.5.4 कर्मचारी स्टाक विकल्पों (ईएसओपीएस) का प्रयोग करने पर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4) के उपबंध की प्रयोज्यता

III.5.4.1 ईएसओपीएस का प्रयोग करने पर आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने रिपोर्टिंग और अनुमोदन की अपेक्षाओं की प्रयोज्यता को विनिर्दिष्ट करते हुए परिपत्र जारी किया। इस परिपत्र में यह भी व्यवस्था है कि जहाँ केएमपीएस द्वारा ईएसओपी का प्रयोग बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए (4) में विनिर्दिष्ट थ्रेशोल्ड सीमा से अधिक है, वहाँ ऐसा प्रयोग करने से पहले प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा की जाएगी।

III.6 बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना

निम्नलिखित व्यावसायिक संगठन बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध हैं :

III.6.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)

III.6.1.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि-निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) एक ऐसा संस्थान है जो प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित है एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन 04 अक्तूबर 2005 को निगमित है। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) के अंतर्गत आईआईआईएसएलए को प्रवर्तित और विनियमित करने के लिए प्राधिकरण को अधिदेश (मैंडेट) दिया गया है जो बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने के संबंध में कार्रवाई करता है।

III.6.2 भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई)

III.6.2.1 भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन एक कंपनी के रूप में जुलाई 2001 को निगमित है। प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत दलालों से अपेक्षित है कि वे आवश्यक रूप से भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) के सदस्य हों।

III.6.3 भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी)

III.6.3.1 आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(च) बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ जुड़े हुए व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करने के लिए प्राधिकरण को शक्ति देती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने एक क्षेत्र-स्तरीय डेटा रिपोजिटरी और विश्लेषण-विज्ञान (एनलिटिक्स) की आवश्यकता पूरी करने के लिए भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) की स्थापना की जो सही, सामयिक, विश्वसनीय बीमा डेटा और विश्लेषण की व्यवस्था के माध्यम से हितधारकों को सशक्त बनाता है।

III.6.3.2 यह ब्यूरो बीमा व्यवसाय की बहुविध व्यवस्थाओं, जैसे जीवन, मोटर, स्वास्थ्य, अग्नि, इंजीनियरिंग और मरीन के लिए उद्योग-स्तरीय डेटाबेस का अनुरक्षण करता है तथा इनके संबंध में उद्योग के उपयोग के लिए विभिन्न रिपोर्टें और अन्य उत्पादन उत्पन्न करता है। इसके अलावा, यह ब्यूरो भारत में सभी लाइसेंस-प्राप्त बीमा विक्रेताओं का डेटाबेस रखता है।

III.6.3.3 आईआईबी की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों और सेवाओं का विवरण नीचे दिया जाता हैः

i. **बेंचमार्क रिपोर्टें**

   क. **मृत्यु-दर और अस्वस्थता-दर अन्वेषण केन्द्र (एमएमआईसी) :** ब्यूरो उक्त केन्द्र का परिचालन करता है जो भारत में बीमाकृत जीवनों की विभिन्न श्रेणियों के बीच मृत्यु-दर और अस्वस्थता-दर के स्तरों पर अध्ययन निष्पादित करता है। इन रिपोर्टों के द्वारा उत्पन्न की गई दरें प्राधिकरण द्वारा उद्योग के लिए बेंचमार्क/रिफ़रल दरों के रूप में अधिदेशित (मैंडेटेड) की जाती हैं तथा वे कीमत-निर्धारण और मूल्यांकन मे मुख्य निविष्टियाँ हैं। अब तक आईआईबी द्वारा उत्पन्न की गई रिपोर्टों में भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (आईएएलएम) रिपोर्ट 2012-14 और भारतीय वैयक्तिक वार्षिकीग्राही मृत्यु-दर (आईआईएएम) रिपोर्ट 2012-15 शामिल हैं।

   ख. **मोटर तृतीय पक्ष (टीपी) कीमत-निर्धारणः** आईआईबी मोटर तृतीय पक्ष संविभाग के अंतर्गत प्रशुल्क (टैरिफ़) निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को डेटा निविष्टियाँ प्रस्तुत करता है। मोटर बीमा संविभाग में टीपी दावों के अंतिम विकास और गंभीरता को प्रतिबिंबित करनेवाला दावा विश्लेषण भी ब्यूरो निष्पादित करता है।

   ग. **हानि लागत अनुसूचीः** अग्नि बीमा संविभाग में हानि लागतें आईआईबी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं तथा प्रीमियम दरें निर्धारित करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा इनपर विचार किया जाता है।

ii. **आईआईबी की सेवाएँ**

   क. **बीमाकर्ताओं को धोखाधड़ी न्यूनीकरण सहायताः** ब्यूरो धोखाधड़ियों के निवारण और न्यूनीकरण में बीमाकर्ता समुदाय को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करता है। एक ओर यह नीचे चर्चित उद्योग-स्तरीय खोज इंजनों का परिचालन करता है तथा दूसरी ओर इसने जोखिम हिसाब माडलों का विकास किया है जो उच्चतर जोखिम/ धोखाधड़ी की प्रवृत्ति से युक्त मामलों की पहचान करते हैं।

ख. बीमाकर्ताओं द्वारा सामना किया जा रहा एक सबसे बड़ा झंझट ग्राहकों के द्वारा जोखिम-अंकन के समय एवं दावा स्तरों पर किये जानेवाले अनुचित/गलत प्रकटीकरण हैं। इनसे निजात पाने में बीमाकर्ताओं की सहायता निम्नलिखित सेवाएँ करती हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जाता हैः

- **जीवन जोखिम-अंकन तथा दावा खोज उपकरण (क्वेस्ट):** क्वेस्ट जिसका परिचालन तत्काल आधार पर उन्नत प्रौद्यिगिकियों का उपयोग करते हुए किया जाता है, अपने डेटाबेस के बल पर ब्यूरो बीमाकर्ताओं को जोखिम-अंकन और दावा प्रसंस्करण के समय अतीत में लिये गये किन्हीं प्रतिकूल निर्णयों और लोडिंग सहित, ग्राहक का संपूर्ण बीमा वृत्त उपलब्ध कराता है।
- **वाहन दावा वृत्त सत्यापन सेवा (वीसीएचवीएस):** यह सेवा बीमाकर्ताओं को तत्काल पूर्ववर्ती पाँच-वर्ष की अवधि के लिए किसी वाहन का दावा वृत्त उपलब्ध कराती है, जिससे उन वाहनों पर अदावी (नो-क्लेम) बोनस से बचने में उन्हें मदद मिलती है जिनके संबंध में निकट अतीत में कोई दावा किया गया हो।
- **स्वास्थ्य बीमा (एचआई) सुवाह्यता पोर्टलः** यह ब्यूरो उन पालिसीधारकों के हित के लिए एचआई सुवाह्यता पोर्टल भी परिचालित करता है जो एक बीमाकर्ता से किसी अन्य बीमाकर्ता के पास अंतरण करना चाहते हैं। यह पोर्टल अंतरण ग्रहण करनेवाले बीमाकर्ता को अंतरण के लिए अनुरोध पर निर्णय लेने से पहले पालिसीधारक की पालिसी और दावा वृत्त की जाँच करने में समर्थ बनाता है।

iii. अन्य सेवाएँ

क. लाइसेंसप्राप्त बीमा विक्रेताओं की रिपोजिटरी (एनवाय): इस डेटाबेस में सभी बीमा विक्रेताओं, जैसे वैयक्तिक एजेंट, कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्ति, दलाल अर्हताप्राप्त व्यक्ति, बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएसपीएस) आदि का डेटा निहित है। एनवाय प्रधान व्यक्तियों की सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि कार्यग्रहण करने से पहले आवेदक व्यवसाय की उसी व्यवस्था में किसी अन्य संस्था के पास पहले से ही भर्ती नहीं हुए हैं। यह डेटाबेस बीमा गतिविधि में लगे हुए विभिन्न श्रेणियों के विक्रेताओं के संबंध में प्राधिकरण को आवधिक अपडेट/एमआईएस उपलब्ध कराता है।

ख. बीमा लेनदेन विनिमय (आईट्रेक्स): ब्यूरो आईट्रेक्स का परिचालन करता है जो बीमाकर्ताओं और बीमा रिपोजिटरियों (आईआरएस) के बीच सूचना के प्रवाह का समर्थन करनेवाला एक विनिमय केन्द्र (हब) है। आईट्रेक्स इलेक्ट्रानिक पालिसियों के लिए एक केवाईसी रिपोजिटरी के रूप में तथा आईआरएस द्वारा जारी किये गये इलेक्ट्रानिक बीमा खातों (ईआईएएस) और बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई इलेक्ट्रानिक पालिसियों के डेटाबेस के रूप में भी कार्य करता है।

iv. उन्नत विश्लेषण विज्ञानः ब्यूरो ने हाल के वर्षों में बीमा के क्षेत्र में सांख्यिकीय प्रतिरूपण (माडलिंग) और उन्नत विश्लेषण विज्ञान (एनलिटिक्स) में अपनी आंतरिक विशेषज्ञता विकसित की है। इसने भविष्यसूचक जीवन जोखिम समंकन आदर्श (प्रिडिक्टिव लाइफ रिस्क स्कोरिंग माडल) (प्रिज़्म) का निर्माण किया है जो किसी बीमा प्रस्ताव/पालिसी की जोखिम प्रवणता उसके प्रारंभिक वर्षों में निर्दिष्ट करता है। व्यवसाय की मोटर व्यवस्था में ब्यूरो ने धोखाधड़ी रोधक (ट्रिगर) बनाये हैं जो संभावित दावा संबंधी धोखाधड़ियों के संबंध में बीमाकर्ताओं को सतर्क करते हैं। निजी कारों में दावे की प्रवृत्ति का अनुमान करने में बीमाकर्ताओं के हित के लिए एक जोखिम समंकन माडल का भी अभिनियोजन किया गया है।

v. सहयोग / डेटा साझेदारी व्यवस्थाएँ : ब्यूरो के पास एक नियमित आधार पर बीमाकृत वाहन के विवरण को साझा करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक निरंतर व्यवस्था है। इससे सरकारी एजेंसियाँ बीमारहित वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन उपाय प्रारंभ करने के साथ ही, बीमारहित वाहन मालिकों के बीच बीमा जागरूकता निर्मित करने में समर्थ होंगी।

vi. **अन्य रिपोर्टें / गतिविधियाँ :** ब्यूरो एक नियमित आधार पर बड़ी संख्या में रिपोर्टों का प्रकाशन भी करता है जो वार्षिक, विषयपरक और आवश्यकतानुरूप श्रेणियों में आती हैं। वर्ष 2020-21 में प्रकाशित रिपोर्टों में शामिल हैं, जीवन तथ्य पुस्तिका (लाइफ फैक्ट बुक) 2019-20, बीमारहित वाहन रिपोर्ट 2019, नेटवर्क और गैर-नेटवर्क अस्पतालों के बीच दावा अनुभव में अंतर 2019, स्वास्थ्य तथ्य पुस्तिका 2018-19 तथा व्यवसाय की अन्य व्यवस्थाओं (ओएलबी) की तथ्य पुस्तिका 2018-19। ये रिपोर्टें जो आईआईबी की वेबसाइट iib.gov.in पर प्रदर्शित की गई हैं, खंडीय और स्थान-संबंधी स्तरों पर उद्योग के आशुचित्र (स्नैपशाट) एवं साथ ही वर्षों में बीमा व्यवसाय के अंदर विभिन्न संविभागों की प्रवृत्तियाँ भी उपलब्ध कराती हैं। ये रिपोर्टें इनके द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली विलक्षण अंतर्दृष्टियों को देखते हुए बीमाकर्ताओं और अन्यों के लिए काफी हितकारी रही हैं। ब्यूरो उद्योग से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्राधिकरण को नियमित डेटा-आधारित निविष्टियाँ और अद्यतन जानकारियाँ भी उपलब्ध कराता है।

III.6.4 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआईआरएम)

III.6.4.1 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआईआरएम) आईआरडीएआई और पूर्व की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक व्यावसायिक निकाय है जो बीमा शिक्षण के संवर्धन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षण और अनुसंधान संगठन के रूप में कार्यरत है तथा यह संस्थान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित है। आईआईआईआरएम के समग्र कार्यचालन का पर्यवेक्षण आईआरडीएआई के अध्यक्ष की अध्यक्षता में निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही

III.7.1 प्राधिकरण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए लाइसेंसीकरण और लाइसेंस के नवीकरण हेतु विभिन्न विनियामक शुल्क और प्रभारों की उगाही करता है। शुल्क और अन्य प्रभारों के रूप में वर्ष 2020-21 में बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से कुल रु. 194.84 करोड़ की राशि वसूल की गई।

III.7.2 वर्ष 2020-21 के दौरान, बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को छोड़कर बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है। बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए शुल्क संरचना में संशोधन एफ. सं. आईआरडीएआई/आरईजी/4/170/2020 दिनांक 24 नवंबर 2020 से युक्त आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2020 के द्वारा किया गया।

बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना वित्तीय वर्ष 2020-21 में संगृहीत शुल्क सहित अनुबंध 7 में दी गई है।

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना

III.8.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ज) बीमा कंपनियों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की जाँच-पड़ताल सहित उनसे सूचना माँगने तथा उनका आनसाइट निरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक उपबंध निर्धारित करती हैं। पर्यवेक्षी निरीक्षण कम से कम एक दो-मुखी दृष्टिकोण - अर्थात् परोक्ष (ऑफ़-साइट) जाँच और स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण, को संबद्ध करता है।

ऑफ साइट निरीक्षण

III.8.2 ऑफ-साइट निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य, विनियमित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और बाजार आचरण की निगरानी करना है जिससे कि उन संस्थाओं की पहचान की जा सके जो वित्तीय गिरावट दिखाती हैं और पर्यवेक्षी की चिंताओं का स्रोत है। यह समय पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एक ट्रिगर के रूप में कार्य करती है। ऑफ-साइट निरीक्षण आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत अधिदेशित आवधिक विवरणों, रिटर्नों, रिपोर्टों, नीतियों और अनुपालन प्रमाण पत्रों का विश्लेषण करके की जाती है।

ऑन साइट निरीक्षण

III.8.3 प्राधिकरण, निरीक्षण विभाग के माध्यम से विनियमित संस्थाओं द्वारा संबंधित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों/ परिपत्रों, निदेशों, मानकों, आदि के उपबंधों के पालन/अनुपालन के संबंध में उनका स्थान-पर (ऑन-साइट) पर्यवेक्षण करता है। नमूना आधार पर संबंधित अभिलेखों, लेखा-बहियों और व्यावसायिक कार्यकलापों की जाँच के द्वारा विनियमित संस्थाओं की कार्यपद्धति के मूल्यांकन के लिए स्थान पर उनके सामान्य, संकेन्द्रित (फोकस्ड) और विषयपरक (थिमैटिक) निरीक्षण किये जाते हैं।विभिन्न विनियामक उपबंधों एवं विनियमित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, बाजार व्यवहार, कंपनी अभिशासन और समग्र जोखिम प्रोफाइल आदि तथा संबंधित विषयों से संबंधित अन्य प्रयोज्य विधियों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण संबंधी नियम-पुस्तकें (मैनुअल) उपयुक्त रूप में आवश्यकतानुसार तैयार की गई हैं।

III.8.4 समूचे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के कारण निरीक्षण विभाग ने विनियमित संस्थाओं के निरीक्षण दूरस्थ फार्मेट किये हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 107 दूरस्थ निरीक्षण संचालित किये गये हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

निरीक्षण का प्रकार	निरीक्षित संस्थाओं की संख्या
सामान्य निरीक्षण	86
संकेन्द्रित निरीक्षण	0
विषयपरक निरीक्षण	21
कुल	**107**

क) सामान्य निरीक्षण	
संस्था का प्रकार	**निरीक्षित संस्थाओं की संख्या**
जीवन बीमा कंपनी	2
साधारण बीमा कंपनी	7
विदेशी पुनर्बीमा शाखा	6
बीमा दलाल	27
कारपोरेट एजेंट	19
वेब संग्राहक	6
बीमा रिपोजिटरी	4
बीमा विपणन फर्म	15
कुल	**86**

ख) विषयपरक निरीक्षण	
संस्था का प्रकार	**निरीक्षित संस्थाओं की संख्या**
जीवन बीमा कंपनी	9
साधारण बीमा कंपनी	11
स्वास्थ्य बीमा कंपनी	1
कुल	**21**

III.8.5 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, निरीक्षित संस्थाओं से प्राप्त प्रत्युत्तरों सहित, अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण समर्थक प्रमाणों और प्रत्येक निरीक्षण टिप्पणी के लिए यथाप्रस्तावित कार्रवाई की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन विभाग द्वारा किया जाता है। कार्रवाइयों की प्रस्तावित प्रक्रिया संबंधित नोडल विभाग के विभाग-प्रमुख (एचओडी) को 15 दिन के समय के अंदर उनकी टिप्पणियाँ/निविष्टियाँ देने के लिए प्रस्तुत की जाती है। विभाग-प्रमुखों से प्राप्त टिप्पणियों का ध्यान रखते हुए और साथ ही, इसी प्रकार के अन्य विषयों पर परोक्ष (आफ़साइट)/प्रत्यक्ष (आनसाइट) रूप से की गई कार्रवाइयों पर विचार करते हुए प्रवर्तन विभाग कार्रवाई की एक प्रक्रिया की सिफारिश करता है, जो अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्रवाई की प्रक्रिया के आधार पर निरीक्षित संस्था पर या तो आरोप लगाया जाता है या उसे परामर्श दिया जाता है और/या टिप्पणी समाप्त की जाती है। जिस संस्था पर किसी विनियामक उल्लंघन/ अननुपालन के लिए आरोप लगाया जाता है उसे वैयक्तिक सुनवाई के द्वारा स्वयं अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया जाता है और तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम कार्रवाई, जैसे अर्थदंड, चेतावनी, सतर्कता, निदेश, परामर्श आदि, की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में जहाँ उल्लंघन बिलकुल गंभीर हैं जिनके लिए पंजीकरण/ लाइसेंस आदि के निरसन की आवश्यकता होती है, वहाँ प्राधिकरण उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद पंजीकरण/लाइसेंस को निरस्त करता है।

III.8.6 उपर्युक्त के अलावा, प्राधिकरण बीमा अधिनियम की कुछ विनिर्दिष्ट धाराओं के उल्लंघन की स्थिति में न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया का भी प्रयोग करता है।

आईआरडीएआई द्वारा पारित सभी आदेशों के संबंध में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) में अपील की जा सकती है।

III.8.7 वर्ष 2020-21 के दौरान प्रवर्तन विभाग द्वारा समाप्त की गई आनसाइट और दूरस्थ निरीक्षण रिपोर्टें 117 हैं। विवरण निम्नानुसार है:

आईआरडीएआई द्वारा समाप्त की गई आनसाइट और दूरस्थ निरीक्षण रिपोर्टें

संस्था का प्रकार	समाप्त की गई निरीक्षण रिपोर्टें
जीवन बीमा कंपनी	32
साधारण बीमा कंपनी	28
स्वास्थ्य बीमा कंपनी	6
पुनर्बीमाकर्ता	1
दलाल	22
कारपोरेट एजेंट	21
सर्वेक्षक	3
विदेशी पुनर्बीमा शाखा	3
अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)	1
कुल	**117**

III.8.8 समाप्त 117 रिपोर्टों की टिप्पणियों पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण है:

परामर्श	:	628
निदेश	:	93
चेतावनी	:	83
अर्थदंड	:	₹33 लाख दो दृष्टांतों पर

III.8.9 वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये मौद्रिक अर्थदंडों का विवरण अनुबंध 8 में दिया गया है।

III.9 बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन प्रशुल्क परामर्शदात्री समिति के द्वारा इतना नियंत्रित और विनियमित नहीं किये जानेवाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन

III.9.1 मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय को छोड़कर जहाँ तक कीमत-निर्धारण (प्राइसिंग) का संबंध है, प्रशुल्क-युक्त साधारण बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों को 1 जनवरी 2007 से प्रशुल्क-मुक्त किया गया था। चूँकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अंतर्गत मोटर तृतीय पक्ष कवर एक सांविधिक बीमा कवर है, अतः आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत दरें, निबंधन और शर्तें निर्धारित करने की शक्तियाँ प्राधिकरण ने अपने पास रखीं। प्राधिकरण ने सर्वप्रथम मोटर तृतीय पक्ष दरें आदेश सं. "043/आईआरडीए/डी-टैरिफ/जन-07" के अनुसार 23 जनवरी 2007 को अधिसूचित कीं जो 1 जनवरी 2007 से प्रवृत्त हुईं। तदुपरांत, प्राधिकरण ने आदेश सं. "आईआरडीए/एनएल/ एनटीएफएन/ एमओटीपी/ 066/04/2011" दिनांक 15 अप्रैल 2011 के अनुसार दरें अधिसूचित कीं तथा यह कहा कि उक्त दरों की वार्षिक तौर पर समीक्षा की जाएगी और उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। तब से मोटर तृतीय पक्ष प्रीमियम दरें प्रत्येक वर्ष अधिसूचित की गई हैं तथा वर्ष 2019-20 के लिए उक्त दरें आदेश सं. आईआरडीएआई/ एनएल/ एनटीएफएन/ एमओटीपी/91/06/2018 के अनुसार 4 जून 2019 को अधिसूचित की गईं। महामारी की स्थिति के कारण आदेश दिनांक 27 मार्च 2020 के अनुसार प्राधिकरण ने 2019-20 के लिए अधिसूचित प्रीमियम दर की विधिमान्यता की अवधि 31 मार्च 2020 के बाद अगले आदेशों तक जारी रखने के लिए बढ़ाई है।

III.10 उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे।

III.10.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत भी निर्धारित रूप और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित मदें प्रस्तुत करने के लिए रखी जाती हैं।

III.10.2 मध्यवर्तियों के मामले में अपेक्षित है कि लेखा-बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव संबंधित विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में और तरीके से किया जाएगा।

III.10.3 जहाँ कहीं भी प्राधिकरण ने वह रूप और तरीका निर्धारित नहीं किया है जिसमें लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए, वहाँ कंपनी अधिनियम/ नियम और अन्य प्रयोज्य अधिनियमों/ नियमों के उपबंध लागू होंगे।

III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमनः

III.11.1 मास्टर परिपत्र और समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ पठित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 बीमाकर्ताओं के निवेशों का विनियमन करते हैं।

III.11.2 कारपोरेट बांडों / वाणिज्यिक पत्रों में निवेशों के लिए आरएफक्यू प्लेटफार्म का कार्यान्वयन

क. कारपोरेट बांडों, प्रतिभूतियों में विभाजित चलनिधि को बढ़ाने और सम्मिलित (कोअलेसिंग) करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के माध्यम से भाव के लिए अनुरोध (रिक्वेस्ट फ़ार क्वोट - आरएफक्यू) को कार्यान्वित किया है। उक्त आरएफक्यू प्लेटफार्म काउंटर पर शेयर क्रय-विक्रय (ओवर दी काउंटर - ओटीसी) बाजार की अनुकृति (रेप्लिकेशन) तैयार करने की, यद्यपि एक इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर, अपेक्षा करता है जो द्वितीयक बाजार में पर्याप्त चलनिधि रखने के अतिरिक्त अधिक पारदर्शिता एवं निवेशक के हित का संरक्षण करने में केन्द्रीयकरण को लाने का प्रयास है।

ख. उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए, सेबी ने परिपत्रः सेबी/एचओ/आईएमडी/डीएफ3/सीआईआर/पी/202/130 दिनांक 22 जुलाई 2020 के अनुसार सभी म्युचुअल फंडों (एमएफ) के लिए यह अधिदेशात्मक कर दिया है कि वे शुरुआती तौर पर कारपोरेट बांडों के अपने कुल द्वितीयक बाजार लेनदेनों का 10% आरएफक्यू के माध्यम से करें। चूँकि इससे कारपोरेट बांड खंड में पारदर्शिता और चलनिधि लाये जाने की संभावना है, अतः प्राधिकरण जीवन और साधारण बीमा परिषदों के साथ परामर्श करने के बाद सभी बीमाकर्ताओं को निम्नानुसार निदेश देता हैः

i. मासिक आधार पर बीमाकर्ता कारपोरेट बांडों में अपने कुल द्वितीयक बाजार लेनदेनों का कम से कम 10% बीएसई/ एनएसई में उपलब्ध आरएफक्यू प्लेटफार्म पर वन-टू-मेनी पद्धति के द्वारा वैल्यू प्लेस / सीक कोट्स में करेंगे।

ii. उक्त 10% की गणना आवर्ती (रोलिंग) आधार पर तत्काल पूर्ववर्ती 3 महीने में मूल्य के द्वारा द्वितीयक बाजार लेनदेनों के औसत पर की जाएगी।

III.11.3 क्रेडिट रेटिंग - बुनियादी संरचनागत निवेशों के लिए लागू

आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 14(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमाकर्ताओं को ऐसी बुनियादी संरचना कंपनियों के द्वारा जारी किये गये बुनियादी संरचनागत निवेशों का वर्गीकरण करने के लिए निदेश देता है, जो "अनुमोदित निवेश" के भाग के रूप में "ईएल1" की अनुमानित हानि रेटिंग के साथ "ए" से अन्यून रेटिंग से युक्त हों तथा ये मास्टर परिपत्र - निवेश के अंतर्गत निवेश की श्रेणी के अनुसार श्रेणी कूट "आईईएलबी" के अंतर्गत सूचीबद्ध हों।

इसके अतिरिक्त, "ए" अथवा "ईएल1" से नीचे बुनियादी संरचनागत निवेश के किसी भी डाउनग्रेड को "अन्य निवेश" के भाग के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा मास्टर परिपत्र - निवेश के अंतर्गत निवेश की श्रेणी के अनुसार श्रेणीकूट "आईओईएल" के अंतर्गत सूचित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त निवेशों का मूल्यांकन "फिमडा के अनुसार अथवा सेबी के पास पंजीकृत किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित प्रयोज्य बाजार प्रतिफल दरों पर" किया जाएगा।

III.12 शोधक्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमनः

III.12.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन का अनुरक्षण करे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के आधिक्य का अनुरक्षण करेगा, जो अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन के रूप में जाना जाता है। आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 एवं आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 में अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति का विस्तार से वर्णन किया गया है।

III.12.2 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, न्यूनतम अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन पचास करोड़ रुपये (पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक सौ करोड़ रुपये) है तथा इसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से गणना कर प्राप्त किया जाएगा। बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 में शोधक्षमता के नियंत्रण स्तर के रूप में कहलानेवाले शोधक्षमता मार्जिन का स्तर विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर, प्राधिकरण बीमाकर्ता को छह महीने से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर कमी को सुधारने के लिए कार्रवाई की योजना निर्दिष्ट करते हुए एक वित्तीय योजना प्रस्तुत करने के लिए निदेश देगा।

III.12.3 साधारण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के मामले में, अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता अथवा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा/ समनुदेशित पूँजीगत अपेक्षा के पचास प्रतिशत का अधिकतम; अथवा निम्नानुसार अलग से प्रत्येक व्यवसाय की व्यवस्था के लिए संगणित आरएसएम-1 और आरएसएम-2 का उच्चतर होगाः

- आरएसएम-1 से अभिप्रेत है, निवल प्रीमियमों पर आधारित अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के बीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक ए और निवल प्रीमियमों द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों का उच्चतर है। आरएसएम1 के परिकलन के प्रयोजन के लिए `पिछले 12 महीनों के प्रीमियम' को हिसाब में लिया जाएगा।

- आरएसएम-2 से अभिप्रेत है, निवल उपगत दावों पर आधारित अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के तीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक बी और निवल उपगत दावों के द्वारा गुणा किये गये सकल उपगत दावों का उच्चतर है। आरएसएम2 के परिकलन के प्रयोजन के लिए `पिछले 12 महीनों के दावों' और `3 से विभाजित पिछले 36 महीनों के दावों' के अधिकतम के रूप में दावों को हिसाब में लिया जाएगा।

III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन

III.13.1 आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 59(2) के अनुसार, किसी बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाला कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उस शिकायत की जाँच कर सकता है एवं यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

III.14 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.14.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015, 24 अगस्त 2015 को अधिसूचित किये गये हैं तथा ये आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हैं। इन विनियमों में उल्लिखित दायित्व वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हो गये हैं।

नियामक प्रावधानों के अनुसार, बीमाकर्ताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को पूरा करना चाहिए।

III.14.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रामाणिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएसएचए) तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्यकर्ताओं को ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की श्रेणी से संबंधित रूप में माना गया है।

भाग-IV
संगठनात्मक विषय

IV.1 संगठन

IV.1.1 डॉ. सुभाष सी. खुंटिया को भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 07 मई, 2018 से तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया और वे 06 मई, 2021 तक उक्त पद पर रहे ।

श्रीमती टी. एल. अलमेलु, पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) और श्री के. गणेश, पूर्णकालिक सदस्य (जीवन) भी उक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण में जारी रहे।

श्री प्रवीण कुटुंबे, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त और निवेश) 11 मार्च 2021 को 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उक्त पद पर रहे।

श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा को 04 जनवरी 2021 से पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक) के रूप में नियुक्त किया गया।

सुश्री एस. एन. राजेश्वरी को 04 मार्च 2021 से पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) के रूप में नियुक्त किया गया।

IV.1.2 श्री देवाशीष पंडा, सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय और सुश्री सुषमा नाथ, भूतपूर्व वित्त सचिव, क्रमशः 24 जून, 2021 और 23 अगस्त, 2021 तक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में बनेरहे। श्री अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को 25 जून, 2021 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया |

श्री अतुल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान 12 फरवरी 2020 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य बने और 11 फरवरी 2021 तक जारी रहे। तदुपरांत, श्री नीहार एन. जंबुसारिया, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान 12 फरवरी 2021 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य बने।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण की संरचना सारणी IV.1 में दी गई है।

सारणी IV.1
31 मार्च 2021 को प्राधिकरण की संरचना

नाम	पद	उपबंध
डा. सुभाष सी. खुंटिआ	अध्यक्ष	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(क) के अधीन नियुक्त
श्रीमती टी. एल. अलमेलु	पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्री के. गणेश	पूर्णकालिक सदस्य (जीवन)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा	पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
सुश्री एस. एन. राजेश्वरी	पूर्णकालिक सदस्य (वितरण)	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त
श्रीमती सुषमा नाथ	अंशकालिक सदस्य	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ग) के अधीन नियुक्त
श्री देवाशीष पंडा	अंशकालिक सदस्य	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ग) के अधीन नियुक्त
श्री नीहार एन. जंबुसारिया	अंशकालिक सदस्य	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ग) के अधीन नियुक्त

प्राधिकरण की बैठकें

IV.1.3 2020-21 के दौरान प्राधिकरण की बैठकें पाँच अवसरों पर आयोजितकीगईं। वे हैं :

- प्राधिकरण की 108वीं बैठक 12 जून 2020 को आयोजित की गई।
- प्राधिकरण की 109वीं बैठक 13 अगस्त 2020 को आयोजित की गई।
- प्राधिकरण की 110वीं बैठक 14 अक्तूबर 2020 को आयोजित की गई।

- प्राधिकरण की 111वीं बैठक 16 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई।
- प्राधिकरण की 112वीं बैठक 17 मार्च 2021 को आयोजित की गई।

प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थित बैठकों का विवरण सारणी IV.2 में दिया गया है।

सारणी IV.2
2020-21 के दौरान आयोजित आईआरडीएआई बोर्ड की बैठकों का विवरण

नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
डा. सुभाष सी. खुंटिआ	5	5
श्री प्रवीण कुटुंबे	4**	4
श्रीमती टी. एल. अलमेलु	5	5
श्री के. गणेश	5	5
श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा	1*	1
सुश्री एस. एन. राजेश्वरी	1*	1
श्रीमती सुषमा नाथ	5	5
श्री देवाशीष पंडा	5	5
श्री अतुल कुमार गुप्ता	4**	3
श्री नीहार एन. जंबुसारिया	1*	1

* कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोजित बैठकों की संख्या। .

** पद का त्याग करने से पहले, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या।

टिप्पणी: 1. पूर्णकालिक सदस्य (वित्त और निवेश) के अपने पद का त्याग करने से पहले श्री प्रवीण कुटुंबे, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त और निवेश) वर्ष के दौरान आयोजित 4 बैठकों में से 4 में उपस्थित रहे।

2. श्री अतुल कुमार गुप्ता, (अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान) अंशकालिक सदस्य के अपने पद का त्याग करने से पहले, वर्ष के दौरान आयोजित 4 में से 3 बैठकों में उपस्थित रहे।

IV.2 मानव संसाधन

IV.2.1 मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) की भूमिका मानव संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करना तथा ऐसे परिवेश का निर्माण करने के लिए अभिकल्पित नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका विकास करना, उन्हें संसाधित करना और उन्हें लागू करना है जो कर्मचारियों के कल्याण को विकसित और प्रोत्साहित करे तथा उसे बनाये रखे। मुख्य उद्देश्य कार्य-संतोष का मापन करने, कर्मचारियों का विनियोजन करने तथा कार्यस्थल संबंधी संघर्ष का समाधान करने के द्वारा नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को मजबूत करना है।

इस विभाग की परिदृष्टि उन कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं का विकास करना, कार्यान्वयन करना और उनका समर्थन करना है जो प्राधिकरण और इसके कर्मचारियों का मूल्य-संवर्धन करते हैं जिससे बेहतर कर्मचारी कल्याण, सशक्तीकरण, संवृद्धि और प्रतिधारण के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।

स्टाफ संख्या

IV.2.2 स्टाफ-संख्या और अतिरिक्त श्रमशक्ति की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या की स्थिति निम्नानुसार हैः

सारणी IV.3
आईआरडीएआई में स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या

वर्ग	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2021 को	
	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
I	258	200	258	198
III और IV	22	16	22	15
कुल	**280**	**216**	**280**	**213**

श्रेणी-वार स्टाफ संख्या

IV.2.3 स्टाफ सदस्यों का श्रेणी-वार वितरण सारणी IV.4 में दिया गया है।

सारणी IV.4
आईआरडीएआई में श्रेणी-वार स्टाफ संख्या

श्रेणी / वर्ग	31 मार्च 2020 को				31 मार्च 2021 को			
	अजा	अजजा	अन्य	कुल	अजा	अजजा	अन्य	कुल
I	22 (11.00)	7 (3.50)	171 (85.50)	200 (100.00)	21 (10.61)	7 (3.54)	170 (85.86)	198 (100.00)
III और IV	2 (12.50)	1 (6.25)	13 (81.25)	16 (100.00)	1 (6.67)	1 (6.67)	13 (86.67)	15 (100.00)
Total	**24 (11.11)**	**8 (3.70)**	**184 (85.19)**	**216 (100.00)**	**22 (10.33)**	**8 (3.76)**	**183 (85.92)**	**213 (100.00)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल संख्या में से प्रतिशत दर्शाते हैं।

कर्मचारियों की लिंग और आयु रूपरेखा

IV.2.4 213 कर्मचारियों में से 51 महिलाएँ हैं जिनका प्रतिशत 24 है। आईआरडीएआई एक युवा और गतिशील संगठन है जिसमें कर्मचारियों की औसत आयु लगभग 42 वर्ष है। 2020-21 में स्टाफ सदस्यों का आयु-वार वितरण सारणी IV.5 में दिया गया है।

सारणी IV.5
आईआरडीएआई में स्टाफ का आयु-वार वितरण

आयु (वर्ष)	स्टाफ संख्या	कुल में से प्रतिशत
⩽ 30	39	18.31
31 - 40	54	25.35
41 - 50	87	40.85
51 - 60	33	15.49
कुल	**213**	**100**

क्षेत्र-वार स्टाफ संख्या

IV.2.5 स्टाफ सदस्यों का क्षेत्र-वार वितरण निम्नानुसार दिया गया हैः

सारणी IV.6
आईआरडीएआई में क्षेत्र-वार स्टाफ संख्या

क्षेत्र	अधिकारियों की संख्या	कुल का प्रतिशत
प्रधान कार्यालय	184	86.38
नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (एनडीआरओ)	19	8.92
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ)	10	4.70
कुल	**213**	**100**

ग्रेड-वार स्टाफ संख्या

IV.2.6 स्टाफ सदस्यों का ग्रेड-वार वितरण सारणी IV.7मेंदिया गया है।

सारणी IV.7
आईआरडीएआई में ग्रेड-वार स्टाफ संख्या

ग्रेड	2019-20	2020-21
कार्यकारी निदेशक (कानि)	2	1
मुख्य महाप्रबंधक (मुमप्र)	7	7
महाप्रबंधक (मप्र)	19	19
उप महाप्रबंधक (उमप्र)	24	24
सहायक महाप्रबंधक (समप्र)	47	51
प्रबंधक (प्रबं.)	27	23
सहायक प्रबंधक (सप्र)	74	73
सहायक (सहा.)	14	14
वरिष्ठ सहायक (वस)	1	1
अभिलेख लिपिक (अलि)	1	0
कुल	**216**	**213**

चार्ट IV.1: आईआरडीएआई में स्टाफ का ग्रेड-वार वितरण (2020-21)

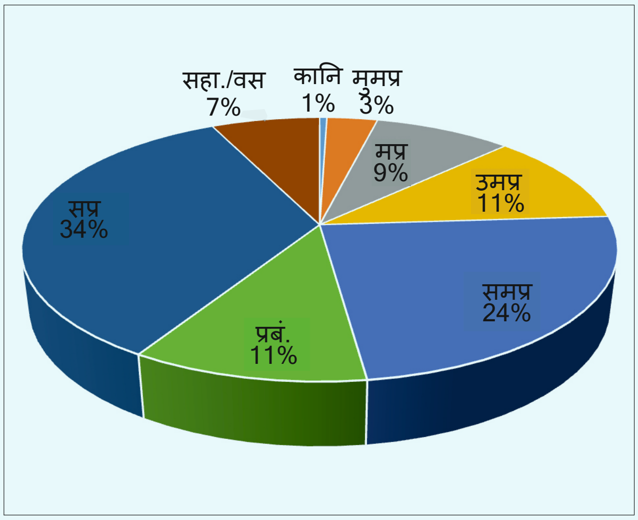

प्रशिक्षण और विकास

IV.2.7 प्रशिक्षण और विकास कर्मचारियों के वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान के आधार को बढ़ाने और व्यापक करने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है। स्टाफ के सदस्यों की जानकारी, कौशल और कार्यक्षमताओं में वृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान प्रशिक्षण की अनेक पहलें की गई थीं।

IV.2.8 आंतरिक प्रशिक्षण

क. प्रतिभा-संपन्न व्यक्तियों के समूह का निर्माण करने के लिए, आईआरडीएआई द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) द्वारा विकसित किये गये मुख्य पाठ्यक्रम (कोर करिक्युलम) माड्यूलों पर स्टाफ-सदस्यों को प्रशिक्षण देना संबद्ध है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभवी बीमांककों, लेखा-परीक्षकों, बीमा/पुनर्बीमा विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, विधिज्ञों, और आईटी विशेषज्ञों सहित पर्याप्त रूप में भली-भाँति अर्हता-प्राप्त स्टाफ को विकसित करना रहा है। पर्यवेक्षण की माँगों को पूरा करने के लिए स्टाफ के पास अवश्य उपयुक्त स्तरों का कौशल और अनुभव होना चाहिए।

ख. इसी प्रकार, मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ने आईएफआरएस 17, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) पर स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ किये हैं जो अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है।

ग. **प्रबंध विकास कार्यक्रमः** स्टाफ के लिए एक तीन-दिवसीय व्यवहार-प्रशिक्षण/प्रबंध विकास कार्यक्रम आनलाइन पद्धति द्वारा संचालित किया गया। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवहार संबंधी विभिन्न विषयों, जैसे नेतृत्व, आचार-शास्त्र (एथिक्स), अभिप्रेरण (मोटिवेशन), संप्रेषण कौशल, आदि पर स्टाफ को प्रशिक्षण देना था।

अन्य देशी और विदेशी प्रशिक्षण

IV.2.9 कर्मचारियों को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम), मुंबई द्वारा संचालित `न्यायिक लेखांकन' (फ़ारेन्सिक अकाउंटिंग) एवं दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केन्द्र (एसएआरटीटीएसी) द्वारा संचालित `बीमा पर्यवेक्षण' के लिए नामित किया गया।

कर्मचारियों को वित्तीय सेवाएँ एजेंसी, जापान की मेजबानी में आयोजित एनएआईसी अंतरराष्ट्रीय फ़ेलोज़ आभासी (वर्चुअल) कार्यक्रम एवं चार-दिवसीय सेमिनार के लिए नामित किया गया।

कर्मचारियों के लिए मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ

IV.2.10 आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए हैदराबाद में माह मार्च 2021 में उनकी पत्नी/उनके पति और बच्चों के साथ एक दिन का भ्रमण (आउटिंग) कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

IV.2.11 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) 08 मार्च 2021 को मनाया गया। इस वर्ष के लिए विषय (थीम) है- "नेतृत्व में महिलाएँ : एक कोविड-19 विश्व में एक समान भविष्य प्राप्त करना"।

महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति

IV.2.12 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में शिकायतों का निवारण करने एवं उक्त अधिनियम में निर्धारित विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से उक्त आंतरिक समिति (आईसी) का गठन किया गया है। वर्ष 2020-21 में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

प्राधिकरण ने एक कार्यक्रम अर्थात् व्यवहार-प्रशिक्षण/प्रबंध विकास कार्यक्रम का संचालन किया है, जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों के लिए `कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण' पर एक सत्र शामिल किया गया।

शिकायत निवारण समिति

IV.2.13 उक्त शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई हों, का समाधान करने के लिए विद्यमान है। वर्ष 2020-21 के दौरान समिति को संदर्भित करने के लिए कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

IV.3 राजभाषा का संवर्धन

IV.3.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कार्यालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपने संगठित प्रयास करना जारी रखा। राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न उपबंधों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग राजभाषा कार्यान्वयन विभाग कार्यरत है। वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, हिन्दी के प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये वार्षिक

कार्यक्रम तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों सहित भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये गये। वर्ष 2020-21 के लिए हिन्दी के प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम अनुपालन के लिए कार्यालय आदेश के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

IV.3.2 संसद के पटल पर रखे जानेवाले सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में तैयार किये गये। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हिन्दी में प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों/अपीलों/आरटीआई आवेदनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। उपर्युक्त नियमों के नियम 11 का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया गया।

प्रगति रिपोर्टें

IV.3.3 राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में आईआरडीएआई के सभी विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण किया गया। उक्त रिपोर्ट को निर्धारित समयावधि में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अलावा, छमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्टें भी तैयार की गईं और उपर्युक्त विभागों के अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को प्रस्तुत की गईं।

उपलब्धियाँ और पुरस्कार

IV.3.4 आईआरडीएआई द्वारा हिंदी टंकण को बढ़ाने के विशेष उद्देश्य से ऑनलाइन टंकण एप्लिकेशन बनाया गया, जिसके द्वारा हिंदी पखवाड़ा में एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हेतु ऑनलाइन हिंदी टंकण प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों को अपने दैनंदिन पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, प्राधिकरण की बैठकों की कार्यसूची और उनके कार्यवृत्त हिन्दी में तैयार करने में तथा द्विभाषिक रूप में रजिस्टर रखने में सहायता की गई एवं कार्यालयीन टिप्पण (नोटिंग्स) और दस्तावेजों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। आंतरिक विभागों द्वारा जब भी अपेक्षा की गई, तब हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की भी व्यवस्था की गई।

IV.3.5 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए हिन्दी पत्राचार और हिन्दी टिप्पण 55 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 70.66 प्रतिशत और 83.75 प्रतिशत पर रहे। पिछले वर्ष की अपेक्षा जहॉं औसत हिंदी पत्राचार में 3.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई वहीं हिंदी नोटिंग में 0.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार शत प्रतिशत द्विभाषी किया गया। हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 42 मानक प्रपत्र बनाए गए।

IV.3.6 इसके अतिरिक्त आईआरडीएआई द्वारा पिछले वर्ष शुरु किये गये 8 मानक उत्पादों के नाम हिंदी में ही रखे गये। मानक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद - आरोग्य संजीवनी, करोना कवच, करोना रक्षक, मसक रक्षक। मानक जीवन बीमा उत्पाद- सरल जीवन एवं मानक साधारण बीमा उत्पाद- भारत गृहरक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, भारत लघु उद्यम सुरक्षा।

IV.3.7 आईआरडीएआई को राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद द्वारा द्वित्तीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सात कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते हैं। आईआरडीएआई को बैंक नराकास, पणजी (गोवा) द्वारा 'ग' क्षेत्र के नराकास के सदस्य बैंकों/कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय अंतर नराकास हिंदी काव्य धारा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

IV.3.8 नराकास के सदस्य कार्यालयों के लिए आईआरडीएआई द्वारा तीन राजभाषा तकनीकी सेमिनार और ऑनलाइन हिन्दी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद की 70 वीं एवं 71वीं छमाही बैठकों में आईआरडीएआई के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों ने सहभागिता की। इसके साथ ही नराकास की सभी संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / प्रतियोगिताओं में आईआरडीएआई द्वारा सक्रियता से सहभागिता की गई। आईआरडीएआई के राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी पखवाड़े के अवसर पर "हिंदी नियमों का पालन" विषय पर और दिनांक 17 मार्च, 2021 को नाबार्ड तेलंगाना क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी कार्यशाला के अवसर पर "हिंदी कार्यशालाओं की

प्रासंगिकता और प्रभावोत्पादकता" विषय पर अतिथि व्याख्यान दिया गया।

हिन्दी प्रशिक्षण

IV.3.9 कर्मचारियों के हिन्दी भाषा ज्ञान और प्रशिक्षण के अनुसार उनके हिन्दी ज्ञान के रोस्टर को अद्यतन किया गया। विशेष रूप से इसका उपयोग कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नामित करने के लिए किया गया। 2020-21 के दौरान 27 कर्मचारियों को प्राज्ञ और पारंगत हिन्दी ज्ञान प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी प्रशिक्षण के लिए कार्यालय में लागू प्रावधानों के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को मानदेय प्रदान किया गया। आईआरडीएआई में पारंगत प्रशिक्षण के लिए मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रहे डेस्क प्रशिक्षण के द्वारा 09 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

हिन्दी कार्यशालाएँ और बैठकें

IV.3.10 अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सभी विभाग-प्रमुखों को सदस्यों के रूप में लेते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है तथा प्रत्येक तिमाही में समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ नई दिल्ली कार्यालय और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में भी गठित की गई हैं। कर्मचारियों को हिन्दी से संबंधित नियमों से परिचित कराने एवं अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का अधिक व्यापक प्रयोग करने के लिए यूनिकोड की सहायता से हिन्दी टंकण और सुगमतापूर्वक प्रयोग की जानेवाली अन्य पद्धतियों का उनसे अभ्यास कराने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित रूप से संचालन किया गया। 2020-21 के दौरान हैदराबाद स्थित प्रधान कार्यालय के 135 कर्मचारियों को इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में भी किया गया तथा इनमें क्रमशः 19 और 9 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी कार्यशालाओं के दौरान हिन्दी संबंधी नियमों, हिन्दी के प्रयोग के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम और सामान्य हिन्दी टिप्पण (नोटिंग्स) की सामग्री वितरित की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण

IV.3.11 प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग ने मार्च 2021 में प्रधान कार्यालय के सभी विभागों के अलावा मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय और नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया।

हिन्दी पखवाड़ा

IV.3.12 14 से 28 सितंबर 2020 तक आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में ऑनलाइन हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, जिसका उद्घाटन अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया। आईआरडीएआई के अध्यक्ष महोदय ने पखवाड़ा के ऑनलाइन उदघाटन समारोह के दौरान अपने सम्बोधन में पखवाड़ा में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाले विभाग और सर्वाधिक प्रतिभागिता करने वाले विभाग को भी पुरस्कृत करने की घोषणा की। इस पखवाड़े के दौरान अनुवाद, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता (उप महाप्रबंधक एवं उच्चतर ग्रेड हेतु), कवितापाठ, आशुभाषण, प्रश्नोत्तरी एवं हिंदी टंकण प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। उप महाप्रबधकों एवं उच्चतर ग्रेड के लिए आयोजित हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता में एक कार्यकारी निदेशक, सभी 7 मुख्य महाप्रबंधकों सहित 37 उच्च अधिकारियों ने प्रतिभागिता की। पखवाड़े के ऑनलाइन समापन समारोह में अध्यक्ष महोदय ने 51 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये।

अन्य सूचना

IV.3.13 हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष प्रमुख लेखकों के द्वारा लिखी गई 83 हिंदी पुस्तकें पुस्तकालय में सम्मिलित की गईं और निरंतर हर वर्ष हिंदी पुस्तकों के बजट में वृद्धि की जा रही है। राजभाषा कार्यान्वयन विभाग हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता जागरूकता सामग्री प्रकाशित करने के लिए आईआरडीएआई के संचार विभाग के साथ नियमित रूप से परस्पर सक्रियता सहित संपर्क में रहा। आईआरडीएआई में कुल विज्ञापन व्यय के 90 प्रतिशत से अधिक की राशि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापन पर व्यय की गई।

IV.4 सूचना प्रौद्योगिकी

IV.4.1 आईटी प्रणालियों में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास के भाग के रूप में आईआरडीएआई ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कई कदम उठाये हैं। समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस), आईआरडीएआई के इंट्रानेट, आईआरडीएआई वेबसाइट और पालिसीधारक वेबसाइट तथा आईआरडीएआई की परोक्ष (आफ़साइट) निगरानी

प्रणाली जैसे बड़े आईटी अनुप्रयोगों को अपग्रेड करने के लिए निविदा संबंधी (टेंडरिंग) कार्यकलाप प्रारंभ किये गये।

व्यावसायिक विश्लेषण-पद्धति परियोजना (बीएपी)

IV.4.2 व्यवसाय विश्लेषण-पद्धति परियोजना परोक्ष (आफ़साइट) पर्यवेक्षण के लिए प्रयुक्त अनुप्रयोग है। इस अनुप्रयोग को अपग्रेड करने, समेकित डेटा टेंप्लेटों के द्वारा डेटा संग्रहण व्यवस्था को सरल बनाने, हार्डवेयर की समूची व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने के द्वारा प्रौद्योगिकी के ढाँचे को अपग्रेड करने तथा अपग्रेड किये गये परिवेश का अनुरक्षण करने के लिए उपयुक्त निविदा संबंधी (टेंडरिंग) प्रक्रिया के माध्यम से एक नये सेवाप्रदाता का चयन किया गया है। यह संविदा रु. 68.06 करोड़ की कुल लागत के साथ सात वर्ष की अवधि के लिए है। नवीनीकृत बीएपी की विशेषताएँ निम्नलिखित होंगीः

- ब्राउज़र सुसंगति (कम्पैटबिलिटी) और साधन सुसंगति
- संवर्धित प्रसंस्करण क्षमताएँ
- समेकित निविष्टि डेटा टेंप्लेटों के द्वारा सरलीकृत डेटा संग्रहण व्यवस्था
- त्वरित निपटान प्रक्रिया के लिए सुधारित भुगतान प्रवेशद्वार क्रियाशीलता

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित वृद्धि भी की गईः

- पेगव (Paygov) बहुविध भुगतान इंटरफेस के समन्वयन के बाद सर्वेक्षक धनवापसियों को सरल और कारगर बनाना।

मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली (एचआरएमएस)

IV.4.3 प्रयोक्ता विभाग की वर्तमान व्यावसायिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए एचआरएमएस-ईआरपी अनुप्रयोग को अपग्रेड किया गया। वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की गईं :

- संपर्क के विवरण को अद्यतन बनाने के लिए कार्यप्रवाह का विकास
- घर से काम करने की सुविधा का उपयोग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया का कार्यान्वयन
- सुरक्षा संबंधी दुर्बलताओं को ठीक करना
- अनुरक्षण प्रभारों की प्रतिपूर्ति का स्वचलन
- वेतन विप्रेषणों का डेटा उत्पन्न करने के लिए रिपोर्ट का विकास
- यात्रा फार्मों में वृद्धि
- यात्रा अग्रिम फार्म
- यात्रा निपटान फार्म
- पोर्टल में निवेश घोषणा फार्म का विकास
- अन्य स्रोतों से आय का विकास - आवासीय संपत्ति फार्म
- आय कर घोषणा मुद्रण फार्म का विकास
- आय कर घोषणा के लिए सीमाशुल्क रिपोर्ट का विकास

उपर्युक्त सभी वृद्धियाँ कार्यान्वित की गई हैं और उन्हें परिचालित किया गया है।

आंतरिक अनुप्रयोग

IV.4.4 आईआरडीएआई की नई वेबसाइट, इंट्रानेट और पालिसीधारक साइट के नवीनीकरण से संबंधित निविदागत गतिविधि सफलतापूर्वक पूरी की गई है तथा विकासात्मक कार्यकलाप प्रगति पर हैं।

IV.4.5 वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप भी संचालित किये गये हैं :

- आईआईआईटी-हैदराबाद की भागीदारी के अंतर्गत प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) पोर्टल विकसित किया गया और कार्यान्वित किया गया।
- सीमापार पुनर्बीमा पोर्टल में वृद्धियाँ
- दूरवर्ती निरीक्षणों के लिए निर्बाध डेटा अंतरण को समर्थ बनाया गया
- एक ही प्लेटफार्म पर आईआरडीएआई के तीनों कार्यालयों में प्रवेश नियंत्रण प्रणालियों का एकीकरण
- आभासी (वर्चुअल) बैठकों और बुकिंग प्रणालियों के संचालन को समर्थ बनाना
- आनलाइन हिन्दी टंकण प्रतियोगिता संचालित करने के लिए वेब अनुप्रयोग का विकास
- सीमापार पुनर्बीमा, बीमा विपणन फर्म

(आईएमएफ), आइएसएनपी अनुप्रयोगों का अनुरक्षण और उनके लिए समर्थन

- आंतरिक अनुप्रयोगों का अंतरण

साइबर सुरक्षा

IV.4.6 सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए दोनों आंतरिक रूप से और बीमाकर्ता के स्तर पर कई कदम उठाये गये। वे हैं :

- साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा, असुरक्षितता का आकलन और आईआरडीएआई की आईसीटी बुनियादी संरचना की व्यापन परीक्षा का संचालन किया गया।
- सूचना और साइबर सुरक्षा नीतियों, क्रियाविधियों और साइबर संकट प्रबंध योजना (सीसीएमपी) का प्रारूप विद्यमान है।
- बीमाकर्ताओं को साइबर स्वच्छता केन्द्र के माध्यम से सर्ट-इन की बाटनेट सेवाएँ प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया।
- उभरती असुरक्षितताओं को संभालने के संबंध में समय-समय पर परामर्शक जारी किये गये।
- सर्ट-इन द्वारा संचालित टेबिल टाप अभ्यास में सहभागिता।
- बीमाकर्ताओं की वार्षिक बीमा लेखा-परीक्षा सारांशों की समीक्षा की गई तथा लेखा-परीक्षा के अंतरों को शीघ्र पाटने के लिए अनुवर्तन बैठकों का संचालन किया गया।

IV.5 लेखा

IV.5.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) को लेखा-परीक्षा और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये हैं।

आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 17 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखा-परीक्षित लेखे लोकसभा के समक्ष 08 फरवरी 2021 को तथा राज्यसभा के समक्ष 09 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किये गये।

IV.6 आईआरडीएआई जर्नल

IV.6.1 आईआरडीएआई वर्ष 2002 से बीमा की अंतर्दृष्टि और सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपना जर्नल प्रकाशित कर रहा है जो भारतीय और वैश्विक बीमा क्षेत्र के विकास के बारे में बीमा उद्योग के विभिन्न हितधारकों को सुग्राही बनाने के लिए काम आता है। इसमें प्रकाशित लेख उच्च अधिकार से युक्त ज्ञान और उद्योग का व्यापक अनुभव रखनेवाले उद्योग के मंजे हुए विशेषज्ञों से प्राप्त किये जाते हैं जिनके कारण यह अत्यंत उपयोगी है। इन लेखकों के ये आलेख जो सूचनाप्रद और विश्लेषणात्मक भी हैं, जर्नल के लिए शक्ति के प्रमुख स्रोत रहे हैं। जहाँ भी संभव है, यह जर्नल अविरत वर्तमान विषयों के साथ ही, बीमा क्षेत्र के विभिन्न विषयों को ग्रहण करता है। भारतीय बीमा उद्योग की एक विहंगम दृष्टि उपलब्ध कराने के लिए जर्नल में जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों से संबंधित डेटा भी प्रकाशित किया जाता है। जर्नल की ई-प्रति विभिन्न हितधारकों और जनसाधारण के लिए पहुँच को सुलभ कर देती है।

IV.7 आभार-प्रदर्शन

IV.7.1 आईआरडीएआई प्राधिकरण के सदस्यों, बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों, पुनर्बीमा सलाहकार समिति, वित्तीय सेवाएँ विभाग (वित्त मंत्रालय), परामर्शदात्री समिति के सदस्यों, सभी बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को अपने समुचित कार्यसंचालन में उनके अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए; तथा आईआरडीएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुसंबद्ध टीम को उनके कर्तव्यों के कुशल निर्वहण के लिए अपनी सराहना और हार्दिक कृतज्ञता को अभिलेखबद्ध करना चाहता है। प्राधिकरण जनसाधारण के सदस्यों, प्रेस, सभी व्यावसायिक निकायों और अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) सहित अपनी परिषदों के माध्यम से बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी समय-समय पर दिये गये उनके मूल्यवान सहयोग के लिए अपने विशेष आभार अभिलिखित करता है।

विवरण

विवरण 1

बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	देश*	2019			2020		
		जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
	अमेरिका						
1	अमेरिका संयुक्त राज्य	2.92	8.51	11.43	3.00	9.00	12.00
2	कनाडा	3.07	4.60	7.67	3.50	5.20	8.70
3	ब्राजील	2.25	1.78	4.03	2.30	1.80	4.10
4	मेक्सिको	1.13	1.29	2.42	1.20	1.40	2.60
	यूरोप-मध्य पूर्व-अफ्रीका						
5	फ्रांस	5.98	3.24	9.21	5.10	3.50	8.60
6	जर्मनी	2.64	3.69	6.33	2.80	4.00	6.80
7	इटली	6.15	2.18	8.33	6.30	2.30	8.60
8	नेदरलैंड्स	1.59	7.63	9.22	1.50	8.10	9.60
9	स्पेन	2.21	2.88	5.10	1.90	3.20	5.20
10	स्वीडन	5.39	1.83	7.22	5.80	1.80	7.60
11	स्विट्जरलैंड	4.30	4.09	8.38	4.30	4.10	8.40
12	युनाइटेड किंगडम	7.99	2.31	10.30	8.80	2.30	11.10
13	पाकिस्तान	0.61	0.27	0.88	0.50	0.30	0.80
14	रूस	0.37	0.97	1.35	0.40	1.00	1.40
15	दक्षिण अफ्रीका	10.73	2.67	13.40	11.20	2.50	13.70
	एशिया पैसिफिक						
16	**भारत#**	**2.82**	**0.94**	**3.76**	**3.20**	**1.00**	**4.20**
17	चीन	2.30	2.01	4.30	2.40	2.10	4.50
18	जापान#	6.69	2.31	9.00	5.80	2.40	8.10
19	इंडोनेशिया	1.41	0.58	1.99	1.40	0.50	1.90
20	मलेशिया#	3.35	1.37	4.72	4.00	1.50	5.40
21	सिंगापुर	5.96	1.59	7.55	7.60	1.90	9.50
22	दक्षिण कोरिया#	5.84	4.95	10.78	6.40	5.20	11.60
23	ताइवान	16.51	3.46	19.97	14.00	3.40	17.40
24	थाईलैंड	3.28	1.71	4.99	3.40	1.90	5.30
25	श्रीलंका	0.55	0.70	1.25	0.50	0.60	1.20
26	न्यूजीलैंड	0.85	4.29	5.14	0.80	4.10	4.90
27	आस्ट्रेलिया	1.52	3.44	4.95	1.10	3.60	4.70
	विश्व	**3.35**	**3.88**	**7.23**	**3.30**	**4.10**	**7.40**

* डेटा कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 से संबंधित है।
# डेटा वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित है।

टिप्पणी:
1. बीमा व्यापन का मापन जीडीपी (अमेरिकी डालर में) की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डालर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा खंड 4/2020 और 3/2021

विवरण 2

बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना

(अमेरिकी डालर में)

क्रम सं.	देश*	2019			2020		
		जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
	अमेरिका						
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	1,915	5,580	7,495	1,918	5,754	7,673
2	कनाडा	1,421	2,128	3,548	1,532	2,243	3,775
3	ब्राजील	196	155	351	151	120	271
4	मेक्सिको	111	128	239	99	116	214
	यूरोप-मध्य पूर्व-अफ्रीका						
5	फ्रांस	2,413	1,306	3,719	1,959	1,359	3,317
6	जर्मनी	1,222	1,712	2,934	1,281	1,827	3,108
7	इटली	2,039	725	2,764	1,972	721	2,692
8	नेदरलैंड्स	832	3,990	4,822	799	4,223	5,022
9	स्पेन	654	854	1,508	525	871	1,396
10	स्वीडन	2,783	946	3,729	2,993	945	3,938
11	स्विट्ज़रलैंड	3,502	3,332	6,835	3,667	3,557	7,224
12	युनाइटेड किंगडम	3,383	978	4,362	3,574	949	4,523
13	पाकिस्तान	8	4	12	6	3	10
14	रूस	43	113	157	41	105	146
15	दक्षिण अफ्रीका	643	160	803	560	124	684
	एशिया पैसिफिक						
16	**भारत#**	**58**	**19**	**78@**	**59**	**19**	**78**
17	चीन	230	201	430	241	214	455
18	जापान#	2,691	930	3,621	2,329	951	3,280
19	इंडोनेशिया	58	24	82	54	21	75
20	मलेशिया#	380	156	536	415	153	568
21	सिंगापुर	3,844	1,028	4,872	4,528	1,110	5,638
22	दक्षिण कोरिया#	1,822	1,544	3,366	2,050	1,691	3,741
23	ताइवान	4,129	865	4,993	3,861	938	4,800
24	थाईलैंड	256	134	389	244	139	383
25	श्रीलंका	23	29	51	21	24	45
26	न्यूजीलैंड	354	1,790	2,144	349	1,678	2,027
27	आस्ट्रेलिया	827	1,875	2,702	568	1,880	2,448
	विश्व	**379**	**439**	**818**	**360**	**449**	**809**

* डेटा कैलेंडर वर्ष 2019 और 2020 से संबंधित है।
# डेटा वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित है।
@ अंतर को पूर्णांकित किया गया।

टिप्पणी:
1. बीमा सघनता का मापन कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डालर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा खंड 4/2020 और 4/2021

विवरण 3

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम

(₹करोड़)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	8,009.97	9,775.22
2	एड्गान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	575.74	526.07
3	एजियास फेडरल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि.	1,842.51	1,958.64
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,193.64	1,165.25
5	बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9,752.53	12,024.84
6	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,187.26	2,280.82
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,942.82	5,116.03
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,048.48	1,248.24
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,219.59	3,324.75
10	फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,480.25	1,322.19
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	32,706.89	38,583.49
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	33,430.70	35,732.82
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,360.44	4,055.50
14	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	10,340.08	11,100.22
15	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	16,183.65	19,017.90
16	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	5,506.96	6,032.82
17	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,228.06	993.60
18	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4,440.94	4,736.45
19	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	87.43	73.20
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	40,634.73	50,254.17
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,729.05	2,018.53
22	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,310.36	2,998.62
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	8,308.51	11,105.09
	निजी कुल	**193,520.59**	**225,444.48**
		(13.42)	**(16.50)**
24	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	379,389.60	403,286.55
		(12.41)	(6.30)
	कुल जोड़	**572,910.19**	**628,731.04**
		(12.75)	**(9.74)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

विवरण 4

जीवन बीमाकर्ताओं का खंड-वार कुल प्रीमियम
(2020-21)

संबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

(₹करोड़)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	कुल जोड़	प्रतिशत
वार्षिकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्वास्थ्य	-0.01	185.23	-	185.22	-	-	-	-	185.22	0.20
लाइफ	15,999.88	58,112.71	8,036.73	82,149.32	-	1.06	-	1.06	82,150.38	90.27
पेंशन	3,339.27	4,557.22	774.49	8,670.98	-	0.06	-	0.06	8,671.04	9.53
परिवर्ती	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**19,339.14**	**62,855.16**	**8,811.22**	**91,005.52**	**-**	**1.12**	**-**	**1.12**	**91,006.64**	**100.00**

असंबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	कुल जोड़	प्रतिशत
वार्षिकी	34.98	4.00	31,551.94	31,590.92	-	3.51	-	3.51	31,594.43	5.88
स्वास्थ्य	149.89	472.50	12.04	634.43	-	-	-	-	634.43	0.12
जीवन	19,165.54	37,441.98	54,600.52	111,208.04	36,456.72	243,894.94	8,966.53	289,318.20	400,526.24	74.49
पेंशन	5,974.44	2,948.99	90,169.02	99,092.45	76.95	1,662.94	326.20	2,066.09	101,158.54	18.81
परिवर्ती	-422.74	105.43	3,287.40	2,970.09	25.09	640.53	175.06	840.68	3,810.77	0.71
कुल	**24,902.11**	**40,972.90**	**179,620.92**	**245,495.93**	**36,558.76**	**246,201.92**	**9,467.79**	**292,228.48**	**537,724.41**	**100.00**

संबद्ध और असंबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	एकल	कुल	कुल जोड़	प्रतिशत
वार्षिकी	34.98	4.00	31,551.94	31,590.92	-	3.51	-	3.51	31,594.43	5.03
स्वास्थ्य	149.88	657.73	12.04	819.65	-	-	-	-	819.65	0.13
जीवन	35,165.42	95,554.69	62,637.25	193,357.36	36,456.72	243,896.00	8,966.53	289,319.26	482,676.61	76.77
पेंशन	9,313.71	7,506.21	90,943.51	107,763.43	76.95	1,663.00	326.20	2,066.15	109,829.58	17.47
परिवर्ती	-422.74	105.43	3,287.40	2,970.09	25.09	640.53	175.06	840.68	3,810.77	0.61
कुल	**44,241.25**	**103,828.06**	**188,432.14**	**336,501.45**	**36,558.76**	**246,203.04**	**9,467.79**	**292,229.60**	**628,731.04**	**100.00**

विवरण 5

जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम (2020-21)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	संबद्ध प्रीमियम					असंबद्ध प्रीमियम					कुल प्रीमियम				
		प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष+एकल)	नवीकरण	कुल (नया व्यवसाय+ नवीकरण)	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष+ एकल)	नवीकरण	कुल (नया व्यवसाय+ नवीकरण)	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष+ एकल)	नवीकरण	कुल (नया व्यवसाय+ नवीकरण)
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	578.93	936.07	1,515.00	1,680.26	3,195.26	1,475.84	1,572.84	3,048.68	3,531.29	6,579.97	2,054.77	2,508.91	4,563.68	5,211.54	9,775.22
2	एड्गान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.87	5.32	9.20	120.43	129.63	51.76	0.82	52.58	343.87	396.44	55.63	6.15	61.78	464.30	526.07
3	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	107.73	211.25	318.98	309.68	628.66	159.28	153.47	312.76	1,017.22	1,329.98	267.02	364.72	631.74	1,326.90	1,958.64
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	66.35	0.18	66.53	232.58	299.11	139.71	13.87	153.58	712.56	866.14	206.05	14.06	220.11	945.14	1,165.25
5	बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,012.12	469.01	1,481.14	2,894.06	4,375.20	1,448.46	3,383.64	4,832.10	2,817.55	7,649.64	2,460.58	3,852.65	6,313.23	5,711.61	12,024.84
6	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	59.30	93.89	153.18	105.18	258.36	500.22	129.45	629.66	1,392.80	2,022.46	559.51	223.33	782.84	1,497.98	2,280.82
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	314.98	21.03	336.01	1,432.94	1,768.95	691.92	1,273.32	1,965.24	1,381.84	3,347.08	1,006.90	1,294.36	2,301.25	2,814.78	5,116.03
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	73.92	0.31	74.23	242.44	316.67	358.43	22.77	381.20	550.37	931.57	432.36	23.07	455.43	792.81	1,248.24
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	56.85	26.75	83.60	143.56	227.16	630.70	66.75	697.44	2,400.14	3,097.59	687.55	93.50	781.05	2,543.70	3,324.75
10	फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	30.73	1.29	32.02	89.79	121.81	409.95	80.90	490.86	709.53	1,200.38	440.69	82.19	522.88	799.32	1,322.19
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,634.94	1,076.60	2,711.54	8,530.68	11,242.23	5,223.48	12,171.60	17,395.08	9,946.19	27,341.27	6,858.43	13,248.20	20,106.63	18,476.87	38,583.49
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,861.29	2,833.14	5,694.43	16,971.17	22,665.60	2,325.91	5,205.72	7,531.64	5,535.59	13,067.23	5,187.20	8,038.86	13,226.06	22,506.76	35,732.82
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	256.31	30.56	286.87	848.19	1,135.06	635.14	1,128.56	1,763.70	1,156.75	2,920.45	891.45	1,159.12	2,050.57	2,004.93	4,055.50
14	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,258.66	965.26	2,223.92	1,326.36	3,550.27	1,719.73	1,312.87	3,032.60	4,517.35	7,549.95	2,978.39	2,278.12	5,256.51	5,843.71	11,100.22
15	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,891.58	47.37	1,938.95	3,943.25	5,882.20	2,941.79	1,945.48	4,887.27	8,248.43	13,135.70	4,833.37	1,992.85	6,826.22	12,191.67	19,017.90
16	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	372.19	30.17	402.35	735.24	1,137.59	1,139.09	454.88	1,593.97	3,301.26	4,895.23	1,511.27	485.05	1,996.32	4,036.50	6,032.82
17	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6.83	2.38	9.21	26.21	35.42	103.58	114.21	217.79	740.38	958.18	110.41	116.59	227.00	766.60	993.60
18	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	520.13	17.96	538.08	666.24	1,204.33	545.01	51.91	596.92	2,935.20	3,532.12	1,065.14	69.87	1,135.00	3,601.45	4,736.45
19	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	-	-	2.04	2.04	0.00	-	0.00	71.16	71.17	0.00	-	0.00	73.20	73.20
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7,253.47	1,335.54	8,589.01	19,876.70	28,465.71	3,084.63	8,950.61	12,035.24	9,753.22	21,788.46	10,338.10	10,286.14	20,624.25	29,629.92	50,254.17
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9.52	10.38	19.89	20.44	40.33	611.00	249.28	860.28	1,117.92	1,978.20	620.52	259.66	880.18	1,138.35	2,018.53
22	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	132.26	49.80	182.06	246.05	428.11	659.05	322.80	981.85	1,588.66	2,570.51	791.31	372.60	1,163.91	1,834.71	2,998.62
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	714.84	9.49	724.33	1,765.47	2,489.80	2,797.67	621.72	3,419.39	5,195.90	8,615.29	3,512.51	631.21	4,143.72	6,961.36	11,105.09
	निजी कुल	**19,216.80**	**8,173.74**	**27,390.54**	**62,208.95**	**89,599.49**	**27,652.36**	**39,227.47**	**66,879.83**	**68,965.16**	**135,844.99**	**46,869.16**	**47,401.21**	**94,270.37**	**131,174.11**	**225,444.48**
24	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	122.33	637.48	759.82	647.34	1,407.16	33,808.52	149,861.21	183,669.73	218,209.66	401,879.40	33,930.86	150,498.69	184,429.55	218,857.00	403,286.55
	कुल जोड़	**19,339.14**	**8,811.22**	**28,150.36**	**62,856.29**	**91,006.65**	**61,460.88**	**189,088.68**	**250,549.56**	**287,174.83**	**537,724.39**	**80,800.02**	**197,899.90**	**278,699.92**	**350,031.11**	**628,731.04**

विवरण 6

जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	31 मार्च 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2021 को	भारतीय प्रवर्तक	विदेशी निवेशक	विदेशी निवेश %
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,901.21	-	1,901.21	969.62	931.59	49.00
2	एइगान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,465.60	2.65	1,468.25	748.81	719.44	49.00
3	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	800.00	-	800.00	408.00	392.00	49.00
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,004.90	-	2,004.90	1,022.50	982.40	49.00
5	बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.71	-	150.71	111.53	39.18	26.00
6	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,891.20	195.00	3,086.20	1,573.96	1,512.24	49.00
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	950.00	-	950.00	703.00	247.00	26.00
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	312.62	-	312.62	159.44	153.18	49.00
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,850.00	-	1,850.00	1,850.00	-	-
10	फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,935.82	30.00	1,965.82	1,464.52	501.30	25.50
11	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,018.80	2.14	2,020.94	1,322.67	698.27	34.55
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,435.86	0.11	1,435.97	881.45	554.53	38.62
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	635.00	28.46	663.46	490.96	172.50	26.00
14	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	510.29	-	510.29	510.29	-	-
15	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,918.81	-	1,918.81	1,819.68	99.14	5.17
16	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,012.88	-	2,012.88	1,326.59	686.29	34.09
17	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	374.06	-	374.06	190.77	183.29	49.00
18	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,196.32	-	1,196.32	610.13	586.20	49.00
19	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	232.00	-	232.00	232.00	-	-
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,000.04	0.03	1,000.07	565.67	434.40	43.44
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	179.38	-	179.38	103.34	76.04	42.39
22	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	258.96	-	258.96	140.00	118.96	45.94
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,953.50	-	1,953.50	996.28	957.22	49.00
	निजी कुल	**27,987.96**	**258.41**	**28,246.37**	**18,201.19**	**10,045.17**	**35.56**
24	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
	कुल जोड़	**28,087.96**	**258.41**	**28,346.37**	**18,301.19**	**10,045.17**	**35.44**

विवरण 7

जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2020-21)

(लाभ राशि ₹करोड़ में)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि-वार (पालिसियाँ)				
		पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ़	19	3.80	6455	468.85	6474 100%	472.65 100%	6347 98.04%	440.26 93.15%	116 1.79%	28.75 6.08%	0	0.00	0 -	0.00 -	11 0.17%	3.64 0.77%	10 90.91%	1 9.09%	0	0	11 100%
2	एड्गान	0	0.00	401	107.44	401 100%	107.44 100%	398 99.25%	105.98 98.64%	3 0.75%	1.46 1.36%	0	0.00	0 -	0.00 -	0	0.00 0.00%	0	0	0	0	0 0%
3	एजियस फेडरल	5	1.26	1800	87.05	1805 100%	88.31 100%	1716 95.07%	73.85 83.63%	38 2.11%	7.71 8.73%	1 0.06%	0.05 0.05%	0 -	0.00 -	50 2.77%	6.70 7.59%	50 100.00%	0	0	0	50 100%
4	अवीवा	5	0.78	1050	116.37	1055 100%	117.15 100%	1034 98.01%	111.57 95.24%	21 1.99%	5.58 4.76%	0	0.00	0 -	0.00 -	0	0.00 0.00%	0	0	0	0	0 0%
5	बजाज अलायंज़	2	0.65	14331	445.89	14333 100%	446.54 100%	14115 98.48%	410.68 91.97%	213 1.49%	32.16 7.20%	0	0.00	0 -	0.00 -	5 0.03%	3.70 0.83%	5 100.00%	0	0	0	5 100%
6	भारती अक्सा	2	1.15	1891	106.44	1893 100%	107.60 100%	1875 99.05%	106.04 98.55%	18 0.95%	1.56 1.45%	0	0.00	0 -	0.00 -	0	0.00 0.00%	0	0	0	0	0 0%
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी	2	2.00	1897	166.54	1899 100%	168.54 100%	1844 97.10%	156.08 92.61%	30 1.58%	6.59 3.91%	0	0.00	0 -	0.00 -	25 1.32%	5.87 3.48%	24 96.00%	1 4.00%	0 100%	0	25
8	एडेलवेइस टोकियो	0	0.00	502	52.09	502 100%	52.09 100%	487 97.01%	45.83 87.98%	13 2.59%	3.26 6.26%	0	0.00	0 -	0.00 -	2 0.40%	3.00 5.76%	2 100.00%	0	0	0 100%	2
9	एक्साइड लाइफ़	38	9.05	5014	173.66	5052 100%	182.70 100%	4978 98.54%	170.43 93.28%	11 0.22%	3.49 1.91%	0	0.00	0 -	0.00 -	63 1.25%	8.78 4.81%	61 96.83%	2 3.17%	0	0	63 100%
10	फ्यूचर जनराली	3	0.31	1223	55.47	1226 100%	55.78 100%	1163 94.86%	48.11 86.24%	55 4.49%	4.96 8.89%	0	0.00	0 -	0.00 0.01%	8 0.65%	2.71 4.86%	8 100.00%	0	0	0	8 100%
11	एचडीएफसी	35	17.58	16941	1277.96	16976 100%	1295.54 100%	16639 98.01%	1037.23 80.06%	84 0.49%	39.98 3.09%	58 0.34%	47.95 3.70%	17 0.10%	3.13 0.24%	178 1.05%	167.24 12.91%	135 75.84%	38 21.35%	5 2.81%	0	178 100%
12	आईसी आईसीआई प्रूडेन्शियल	95	43.70	14734	1643.05	14829 100%	1686.75 100%	14518 97.90%	1504.64 89.20%	289 1.95%	174.14 10.32%	0	0.00	6 0.04%	0.15 0.01%	16 0.11%	7.82 0.46%	12 75.00%	3 18.75%	1 6.25%	0	16 100%
13	इंडियाफर्स्ट	9	2.53	2972	117.74	2981 100%	120.27 100%	2886 96.81%	109.64 91.16%	80 2.68%	6.67 5.55%	0	0.00	0 -	0.00 -	15 0.50%	3.95 3.29%	5 33.33%	2 13.33%	1 6.67%	7 46.67%	15 100%

जारी... विवरण 7

जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2020-21) (FY 2020-21)

(लाभ राशि ₹करोड़ में)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि-वार (पालिसियाँ)				
		पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	पालिसियों की सं.	लाभ राशि	< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
14	कोटक महिन्द्रा	9	12.14	4393	302.00	4402	314.14	4336	299.92	50	6.95	0	0.00	0	0.00	16	7.28	8	1	0	7	16
						100%	100%	98.50%	95.47%	1.14%	2.21%			-	-	0.36%	2.32%	50.00%	6.25%		43.75%	100%
15	मैक्स लाइफ़	1	0.02	20051	928.07	20052	928.09	19922	885.57	129	42.01	0	0.00	0	0.00	1	0.50	1	0	0	0	1
						100%	100%	99.35%	95.42%	0.64%	4.53%			-	-	0.00%	0.05%	100.00%				100%
16	पीएनबी मेटलाइफ़	0	0.00	5315	353.16	5315	353.16	5218	331.70	97	21.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
						100%	100%	98.17%	93.92%	1.83%	6.08%			-	-		0.00%					0%
17	प्रामेरिका लाइफ़	2	0.22	645	29.29	647	29.51	638	28.63	8	0.67	0	0.00	0	0.00	1	0.21	1	0	0	0	1
						100%	100%	98.61%	97.01%	1.24%	2.28%			-	-	0.15%	0.71%	100.00%				100%
18	रिलायंस निप्पोन	2	0.57	9414	215.42	9416	215.99	9274	205.26	138	9.25	0	0.00	0	0.00	4	1.48	4	0	0	0	4
						100%	100%	98.49%	95.03%	1.47%	4.28%			-	-	0.04%	0.69%	100.00%				100%
19	सहारा	46	0.58	839	8.68	885	9.26	860	9.02	16	0.21	7	0.00	0	0.00	2	0.02	2	0	0	0	2
						100%	100%	97.18%	97.47%	1.81%	2.27%	0.79%		-	-	0.23%	0.26%	100.00%				100%
20	एसबीआई लाइफ़	36	7.78	34183	1614.55	34219	1622.33	31855	1398.78	1302	103.96	0	0.00	150	18.05	912	101.54	763	143	5	1	912
						100%	100%	93.09%	86.22%	3.80%	6.41%			0.44%	1.11%	2.67%	6.26%	83.66%	15.68%	0.55%	0.11%	100%
21	श्रीराम	5	0.12	3681	123.55	3686	123.67	3506	95.81	137	18.72	32	8.15	0	0.00	11	0.98	9	0	2	0	11
						100%	100%	95.12%	77.48%	3.72%	15.14%	0.87%	6.59%	-	-	0.30%	0.79%	81.82%		18.18%		100%
22	स्टार यूनियन	3	0.72	1632	77.40	1635	78.13	1569	72.49	58	4.61	0	0.00	0	0.00	8	1.02	8	0	0	0	8
						100%	100%	95.96%	92.79%	3.55%	5.91%			-	-	0.49%	1.30%	100.00%				100%
23	टाटा एआईए	0	0.00	4648	546.33	4648	546.33	4556	478.40	90	63.53	0	0.00	0	0.00	2	4.40	1	1	0	0	2
						100%	100%	98.02%	87.57%	1.94%	11.63%			-	-	0.04%	0.81%	50.00%	50.00%			100%
	निजी कुल	**319**	**104.96**	**154012**	**9016.99**	**154331**	**9121.95**	**149734**	**8125.92**	**2996**	**587.69**	**98**	**56.15**	**173**	**21.34**	**1330**	**330.85**	**1109**	**192**	**14**	**15**	**1330**
						100%	**100%**	**97.02%**	**89.08%**	**1.94%**	**6.44%**	**0.06%**	**0.62%**	**0.11%**	**0.23%**	**0.86%**	**3.63%**	**83.38%**	**14.44%**	**1.05%**	**1.13%**	**100%**
24	एलआईसी	5875	349.69	941101	18755.65	946976	19105.34	933889	18295.58	6531	276.93	2934	3.92	1897	236.49	1725	292.42	792	933	0	0	1725
						100%	100%	98.62%	95.76%	0.69%	1.45%	0.31%	0.02%	0.20%	1.24%	0.18%	1.53%	45.91%	54.09%			100%
	कुल	**6194**	**454.65**	**1095113**	**27772.64**	**1101307**	**28227.29**	**1083623**	**26421.50**	**9527**	**864.62**	**3032**	**60.07**	**2070**	**257.83**	**3055**	**623.27**	**1901**	**1125**	**14**	**15**	**3055**
						100%	**100%**	**98.39%**	**93.60%**	**0.87%**	**3.06%**	**0.28%**	**0.21%**	**0.19%**	**0.91%**	**0.28%**	**2.21%**	**62.23%**	**36.82%**	**0.46%**	**0.49%**	**100%**

टिप्पणी: प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है, जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

विवरण 8

जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2020-21)

(लाभ राशि ₹करोड़ में)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदाली दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि-वार (जीवन)				
		जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ़	5	1.81	10796	355.60 100%	10801 100%	357.41 99.69%	10767 98.78%	353.05 0.25%	27 0.74%	2.66	0	0.00	0 -	0.00 -	7 0.06%	1.69 0.47%	4 57.14%	1 14.29%	1 14.29%	1 14.29%	7 100%
2	एड्गान	0	0.00	263	36.69	263 100%	36.69 100%	263 100.00%	36.69 100.00%	0	0.00	0	0.00	0 -	0.00 -	0	0.00	0	0	0	0	0 0%
3	एजियास फेडरल	2	0.37	348	55.41	350 100%	55.77 100%	308 88.00%	42.10 75.48%	27 7.71%	8.87 15.90%	0	0.00	0 -	0.00 -	15 4.29%	4.81 8.62%	14 93.33%	1 6.67%	0	0	15 100%
4	अवीवा	0	0.00	1279	35.39	1279 100%	35.39 100%	1277 99.84%	35.04 99.01%	2 0.16%	0.35 0.99%	0	0.00 0.01%	0 -	0.00 -	0	0.00 -0.01%	0	0	0	0	0 0%
5	बजाज अलायंज़	136	3.16	156840	984.68	156976 100%	987.84 100%	156665 99.80%	967.10 97.90%	226 0.14%	13.87 1.40%	0	0.00	0 -	0.00 -	85 0.05%	6.87 0.70%	54 63.53%	29 34.12%	2 2.35%	0	85 100%
6	भारती अक्सा	4	0.43	1019	78.90	1023 100%	79.33 100%	999 97.65%	75.01 94.56%	19 1.86%	3.12 3.94%	0	0.00	0 -	0.00 -	5 0.49%	1.19 1.50%	5 100.00%	0	0	0	5 100%
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी	1	0.02	5492	154.74	5493 100%	154.76 100%	5464 99.47%	151.35 97.80%	28 0.51%	3.39 2.19%	0	0.00	0 -	0.00 -	1 0.02%	0.02 0.01%	1 100.00%	0	0	0	1 100%
8	एडेलवेइस टोकियो	0	0.00	1102	54.62	1102 100%	54.62 100%	1094 99.27%	54.18 99.19%	8 0.73%	0.44 0.81%	0	0.00	0 -	0.00 -	0	0.00 0.00%	0	0	0	0	0 0%
9	एक्साइड लाइफ़	0	0.00	10864	151.17	10864 100%	151.17 100%	10864 100.00%	151.17 100.00%	0	0.00	0	0.00	0 -	0.00 -	0	0.00	0	0	0	0	0 0%
10	फ्यूचर जनराली	4	0.22	1225	133.44	1229 100%	133.66 100%	1144 93.08%	123.32 92.26%	81 6.59%	9.82 7.35%	0	0.00	1 0.08%	0.14 0.11%	3 0.24%	0.38 0.28%	0	0	2 66.67%	1 33.33%	3 100%
11	एचडीएफसी	1163	32.61	274186	1926.77	275349 100%	1959.38 100%	273967 99.50%	1780.65 90.88%	659 0.24%	109.60 5.59%	0	0.00	0 -	0.00 -	723 0.26%	69.13 3.53%	361 49.93%	195 26.97%	134 18.53%	33 4.56%	723 100%
12	आईसी आईसीआई प्रूडेन्शियल	4830	37.85	174268	1037.63	179098 100%	1075.48 100%	175387 97.93%	941.35 87.53%	67 0.04%	12.68 1.18%	8 0.00%	0.41 0.04%	2 0.00%	0.30 0.03%	3634 2.03%	120.73 11.23%	2526 69.51%	603 16.59%	387 10.65%	118 3.25%	3634 100%
13	इंडियाफर्स्ट	0	0.00	14875	430.91	14875 100%	430.91 100%	14736 99.07%	421.91 97.91%	139 0.93%	9.00 2.09%	0	0.00	0 -	0.00 -	0	0.00 0.00%	0	0	0	0	0 0%

जारी... **विवरण 8**

जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावों की स्थिति (वित्तीय वर्ष 2020-21)

(लाभ राशि ₹करोड़ में)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदाली दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि-वार (जीवन)				
		जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	जीवनों की सं.	लाभ राशि	< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष	कुल
14	कोटक महिन्द्रा	162	7.93	89635	899.48	89797	907.41	89283	865.98	87	13.25	0	0.00	0	0.00	427	28.18	288	95	37	7	427
						100%	100%	99.43%	95.43%	0.10%	1.46%			-	-	0.48%	3.11%	67.45%	22.25%	8.67%	1.64%	100%
15	मैक्स लाइफ़	0	0.00	14340	400.89	14340	400.89	14236	380.77	104	20.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
						100%	100%	99.27%	94.98%	0.73%	5.02%			-	-		0.00%					0%
16	पीएनबी मेटलाइफ़	0	0.00	16706	388.45	16706	388.45	16648	380.29	55	6.93	0	0.00	0	0.00	3	1.23	3	0	0	0	3
						100%	100%	99.65%	97.90%	0.33%	1.78%			-	-	0.02%	0.32%	100.00%				100%
17	प्रामेरिका लाइफ़	36	5.53	37882	298.79	37918	304.32	37649	278.73	214	15.60	21	2.00	0	0.00	34	7.99	34	0	0	0	34
						100%	100%	99.29%	91.59%	0.56%	5.12%	0.06%	0.66%	-	-	0.09%	2.63%	100.00%				100%
18	रिलायंस निप्पोन	2	0.11	540	11.26	542	11.37	540	11.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.05	0	0	1	1	2
						100%	100%	99.63%	99.57%					-	-	0.37%	0.43%			50.00%	50.00%	100%
19	सहारा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
						0%	0%							-	-							0%
20	एसबीआई लाइफ़	11	3.82	36465	1536.70	36476	1540.51	36109	1489.57	309	40.76	0	0.00	16	1.42	42	8.76	39	3	0	0	42
						100%	100%	98.99%	96.69%	0.85%	2.65%			0.04%	0.09%	0.12%	0.57%	92.86%	7.14%			100%
21	श्रीराम	27	1.50	21700	191.59	21727	193.09	21548	186.81	103	5.19	25	0.28	0	0.00	51	0.82	51	0	0	0	51
						100%	100%	99.18%	96.74%	0.47%	2.69%	0.12%	0.14%	-	-	0.23%	0.43%	100.00%				100%
22	स्टार यूनियन	7	0.17	9419	208.68	9426	208.86	8515	197.79	23	1.65	888	9.42	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
						100%	100%	90.34%	94.70%	0.24%	0.79%	9.42%	4.51%	-	-		0.00%					0%
23	टाटा एआईए	0	0.00	1033	206.66	1033	206.66	1026	206.09	7	0.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
						100%	100%	99.32%	99.72%	0.68%	0.28%			-	-		0.00%					0%
	निजी कुल	6390	95.52	880277	9578.45	886667	9673.98	878489	9130.26	2185	277.88	942	12.12	19	1.86	5032	251.86	3380	927	564	161	5032
						100%	100%	99.08%	94.38%	0.25%	2.87%	0.11%	0.13%	0.00%	0.02%	0.57%	2.60%	67.17%	18.42%	11.21%	3.20%	100%
24	एलआईसी	19070	256.58	201250	5751.88	220320	6008.46	213267	5899.43	853	9.37	0	0.00	0	0.00	6200	99.66	373	5827	0	0	6200
						100%	100%	96.80%	98.19%	0.39%	0.16%			-	-	2.81%	1.66%	6.02%	93.98%			100%
	कुल	**25460**	**352.10**	**1081527**	**15330.33**	**1106987**	**15682.44**	**1091756**	**15029.69**	**3038**	**287.25**	**942**	**12.12**	**19**	**1.86**	**11232**	**351.52**	**3753**	**6754**	**564**	**161**	**11232**
						100%	**100%**	**98.62%**	**95.84%**	**0.27%**	**1.83%**	**0.09%**	**0.08%**	**0.00%**	**0.01%**	**1.01%**	**2.24%**	**33.41%**	**60.13%**	**5.02%**	**1.43%**	**100%**

टिप्पणी: प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

विवरण 9

बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र वार वितरण
(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यालयों की संख्या			जिलों की कुल संख्या	कार्यालयों से युक्त जिलों की संख्या		
		जीवन बीमाकर्ता	साधारण बीमाकर्ता	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		जीवन बीमाकर्ता	साधारण बीमाकर्ता	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता
1	आंध्र प्रदेश	515	520	56	13	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	15	10	-	25	8	3	0
3	असम	284	234	18	33	32	27	10
4	बिहार	464	266	18	38	38	31	6
5	छत्तीसगढ़	199	200	12	28	24	16	5
6	गोवा	53	56	5	2	2	2	2
7	गुजरात	620	651	57	33	32	31	17
8	हरियाणा	323	312	54	22	22	22	20
9	हिमाचल प्रदेश	112	122	4	12	11	11	3
10	झारखंड	288	177	19	24	24	16	8
11	कर्नाटक	594	684	92	30	30	30	28
12	केरल	586	553	70	14	14	14	13
13	मध्य प्रदेश	614	394	48	52	51	39	19
14	महाराष्ट्र	1,102	1,242	158	36	36	36	28
15	मणिपुर	25	11	2	16	6	2	2
16	मेघालय	24	27	2	11	7	5	1
17	मिज़ोरम	12	10	-	11	6	4	0
18	नगालैंड	18	12	-	12	7	3	0
19	ओडिशा	402	313	29	30	30	26	18
20	पंजाब	357	428	49	22	22	22	16
21	राजस्थान	507	521	53	33	33	33	20
22	सिक्किम	10	9	1	4	2	2	1
23	तमिलनाडु	918	1,037	128	37	37	37	35
24	तेलंगाना	366	343	52	33	31	33	17
25	त्रिपुरा	37	48	1	8	8	7	1
26	उत्तराखंड	148	134	13	13	13	9	5
27	उत्तर प्रदेश	1,323	787	81	75	75	68	34
28	पश्चिम बंगाल	734	449	70	23	23	23	20
29	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	10	1	3	2	2	1
30	चंडीगढ़	35	60	7	1	1	1	1
31	दादरा व नगर हवेली एवं दमण व दीव	3	8	-	3	2	2	0
32	दिल्ली	246	322	39	11	11	11	8
33	जम्मू व कश्मीर	99	106	7	20	20	12	2
34	लद्दाख	2	3	-	2	1	2	0
35	लक्षद्वीप	1	1	-	1	1	1	0
36	पुदुचेरी	21	38	4	4	4	3	2
	कुल	**11,060**	**10,098**	**1,150**	**735**	**679**	**599**	**356**

विवरण 10

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	2019-20	2020-21
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		
1	एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	373.07	422.39
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	12,779.77	12,569.53
3	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,134.24	3,159.90
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4,398.49	4,388.21
5	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	146.36	218.57
6	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,417.49	3,835.23
7	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	1,767.86	2,417.62
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	9,308.40	12,295.10
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	13,312.84	14,003.09
10	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	7,961.04	8,410.88
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	433.39	543.99
12	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.	1,531.37	1,445.71
13	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,224.77	1,283.59
14	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	157.99	104.40
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	158.12	272.22
16	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	7,465.04	8,310.28
17	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,666.96	2,822.28
18	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	6,796.97	8,264.86
19	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,466.19	2,138.88
20	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	7,384.53	8,042.06
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,859.05	3,052.16
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**90,743.94**	**98,000.96**
		(11.63)	**(8.00)**
	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		
22	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15,312.88	14,185.75
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	29,715.07	31,573.42
24	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	13,996.01	12,747.42
25	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	17,515.09	16,704.70
	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**76,539.05**	**75,211.29**
		(6.76)	**(-1.73)**
	विशेषीकृत बीमाकर्ता		
26	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	9,361.24	12,052.57
27	ईसीजीसी लि.	1,075.47	1,062.28
	विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	**10,436.71**	**13,114.85**
		(28.08)	**(25.66)**
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	872.04	1,300.64
29	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लि.	2,388.99	2,559.75
30	एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.*	2,521.66	लागू नहीं
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	576.19	755.49
32	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,242.89	1,750.78
33	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.	5.99	(0.01)
34	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	6,865.14	9,388.54
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**14,472.89**	**15,755.19**
		(27.50)	**(8.86)**
	कुल जोड़	**192,192.59**	**202,082.30**
		(11.43)	**(5.15)**

*पूर्व की एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01 मार्च 2020 से एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ हुआ।

टिप्पणीः

1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन में नहीं था।
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

विवरण 11

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर)

(₹करोड़)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता												
1	एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	-	0.01	-	-	218.74	268.10	96.59	122.98	57.73	31.29	373.07	422.39
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,225.66	1,656.56	176.65	166.35	5,230.52	4,726.33	2,474.80	2,301.74	3,672.14	3,718.55	12,779.77	12,569.53
3	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	221.55	324.22	81.88	75.12	1,487.79	1,368.48	410.31	456.78	932.70	935.31	3,134.24	3,159.90
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	339.96	444.71	89.65	78.55	3,244.77	3,124.88	621.44	662.55	102.68	77.52	4,398.49	4,388.21
5	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.61	10.89	1.43	5.63	76.44	111.44	64.72	88.92	0.16	1.69	146.36	218.57
6	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	344.25	443.96	64.72	63.71	1,355.45	1,351.38	472.92	528.50	1,180.14	1,447.69	3,417.49	3,835.23
7	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	42.35	162.17	1.86	0.98	1,649.51	1,957.31	47.52	214.04	26.61	83.12	1,767.86	2,417.62
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	979.45	1,175.12	184.41	148.89	3,388.07	3,406.46	1,939.78	4,281.60	2,816.69	3,283.03	9,308.40	12,295.10
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,550.18	2,157.79	484.59	478.73	6,787.63	7,019.92	3,332.00	3,021.35	1,158.45	1,325.30	13,312.84	14,003.09
10	इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	530.91	814.96	176.79	156.01	3,526.71	3,721.13	1,409.75	1,664.24	2,316.88	2,054.54	7,961.04	8,410.88
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	35.07	35.47	-	0.09	249.79	286.31	133.51	207.71	15.02	14.41	433.39	543.99
12	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.	77.91	97.90	27.24	30.24	1,046.88	952.72	274.03	248.29	105.30	116.57	1,531.37	1,445.71
13	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	78.42	144.50	21.16	21.43	1,029.13	968.54	52.02	80.62	44.04	68.50	1,224.77	1,283.59
14	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	24.13	30.68	-	-	88.03	41.82	38.74	25.82	7.10	6.08	157.99	104.40
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.65	11.79	0.01	0.25	103.75	173.88	0.90	22.76	49.81	63.54	158.12	272.22
16	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	697.48	874.33	113.74	84.60	3,109.23	3,573.60	1,537.08	955.05	2,007.52	2,822.70	7,465.04	8,310.28
17	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	225.24	272.59	38.25	35.27	2,081.60	1,978.61	455.16	395.53	866.70	140.27	3,666.96	2,822.28
18	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,196.16	1,411.44	28.17	33.59	1,568.53	2,143.91	1,575.42	2,122.38	2,428.68	2,553.54	6,796.97	8,264.86
19	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	34.77	39.63	1.46	1.21	2,381.56	2,049.24	16.08	17.26	32.31	31.54		2,138.88
20	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	946.31	1,433.90	312.01	346.30	4,037.15	4,339.28	1,154.05	1,300.66	935.01	621.92	7,384.53	8,042.06
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	179.72	194.88	35.05	36.32	881.59	1,010.73	319.24	376.30	1,443.46	1,433.94	2,859.05	3,052.16
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**8,736.76**	**11,737.49**	**1,839.09**	**1,763.27**	**43,542.89**	**44,574.07**	**16,426.08**	**19,095.07**	**20,199.13**	**20,831.06**	**90,743.94**	**98,000.96**

टिप्पणीः पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

जारी... **विवरण 11**

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम
(भारत के अंदर)

(₹करोड़)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता												
22	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,026.36	1,175.29	235.35	192.79	5,743.23	4,865.76	5,472.93	5,769.52	2,784.34	2,137.47	15,262.22	14,140.83
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	3,063.16	3,771.31	741.06	850.94	8,922.23	8,801.53	9,747.09	11,404.43	4,339.59	3,720.27	26,813.13	28,548.48
24	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,333.09	1,650.51	362.32	340.39	4,202.02	3,746.98	4,876.56	4,983.54	2,898.66	1,728.29	13,672.65	12,449.71
25	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,569.32	1,778.29	354.60	340.70	6,540.70	5,803.84	5,869.58	6,745.22	3,180.88	2,036.65	17,515.09	16,704.70
	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**6,991.94**	**8,375.40**	**1,693.33**	**1,724.82**	**25,408.18**	**23,218.11**	**25,966.16**	**28,902.71**	**13,203.47**	**9,622.68**	**73,263.08**	**71,843.72**
	विशेषीकृत बीमाकर्ता												
26	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	9,361.24	12,052.57	9,361.24	12,052.57
27	ईसीजीसी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,075.47	1,062.28	1,075.47	1,062.28
	विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**10,436.71**	**13,114.85**	**10,436.71**	**13,114.85**
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता												
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	872.04	1,300.64	लागू नहीं	लागू नहीं	872.04	1,300.64
29	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2,388.99	2,559.75	लागू नहीं	लागू नहीं	2,388.99	2,559.75
30	एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2,521.66		लागू नहीं	लागू नहीं	2,521.66	-
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	576.19	755.49	लागू नहीं	लागू नहीं	576.19	755.49
32	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,242.89	1,750.78	लागू नहीं	लागू नहीं	1,242.89	1,750.78
33	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5.99	(0.01)	लागू नहीं	लागू नहीं	5.99	(0.01)
34	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6,865.14	9,388.54	लागू नहीं	लागू नहीं	6,865.14	9,388.54
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**14,472.89**	**15,755.19**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**14,472.89**	**15,755.19**
	कुल जोड़	**15,728.70**	**20,112.89**	**3,532.42**	**3,488.09**	**68,951.07**	**67,792.19**	**56,865.13**	**63,752.97**	**43,839.31**	**43,568.58**	**188,916.62**	**198,714.72**

* पूर्व की एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01.03.2020 से एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ हुआ।

टिप्पणी:

1. लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय तदनुरूपी खंड में तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन में नहीं था।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

विवरण 12

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹करोड़)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	31 मार्च 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2021 को	प्रवर्तक			गैर-प्रवर्तक (विदेशी सहित)	प्रत्यक्ष** विदेशी निवेश (%)
					भारतीय	विदेशी	कुल		
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता								
1	एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	546.00	50.00	596.00	596.00	-	596.00	-	-
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	110.23	-	110.23	81.57	28.66	110.23	-	26.00
3	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,005.98	50.00	2,055.98	1,048.55	1,007.43	2,055.98	0.00	49.00
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	298.81	-	298.81	179.28	119.52	298.81	-	40.00
5	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	308.00	85.00	393.00	393.00	-	393.00	-	-
6	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	904.80	-	904.80	674.02	230.78	904.80	-	25.51
7	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	816.84	7.85	824.69	729.56	-	729.56	95.13	-
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	605.84	105.72	711.56	359.74	344.79	704.53	7.03	48.46
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं	454.47	0.13	454.59	235.84	-	235.84	218.75	-
10	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	274.22	-	274.22	139.85	134.37	274.22	-	49.00
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	305.00	25.00	330.00	330.00	-	330.00	-	-
12	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.	1,085.98	0.25	1,086.23	557.41	528.81	1,086.23	-	48.68
13	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	143.75	10.96	154.71	103.83	32.00	135.83	18.88	20.68
14	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	310.05	185.74	495.79	495.79	-	495.79	-	-
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	207.00	57.73	264.73	135.01	129.72	264.73	-	49.00
16	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	251.55	-	251.55	251.55	-	251.55	-	-
17	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	449.00	-	449.00	269.40	179.60	449.00	-	40.00
18	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	215.50	-	215.50	185.35	-	185.35	30.15	-
19	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	259.16	-	259.16	198.60	59.40	258.00	1.16	22.92
20	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	994.46	-	994.46	735.90	258.56	994.46	-	26.00
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	368.18	-	368.18	240.74	127.44	368.18	-	34.61
	निजी क्षेत्र कुल (क)	**10,914.81**	**578.37**	**11,493.19**	**7,940.99**	**3,181.09**	**11,122.08**	**371.10**	**27.68**
	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता								
22	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,500.00	3,175.00	5,675.00	5,675.00	-	5,675.00	-	-
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	824.00	-	824.00	704.00	-	704.00	120.00	-
24	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	250.00	3,170.00	3,420.00	3,420.00	-	3,420.00	-	-
25	युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	200.00	3,605.00	3,805.00	3,805.00	-	3,805.00	-	-
	सरकारी क्षेत्र कुल (ख)	**3,774.00**	**9,950.00**	**13,724.00**	**13,604.00**	**-**	**13,604.00**	**120.00**	**-**
	कुल (निजी + सरकारी) (क+ख)	**14,688.81**	**10,528.37**	**25,217.19**	**21,544.99**	**3,181.09**	**24,726.08**	**491.10**	**12.61**
	विशेषीकृत बीमाकर्ता								
26	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00	-	-
27	ईसीजीसी लि.	2,500.00	690.00	3,190.00	3,190.00	-	3,190.00	-	-
	विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल (ग)	**2,700.00**	**690.00**	**3,390.00**	**3,390.00**	**-**	**3,390.00**	**-**	**-**
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता			**-**					
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	298.86	61.54	360.39	183.80	176.59	360.39	-	49.00
29	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लि.	727.95	113.09	841.04	795.84	-	795.84	45.21	-
30	एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.*	405.67	(405.67)	0.00	-	-	-	-	-
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	728.90	213.00	941.90	480.37	461.53	941.90	-	49.00
32	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,126.00	223.73	1,349.73	743.70	606.03	1,349.73	-	44.90
33	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.	193.90	-	193.90	193.90	-	193.90	-	-
34	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	490.64	57.45	548.09	325.49	-	325.49	222.60	-
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल (घ)	**3,971.92**	**263.14**	**4,235.06**	**2,723.10**	**1,244.15**	**3,967.25**	**267.81**	**29.38**
	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल (क+ख+ग+घ)	**21,360.73**	**11,481.51**	**32,842.24**	**27,658.09**	**4,425.24**	**32,083.33**	**758.91**	**13.47**
	पुनर्बीमाकर्ता								
35	जीआईसी आरई	877.20	-	877.20	752.50	-	752.50	124.70	-
	पुनर्बीमाकर्ता कुल (ङ)	**877.20**	**-**	**877.20**	**752.50**	**-**	**752.50**	**124.70**	**-**
	कुल जोड़ (च) = (क+ख+ग+घ+ङ)	**22,237.93**	**11,481.51**	**33,719.44**	**28,410.59**	**4,425.24**	**32,835.83**	**883.61**	**13.12**

* पूर्व की एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01.03.2020 से एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ हुआ।

टिप्पणीः

1. पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया।
2. वर्ष के दौरान परिवर्धन में शेयरों का निरसन, कमी और नया निर्गम शामिल हैं।
3. **अप्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश रहित।

विवरण 13

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता												
1	एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	0.00	95.92	0.00	0.00	97.58	82.35	21.08	84.64	73.19	62.01	60.33	81.83
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	68.01	54.46	67.15	65.86	65.83	68.06	81.96	77.31	73.81	56.59	70.74	68.45
3	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	75.21	87.35	116.10	83.11	81.91	64.27	77.50	65.37	43.96	40.85	78.33	63.23
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	42.28	33.82	57.63	73.52	82.95	74.30	40.67	77.35	47.20	29.89	74.99	72.44
5	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	120.61	135.23	-81.99	1933.33	116.31	93.38	113.05	111.57	98.66	134.89	114.70	102.01
6	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि	53.23	59.62	58.63	85.17	57.67	66.13	62.52	90.04	65.42	44.37	59.66	66.39
7	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	78.11	58.25	50.34	130.68	74.82	74.91	51.83	63.80	91.77	75.96	75.00	74.03
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	69.99	74.78	81.73	90.11	79.21	70.02	69.01	79.30	85.37	79.04	77.20	75.75
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	64.02	63.74	65.26	83.34	76.53	65.77	69.90	78.00	49.71	53.77	72.86	68.61
10	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	45.67	62.37	63.93	68.12	87.77	84.04	95.66	99.49	87.15	59.80	88.61	85.10
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	80.99	54.84	0.00	-466.67	75.66	74.64	49.22	55.17	43.82	31.12	68.80	66.99
12	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.	2.05	66.64	59.37	67.18	70.95	59.91	87.78	76.98	36.36	57.50	72.42	63.47
13	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	70.86	91.55	174.31	479.27	85.13	78.91	72.87	62.70	57.94	272.33	84.35	79.64
14	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	-13.39	15.59	0.00	0.00	150.69	82.91	34.69	26.78	81.18	165.42	66.52	63.71
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	37.00	31.80	-20.20	23.81	103.90	100.51	85.07	97.22	20.10	50.85	75.19	86.98
16	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	37.35	55.94	109.41	133.36	84.63	76.89	89.36	93.96	80.33	80.17	83.65	79.58
17	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	52.46	60.47	58.97	47.71	92.23	87.89	63.55	67.88	69.01	3.93	85.03	80.40
18	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	55.36	53.42	72.18	133.49	92.05	86.10	50.54	60.72	88.77	106.32	71.12	74.11
19	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4.56	46.86	-21.37	-27.78	65.43	79.43	96.64	4.84	65.21	42.29	65.04	78.54
20	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	61.52	39.40	73.92	78.31	80.29	75.41	66.61	67.27	85.80	-52.43	77.44	68.67
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	42.33	57.41	56.08	105.36	89.54	87.96	76.68	111.23	39.56	79.06	73.41	90.44
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**55.89**	**57.60**	**71.36**	**80.32**	**77.95**	**73.59**	**72.55**	**78.44**	**73.08**	**63.60**	**75.52**	**73.39**
	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता												

जारी... विवरण 13

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का उपगत दावा अनुपात

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
22	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	77.11	71.31	50.43	74.25	116.44	78.55	103.30	101.09	95.81	76.26	105.86	86.23
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	76.13	74.07	68.04	73.53	85.35	78.20	100.83	92.79	103.25	85.92	91.43	84.19
24	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	79.55	53.64	96.94	77.00	101.63	81.83	104.97	112.51	108.39	97.96	102.34	95.33
25	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	130.09	58.40	68.29	49.94	96.45	77.17	104.24	106.04	101.86	88.68	101.46	88.45
	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**86.20**	**68.33**	**71.17**	**69.49**	**96.54**	**78.60**	**102.91**	**101.02**	**102.53**	**86.58**	**98.28**	**87.48**
	विशेषीकृत बीमाकर्ता												
26	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	115.42	92.38	115.42	92.38
27	ईसीजीसी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	115.34	106.92	115.34	106.92
	विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**115.40**	**93.95**	**115.40**	**93.95**
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता												
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	49.08	49.99	लागू नहीं	लागू नहीं	49.08	49.99
29	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	59.13	55.15	लागू नहीं	लागू नहीं	59.13	55.15
30	एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	73.69	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	73.69	लागू नहीं
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	61.64	61.13	लागू नहीं	लागू नहीं	61.64	61.13
32	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	53.51	56.09	लागू नहीं	लागू नहीं	53.51	56.09
33	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	62.17	45.68	लागू नहीं	लागू नहीं	62.17	45.68
34	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	65.91	94.44	लागू नहीं	लागू नहीं	65.91	94.44
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**64.13**	**75.43**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**64.13**	**75.43**
	कुल जोड़	**78.07**	**65.07**	**71.27**	**75.11**	**85.61**	**75.61**	**85.70**	**89.51**	**93.40**	**83.47**	**85.90**	**81.06**

* पूर्व की एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01.03.2020 से एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को साथ हुआ।

टिप्पणी:

1. लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा विशिष्ट खंड में बीमाकर्ता का व्यवसाय परिचालन में नहीं था।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा पुनर्वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

विवरण 14

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के दावों की स्थिति
(वित्तीय वर्ष 2020-21)

क्रम सं	बीमाकर्ता	दावों की संख्या						अदा किये गये दावों की संख्या का अवधि विश्लेषण (%)					
		अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	अवधि के दौरान सूचित /दर्ज किये गए दावे	अवधि के दौरान भुगतान किये गये दावे	अवधि के दौरान निराकृत दावे	अवधि के दौरान बंद किये गये दावे	अवधि के अंत में बकाया दावे	< 3 महीने	3 महीने से 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	1 वर्ष से <3 वर्ष*	3 वर्ष से <5 वर्ष**	≥ 5 वर्ष
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ
(i)	**निजी क्षेत्र बीमाकर्ता**												ढ
1	एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	12,003	175,088	138,722	4,271	38,852	5,246	93.65	2.90	2.46	0.99	0.00	0.00
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	268,125	3,771,501	3,476,673	40,735	192,077	330,141	94.73	4.19	0.92	0.11	0.02	0.03
3	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	30,267	278,896	244,308	6,572	23,016	35,267	92.81	4.65	1.67	0.68	0.10	0.08
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	62,204	315,462	273,514	19,672	16,595	67,885	92.94	4.09	1.39	1.21	0.23	0.13
5	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,093	29,184	26,486	842	1,116	1,833	97.80	1.87	0.28	0.06	0.00	0.00
6	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	31,331	262,181	235,818	18,068	11,867	27,759	93.74	2.80	1.20	1.96	0.15	0.15
7	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	10,352	185,609	159,427	7,362	18,300	10,872	94.24	4.21	1.17	0.39	0.00	0.00
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.$	115,410	2,414,553	2,287,556	31,776	86,902	123,729	98.36	0.92	0.50	0.17	0.03	0.02
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	204,785	1,644,943	1,421,920	122,397	104,268	201,143	96.93	1.72	0.57	0.50	0.12	0.16
10	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	87,744	1,201,150	1,148,098	44,972	27,264	68,560	82.57	12.55	3.53	0.98	0.17	0.19
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,029	56,349	46,483	5,991	2,866	4,038	96.01	2.85	0.82	0.30	0.02	0.00
12	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.	15,908	199,245	178,575	12,316	10,385	13,877	95.57	2.60	1.01	0.73	0.09	0.01
13	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10,124	77,403	64,667	2,781	8,203	11,876	93.63	2.93	1.74	1.33	0.26	0.11
14	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	782	11,682	10,368	67	1,106	923	99.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	770	15,874	12,692	483	235	3,234	95.51	3.15	0.46	0.79	0.09	0.00
16	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	362,527	1,683,596	1,571,462	50,911	140,057	283,693	98.59	0.60	0.26	0.31	0.12	0.12
17	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	39,383	551,487	529,525	8,535	15,389	37,421	97.74	1.27	0.48	0.35	0.07	0.09
18	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	28,866	1,749,471	1,607,217	12,321	111,932	46,867	99.75	0.14	0.04	0.06	0.00	0.00
19	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	60,354	142,020	125,900	6,572	16,169	53,733	85.78	5.87	2.95	3.26	0.82	1.33
20	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	59,831	1,097,449	954,742	20,909	120,744	60,885	90.78	4.97	3.36	0.80	0.06	0.04
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	17,386	220,587	189,125	9,879	14,495	24,474	94.00	4.30	1.23	0.35	0.09	0.04

$ एचडीएफसी एर्गो हेल्थ डेटा विलय के कारण एचडीएफसी एर्गो के साथ संयुक्त
टिपण्णी: वर्ष के अंत में बकाया दावे आंशिक भुगतानों/बहुविध भुगतानों/देखभाल रहित दावों आदि के कारण फार्मूला अर्थात: ज = ग + घ - ङ - च - छ के सुसंगत नहीं हो सकते |

जारी... विवरण 14

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के दावों की स्थिति
(वित्तीय वर्ष 2020-21)

क्रम सं	बीमाकर्ता	दावों की संख्या						अदा किये गये दावों की संख्या का अवधि विश्लेषण (%)					
		अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	अवधि के दौरान सूचित /दर्ज किये गए दावे	अवधि के दौरान भुगतान किये गये दावे	अवधि के दौरान निराकृत दावें	अवधि के दौरान बंद किये गये दावे	अवधि के अंत में बकाया दावे	< 3 महीने	3 महीने से 6 महीने	6 महीने से <1 वर्ष	1 वर्ष से <3 वर्ष*	3 वर्ष से <5 वर्ष**	≥ 5 वर्ष
	ख	ग	घ	ड	च	छ	ज	झ	त्र	ट	ठ	ड	
(ii)	**सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता**												
22	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,044,313	2,618,193	2,939,991	136,903	2,252	583,360	57.80	5.45	2.42	33.03	0.79	0.51
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	391,756	4,225,492	4,243,654	22,585	10	373,594	86.51	7.04	4.31	1.48	0.28	0.37
24	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	324,640	2,521,152	2,359,539	2,678	125,929	357,646	91.22	4.64	2.04	1.68	0.21	0.20
25	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	570,894	7,050,972	6,692,551	254,056	18,441	656,818	96.94	1.97	0.73	0.29	0.05	0.02
(iii)	**विशेषीकृत बीमाकर्ता**												
26	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	8,784,917	5,469,058	9,453,983	28,347	1,281,496	3,490,149	69.83	7.57	20.55	1.09	0.94	0.02
27	ईसीजीसी लि.	812	1,539	734	926	-	691	58.31	20.30	8.04	12.94	0.41	0.00
	गैर जीवन बीमाकर्ता कुल (i+ii+iii)	**12,539,606**	**37,970,136**	**40,393,730**	**872,927**	**2,389,966**	**6,875,714**	**85.69**	**4.66**	**6.07**	**3.11**	**0.35**	**0.12**
(iv)	**स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता**												
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4,983	110,137	96,856	11,603		6,661	99.73	0.21	0.06	0.00	0.00	0.00
29	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लि.	112,207	326,979	306,834	30,451		101,901	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.*												
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,299	246,105	220,064	23,742		4,598	99.97	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
32	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,082	140,306	124,978	12,839		3,571	99.93	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
33	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.	65	152	89	90		38						
34	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	63,100	1,042,247	847,049	165,736		92,562	99.64	0.30	0.05	0.01	0.00	0.00
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**183,736**	**1,865,926**	**1,595,870**	**244,461**		**209,331**	**99.78**	**0.18**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

* स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के मामले में, अवधि 1 वर्ष से 2 वर्ष है |
** स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के मामले में, अवधि 2 वर्ष से अधिक है |

विवरण 15

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की समनुदेशित पूँजी

(₹करोड़)

क्रम सं.	पुनर्बीमाकर्ता	31 मार्च 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2021 को
1	अलायंज़ ग्लोबल	200.24	-	200.24
2	हैनोवर आरई	568.78	-	568.78
3	लायड्स आफ़ इंडिया	110.00	-	110.00
4	म्यूनिख आरई	1,593.00	676.60	2,269.60
5	आरजीए	2,332.84	-	2,332.84
6	स्कोर एसई	975.17	-	975.17
7	स्विस आरई	1,295.11	926.56	2,221.67
8	एक्सएल एसई	200.66	32.69	233.35
9	अक्सा फ्रांस वी	908.93	0.53	909.47
10	जन आरई	482.77	73.79	556.56
	कुल	**8,667.49**	**1,710.17**	**10,377.66**

विवरण 16

जीवन बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात
(वित्त्तीय वर्ष 2020-21)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	जून 2020	सितंबर 2020	दिसंबर 2020	मार्च 2021
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता				
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.83	1.76	1.70	1.80
2	एड्गान लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.34	2.92	2.68	2.41
3	एजियास फ़ेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.29	3.32	3.48	3.40
4	अवीवा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.48	2.42	2.50	2.24
5	बजाज अलायंज़ लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7.60	7.30	7.08	6.66
6	भारती अक्सा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.95	1.76	1.84	1.78
7	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक आफ़ कामर्स लाइफ़ इंश्यररेंस कंपनी लि.	3.49	3.12	2.89	3.27
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.39	2.16	2.19	2.15
9	एक्साइड लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.13	2.16	2.17	2.24
10	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.72	1.56	1.60	2.03
11	एचडीएफ़सी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.90	2.03	2.02	2.01
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.05	2.06	2.26	2.17
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.80	1.78	1.67	1.81
14	कोटक महिन्द्रा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.00	3.00	3.01	2.90
15	मैक्स लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.12	2.07	2.08	2.02
16	पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.04	1.97	1.94	1.90
17	प्रामेरिका लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.87	4.20	4.29	4.42
18	रिलायंस निप्पोन लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.07	2.14	2.46	2.45
19	सहारा इंडिया लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9.33	9.00	8.85	9.26
20	एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.39	2.45	2.34	2.15
21	श्रीराम लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.09	2.18	1.95	1.80
22	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.53	2.37	2.27	2.06
23	टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.14	1.98	2.05	2.04
	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता				
24	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	1.60	1.65	1.64	1.76

विवरण 17

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात
(वित्तीय वर्ष 2020-21)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	जून 2020	सितंबर 2020	दिसंबर 2020	मार्च 2021
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता				
1	एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	3.64	3.55	1.93	1.91
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.80	3.07	3.30	3.45
3	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.77	1.91	1.55	1.59
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.78	1.95	2.01	2.08
5	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.96	2.02	2.04	2.09
6	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.61	1.65	1.63	1.61
7	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	3.27	2.82	2.37	2.01
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.04	2.17	1.98	1.90
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.50	2.74	2.76	2.90
10	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.69	1.74	1.75	1.73
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.20	2.12	2.24	1.95
12	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.	2.65	3.09	2.81	2.92
13	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.75	1.78	1.81	1.79
14	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	3.09	2.00	2.22	2.12
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.22	3.94	3.50	3.66
16	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.58	1.63	1.65	1.65
17	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.01	2.31	2.16	1.87
18	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.27	2.34	2.21	2.00
19	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.51	3.66	3.61	3.63
20	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.13	2.17	2.17	2.22
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.21	2.14	1.55	1.90
	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता				
22	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.*	0.01	0.20	0.61	0.62
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2.11	2.14	2.15	2.13
24	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.*	1.28	1.24	1.53	1.40
25	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.*	0.67	0.89	1.38	1.41
	विशेषीकृत बीमाकर्ता				
26	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	2.92	2.90	2.29	2.09
27	ईसीजीसी लि.	13.81	12.23	15.97	19.25
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता				
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.73	2.17	2.09	1.82
29	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लि.	2.59	2.52	2.52	2.45
30	एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.**	1.57	1.59	-	-
31	मणिपाल सिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.97	3.06	2.59	2.12
32	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.74	1.80	1.65	2.09
33	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.	0.42	0.40	0.32	0.26
34	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.00	1.69	2.49	2.22
	पुनर्बीमाकर्ता				
35	भारतीय साधारण बीमा निगम	1.52	1.56	1.53	1.74

*मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए शोधक्षमता स्थगन (फारबेअरन्स) के साथ है।

**पूर्व की एचडीएफसी एरगो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01 मार्च 2020 से एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ हुआ।

विवरण 18

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं का शोधक्षमता मार्जिन			
क्रम सं.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को
1	अलायंज़ ग्लोबल	2.75	2.60
2	हैनोवर आरई	1.92	1.88
3	लायड्स आफ इंडिया	2.05	2.07
4	म्यूनिख आरई	1.92	1.55
5	आरजीए	2.46	2.18
6	स्कोर एसई	2.66	3.24
7	स्विस आरई	1.81	2.01
8	एक्सएल एसई	1.59	1.83
9	अक्सा फ्रांस वी	2.04	2.42
10	जन आरई	2.49	2.37

विवरण 19

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹करोड़)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	जीवन निधि											
		केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास और बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (जीवन निधि)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ	6,317.88	8,320.62	857.89	1,120.04	3,760.24	5,361.46	2,325.09	3,028.21	475.68	404.34	13,736.78	18,234.67
2	एड्गान	842.89	925.93	162.48	219.96	483.44	587.93	289.58	345.24	0.94	-	1,779.33	2,079.06
3	एजियस फेडरल	1,858.86	2,163.04	1,569.41	2,333.15	1,447.26	1,664.03	1,581.38	1,388.42	43.97	41.96	6,500.88	7,590.60
4	अवीवा	4,323.38	4,258.49	178.65	1,244.65	967.43	1,138.19	535.48	228.72	41.14	20.31	6,046.08	6,890.36
5	बजाज अलायंज़	12,317.73	16,841.33	3,257.89	2,053.96	4,635.09	5,094.57	7,701.31	8,786.20	1,004.62	605.82	28,916.64	33,381.88
6	भारती अक्सा	2,174.54	2,920.12	798.40	944.43	1,134.38	1,314.55	1,229.50	1,915.95	220.83	324.90	5,557.65	7,419.95
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी	1,772.57	2,497.05	942.44	1,245.85	1,573.28	2,042.20	940.37	1,261.85	5.00	103.47	5,233.66	7,150.42
8	एडेलवेइस टोकियो	1,160.49	1,536.76	56.33	45.95	407.54	421.38	430.07	482.17	107.06	100.43	2,161.49	2,586.69
9	एक्साइड लाइफ	7,276.66	8,505.92	540.79	904.93	2,121.86	2,434.37	1,857.14	1,862.92	78.37	83.24	11,874.82	13,791.38
10	फ्यूचर जनराली	1,877.36	2,508.36	156.86	198.56	543.77	587.30	355.55	302.66	33.29	21.03	2,966.83	3,617.91
11	एचडीएफसी लाइफ	16,264.30	23,796.33	8,261.43	10,074.63	8,125.74	10,650.30	9,291.91	12,008.52	1,679.22	1,976.52	43,622.60	58,506.30
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	24,513.87	36,107.87	2,484.68	3,069.99	8,627.96	9,837.89	11,984.29	10,848.28	1,482.59	1,865.35	49,093.39	61,729.38
13	इंडिया फर्स्ट	748.84	1,190.79	784.42	1,305.82	700.22	659.62	513.27	739.38	76.52	38.71	2,823.27	3,934.32
14	कोटक महिन्द्रा	14,375.76	17,784.22	658.01	279.07	3,191.17	3,885.83	1,132.85	2,548.81	499.88	494.82	19,857.67	24,992.75
15	मैक्स लाइफ	26,663.85	32,338.40	4,018.98	6,247.24	9,248.32	9,981.01	6,602.73	8,614.44	2,042.48	2,011.55	48,576.36	59,192.64
16	पीएनबी मेट लाइफ	7,454.25	8,570.10	1,217.41	2,059.56	4,493.64	5,302.21	3,553.69	3,792.49	204.44	166.45	16,923.43	19,890.81
17	प्रामेरिका लाइफ	1,734.31	2,220.83	73.00	148.68	883.04	1,061.11	405.84	543.08	109.41	54.65	3,205.60	4,028.35
18	रिलायंस निप्पोन	7,714.29	9,364.06	2,539.81	3,374.13	3,240.36	3,514.71	1,922.66	1,414.97	265.86	255.72	15,682.98	17,923.59
19	सहारा	446.00	485.98	257.85	257.53	503.26	507.01	101.85	104.78	21.05	21.05	1,330.01	1,376.35
20	एसबीआई लाइफ	21,810.04	27,774.37	4,529.31	5,248.22	8,443.39	10,093.38	13,077.07	15,162.28	2,030.60	1,959.64	49,890.41	60,237.89
21	श्रीराम	1,426.74	1,736.80	565.24	849.43	1,136.03	1,762.39	695.11	695.49	127.80	103.34	3,950.92	5,147.45
22	स्टार यूनियन	2,066.83	3,215.34	841.83	1,097.42	1,597.12	1,895.78	734.10	603.81	118.62	4.79	5,358.50	6,817.14
23	टाटा एआईए	13,072.52	17,691.38	112.76	112.92	3,438.27	4,665.99	3,727.04	4,205.02	221.50	261.27	20,572.09	26,936.58
	निजी कुल	**178,213.96**	**232,754.09**	**34,865.87**	**44,436.12**	**70,702.81**	**84,463.21**	**70,987.88**	**80,883.69**	**10,890.87**	**10,919.36**	**365,661.39**	**453,456.47**
24	एलआईसी	932,260.91	1,046,698.84	551,551.95	584,210.93	204,731.33	213,575.32	437,697.13	492,342.96	127,253.81	123,999.17	2,253,495.13	2,460,827.22
	कुल जोड़	**1,110,474.87**	**1,279,452.93**	**586,417.82**	**628,647.05**	**275,434.14**	**298,038.53**	**508,685.01**	**573,226.65**	**138,144.68**	**134,918.53**	**2,619,156.52**	**2,914,283.69**

जारी... विवरण 19

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹करोड़)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि						कुल (पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि)	
		'केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		अनुमोदित निवेश			
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ	1,544.97	2,151.85	418.39	646.42	2,727.18	3,381.06	4,690.54	6,179.33
2	एड्गान	6.67	6.66	-	-	0.84	0.68	7.51	7.34
3	एजियास फेडरल	127.16	154.89	134.01	164.19	285.21	291.79	546.38	610.87
4	अवीवा	239.44	204.58	13.45	20.84	91.04	45.05	343.93	270.47
5	बजाज अलायंज़	4,528.73	5,511.63	1,065.45	1,823.56	2,412.81	2,474.31	8,006.99	9,809.50
6	भारती अक्सा	131.01	132.75	84.69	85.10	289.05	302.77	504.75	520.62
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी	572.32	761.88	284.48	639.71	1,150.60	1,607.05	2,007.40	3,008.64
8	एडेलवेइस टोकियो	157.89	171.84	12.84	7.90	52.87	81.84	223.60	261.58
9	एक्साइड लाइफ	1,183.97	1,392.23	154.84	209.60	687.81	541.93	2,026.62	2,143.76
10	फ्यूचर जनराली	182.39	193.34	175.28	214.05	492.42	480.12	850.09	887.51
11	एचडीएफसी लाइफ	11,661.50	14,072.61	4,253.12	7,359.32	14,454.68	17,116.97	30,369.30	38,548.90
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	3,680.85	5,633.09	132.29	222.52	2,211.76	3,033.83	6,024.90	8,889.44
13	इंडिया फर्स्ट	1,925.97	1,934.71	2,172.37	2,384.80	3,662.87	2,770.44	7,761.21	7,089.95
14	कोटक महिन्द्रा	1,248.41	1,358.36	8.75	0.64	426.06	641.22	1,683.22	2,000.22
15	मैक्स लाइफ	470.71	731.06	300.72	559.39	597.84	670.98	1,369.27	1,961.43
16	पीएनबी मेट लाइफ	182.91	783.84	2.98	149.14	99.32	308.98	285.21	1,241.96
17	प्रामेरिका लाइफ	639.88	548.57	84.39	52.95	620.23	567.47	1,344.50	1,168.99
18	रिलायंस निप्पोन	131.80	133.12	55.07	107.10	46.98	32.56	233.85	272.78
19	सहारा	1.93	2.03	-	-	0.20	0.10	2.13	2.13
20	एसबीआई लाइफ	10,862.55	15,255.50	7,784.70	10,926.99	15,186.38	15,198.18	33,833.63	41,380.67
21	श्रीराम	142.68	152.63	74.14	112.42	279.22	275.03	496.04	540.08
22	स्टार यूनियन	585.60	847.25	431.50	456.04	810.64	1,029.93	1,827.74	2,333.22
23	टाटा एआईए	745.56	1,069.90	20.99	62.69	354.62	369.19	1,121.17	1,501.78
	निजी कुल	**40,954.90**	**53,204.32**	**17,664.45**	**26,205.37**	**46,940.63**	**51,221.48**	**105,559.98**	**130,631.17**
24	एलआईसी	254,324.13	338,610.54	361,764.06	388,917.96	176,397.23	184,700.38	792,485.42	912,228.88
	कुल जोड़	**295,279.03**	**391,814.86**	**379,428.51**	**415,123.33**	**223,337.86**	**235,921.86**	**898,045.40**	**1,042,860.05**

जारी... **विवरण 19**

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹करोड़)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	यूनिट सहबद्ध निधि						कुल जोड़ (सभी निधियाँ)	
		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (यूलिप निधियाँ)			
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ	21,570.85	26,563.91	1,114.16	1,403.42	22,685.01	27,967.33	41,112.33	52,381.33
2	एड्गान	742.27	931.44	34.99	84.26	777.26	1,015.70	2,564.10	3,102.10
3	एजियास फेडरल	2,415.68	3,251.34	90.13	270.40	2,505.81	3,521.74	9,553.07	11,723.21
4	अवीवा	2,554.52	3,213.89	234.76	399.81	2,789.28	3,613.70	9,179.29	10,774.53
5	बजाज अलायंज़	18,078.37	26,796.20	1,183.89	1,764.77	19,262.26	28,560.97	56,185.89	71,752.35
6	भारती अक्सा	837.13	1,238.17	62.55	162.17	899.68	1,400.34	6,962.08	9,340.91
7	केनरा एचएसबीसी ओबीसी	7,452.18	10,591.23	703.20	1,118.50	8,155.38	11,709.73	15,396.44	21,868.79
8	एडेलवेइस टोकियो	671.98	1,193.41	69.70	155.39	741.68	1,348.80	3,126.77	4,197.07
9	एक्साइड लाइफ	1,585.93	1,949.33	101.77	198.47	1,687.70	2,147.80	15,589.14	18,082.94
10	फ्यूचर जनराली	525.15	625.74	45.00	55.21	570.15	680.95	4,387.07	5,186.37
11	एचडीएफसी लाइफ	51,138.60	68,016.51	3,043.48	6,742.99	54,182.08	74,759.50	128,173.98	171,814.70
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	88,378.11	121,480.78	8,706.87	17,068.37	97,084.98	138,549.15	152,203.27	209,167.97
13	इंडिया फर्स्ट	3,557.56	5,250.04	398.56	655.66	3,956.12	5,905.70	14,540.60	16,929.97
14	कोटक महिन्द्रा	12,216.77	17,234.70	969.54	2,014.89	13,186.31	19,249.59	34,727.20	46,242.56
15	मैक्स लाइफ	17,737.17	25,639.59	1,426.99	2,734.03	19,164.16	28,373.62	69,109.79	89,527.69
16	पीएनबी मेट लाइफ	4,900.09	6,137.10	368.83	825.37	5,268.92	6,962.47	22,477.56	28,095.24
17	प्रामेरिका लाइफ	293.92	372.87	20.53	33.80	314.45	406.67	4,864.55	5,604.01
18	रिलायंस निप्पोन	4,278.78	5,712.81	93.18	359.58	4,371.96	6,072.39	20,288.79	24,268.76
19	सहारा	68.87	90.50	6.03	9.67	74.90	100.17	1,407.04	1,478.65
20	एसबीआई लाइफ	75,235.84	107,484.78	3,329.48	8,730.24	78,565.32	116,215.02	162,289.36	217,833.58
21	श्रीराम	412.69	470.99	20.68	29.25	433.37	500.24	4,880.33	6,187.77
22	स्टार यूनियन	1,811.42	2,396.15	209.83	162.10	2,021.25	2,558.25	9,207.49	11,708.61
23	टाटा एआईए	8,740.64	14,479.17	761.58	1,955.21	9,502.22	16,434.38	31,195.48	44,872.74
	निजी कुल	**325,204.52**	**451,120.65**	**22,995.73**	**46,933.56**	**348,200.25**	**498,054.21**	**819,421.62**	**1,082,141.85**
24	एलआईसी	23,988.20	24,083.17	883.72	692.34	24,871.92	24,775.51	3,070,852.47	3,397,831.61
	कुल जोड़	**349,192.72**	**475,203.82**	**23,879.45**	**47,625.90**	**373,072.17**	**522,829.72**	**3,890,274.09**	**4,479,973.46**

विवरण 20

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹करोड़)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	बीमाकर्ता		केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास तथा राज्य सरकार को आवास और अग्निशमन उपस्कर (एफएफई) के लिए ऋण		बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	निजी क्षेत्र														
1	एक्को जनरल	164.64	221.74	-	-	60.88	51.20	120.29	109.77	77.23	63.50	-	12.15	423.04	458.36
2	बजाज अलायंज़	4,686.51	6,774.81	3,296.85	3,718.50	2,241.38	1,637.24	3,292.19	4,516.89	4,900.89	5,319.20	196.28	119.26	18,614.10	22,085.90
3	भारती अक्सा	1,185.60	1,591.44	449.06	598.69	579.39	617.86	1,415.62	1,581.48	1,016.97	1,046.78	188.60	120.00	4,835.24	5,556.25
4	चोलमंडलम एमएस	2,622.66	4,154.91	3,692.67	3,507.79	764.03	991.91	786.32	799.68	1,218.37	1,491.49	201.21	87.78	9,285.26	11,033.56
5	एडेलवेइस जनरल	87.62	85.60	31.63	48.05	65.45	52.54	45.88	54.83	71.43	106.30	3.34	10.75	305.35	358.07
6	फ्यूचर जनराली	1,036.65	1,302.30	533.89	1,211.94	591.92	707.52	1,055.99	1,267.68	1,064.10	989.97	97.56	73.03	4,380.11	5,552.44
7	गो डिजिट	1,867.09	2,707.33	194.07	193.10	240.39	657.92	533.93	938.31	654.46	867.11	3.32	13.36	3,493.26	5,377.13
8	एचडीएफसी एरगो	3,251.66	4,644.62	1,670.69	2,144.21	991.13	1,504.64	2,552.68	3,418.64	2,925.91	4,752.81	185.34	152.63	11,577.41	16,617.55
9	आईसीआईसीआई	5,968.72	8,138.54	2,705.84	3,535.47	2,522.48	2,074.20	4,162.64	4,875.53	9,890.28	9,851.27	1,510.50	1,741.30	26,760.46	30,216.31
10	इफ्को टोकियो	2,264.58	2,731.80	1,188.63	2,006.38	1,386.74	1,560.52	2,889.93	3,450.48	1,904.28	2,346.89	43.36	2.34	9,677.52	12,098.41
11	कोटक महिन्द्रा	159.21	597.30	42.30	25.97	66.70	86.56	247.08	103.83	143.27	116.69	23.20	1.54	681.76	931.89
12	लिबर्टी	617.69	732.93	328.80	540.70	334.30	321.45	639.91	676.80	781.83	856.34	-	-	2,702.53	3,128.22
13	मैगमा एचडीआई	717.86	1,098.74	148.68	294.23	294.45	241.22	516.76	491.83	552.01	736.45	54.93	131.19	2,284.69	2,993.66
14	नवी जनरल	82.12	106.11	25.03	143.46	40.22	25.04	75.21	95.03	101.73	219.27	10.02	10.02	334.33	598.93
15	रहेजा क्यूबीई	204.55	300.56	-	-	65.49	96.82	85.79	124.03	109.17	173.30	20.00	20.00	485.00	714.71
16	रिलायंस	2,399.22	3,195.00	1,179.09	2,765.83	1,520.33	1,160.63	1,350.45	908.71	4,166.84	4,632.95	349.91	431.09	10,965.84	13,094.21
17	रायल सुंदरम	1,721.67	2,325.72	331.43	431.45	845.27	832.84	1,231.60	1,306.55	1,465.05	1,286.39	280.05	265.94	5,875.07	6,448.89
18	एसबीआई जनरल	1,788.47	2,613.60	760.25	1,122.85	1,114.55	1,216.43	1,876.56	1,908.42	1,844.32	2,425.79	130.08	211.50	7,514.23	9,498.59
19	श्रीराम जनरल	2,790.64	3,602.25	99.66	19.22	2,265.07	2,243.16	3,106.80	3,753.28	1,283.98	942.34	23.48	8.49	9,569.63	10,568.74
20	टाटा एआईजी	3,171.71	3,658.93	999.21	2,264.57	1,215.52	981.63	1,828.69	2,304.18	4,147.50	5,795.21	857.24	680.21	12,219.87	15,684.73
21	यूनिवर्सल सोम्पो	713.78	916.46	373.04	507.05	337.43	408.97	1,059.60	832.72	522.72	878.50	33.25	16.27	3,039.82	3,559.97
	निजी कुल	**37,502.65**	**51,500.69**	**18,050.82**	**25,079.46**	**17,543.12**	**17,470.30**	**28,873.92**	**33,518.67**	**38,842.34**	**44,898.55**	**4,211.67**	**4,108.85**	**145,024.52**	**176,576.52**
	सरकारी क्षेत्र														
22	नेशनल	4,879.71	5,928.26	2,958.39	4,880.47	1,392.33	1,904.86	2,354.19	3,567.79	11,042.29	10,166.25	1,103.36	1,066.51	23,730.27	27,514.14
23	न्यू इंडिया	9,642.67	12,432.11	12,492.63	15,665.91	2,739.90	2,676.94	4,782.68	6,497.83	12,321.38	10,878.94	1,840.17	1,769.05	43,819.43	49,920.78
24	ओरियन्टल	4,075.31	4,364.75	6,390.99	7,206.27	1,054.93	914.67	2,220.90	2,439.03	4,512.23	3,861.40	1,016.86	968.17	19,271.22	19,754.29
25	युनाइटेड इंडिया	6,411.96	7,531.73	6,166.70	8,196.39	2,429.55	2,402.45	3,372.17	3,182.69	9,311.39	11,289.56	2,087.71	1,886.22	29,779.48	34,489.04
	सरकारी कुल	**25,009.65**	**30,256.85**	**28,008.71**	**35,949.04**	**7,616.71**	**7,898.92**	**12,729.94**	**15,687.34**	**37,187.29**	**36,196.15**	**6,048.10**	**5,689.95**	**116,600.40**	**131,678.25**
	विशेषीकृत बीमाकर्ता														
26	एआईसी	1,769.89	2,851.70	1,801.59	4,790.66	546.55	1,030.04	811.06	1,073.28	2,556.48	3,942.89	13.92	4.24	7,499.49	13,692.81
27	ईसीजीसी	2,483.93	2,882.83	1,485.34	1,981.95	1,260.56	1,023.95	2,815.61	3,401.92	3,855.49	3,944.75	290.66	96.63	12,191.59	13,332.03
	विशेषीकृत कुल	**4,253.82**	**5,734.53**	**3,286.93**	**6,772.61**	**1,807.11**	**2,053.99**	**3,626.67**	**4,475.20**	**6,411.97**	**7,887.64**	**304.58**	**100.87**	**19,691.08**	**27,024.84**

जारी... **विवरण 20**

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश (प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ)

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹करोड़)

	बीमाकर्ता	बीमाकर्ता		केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास तथा राज्य सरकार को आवास और अग्निशमन उपस्कर (एफएफई) के लिए ऋण		बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य														
28	आदित्य बिड़ला स्वास्थ्य	197.37	490.56	261.72	408.17	80.41	75.60	80.65	81.27	220.68	190.55	-	-	840.83	1,246.15
29	केयर हेल्थ*	445.75	726.12	122.93	122.58	140.27	194.16	581.83	910.09	482.63	678.57	5.00	5.19	1,778.41	2,636.71
30	एचडीएफसी एरगो हेल्थ$	445.50	लागू नहीं	219.36	लागू नहीं	193.90	लागू नहीं	423.94	लागू नहीं	825.25	लागू नहीं	34.99	लागू नहीं	2,142.94	लागू नहीं
31	मणिपाल सिगना	145.67	188.00	71.88	145.21	55.37	61.78	202.60	226.30	124.02	226.51	31.44	1.57	630.98	849.37
32	निवा बूपा#	261.05	347.79	112.23	167.73	130.61	171.26	271.26	451.80	304.51	492.83	10.03	9.99	1,089.69	1,641.40
33	स्टार हेल्थ	1,488.74	1,844.02	179.28	939.82	223.96	478.44	1,411.76	2,220.86	687.12	1,526.70	397.03	106.73	4,387.89	7,116.57
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य कुल	**2,984.08**	**3,596.49**	**967.40**	**1,783.51**	**824.52**	**981.24**	**2,972.04**	**3,890.32**	**2,644.21**	**3,115.16**	**478.49**	**123.48**	**10,870.74**	**13,490.20**
	पुनर्बीमाकर्ता														
34	जीआईसी	15,430.81	17,466.07	11,724.66	18,298.90	4,654.71	5,095.13	5,182.61	6,297.55	17,097.78	17,536.20	4,666.01	4,104.67	58,756.58	68,798.52
	पुनर्बीमाकर्ता कुल	**15,430.81**	**17,466.07**	**11,724.66**	**18,298.90**	**4,654.71**	**5,095.13**	**5,182.61**	**6,297.55**	**17,097.78**	**17,536.20**	**4,666.01**	**4,104.67**	**58,756.58**	**68,798.52**
	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ														
35	अलायंज़ ग्लोबल - भारत शाखा	120.05	119.89	35.77	35.38	40.52	30.32	51.17	48.38	25.24	25.13	-	-	272.75	259.10
36	अक्सा फ्रांस वी भारत शाखा	913.58	945.30	25.26	52.91	60.48	122.64	144.25	120.41	60.77	95.76	-	-	1,204.34	1,337.02
37	जनरल रीइंश्योरेंस एजी भारत शाखा	457.80	650.34	-	-	-	-	99.99	143.33	-	-	-	-	557.79	793.67
38	हैनोवर आरई भारत शाखा	696.80	820.67	5.17	5.10	117.54	229.75	224.45	280.76	266.84	311.17	-	-	1,310.80	1,647.45
39	म्यूनिख आरई भारत शाखा	2,107.61	3,075.72	-	-	236.66	266.46	182.60	307.31	-	-	-	-	2,526.87	3,649.49
40	आरजीए लाइफ - भारत शाखा	2,094.22	2,068.18	-	-	-	-	390.06	429.21	-	-	-	-	2,484.28	2,497.39
41	स्कोर एसई भारत शाखा	1,157.11	1,346.91	-	-	90.24	151.72	211.75	226.75	-	-	-	-	1,459.10	1,725.38
42	स्विस आरई भारत शाखा	1,147.89	2,675.76	-	-	179.18	351.37	148.27	398.26	-	-	-	-	1,475.34	3,425.39
43	एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी एसई भारत शाखा	323.07	275.94	-	-	5.07	15.12	92.94	107.08	-	-	-	-	421.08	398.14
	एफआरबी कुल	**9,018.13**	**11,978.71**	**66.20**	**93.39**	**729.69**	**1,167.38**	**1,545.48**	**2,061.49**	**352.85**	**432.06**	**-**	**-**	**11,712.35**	**15,733.03**
	कुल जोड़	**94,199.14**	**120,533.34**	**62,104.72**	**87,976.91**	**33,175.86**	**34,666.96**	**54,930.66**	**65,930.57**	**102,536.44**	**110,065.76**	**15,708.85**	**14,127.82**	**362,655.67**	**433,301.36**

* पूर्व में रेलिगेर हेल्थ

$ एचडीएफसी एरगो स्वास्थ्य संविभाग एचडीएफसी एरगो को अंतरित

मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. का नाम बदलकर नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. रखा गया है।

विवरण 21

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

(यात्रा - देशी/विदेशी और वैयक्तिक दुर्घटना को छोड़कर)

क्रम सं	बीमाकर्ता	पॉलिसियों की संख्या		समाविष्ट व्यक्तियों की संख्या ('000)		सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (₹करोड़)	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
	निजी छेत्र						
1	एक्को जनरल	16	931	1,041	5,075	23.36	101.27
2	बजाज अलायंज़	577,515	844,567	32,935	18,185	2,138.53	2,035.76
3	भारती अक्सा	23,425	29,634	2,491	3,068	266.94	393.72
4	चोलामंडलम एमएस	124,236	250,657	2,112	4,566	316.99	414.37
5	एडेलवेइस जनरल	7,425	45,579	123	378	45.06	68.49
6	फ्यूचर जनराली	81,072	324,238	1,943	2,589	381.96	448.17
7	गो डिजिट	6,277	37,536	43	2,111	17.52	182.75
8	एचडीएफसी एरगो	987,590	2,622,639	11,753	9,600	1,264.57	3,733.48
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	1,174,578	1,080,034	16,425	11,982	2,695.15	2,639.18
10	इफ्को टोकियो	226,026	429,834	25,749	17,672	1,315.81	1,561.69
11	कोटक महिन्द्रा	31,228	74,580	982	1,112	105.68	179.17
12	लिबर्टी	50,948	113,192	865	731	243.62	220.17
13	मैगमा एचडीआई	11,318	60,038	112	244	47.63	76.21
14	नवी जनरल	4,603	816	227	210	33.35	20.60
15	रहेजा क्यूबीई	994	2,723	2	6	0.62	19.20
16	रिलायंस	99,870	151,579	13,264	5,242	1,359.93	861.95
17	रायल सुंदरम	175,677	203,185	1,447	1,067	394.60	342.87
18	एसबीआई जनरल	564,200	637,615	4,039	4,654	742.46	1,256.33
19	श्रीराम जनरल	1,318	32,219	3	35	1.05	4.74
20	टाटा एआईजी	168,794	266,237	3,309	4,194	835.42	1,070.16
21	यूनिवर्सल सोम्पो	244,971	275,370	1,386	2,425	160.47	244.83
	निजी कुल	**4,562,081**	**7,483,203**	**120,252**	**95,150**	**12,390.72**	**15,875.09**
	सरकारी क्षेत्र						
22	नेशनल	1,555,292	1,504,464	152,994	48,023	5,277.67	5,547.46
23	न्यू इंडिया	1,665,437	1,913,662	89,897	125,833	9,381.78	10,780.55
24	ओरियन्टल	1,204,290	2,431,592	38,634	36,805	4,642.63	4,659.72
25	युनाइटेड इंडिया	1,080,675	1,118,204	52,740	161,265	5,329.77	6,240.47
	सरकारी कुल	**5,505,694**	**6,967,922**	**334,265**	**371,926**	**24,631.85**	**27,228.20**
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य						
26	आदित्य बिड़ला स्वास्थ्य	309,925	562,640	5,140	12,463	755.50	1,165.84
27	एचडीएफसी एरगो हेल्थ*	1,206,449	-	5,469	-	2,358.92	-
28	मणिपाल सिगना	250,164	290,846	1,949	4,801	567.29	744.53
29	निवा बूपा	822,100	856,664	4,549	4,139	1,177.56	1,695.59
30	रिलायंस हेल्थ	5,580	962	11	2	5.99	-0.01
31	केयर हेल्थ	807,660	1,178,380	12,818	7,342	2,151.25	2,310.02
32	स्टार हेल्थ	4,462,963	6,398,761	14,260	18,923	6,718.99	9,218.59
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य कुल	**7,859,261**	**9,288,253**	**44,185**	**47,670**	**13,729.52**	**15,134.56**
	कुल जोड़	**17,927,036**	**23,739,378**	**498,702**	**514,747**	**50,752.09**	**58,237.86**

विवरण 22

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)

विवरण	केवल नकदीरहित		केवल प्रतिपूर्ति		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)
क. अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से संभाले गये दावे										
अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	769.58	1,574.21	239.89	819.09	56.66	292.87	0.03	0.06	1,066.15	268.62
	72.18%	58.60%	22.50%	30.49%	5.31%	10.90%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	6,058.50	17,846.30	4,470.11	15,888.35	318.79	1,289.70	8.02	22.28	10,855.41	3,504.66
	55.81%	50.92%	41.18%	45.33%	2.94%	3.68%	0.07%	0.06%	100.00%	100.00%
अवधि के दौरान अदा किये गये दावे	5,879.00	14,422.91	4,108.96	11,601.10	300.49	1,285.11	5.19	10.61	10,293.64	2,731.97
	57.11%	52.79%	39.92%	42.46%	2.92%	4.70%	0.05%	0.04%	100.00%	100.00%
पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार अस्वीकृत दावे	-	2,157.94	-	2,896.39	-	4.20	-	0.03	-	505.86
		42.66%		57.26%		0.08%		0.00%	0.00%	100.00%
अवधि के दौरान निराकृत दावे	265.78	961.57	392.65	1,136.77	29.81	144.99	1.66	6.83	689.91	225.02
	38.52%	42.73%	56.91%	50.52%	4.32%	6.44%	0.24%	0.30%	100.00%	100.00%
वर्ष के अंत में बकाया दावे	683.29	1,903.11	208.38	1,083.65	45.15	149.84	1.19	4.87	938.01	314.15
	72.84%	60.58%	22.22%	34.49%	4.81%	4.77%	0.13%	0.15%	100.00%	100.00%
ख. बीमाकर्ताओं द्वारा सीधे संभाले गये दावे										
अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	481.35	901.82	49.83	424.75	0.88	32.94	7.62	175.71	539.68	153.52
	89.19%	58.74%	9.23%	27.67%	0.16%	2.15%	1.41%	11.45%	100.00%	100.00%
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	2,176.13	13,200.52	1,942.38	9,258.19	44.62	298.77	120.54	962.03	4,283.66	2,371.95
	50.80%	55.65%	45.34%	39.03%	1.04%	1.26%	2.81%	4.06%	100.00%	100.00%
अवधि के दौरान अदा किये गये दावे	1,918.18	8,873.90	1,699.34	6,307.74	34.48	252.62	85.12	600.61	3,737.12	1,603.49
	51.33%	55.34%	45.47%	39.34%	0.92%	1.58%	2.28%	3.75%	100.00%	100.00%
पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार अस्वीकृत दावे	-	2,542.82	-	1,299.86	-	11.56	-	4.47	-	385.87
		65.90%		33.69%		0.30%		0.12%	0.00%	100.00%
अवधि के दौरान निराकृत दावे	310.20	1,755.88	210.27	1,314.23	5.87	30.33	24.72	256.86	551.06	335.73
	56.29%	52.30%	38.16%	39.15%	1.07%	0.90%	4.49%	7.65%	100.00%	100.00%
वर्ष के अंत में बकाया दावे	429.10	1,207.94	82.60	949.69	5.15	50.90	18.32	307.56	535.17	251.61
	80.18%	48.01%	15.43%	37.74%	0.96%	2.02%	3.42%	12.22%	100.00%	100.00%
कुल (क+ख)										
अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	1,250.93	2,476.03	289.72	1,243.84	57.54	325.81	7.64	175.77	1,605.83	422.15
	77.90%	58.65%	18.04%	29.46%	3.58%	7.72%	0.48%	4.16%	100.00%	100.00%
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	8,234.63	31,046.81	6,412.48	25,146.54	363.41	1,588.48	128.56	984.31	15,139.07	5,876.61
	54.39%	52.83%	42.36%	42.79%	2.40%	2.70%	0.85%	1.67%	100.00%	100.00%
अवधि के दौरान अदा किये गये दावे	7,797.18	23,296.81	5,808.31	17,908.83	334.96	1,537.74	90.31	611.22	14,030.76	4,335.46
	55.57%	53.74%	41.40%	41.31%	2.39%	3.55%	0.64%	1.41%	100.00%	100.00%
पॉलिसी अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार अस्वीकृत दावे	-	4,700.76	-	4,196.25	-	15.76	-	4.50	-	891.73
		52.72%		47.06%		0.18%		0.05%	0.00%	100.00%
अवधि के दौरान निराकृत दावे	575.98	2,717.45	602.92	2,451.00	35.68	175.32	26.38	263.70	1,240.96	560.75
	46.41%	48.46%	48.59%	43.71%	2.88%	3.13%	2.13%	4.70%	100.00%	100.00%
वर्ष के अंत में बकाया दावे	1,112.39	3,111.05	290.98	2,033.34	50.30	200.75	19.51	312.43	1,473.18	565.76
	75.51%	54.99%	19.75%	35.94%	3.41%	3.55%	1.32%	5.52%	100.00%	100.00%

विवरण 23

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत भुगतान किये गये दावों का अवधि-विश्लेषण

(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)
(2020-21)

अदा किये गये दावों की अवधि का विवरण	केवल नकदीरहित		केवल प्रतिपूर्ति		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)	संख्या ('000s)	राशि (₹करोड़)
क. अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये दावों की अवधि का विवरण										
< 1 महीना	4,776.60	9,410.20	3,095.75	7,020.62	184.60	738.69	4.13	7.24	8,061.08	1,717.68
	81.25%	65.24%	75.34%	60.52%	61.43%	57.48%	79.53%	68.23%	78.31%	62.87%
1 से 3 महीने	803.19	3,999.25	726.38	3,461.81	65.01	321.48	0.97	3.00	1,595.53	778.55
	13.66%	27.73%	17.68%	29.84%	21.63%	25.02%	18.60%	28.23%	15.50%	28.50%
3 से 6 महीने	233.07	788.64	199.25	788.74	29.48	142.54	0.08	0.37	461.88	172.03
	3.96%	5.47%	4.85%	6.80%	9.81%	11.09%	1.56%	3.47%	4.49%	6.30%
6 से 12 महीने	52.49	158.11	64.27	222.78	13.42	47.58	0.02	0.01	130.19	42.85
	0.89%	1.10%	1.56%	1.92%	4.47%	3.70%	0.31%	0.05%	1.26%	1.57%
1 से 2 वर्ष	12.43	51.71	22.33	100.76	7.97	34.83	-	0.00	42.74	18.73
	0.21%	0.36%	0.54%	0.87%	2.65%	2.71%	0.00%	0.01%	0.42%	0.69%
2 वर्ष से अधिक	1.22	15.00	0.99	6.38	0.00	-0.01	-	-	2.21	2.14
	0.02%	0.10%	0.02%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.08%
कुल	5,879.00	14,422.91	4,108.96	11,601.10	300.49	1,285.11	5.19	10.61	10,293.64	2,731.97
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ख. आंतरिक रूप से निपटान के माध्यम से बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये दावों की अवधि का विवरण										
< 1 महीना	1,809.81	7,813.93	1,613.72	5,098.59	30.77	240.11	77.55	502.88	3,531.85	1,365.55
	94.35%	88.06%	94.96%	80.83%	89.24%	95.05%	91.11%	83.73%	94.51%	85.16%
1 से 3 महीने	96.26	927.21	71.21	986.61	3.20	10.06	5.80	59.60	176.47	198.35
	5.02%	10.45%	4.19%	15.64%	9.27%	3.98%	6.82%	9.92%	4.72%	12.37%
3 से 6 महीने	9.38	98.80	9.46	146.82	0.27	1.26	1.29	22.53	20.41	26.94
	0.49%	1.11%	0.56%	2.33%	0.79%	0.50%	1.51%	3.75%	0.55%	1.68%
6 से 12 महीने	2.33	29.23	3.52	47.07	0.12	0.26	0.44	11.43	6.40	8.80
	0.12%	0.33%	0.21%	0.75%	0.33%	0.10%	0.52%	1.90%	0.17%	0.55%
1 से 2 वर्ष	0.34	2.76	1.28	25.88	0.12	0.94	0.04	3.35	1.77	3.29
	0.02%	0.03%	0.08%	0.41%	0.36%	0.37%	0.05%	0.56%	0.05%	0.21%
2 वर्ष से अधिक	0.07	1.97	0.15	2.77	0.01	0.00	0.00	0.82	0.22	0.56
	0.00%	0.02%	0.01%	0.04%	0.01%	0.00%	0.00%	0.14%	0.01%	0.03%
कुल	1,918.18	8,873.90	1,699.34	6,307.74	34.48	252.62	85.12	600.61	3,737.12	1,603.49
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ग. कुल (क + ख)										
< 1 महीना	6,586.42	17,224.14	4,709.47	12,119.21	215.37	978.80	81.68	510.12	11,592.93	3,083.23
	84.47%	73.93%	81.08%	67.67%	64.30%	63.65%	90.44%	83.46%	82.63%	71.12%
1 से 3 महीने	899.44	4,926.46	797.59	4,448.42	68.20	331.54	6.77	62.59	1,772.00	976.90
	11.54%	21.15%	13.73%	24.84%	20.36%	21.56%	7.49%	10.24%	12.63%	22.53%
3 से 6 महीने	242.46	887.44	208.71	935.56	29.75	143.80	1.37	22.90	482.29	198.97
	3.11%	3.81%	3.59%	5.22%	8.88%	9.35%	1.52%	3.75%	3.44%	4.59%
6 से 12 महीने	54.82	187.34	67.79	269.85	13.54	47.84	0.46	11.43	136.60	51.65
	0.70%	0.80%	1.17%	1.51%	4.04%	3.11%	0.50%	1.87%	0.97%	1.19%
1 से 2 वर्ष	12.77	54.47	23.61	126.64	8.10	35.76	0.04	3.35	44.51	22.02
	0.16%	0.23%	0.41%	0.71%	2.42%	2.33%	0.04%	0.55%	0.32%	0.51%
2 वर्ष से अधिक	1.29	16.97	1.14	9.14	0.01	-0.01	0.00	0.82	2.43	2.69
	0.02%	0.07%	0.02%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.02%	0.06%
कुल	7,797.18	23,296.81	5,808.31	17,908.83	334.96	1,537.74	90.31	611.22	14,030.76	4,335.46
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

अनुबंध

अनुबंध 1

भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियाँ

जीवन बीमाकर्ता	साधारण बीमाकर्ता
सरकारी क्षेत्र	**सरकारी क्षेत्र**
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	1. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	2. दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.
	3. दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	4. युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
निजी क्षेत्र	**निजी क्षेत्र**
1. आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1. एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.
2. एड्गान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2. बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3. भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
4. बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4. चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
5. भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5. एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
6. केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6. फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
7. एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7. गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.
8. एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	8. एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.**
9. फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
10. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	10. इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
11. आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	11. कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
12. एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.*	12. लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.
13. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	13. मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
14. कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	14. नवी जनरल इंश्योरेंस लि.
15. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	15. रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
16. पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	16. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
17. प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	17. रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
18. रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	18. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
19. सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	19. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
20. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	20. टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
21. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	21. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
22. स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	
23. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	
	विशेषीकृत बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र)
	1. भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.
	2. ईसीजीसी लि.
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (निजी क्षेत्र)
	1. आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	2. मणिपालसिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	3. निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. #
	4. केअर हेल्थ इंश्योरेंस लि.$
	5. स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.
	6. रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड@

* आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है।

** पूर्ववर्ती एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दिनांक 01.03.2020 से विलय हो गया।

$ रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. का नाम बदलकर केअर हेल्थ इंश्योरेंस लि. के रूप में रखा गया है।

मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है।

@ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो का अधिग्रहण

टिप्पणी: सूची 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार

जारी... अनुबंध 1

पुनर्बीमाकर्ता	
सरकारी क्षेत्र	**निजी क्षेत्र**
1 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई)	**विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ** 1. अलायंज़ ग्लोबल कारपोरेट एण्ड स्पेशिएलिटी एसई, भारत शाखा 2. अक्सा फ्रांस वी -- भारत पुनर्बीमा शाखा 3. जनरल रीइंश्योरेंस एजी - भारत शाखा 4. हैनोवर रुक एसई - भारत शाखा 5. म्युन्शेनेर रुकवेरसिशेरंग्स - गेसेलशाफ़्ट आक्टिएनगेसेलशाफ़्ट - भारत शाखा 6. आरजीए लाइफ रीइंश्योरेंस कंपनी आफ़ कनाडा, भारत शाखा 7. स्कोर एसई - भारत शाखा 8. स्विस रीइंश्योरेंस कंपनी लि., भारत शाखा 9. एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी एसई, भारत पुनर्बीमा शाखा **लायड्स** 10. लायड्स इंडिया पुनर्बीमा शाखा i. मार्केल सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

टिप्पणी: सूची 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार

अनुबंध 2

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मोटर टीपी दायित्वों का परिकलन करने के लिए डेटा

(₹करोड़)

बीमाकर्ता	वित्तीय वर्ष 2020-21			
	मोटर ओडी जीडीपी	मोटर तृतीय पक्ष जीडीपी	कुल मोटर जीडीपी	कुल जीडीपी
एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	79.27	188.83	268.10	422.39
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,011.16	2,715.17	4,726.33	12,569.53
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	806.10	562.38	1,368.48	3,159.90
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,072.31	2,052.58	3,124.89	4,388.21
एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	71.23	40.21	111.44	218.57
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	625.32	726.06	1,351.38	3,835.23
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	525.14	1,432.17	1,957.31	2,417.62
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,504.95	1,901.50	3,406.45	12,295.10
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3,684.59	3,335.34	7,019.93	14,003.09
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,723.10	1,998.04	3,721.14	8,410.88
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	159.79	126.52	286.31	543.99
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	545.58	407.13	952.71	1,445.71
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	285.87	682.67	968.54	1,283.59
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,488.93	3,376.83	4,865.76	14,140.83
नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	15.47	26.35	41.82	104.40
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2,691.20	6,110.40	8,801.60	28,548.50
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,035.66	2,711.31	3,746.97	12,449.71
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	122.88	51.00	173.88	272.22
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,314.53	2,259.07	3,573.60	8,310.28
रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	996.15	982.47	1,978.62	2,822.28
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	888.74	1,255.17	2,143.91	8,264.86
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	476.94	1,572.30	2,049.24	2,138.88
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,072.90	2,266.38	4,339.28	8,042.06
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,436.93	4,366.91	5,803.84	16,704.70
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	420.30	590.43	1,010.73	3,052.16
कुल जोड़	**26,055.04**	**41,737.22**	**67,792.26**	**169,844.69**

टिपण्णी: छूट प्राप्त बीमाकर्ता शामिल नहीं हैं

अनुबंध 3

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम सं.	संदर्भ सं.	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
1	आईआरडीएआई/एचएलटी/ सीआईआर/विविध/078/04/2020	4/2/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	कोविड-19 स्थिति के परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि (25/03/2020 से 14/04/2020 तक) के दौरान देय होनेवाली स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम भुगतान
2	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमओटी/079/04/2020	4/2/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	कोविड-19 स्थिति के परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि (25/03/2020 से 14/04/2020 तक) के दौरान देय होनेवाली मोटर अन्य पक्ष बीमा पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम भुगतान
3	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/ विविध/080/04/2020	4/3/2020	मध्यवर्ती	परिपत्र	पुरस्कारों के भुगतान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति - वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे
4	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमओटी/081/04/2020	4/3/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	कोविड-19 स्थिति के परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि (25/03/2020 से 14/04/2020 तक) के दौरान देय होनेवाली मोटर अन्य पक्ष बीमा पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम भुगतान
5	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/ विविध/082/04/2020	4/3/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	कोविड-19 स्थिति के परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि (25/03/2020 से 14/04/2020 तक) के दौरान देय होनेवाली स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम भुगतान
6	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/078/04/2020	4/4/2020	जीवन	परिपत्र	जीवन बीमाकर्ताओं को वैश्विक महामारी कोविड-19 संबंधी अनुदेश
7	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/079/04/202	4/4/2020	जीवन	परिपत्र	विनियामक विवरणियों की फाइलिंग के लिए अनुमत अतिरिक्त समय
8	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/ आईएनवी/085/04/2020	4/8/2020	निवेश	परिपत्र	कोविड-19 के प्रकोप के संदर्भ में सावधि ऋणों का पुनर्निर्धारण
9	आईआरडीएआई/एजेंसीवितरण/सीआईआर/ कार्पएजेंसी/086/04/2020	4/8/2020	एजेंसी वितरण	परिपत्र	1 अप्रैल 2020 से विलयित सरकारी क्षेत्र बैंकों के कारपोरेट एजेंसी मामले
10	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/ विविध/087/04/2020	4/9/2020	मध्यवर्ती	परिपत्र	सभी बीमा मध्यवर्तियों के लिए विनियामक विवरणियाँ फाइल करने हेतु अनुमत अतिरिक्त समय
11	आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/ विविध/089/04/2020	4/13/2020	वित्त और लेखा	परिपत्र	कोविड-19 महामारी के संदर्भ में बीमाकर्ताओं के वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंध
12	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमओटी/090/04/2020	4/16/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	कोविड-19 स्थिति के परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि (25/03/2020 से 03/05/2020 तक) के दौरान देय होनेवाली मोटर अन्य पक्ष बीमा पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम भुगतान
13	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/ विविध/091/04/2020	4/16/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	कोविड-19 स्थिति के परिणामस्वरूप लाकडाउन अवधि (25/03/2020 से 03/05/2020 तक) के दौरान देय होनेवाली स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के नवीकरण के लिए प्रीमियम भुगतान
14	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/ विविध/093/04/2020	4/16/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय निदेश के भाग के रूप में श्रमिकों को अनिवार्य चिकित्सा बीमा कवरेज देना
15	आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/ सीआईआर/95/04/2020	4/18/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान संबंधी मानदंड

जारी... अनुबंध 3

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम सं.	संदर्भ सं.	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
16	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/096/04/2020	4/21/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	कोविड-19 संकट के दौरान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संग्रहण संबंधी मानदंड
17	आईआरडीएआई/आरआई/सीआईआर/ विविध/97/04/2020	4/22/2020	पुनर्बीमा	परिपत्र	सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) का आबंटन
18	आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/ विविध/099/04/2020	4/24/2020	वित्त और लेखा	परिपत्र	कोविड-19 महामारी के संदर्भ में बीमाकर्ताओं के वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंध
19	आईआरडीएआई/एसयूआर/आदेश/ विविध/100/04/2020	4/24/2020	सर्वेक्षक	आदेश	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 10 के अनुसार सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों की समिति का पुनर्गठन
20	आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/ विविध/102/04/2020	4/30/2020	वित्त और लेखा	परिपत्र	भारत में बीमाकर्ताओं के लिए प्रबंधकत्व (स्ट्युअर्डशिप) कूट संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर प्रबंधकत्व (स्ट्युअर्डशिप) नीति की समीक्षा और अद्यतनीकरण के लिए समय -सीमा का विस्तार
21	आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/ विविध/103/05/2020	5/4/2020	मध्यवर्ती	आदेश	व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा पालिसी के मानकीकरण के लिए समिति का गठन - बीमा मध्यवर्ती
22	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/114/05/2020	5/9/2020	जीवन	परिपत्र	31 मई 2020 तक अनुग्रह अवधि का विस्तार
23	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/ विविध/118/05/2020	5/13/2020	मध्यवर्ती	परिपत्र	तिमाही विवरणी फाइल करने के लिए अनुमत अतिरिक्त समय - तिमाही4-2019-20 - सभी बीमा मध्यवर्तियों के लिए विनियामक विवरणियाँ
24	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/ विविध/119/05/20	5/18/2020	मध्यवर्ती	परिपत्र	बीमा मध्यवर्तियों में विदेशी निवेश
25	आईआरडीएआई/एनएल/विविध/ सीआरई/121/05/2020	5/21/2020	गैर-जीवन	विविध	व्यापारिक उधार बीमा संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा
26	आईआरडीएआई/जीवन/जीडीएल/विविध/ 122/05/2020	5/22/2020	जीवन	दिशानिर्देश/ अनुदेश	हाल के चक्रवात "अम्फान" के पीड़ित व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा दावों के निपटान संबंधी दिशानिर्देश
27	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ विविध/123/05/2020	5/22/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	ओडिशा और पश्चिम बंगाल के भागों तथा अन्य पड़ोसी राज्यों में वर्तमान चक्रवात अम्फान (मई 2020) के पीड़ित व्यक्तियों के बीमा दावों संबंधी दिशानिर्देश
28	आईआरडीएआई/आरआई/सीआईआर/ विविध/125/05/2020	5/26/2020	पुनर्बीमा	परिपत्र	सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) का आबंटन
29	आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/ सीआईआर/129/06/2020	6/2/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	कठिनाई से ग्रस्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) तथा एचआईवी/एड्स और मानसिक बीमारी रोगों से प्रभावित लोगों को बीमा कवरेज देने के जोखिम-अंकन दर्शन का प्रकटीकरण
30	आईआरडीएआई/टीपीए/आरईजी/ सीआईआर/130/06/2020	6/3/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	सभी आवेदक टीपीए, पंजीकृत टीपीए और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए लागू आईआरडीएआई (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 और उसके परवर्ती संशोधनों के उपबंधों के अनुसार मास्टर परिपत्र

जारी... अनुबंध 3

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम सं.	संदर्भ सं.	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
31	आईआरडीएआई/एफएण्डए/ सीआईआर/विविध/132/06/2020	6/4/2020	वित्त और लेखा	परिपत्र	वेबसाइटों पर सार्वजनिक प्रकटीकरणों के लिए लागू समय-सीमा का विस्तार
32	आईआरडीएआई/एफएण्डए/ सीआईआर/विविध/134/06/2020	6/5/2020	वित्त और लेखा	परिपत्र	विधिक संस्था अभिनिर्धारक (एलईआई) कूट
33	आईआरडीएआई/जीवन/जीडीएल/ विविध/140/06/2020	6/5/2020	जीवन	दिशानिर्देश/ अनुदेश	हाल के चक्रवात निसर्ग के पीड़ित व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा दावों के निपटान संबंधी दिशानिर्देश
34	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ विविध/141/06/2020	6/8/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	विपत्ति से प्रभावित जिलों में चक्रवात निसर्ग (जून 2020) के पीड़ित व्यक्तियों के बीमा दावों संबंधी दिशानिर्देश
35	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमओटी/143 /06/2020	6/8/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	तीन वर्ष अथवा पाँच वर्ष के लिए दोनों मोटर अन्य पक्ष बीमा और निजी क्षति बीमा देनेवाले दीर्घावधि पैकेज कवरों का प्रत्याहरण
36	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एमओटी/144/06/2020	6/9/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एनएल/ सीआई आर/एमओटी/144/06/2020 दिनांक 8 जून 2020 से युक्त मोटर बीमा उत्पादों में हाल की प्रगति संबंधी मास्टर परिपत्र
37	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/ विविध/145/06/2020	6/10/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	सेवाप्रदाता नेटवर्क में स्थित अस्पतालों के लिए मानक - गुणवत्ता मानदंडों का प्रकटीकरण
38	आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/ सीआईआर/146/06/2020	6/10/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	पालिसीधारकों को दी जानेवाली स्वास्थ्य सेवाओं के गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंडों पर बीमाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरणों संबंधी दिशानिर्देश
39	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/149/06/2020	6/11/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	दूर चिकित्सा (टेली मेडिसिन) संबंधी दिशानिर्देश
40	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/151/06/2020	6/11/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी आशोधित दिशानिर्देश - आनुपातिक कटौतियों संबंधी मानदंड
41	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/152/06/2020	6/11/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा पालिसी संविदाओं में सामान्य शर्तों और वाक्यांशों के मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश
42	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/156/06/2020	6/23/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	कोविड-19 बीमारी के लिए कवरेज देनेवाली अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पालिसियाँ प्रारंभ करने संबंधी दिशानिर्देश
43	आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/ विविध/160/06/2020	6/24/2020	गैर-जीवन	आदेश	दूर से संचालित वायुयान प्रणाली (आरएपीएस)/ ड्रोन प्रौद्योगिकी के बीमा के लिए कार्य दल
44	आईआरडीएआई/आईटी/विविध/ 162/06/2020	6/25/2020	सूचना प्रौद्योगिकी	विविध	दुर्भावपूर्ण प्रबंधकों द्वारा कोविड-19 से संबंधित फिशिंग आक्रमण अभियान संबंधी परामर्श
45	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/163/06/2020	6/26/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	कोविड मानक स्वास्थ्य पालिसी संबंधी दिशानिर्देश
46	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/164/06/2020	6/26/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	कोविड मानक लाभ आधारित स्वास्थ्य पालिसी संबंधी दिशानिर्देश
47	आईआरडीएआई/जीवन/ सीआईआर/विविध/165/06/2020	6/29/2020	जीवन	परिपत्र	बीएपी में जीवन परिचालन विवरणियों की प्रस्तुति के लिए समय-सीमाएँ

जारी... अनुबंध 3

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम सं.	संदर्भ सं.	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
48	आईआरडीएआई/आरआई/ सीआईआर/विविध/167/06/2020	6/30/2020	पुनर्बीमा	परिपत्र	सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) का आबंटन
49	आईआरडीएआई/आईएनटी/ सीआईआर/सीड़ीबी/168/06/2020	6/30/2020	मध्यवर्ती	परिपत्र	आईआईबी में भारत में लाइसेंसीकृत बीमा विक्रेताओं का केन्द्रीय डेटाबेस (ईएनवीओवाई)
50	आईआरडीएआई/एनएल/ ओआरडी/विविध/170/07/2020	7/1/2020	गैर-जीवन	आदेश	भारतीय बीमा उद्योग द्वारा प्रतिभू बांड प्रस्तावित करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए कार्य दल
51	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/172/07/2020	7/7/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देश
52	आईआरडीएआई/एसीटी/ सीआईआर/विविध/180/07/2020	7/7/2020	बीमांकिक	परिपत्र	बीमांककों की सूची - अभिरुचि की अभिव्यक्ति
53	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/ सीआईआर/आईएनवी/181/07/2020	7/7/2020	निवेश	परिपत्र	कोविड-19 - मीयादी ऋणों की अवधि का पुनर्निर्धारण
54	आईआरड़ीएआई/आरआई/ओआरडी/ विविध/182/07/2020	7/8/2020	पुनर्बीमा	आदेश	एक भारतीय महामारी जोखिम समूह बनाने के संबंध में अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए कार्य दल
55	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/187 /07/2020	7/10/2020	जीवन	परिपत्र	सामूहिक ऋण जीवन योजनाएँ - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित ऋणस्थगन के साथ कवरेज को सुयोजित करने के लिए आशोधन
56	आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/ सीआईआर/189/07/2020	7/14/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	पालिसीधारकों के लिए नकदीरहित सुविधा की व्यवस्था
57	आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/ सीआईआर/190/07/2020	7/15/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	सरकार द्वारा अनुमत रूप में `कामचलाऊ अथवा अस्थायी अस्पतालों' में चिकित्सा पर दावों के निपटान संबंधी दिशानिर्देश
58	आईआरडीआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/192/07/2020	7/21/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	सामूहिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के रूप में कोरोना कवच पालिसी" की फाइलिंग
59	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/193/07/2020	7/22/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मानकीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र
60	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/194/07/2020	7/22/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी समेकित दिशानिर्देश
61	आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/ टीआरएसएच/195/07/2020	7/23/2020	वित्त और लेखा	परिपत्र	बीमा कंपनियों के शेयरों का अंतरण
62	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/197/07/2020	7/24/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	सामूहिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के रूप में "आरोग्य संजीवनी पालिसी" की फाइलिंग
63	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/199/07/2020	7/24/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	सेवाप्रदाता नेटवर्क में अस्पतालों के लिए मानकों और न्यूनतम मानदंडों का अनुपालन करने के लिए समय-सीमाओं का विस्तार
64	आईआरडीएआई/एसयूआर/सीआईआर/ विविध/205/08/2020	8/3/2020	सर्वेक्षक	परिपत्र	डिजिटल सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंसों का निर्गम
65	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/206/08/2020	8/4/2020	जीवन	परिपत्र	विनियामक विवरणियों की हार्ड प्रति की प्रस्तुति से छूट
66	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/207/08/2020	8/4/2020	जीवन	परिपत्र	इलेक्ट्रानिक पालिसियों का निर्गम

जारी... अनुबंध 3

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम सं.	संदर्भ सं.	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
67	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/208/08/2020	8/5/2020	जीवन	परिपत्र	प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर से छूट देना
68	आईआरडीएआई/एसयूआर/आदेश/विविध/213/08/2020	8/13/2020	सर्वेक्षक	आदेश	भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) की परिषद के 12वें चुनाव संचालित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति
69	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/215/08/2020	8/20/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	वाहन के बीमे का नवीकरण करते समय पीयूसी प्रमाणपत्र - एम.सी. मेहता बनाम भारतीय संघ के मामले में रिट याचिका (13029) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश
70	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/216/08/2020	8/21/2020	निवेश	परिपत्र	"अनुमोदित निवेश" के अंतर्गत ईक्विटी निवेश के लिए लाभांश मानदंड
71	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/220/08/2020	8/27/2020	बीमांकिक	परिपत्र	फ़सल बीमा व्यवसाय में शोधक्षमता मार्जिन
72	आईआरडीएआई/एसीटीएल/ओआरडी/विविध/224/08/2020	8/31/2020	बीमांकिक	आदेश	सूचकांक सहबद्ध उत्पादों संबंधी कार्य दल
73	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/225/08/2020	8/28/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मानकीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र - शुद्धिपत्र
74	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध/228/08/2020	8/31/2020	बीमांकिक	परिपत्र	बीमांकको की पैनल
75	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध/229/08/2020	8/31/2020	बीमांकिक	परिपत्र	बीमांकको की पैनल - सूची
76	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/233/09/2020	9/4/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	संपूर्ण स्वास्थ्य और निवारक विशेषताओं संबंधी दिशानिर्देश
77	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/235/09/2020	9/10/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में इलेक्ट्रानिक पालिसियों का निर्गम तथा भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल हस्ताक्षर से छूट देना
78	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/237/09/2020	9/10/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	इलेक्ट्रानिक पालिसियों का निर्गम तथा भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल हस्ताक्षर से छूट देना
79	आईआरडीएआई/एसडीडी/सीआईआर/विविध/ 245 /09/2020	9/18/2020	सेक्टोरियल विकास	परिपत्र	वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया (वीबीआईपी)
80	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/246/09/2020	9/25/2020	निवेश	परिपत्र	कारपोरेट बांडों / वाणिज्यिक पत्रों में निवेशों के लिए आरएफक्यू प्लेटफार्म का कार्यान्वयन करना
81	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/249/10/2020	10/7/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के अंतर्गत सुवाह्यता संबंधी अतिरिक्त मानदंड
82	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/253/10/2020	10/13/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	मानक कोविड विशिष्ट उत्पादों की नवीकरणीयता, सुवाह्यता और अंतरण संबंधी मानदंड
83	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/254/10/2020	10/15/2020	जीवन	परिपत्र	मानक वैयक्तिक मीयादी जीवन बीमा उत्पाद, "सरल जीवन बीमा" संबंधी दिशानिर्देश

जारी... अनुबंध 3

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम सं.	संदर्भ सं.	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
84	आईआरडीएआई/सीएडी/सीआईआर/विविध/ 255/10/20	10/15/2020	उपभोक्ता कार्य	परिपत्र	लोकपाल कार्यालयों के लिए पदनामित नोडल अधिकारी
85	आईआरडीएआई/एनएल/ओआरडी/विविध/260/10/2020	10/19/2020	गैर-जीवन	आदेश	साइबर देयता बीमा का अध्ययन करने के लिए कार्य दल
86	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/ 263 /10/2020	10/21/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों के विपत्ति से प्रभावित जिलों में बाढ़ (अक्तूबर 2020) के पीड़ित व्यक्तियों के बीमा दावों संबंधी दिशानिर्देश
87	आईआरडीएआई/जीवन/जीडीएल/विविध/265/11/2020	11/4/2020	जीवन	दिशानिर्देश/अनुदेश	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारी वर्षा और बाढ़ के पीड़ित व्यक्तियों के जीवन बीमा दावों के निपटान संबंधी दिशानिर्देश
88	आईआरडीएआई/सीएडी/सीआईआर/विविध/267/11/2020	11/2/2020	उपभोक्ता कार्य	परिपत्र	प्रायोगिक आधार पर दूरस्थ प्राक्टर के माध्यम से वैयक्तिक एजेंटों के लिए आईसी-38 परीक्षाओं की अनुमति देना
89	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/274/11/2020	11/11/2020	जीवन	परिपत्र	प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर समाप्त करना
90	आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/282 /11/2020	11/17/2020	वित्त और लेखा	परिपत्र	पालिसीधारकों की अदावी राशियाँ
91	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध/283/11/2020	11/17/2020	बीमांकिक	परिपत्र	बीमांककों की पैनल
92	आईआरडीएआई/एसयूआर/जीडीएल/विविध/287/12/2020	12/1/2020	सर्वेक्षक	दिशानिर्देश/अनुदेश	बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए नया लाइसेंस/ लाइसेंस का नवीकरण प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश
93	आईआरडीएआई/एसयूआर/जीडीएल/विविध/288/12/2020	12/1/2020	सर्वेक्षक	दिशानिर्देश/अनुदेश	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु दिशानिर्देश
94	आईआरडीएआई/एसयूआर/जीडीएल/विविध/289/12/2020	12/1/2020	सर्वेक्षक	दिशानिर्देश/अनुदेश	रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण हेतु सभी साधारण बीमा कंपनियों के लिए दिशानिर्देश
95	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/290/12/2020	12/2/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	विपत्ति से प्रभावित क्षेत्र में चक्रवात निवार (नवंबर 2020) के पीड़ित व्यक्तियों के बीमा दावों संबंधी दिशानिर्देश
96	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/292/12/20-21	12/2/2020	गैर-जीवन	परिपत्र	जीडीपी तात्कालिक (फ्लैश) आंकड़ों और खंड-वार जीडीपी आंकड़ों के योग में असंतुलन
97	आईआरडीएआई/आईएनएसपी/सीआईआर/293/12/2020	12/8/2020	निरीक्षण	परिपत्र	आईआरडीएआई (अन्वेषण और निरीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम जानकारी) विनियम, 2020 के अधीन अभिलेखों का अनुरक्षण
98	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/298/12/2020	12/28/2020	स्वास्थ्य	परिपत्र	फ़्लोटेड आधार पर जारी की गई स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के लिए लाभ/ प्रीमियम निदर्शन का प्रकटीकरण
99	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/विविध/300/12/2020	12/28/2020	बीमांकिक	परिपत्र	बीमांककों की पैनल

जारी... अनुबंध 3

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम सं.	संदर्भ सं.	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
100	आईआरडीएआई/आईटी/सीआईआर/ विविध/301/12/2020	12/29/2020	सूचना प्रौद्योगिकी	परिपत्र	बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 07.04.2017 में संशोधन
101	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/302/12/2020	12/29/2020	जीवन	परिपत्र	बिक्री केन्द्र में छूटें - जीवन बीमा मास्टर परिपत्र
102	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/ पीएसपी/307/2020	12/30/2020	मध्यवर्ती	परिपत्र	आईआईबी पोर्टल में छमाही पीओएसपी विवरणियों की फाइलिंग
103	आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/ विविध/001/01/2020	1/1/2021	बीमांकिक	परिपत्र	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 तथा आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 संबंधी स्पष्टीकरण
104	आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/ विविध/006/01/2021	1/4/2021	गैर-जीवन	दिशानिर्देश/ अनुदेश	अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क (एआईएफटी), 2001 की अधिसूचना का कुछ जोखिमों के लिए निरस्तीकरण और मानक उत्पादों का प्रारंभ तथा निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के लिए दिशानिर्देश
105	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/ आईएनवी/008/01/2021	1/5/2021	निवेश	परिपत्र	क्रेडिट रेटिंग - बुनियादी संरचनागत निवेशों के लिए लागू
106	आईआरडीएआई/एचएलटी/ओआरडी/ विविध/010/01/2021	1/13/2021	स्वास्थ्य	आदेश	स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का गठन
107	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/011/01/2021	1/13/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	"कोविड-19 के लिए संदर्भ दरों" के संबंध में साधारण बीमा परिषद के दिनांक 20 जून 2020 के अनुदेशों के आधार पर स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान संबंधी सूचना
108	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/ विविध/014 /01/2021	1/25/2021	जीवन	परिपत्र	मानक वैयक्तिक तात्कालिक वार्षिकी उत्पाद "सरल पेंशन" संबंधी दिशानिर्देश
109	आईआरडीएआई/आरआई/जीडीएल/ विविध/015/01/2021	1/22/2021	पुनर्बीमा	दिशानिर्देश/अनुदेश	सीमापार पुनर्बीमा (सीबीआर) हेतु आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश
110	आईआरडीएआई/एसडीडी/सीआईआर/ विविध/016/01/2021	1/22/2021	सेक्टोरियल विकास	परिपत्र	केन्द्रीकृत केवाईसी रजिस्ट्री - विधिमान्य संस्था टेंप्लेट प्रारंभ (रोल आउट) करना और अन्य परिवर्तन
111	आईआरडीएआई/एचएलटी/विविध/ ओआरडी/18/01/2021	1/28/2021	स्वास्थ्य	आदेश	स्वास्थ्य बीमा फोरम का पुनर्गठन
112	आईआरडीएआई/एचएलटी/ओआरडी/ विविध/20/01/2021	1/29/2021	स्वास्थ्य	आदेश	स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति में नये सदस्य का प्रवेश
113	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/25/02/2021	2/3/2021	स्वास्थ्य	प्रतिक्रिया	मानक रोगवाहक संबंधी (वेक्टर बोर्न) बीमारी की स्वास्थ्य पालिसी से संबंधित दिशानिर्देश
114	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/29/02/2021	2/8/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी आशोधित दिशानिर्देश
115	आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/ डीजीएलकेआर/030/02/2021	2/9/2021	मध्यवर्ती	परिपत्र	डिजीलाकर के जरिये बीमा कंपनियों द्वारा डिजिटल बीमा पालिसियों का निर्गम

जारी... अनुबंध 3

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश

क्रम सं.	संदर्भ सं.	दिनांक	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	विषय
116	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/031/02/2021	2/11/2021	गैर-जीवन	परिपत्र	दूर से संचालित वायुयान प्रणाली (आरपीएएस)/ड्रोन के बीमा के लिए उत्पाद संरचना
117	आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/032/02/2021	2/25/2021	वित्त और लेखा	परिपत्र	कोविड-19 महामारी के संदर्भ में बीमाकर्ताओं के वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंध
118	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/033/2021	3/2/2021	गैर-जीवन	परिपत्र	ग्रामीण बीमा डेटा फार्मेट
119	आईआरडीएआई/आईटी/ओआरडी/विविध/034/02/2021	2/24/2021	सूचना प्रौद्योगिकी	आदेश	आईआरडीएआई के सूचना और सुरक्षा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन करना
120	आईआरडीएआई/एचएलटी/जीडीएल/विविध/036/02/2021	2/25/2021	स्वास्थ्य	दिशानिर्देश/अनुदेश	मानक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देश
121	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/038/03/2021	3/1/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	पालिसीधारकों को स्वास्थ्य बीमा पालिसियों संबंधी मूलभूत जानकारी के संबंध में सूचनाएँ
122	आईआरडीएआई/जीवन/विविध/सीआईआर/046 /03/2021	3/11/2021	जीवन	परिपत्र	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व - आशा कार्यकर्ताओं और मनरेगा श्रमिकों के संबंध में स्पष्टीकरण
123	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/049/ 03/2021	3/16/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी आशोधित दिशानिर्देश
124	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/051/03/2021	3/18/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देशों में आशोधन
125	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/053/03/2021	3/19/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान
126	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/055/03/2021	3/22/2021	जीवन	परिपत्र	प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर समाप्त करना
127	आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/056/03/2021	3/23/2021	जीवन	परिपत्र	इलेक्ट्रानिक पालिसियों का निर्गम
128	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/058/03/2021	3/23/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	मानक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देशों का आशोधन
129	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/061/03/2021	3/24/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	अल्पावधि कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के विक्रय और नवीकरण के लिए समय-सीमाओं का विस्तार
130	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/062/03/2021	3/24/2021	स्वास्थ्य	परिपत्र	(क) इलेक्ट्रानिक पालिसियों का निर्गम तथा (ख) स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल हस्ताक्षर को समाप्त करना
131	आईआरडीएआई/आईटी/सीआईआर/विविध/063/03/2021	3/24/2021	सूचना प्रौद्योगिकी	परिपत्र	छल-कपटपूर्ण संदेश/ अयाचित वाणिज्यिक संदेश
132	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/064/03/2021	3/24/2021	गैर-जीवन	परिपत्र	(क) इलेक्ट्रानिक पालिसियों का निर्गम तथा (ख) भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल हस्ताक्षर को समाप्त करना
133	आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/065/03/2021	3/31/2021	निवेश	परिपत्र	"अनुमोदित निवेश" के अंतर्गत ईक्विटी निवेश के लिए लाभांश मानदंड

अनुबंध 4

31 मार्च 2021 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	विनियम का नाम
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) विनियम, 2000
2	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000
3	आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000
4	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2000
5	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
6	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
7	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000
8	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000
9	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2000
10	आईआरडीए (बैठकें) विनियम, 2000
11	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000
12	आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000
13	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2000
14	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) विनियम, 2000
15	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
16	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2001
17	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2001
18	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001
19	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2002
20	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002
21	आईआरडीए (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002
22	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002
23	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002
24	आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002
25	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2002
26	आईआरडीए (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) (संशोधन) विनियम, 2002
27	आईआरडीए (प्रीमियम की प्राप्ति की विधि) विनियम, 2020
28	आईआरडीए (अधिशेष के वितरण) विनियम, 2002
29	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003
30	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004
31	आईआरडीए (अर्हता बीमाकक) विनियम, 2004
32	आईआरडीए (ग्रामीण/ सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2004
33	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005
34	आइआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2005
35	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2005

जारी... अनुबंध 4

31 मार्च 2021 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम	
क्रम सं.	**विनियम का नाम**
36	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
37	आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
38	आईआरडीए (बीमा दलाल) (संशोधन) विनियम, 2007
39	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008
40	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
41	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008
42	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2008
43	आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
44	आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010
45	आईआरडीए (समाप्त संबद्ध बीमा पालिसियों का उपचार) विनियम, 2010
46	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
47	आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
48	आईआरडीए (साधारण बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011
49	आईआरडीए (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2011
50	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012
51	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012
52	आईआरडीए (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2012
53	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013
54	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
55	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
56	आईआरडीए (बीमा दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
57	आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2013
58	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
59	आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) विनियम, 2013
60	आईआरडीए (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2013
61	आईआरडीए (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2013
62	आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
63	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013
64	आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
65	आईआरडीए (निवेश) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
66	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
67	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013

जारी... अनुबंध 4

क्रम सं.	31 मार्च 2021 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम विनियम का नाम
68	आईआरडीए (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013
69	आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013
70	आईआरडीए (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
71	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति-आईएसी) (बैठकें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
72	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013
73	आईआरडीए (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
74	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
75	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2013
76	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
77	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014
78	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (छठवाँ संशोधन) विनियम, 2014
79	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) (पहला संशोधन) विनियम, 2014
80	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015
81	आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015
82	आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015
83	आईआरडीएआई (नामांकन के पंजीकरण, निरसन अथवा परिवर्तन के लिए शुल्क) विनियम, 2015
84	आईआरडीएआई (समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना प्राप्त होने की लिखित प्राप्ति-सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
85	आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015
86	आईआरडीएआई (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2015
87	आईआरडीएआई (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015
88	आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
89	आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015
90	आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015
91	आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015
92	आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015
93	आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015
94	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015
95	आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015
96	आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015
97	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य प्रकार का व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015
98	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015

जारी... अनुबंध 4

31 मार्च 2021 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम	
क्रम सं.	**विनियम का नाम**
99	आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
100	आईआरडीएआई (विवरणियों के निरीक्षण और प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015
101	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016
102	आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016
103	आईआरडीएआई (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016
104	आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
105	"आईआरडीएआई (बीमांकक की अर्हता) (निरसन) विनियम, 2016 "
106	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
107	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016
108	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016
109	आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016
110	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016
111	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016
112	आईआरडीएआई (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2016
113	आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016
114	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016
115	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2016
116	आईआरडीएआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016
117	आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016
118	आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
119	आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2016
120	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016
121	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
122	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
123	आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017
124	आईआरडीएआई (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017
125	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017
126	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
127	आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017
128	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

जारी... अनुबंध 4

31 मार्च 2021 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	विनियम का नाम
129	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018
130	आईआरडीएआई (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) (निरसन) विनियम, 2018
131	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018
132	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2018
133	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) (संशोधन) विनियम, 2019
134	आईआरडीएआई (यूनिट सहबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
135	आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
136	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019
137	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019
138	आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019
139	आईआरडीएआई (सामान्य लोक सेवा केन्द्र) विनियम, 2019
140	आईआरडीएआई (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019
141	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) (संशोधन) विनियम, 2019
142	आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2019
143	आईआरडीएआई (अन्वेषण और निरीक्षण के लिए अपेक्षित न्यूनतम जानकारी) विनियम, 2020
144	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (संशोधन) विनियम, 2020

टिप्पणीः भारत के राजपत्र में अधिसूचित।

अनुबंध 5

जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची
(31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	बीमाकर्ता	वैयक्तिक श्रेणी	सामूहिक श्रेणी
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	एबीएसएलआई ग्रूप बीमा योजना
2	बजाज अलायंज़ लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	बजाज अलायंज़ लाइफ़ ग्रूप संपूर्ण जीवन सुरक्षा बजाज अलायंज़ लाइफ़ ग्रूप संपूर्ण सुरक्षा कवच
3	भारती अक्सा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारती अक्सा लाइफ़ ग्रामीण जीवन बीमा	भारती अक्सा लाइफ़ ग्रूप टर्म माइक्रो इंश्योरेंस प्लान
4	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लाइफ़ इंश्योरेंस संपूर्ण कवच प्लान
5	एडेलवेइस टोकियो लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एडेलवेइस टोकियो लाइफ़ - रक्षा कवच	एडेलवेइस टोकियो लाइफ़ - जन सुरक्षा
6	एक्साइड लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	ग्रूप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस
7	एचडीएफसी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	एचडीएफसी लाइफ़ ग्रूप सुरक्षा एचडीएफसी लाइफ़ ग्रूप जीवन सुरक्षा
8	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत	आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा क्रेडिट आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा वन आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा लाइफ़
9	एजियास फेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.		ग्रूप माइक्रोश्योरेंस इंश्योरेंस प्लान
10	इंडियाफर्स्ट लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	इंडियाफर्स्ट लाइफ़ "इंश्योरेंस खाता" प्लान-एमआई इंडियाफर्स्ट लाइफ़ माइक्रो बचत प्लान	इंडियाफर्स्ट लाइफ ग्रूप हास्पिकेयर (एमआई) प्लान इंडियाफर्स्ट लाइफ़ ग्रूप माइक्रो इंश्योरेंस प्लान
11	कोटक महिन्द्रा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	कोटक संपूर्ण बीमा माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान	कोटक रक्षा ग्रूप माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान
12	मैक्स लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	मैक्स लाइफ़ ग्रूप सरल सुरक्षा प्लान
13	पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	पीएनबी मेटलाइफ़ बीमा योजना
14	प्रामेरिका लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	प्रामेरिका लाइफ़ सर्व सुरक्षा प्रामेरिका लाइफ़ संपूर्ण सुरक्षा
15	एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एसबीआई लाइफ़ - ग्रामीण बीमा	एसबीआई लाइफ़ - ग्रामीण सूपर सुरक्षा
16	एसबीआई लाइफ़ - ग्रामीण सूपर सुरक्षा	श्रीराम ग्रामीण सुरक्षा	श्रीराम जन सहाय श्रीराम लाइफ़ सुजना
17	टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	टाटा एआईए लाइफ़ साथ साथ एमआई प्रोडक्ट टाटा एआईए लाइफ़ पीओएस साथ साथ एमआई प्रोडक्ट	-
18	भारतीय जीवन बीमा निगम	एलआईसी की भाग्यलक्ष्मी एलआईसी का नया जीवन मंगल एलआईसी की माइक्रो बचत	एलआईसी का एक वर्षीय नवीकरणीय ग्रूप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान

अनुबंध 6

2020-21 के दौरान अनुमोदित उत्पादों की संख्या

क्रम सं.	जीवन बीमाकर्ता	उत्पादों की संख्या
	सरकारी क्षेत्र	
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	7
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	
2	आदित्य बिड़ला सन लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	18
3	एइगान लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5
4	एइगास फ़ेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9
5	अवीवा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5
6	बजाज अलायंज़ लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	12
7	भारती अक्सा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	14
8	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	10
9	एडेलवेइस टोकियो लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7
10	एक्साइड लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7
11	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	17
12	एचडीएफ़सी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	17
13	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	12
14	इंडियाफर्स्ट लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9
15	कोटक महिन्द्रा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	13
16	मैक्स लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	16
17	पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	12
18	प्रामेरिका लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6
19	रिलायंस निप्पोन लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6
20	सहारा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-
21	एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	13
22	श्रीराम लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9
23	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	8
24	टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	20
	कुल	**252**

जारी... अनुबंध 6

2020-21 के दौरान अनुमोदित उत्पादों की संख्या			
क्रम सं.	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	उत्पादों की संख्या	
		साधारण बीमा*	स्वास्थ्य बीमा**
	सरकारी क्षेत्र		
1	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15	19
2	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	12	24
3	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	92	27
4	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	13	13
	निजी क्षेत्र		
5	एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	13	10
6	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15	27
7	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	11	18
8	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	175	47
9	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	184	13
10	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	12	17
11	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	206	13
12	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	9	51
13	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	14	34
14	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3	16
15	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	265	18
16	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि.	22	14
17	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	29	5
18	नवी जनरल इंश्योरेंस लि.	73	21
19	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	202	9
20	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	30	21
21	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	17	21
22	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	34	17
23	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	30	10
24	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	143	49
25	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	73	15
	विशेषीकृत बीमाकर्ता		
26	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	3	-
27	ईसीजीसी लि.	-	-
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	20
29	मणिपालसिगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	16
30	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	16
31	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लि.	-	19
32	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	47
	कुल	**1695**	**647**

*वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उत्पाद/ऐड-आन `फाइल एण्ड यूज़' के अंतर्गत उल्लिखित हैं तथा स्वचालित यूआईएन `यूज़ एण्ड फाइल' के अंतर्गत उत्पन्न की गई हैं।

**आशोधित उत्पाद शामिल हैं।

टिप्पणी: उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आईआरडीएआई वेबसाइट देखें।

अनुबंध 7

बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क-संरचना तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वसूल किया गया शुल्क

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	बीमाकर्ता/ मध्यवर्ती	शुल्क संरचना				
		प्रसंस्करण शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क	नवीकरण की आवधिकता	वसूल किया गया कुल शुल्क
1.	बीमाकर्ता (जीवन/ साधारण/ स्वास्थ्य)	-	500,000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/20वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)	1,737,733,773
2.	पुनर्बीमाकर्ता/एफआरबी	-	500,000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (जीआईसी आरई के लिए 31 जनवरी तक) प्रत्येक वर्ष (एफआरबी के लिए 31 दिसंबर तक)	26,245,914
3.	लायड्स की सेवा कंपनी	-	500,000	500,000	प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर तक)	-
4.	साधारण/ जीवन बीमा व्यवसाय का समामेलन और अंतरण	न्यूनतम ₹50 लाख और अधिकतम ₹5 करोड़ के अधीन प्राधिकरण के पास आवेदन दाखिल करने के वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन करनेवाली संस्थाओं द्वारा भारत में जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/10 वाँ भाग		-	-	81,400,000
5.	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)	100,000	200,000	150,000	3 वर्ष	1,212,100
6.	दलाल-प्रत्यक्ष	25,000	50,000*	100,000	3 वर्ष	36,166,088
	दलाल-पुनर्बीमा	50,000	1,50,000*	300,000	3 वर्ष	
	दलाल-सम्मिश्र	75,000	2,50,000*	500,000	3 वर्ष	
7.	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (वैयक्तिक और कारपोरेट)		वैयक्तिक: ₹1000, कारपोरेट: ₹5000	I नवीकरण शुल्क यदि आवेदन समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दाखिल किया गया हो: वैयक्तिक-₹1000 कारपोरेट-₹5000 ii. नवीकरण शुल्क यदि नवीकरण आवेदन समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दाखिल नहीं किया गया हो: वैयक्तिक-₹1100 कारपोरेट- ₹5100 iii. नवीकरण शुल्क यदि नवीकरण आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद परंतु लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से छह महीने के अंदर दाखिल किया गया हो: वैयक्तिक-₹1750 कारपोरेट-₹5750	3 वर्ष	2,377,762
8.	कारपोरेट एजेंट	10,000#	I संस्था के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र: ₹25000 ii. पीओ/एसपी/एवी को प्रमाणपत्र: ₹500	पंजीकरण प्रमाणपत्र नवीकरण: ₹25000 पीओ/एसपी/एवी को प्रमाणपत्र का नवीकरण: ₹500	3 वर्ष	61,737,956
9.	वेब संग्राहक	10,000	25,000	25,000	3 वर्ष	204,500
10.	सामान्य सार्वजनिक सेवा केन्द्र (सीपीएससी)	-	10,000	2,000	3 वर्ष	-
11.	रिफ़रल	-	10,000	10,000	3 वर्ष	25,000
12.	बीमा विपणन फर्म	-	5,000	2,000	3 वर्ष	546,516
13.	बीमा भंडार (रिपोजिटरी)	10,000	100,000	50,000	3 वर्ष	-
14.	आईएसएनपी (बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म)	-	10,000	-	-	748,600
	कुल					**1,948,398,209**

* सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करने के बाद
# वापस न करने योग्य शुल्क
सीओआर - पंजीकरण प्रमाणपत्र
पीओ- प्रधान अधिकारी, एसपी- विनिर्दिष्ट व्यक्ति और एवी- प्राधिकृत सत्यापक

अनुबंध 8

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अर्थदंड

क्रम सं.	संस्था का नाम	अर्थदंड की राशि (₹)	अर्थदंड आदेश के निर्गम की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
	प्रत्यक्ष और दूरस्थ निरीक्षण के आधार पर			
1	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2,800,000	09/2/2020	बीमाकर्ता ने आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 12 (1 और 2) का उल्लंघन करते हुए लाइसेंसरहित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्टों के आधार पर दावों का निपटान किया।
2	मेटिस मार्केटिंग सर्विसेज़ प्रा. लि.	500,000	11/11/2020	कारपोरेट एजेंट ने व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) के लिए लाइसेंसरहित व्यक्तियों को नियुक्त किया और इसके द्वारा आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 26 के संयोजन के साथ पठित अनुसूची III के विनियम 3(ii) (क और ड) का उल्लंघन किया।
	परोक्ष निरीक्षण के आधार पर			
3	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	10,000,000	06/10/2020	उत्पाद फाइलिंग दिशानिर्देशों का उल्लंघन
4	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1,000,000	12/31/2020	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मोटर टीपी दायित्व का उल्लंघन
5	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	500,000	12/30/2020	एमआईएसपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
6	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	500,000	01/29/2021	एमआईएसपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
7	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10,000,000	03/08/2021	एमआईएसपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन

अनुबंध 9 (i)

भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (आईएएलएम) - 2012-14 मानक दरें - पुरुष बीमाकृत जीवन जो प्रारंभ में स्वास्थ्य की दृष्टि से जोखिम-अंकित हैं

[आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के विनियम 4 के आशय के अंतर्गत]

आयु	qx (क्रमशः परिवर्तित)	आयु	qx (क्रमशः परिवर्तित)	आयु	qx (क्रमशः परिवर्तित)
2	0.000915	40	0.00168	78	0.051024
3	0.00047	41	0.001815	79	0.056231
4	0.000271	42	0.001969	80	0.061985
5	0.000185	43	0.002144	81	0.068338
6	0.000152	44	0.002345	82	0.07535
7	0.000149	45	0.002579	83	0.083082
8	0.000167	46	0.002851	84	0.091601
9	0.000206	47	0.003168	85	0.100979
10	0.000265	48	0.003536	86	0.111291
11	0.000341	49	0.003958	87	0.122616
12	0.000429	50	0.004436	88	0.135037
13	0.000522	51	0.004969	89	0.148639
14	0.000614	52	0.00555	90	0.163507
15	0.000698	53	0.006174	91	0.179726
16	0.00077	54	0.006831	92	0.19738
17	0.000829	55	0.007513	93	0.216547
18	0.000874	56	0.008212	94	0.237302
19	0.000905	57	0.008925	95	0.259706
20	0.000924	58	0.009651	96	0.283813
21	0.000934	59	0.010393	97	0.309659
22	0.000937	60	0.011162	98	0.337265
23	0.000936	61	0.011969	99	0.36663
24	0.000933	62	0.012831	100	0.397733
25	0.000931	63	0.013765	101	0.430529
26	0.000931	64	0.014792	102	0.46495
27	0.000934	65	0.015932	103	0.500904
28	0.000942	66	0.017206	104	0.538278
29	0.000956	67	0.018635	105	0.576942
30	0.000977	68	0.02024	106	0.616752
31	0.001005	69	0.02204	107	0.657553
32	0.001042	70	0.024058	108	0.699191
33	0.001086	71	0.026314	109	0.741515
34	0.00114	72	0.028832	110	0.784383
35	0.001202	73	0.031638	111	0.827673
36	0.001275	74	0.034757	112	0.871285
37	0.001358	75	0.038221	113	0.915145
38	0.001453	76	0.042061	114	0.959214
39	0.00156	77	0.046316	115	1

टिप्पणी:

1. आयु पिछले जन्मदिन को यथाविद्‌यमान
2. qx (क्रमशः परिवर्तित) दरें क्रमशः परिवर्तित मृत्यु-दरें हैं

अनुबंध 9 (ii)

भारतीय वैयक्तिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु-दर सारणी (2012-15)
समग्र / संयुक्त मृत्यु-दरें

[आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के विनियम 4 के आशय के अंतर्गत]

आयु	क्रमशः परिवर्तित मृत्यु-दरें	आयु	क्रमशः परिवर्तित मृत्यु-दरें
20	0.000284	68	0.013447
21	0.000305	69	0.01484
22	0.000328	70	0.016393
23	0.000353	71	0.018128
24	0.000379	72	0.020067
25	0.000407	73	0.022236
26	0.000438	74	0.024662
27	0.000471	75	0.027379
28	0.000507	76	0.030422
29	0.000545	77	0.03383
30	0.000586	78	0.037651
31	0.000631	79	0.041932
32	0.000679	80	0.04673
33	0.000731	81	0.052106
34	0.000787	82	0.058127
35	0.000847	83	0.064868
36	0.000913	84	0.07241
37	0.000984	85	0.08084
38	0.001061	86	0.090252
39	0.001144	87	0.100746
40	0.001234	88	0.112428
41	0.001332	89	0.125408
42	0.001438	90	0.139798
43	0.001553	91	0.155712
44	0.001679	92	0.17326
45	0.001815	93	0.192548
46	0.001964	94	0.213673
47	0.002125	95	0.236719
48	0.002302	96	0.261749
49	0.002495	97	0.288807
50	0.002705	98	0.317906
51	0.002936	99	0.349031
52	0.003188	100	0.382129
53	0.003464	101	0.417111
54	0.003768	102	0.453851
55	0.004101	103	0.49219
56	0.004468	104	0.531933
57	0.004871	105	0.572866
58	0.005316	106	0.614755
59	0.005807	107	0.657357
60	0.006349	108	0.700435
61	0.006948	109	0.743762
62	0.007612	110	0.787136
63	0.008347	111	0.830382
64	0.009163	112	0.873364
65	0.01007	113	0.915987
66	0.011077	114	0.958198
67	0.012198	115	0.99999

प्रधान कार्यालय
सर्वे नं 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, गच्चीबाउली,
हैदराबाद - 500 032, तेलंगाना (भारत)
फोन : +91-40-20204000

Head Office
Sy. No. 115/1, Financial District
Nanakramguda, Gachibowli,
Hyderabad - 500032, Telangana (India)
Phone: +91-40-20204000,
Website: www.irdai.gov.in